राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 17

सोमवार

26 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज तो हाउस को चलाओ, एडजोर्न करने के लिए तो नहीं पधारे?

श्री उपाध्यक्ष: आपका सहयोग होगा तो चलेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, आपके आसन पर बिराजते ही सीधे स्थगन की सूचना आती है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-20

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल।

निवाई में सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य

21. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2007 तक सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य किस-किस मद में, कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण हैं? कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और इन्हें अब कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(श्री हीरालाल)

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2007-08 में सड़क निर्माण व मरम्मत के कौन-कौन से कार्य किस मद में कितनी-कितनी राशि के प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर निवाई में रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की बनास पुलिया से मण्डावर तक बरोनी से शिवाड़ तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार इनकी मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2007 तक सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्यों का विवरण, स्वीकृत राशि, पूर्ण/अपूर्ण सूचना सहित, अपूर्ण रहने का कारण व अपूर्ण कार्यों की पूर्णता की सम्भावित तिथि संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर दर्शायी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2007-08 में सड़क निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्तावित कार्य, अनुमानित लागत एवं मद का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर दर्शाया गया है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर निवाई से रेलवे क्रोसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के तृतीय चरण में चिह्नित की गई है। इस निर्माण कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। बनास पुलिया से मण्डावर तक बरोनी से शिवाड़ पर पराना तक, सड़क पर बजरी के भारी ट्रकों का आवागमन होने के कारण सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। बनास पुलिया से मण्डावर तक सड़क की कुल लम्बाई 17 किलोमीटर है जिसका नवीनीकरण वर्ष 2002-03 में हुआ था। इस सड़क मार्ग की साधारण मरम्मत करवा दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई से बरोनी से शिवाड़ सड़क की कुल लम्बाई 16 किलोमीटर है। इसमें से कि.मी. 0/0 से 8/0 पराना तक कुल 8 कि.मी.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की पेच मरम्मत की जा चुकी है, इसका नवीनीकरण वर्ष 2002-03 में हुआ था। कि.मी. 8/0 से 16/0 तक कुल 8 कि.मी. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़क है जिसकी मरम्मत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। बनास पुलिया से मण्डावर तक बरोनी से शिवाड़ तक सड़क नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करवाना राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब से, अभी बरोनी से शिवाड़ तक सड़क दिखती नहीं है और यहां जयपुर से जो धार्मिक आस्था के लोग जाते हैं तो गाड़ियां ही पास नहीं होतीं। मेरा निवेदन है सरकार से कि जल्दी से जल्दी यह सड़क बनवाई जाए, निर्मित करवाई जाए।

दूसरा, बनास पुलिया, मंडावर तक पहले तो बनास में बजरी थी तो यहां से बजरी आती थी पर आजकल मंडावर से आगे से बजरी आती है तो सड़क दिखती नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बनास से मंडावर तक शीघ्र सड़क निर्मित करवाई जाए। साथ ही प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में झिलाई से संग्रामपुरा वर्तमान में सड़क का कार्य चल रहा है लेकिन ठेकेदार ने भी दूसरे ठेकेदार को अपना ठेका दे दिया। सब-ठेकेदार बना दिया और 500 मीटर सड़क ठेकेदार की हठधर्मी से छोड़ दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 500 मीटर रह गई है प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत झिलाई से संग्रामपुरा तक, वह तुरन्त पूर्ण करवाई जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रधान मंत्री सड़क योजना की सड़क झिलाई से संग्रामपुरा तक बनाई है, आपने कहा है कि ठेकेदार ने सबलेट कर दिया तो मैं आज ही एडिशनल चीफ इंजीनियर को जांच दे रहा हूं, अगर सबलेटिंग पाई गई क्योंकि सबलेटिंग अलाऊ नहीं है, तो उस ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड भी करूंगा। जो 500 मीटर सड़क जिसका निर्माण बीच में छोड़ दिया इसका निर्माण कार्य भी निश्चित तिथि में पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने का काम भी पूरा किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बरोनी से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शिवाड़ 16 किलोमीटर सड़क का जिक्र किया है, मैंने मेरे मूल उत्तर में पहले ही निवेदन किया था कि इस सड़क के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा 0 से 8 किलोमीटर है जिसका पी डब्ल्यू डी ने निर्माण करवाया है, दूसरा हिस्सा 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर कृषि उपज मण्डी द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस क्षेत्र में बजरी निकलती है, सड़क पर आवागमन ज्यादा रहता है। 2002-03 में जब तत्कालीन सरकार थी तब इस सड़क का नवीनीकरण करवाया गया था। पी डब्ल्यू डी ने भी करवाया था और कृषि विपणन बोर्ड ने भी करवाया था। वर्तमान में सड़क क्षतिग्रस्त है, निश्चित तौर पर इसका तकमीना बनाकर यह प्रयास करेंगे कि इस सड़क को ठीक किया जाए क्योंकि आवागमन की दृष्टि से इस सड़क का काफी महत्व है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास करूंगा और आपने जिस सड़क की चर्चा की है उसकी जांच करवाकर उसमें समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संग्रामपुरा गांव के सारे लोग अगर बरसात आयेगी और वह 500 मीटर सड़क नहीं बनती है तो वो अलग-थलग पड़ जाएंगे। दूसरा, ठेकेदार की हठधर्मी यह हो रही है कि पूरा गांव एक तरफ है और ठेकेदार एक तरफ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि 500 मीटर सड़क है उसका तुरन्त निर्माण करवाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे एडिशनल चीफ इंजीनियर को कहूंगा कि माननीय सदस्य से सम्पर्क करेंगे, इनको साथ लेकर जाएंगे और यह जो संग्रामपुरा सड़क है, किस विभाग के कारण यह सड़क नहीं बनी उसकी पूरी छानबीन करके अगर सड़क स्वीकृत है तो निश्चित तौर पर सड़क बनाई जाएगी और इसमें जो कोई भी बाधा है उसको दूर करके सड़क निर्माण करेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के चौथे खण्ड में लिखा है कि बरोनी से शिवाड़ तक की लम्बाई 16 किलोमीटर है जिसमें 8 किलोमीटर पी डब्ल्यू डी ने पूरा कर दिया और 8 किलोमीटर कृषि मण्डी ने छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में एक ही व्यवस्था को दो भागों में बांटकर के जनता को परेशान किया जा रहा है। कृषि मण्डियां जब

(श्री रामचन्द्र सराधना)

रोड बनाती हैं तो केवल पी डब्ल्यू डी का सहयोग करती हैं, जनता के लिए रोड बनाती है। लेकिन उनका निर्माण, उनकी रिपेयरिंग कृषि मण्डी से नहीं करवाकर पी डब्ल्यू डी से कराना चाहिए।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सड़क पर बजरी और भारी ट्रकों के आवागमन से बार-बार टूट जाती है। यह कितने वज़न तक का ट्रक चलने की क्षमता का रोड बनाते हैं जो हर बार टूट जाती है? कितनी गाड़ियां आने-जाने के लिए बनाते हैं और जितनी ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं तो उस क्वालिटी का रोड क्यों नहीं बना पाते? क्या कारण है कि वह रोड बार-बार टूट जाता है? ज्यादा गाड़ियां आना, यह कोई कारण नहीं बनता है। कितने वज़न की गाड़ियों के आने-जाने के लिए रोड बनाते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 9 टन भार ले जाने के लिए अधिकृत है। उपाध्यक्ष महोदय, कौनसी सड़क पर ट्रेफिक कब बढ़ जाएगा इसका सेंसस तो कोई हो नहीं सकता। हालांकि एक निश्चित अंतराल के बाद किस-किस सड़क पर कितना-कितना ट्रेफिक किस रफ्तार से बढ़ रहा है इसकी गणना भी विभाग करवाता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, इस राजस्थान के अन्दर सड़कें पी डब्ल्यू डी भी बनाता है, राजस्थान में सड़क कृषि विपणन बोर्ड भी बनाता है, कुछ सड़कें माइंस की भी हैं, कुछ सड़कें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत भी बनी हुई हैं और इनका संधारण भी अलग-अलग हैड्स में होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बार जो योजना बनाई है, हमारा जो पैच रिपेयर का कार्यक्रम चलता है उसके साथ-साथ कृषि उपज मण्डी को भी हमने लिखा है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें प्रयास करेंगे कि सड़कों के संधारण का काम और सड़कों के रिन्यूवल का काम दोनों विभाग साथ-साथ करे क्योंकि आम व्यक्ति को यह मालूम नहीं कि कौनसी सड़क पी डब्ल्यू डी ने बनाई है और कौनसी सड़क कृषि विपणन बोर्ड ने बनाई है, उसके दिमाग में तो एक ही बात रहती है कि सड़क सरकार ने बनाई है, यह निश्चित भी है। इसलिए दोनों विभाग मिलकर संधारण की अपनी रूपरेखा और अपने कार्यक्रम में किस तरह से सामंजस्य करें इसका प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न निवाई की सड़क से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य, यह जनरल क्वेश्चन नहीं है, निवाई का है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया 9 टन वाला वह सिक्स व्हील वाली गाड़ियों का था। आज 16 व्हील, 18 व्हील की गाड़ियां चल रही हैं, उनमें भी बजरी आ रही है तो 9 टन वाला ही नहीं रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह जो रोड टूट रहा है वह 9 टन के कारण नहीं टूट रहा, आज तो 16 टन, 18 टन, 20 टन की गाड़ियां चल रही हैं, परिवहन विभाग पास कर रहा है उनको तो रोड उस क्वालिटी का बनाया जाए जिसमें 18 और 20 टन की गाड़ियां भी चलें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि कोटा से डाबी तक नेशनल हाइवे नम्बर 76 है और आपका वहां फोरलेन भी बन रहा है लेकिन अभी जो एग्जस्टिंग रोड है उसकी हालत अगर आप देखेंगे तो आये दिन ऐक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी मरम्मत जब तक फोरलेन में एक-डेढ़ साल लग जाएगा तब तक उसकी मरम्मत कराने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, दूसरी बात आप कह रहे थे माननीय मंत्री महोदय कि जब बूंदी जाते हैं तो अंदर एंटर करते ही नींद खुल जाती है तो वह नींद खुलनी तो आपने बंद कर दी शहर में लेकिन बूंदी विधान सभा क्षेत्र से शुरू में ही जो नींद खुलने लगी है उसका क्या होगा? वह जो राबर्टसन के टाइम का बाइपास है उसकी अगर आप हालत खुद मुलाहिजा फरमाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बुरी है तो मैं चाहती हूं कि इन दोनों सड़कों के बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नींद आना और नींद नहीं आना, यह तो अलग-अलग आदमी के स्वभाव पर निर्भर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने कई बार देखा है कि जब कहीं भी क्रोस करते हैं आप हमेशा गाड़ी में बैठते ही नींद में चली जाती हैं और इनको इस बात का तो धन्यवाद देना चाहिए कि वो जब बूंदी में प्रवेश करती हैं उस समय पहले नींद झटकों से खुलती थी, अब नहीं खुलती है। यह जो आपने सवाल किया है यह एन एच 76 का है माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एन एच आई के पास है और इसका संधारण का हमें जितना पैसा मिलता है वह भारत सरकार से हमें मिलता है। हम बार-बार लिखते रहते हैं निश्चित तौर पर यह चूंकि यह एन एच आई के पास है, इसके संधारण में पैसा भी वो देते हैं उन्होंने राशि कम दी है, फिर भी मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी एक पत्र लिखवाया था केन्द्रीय मंत्रालय को, मैं खुद भी प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि ये जो पहले बहुत ज्यादा हालत खराब थी पिछले दिनों में कुछ ठीक हुई है, इसको और ठीक माननीय सदस्य निश्चित तौर पर करेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप तो उसमें पैचवर्क करा दीजिए तब तक वह फोरलेन तैयार नहीं होता है बस वही बहुत है हमारे लिए, अगर आप यह करा देंगे तो भी बहुत है। वहां 20-20, 25-25 टन के पत्थर लेकर के गाड़ियां निकलती हैं, इसलिए यह एक भारी समस्या है और आये दिन गाड़ियां पलट जाती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इसको देखूंगा और मैं एन एच आई के अधिकारियों से चर्चा करके इसका पैच रिपेयर आगामी माह से प्रारम्भ हो जाए, यह सुनिश्चित करने का काम करूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आप जिस रोड से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, उस रोड में जो आधा घंटा आपको ट्रेफिक में लगता है, कब तक आप चौमूं का बाइपास का निर्माण कराने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहां का है ? बोलने दीजिए, यह प्रश्न कहां का है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर तो हमारा भी जवाब दिलाओ (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आगे बढ़ाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): या तो निवाई तक सीमित रखा जाए अगर ये पूछ रहे हैं तो हम से भी पूछा जाए (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड नहीं है (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पाली जिले के अंदर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनका प्रश्न क्या है पता तो लगना चाहिए?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं बाइपास का किसानों का पूरा मुआवजा दिया जा चुका है जो भूमि अवाप्त की थी, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि चौमूं बाइपास का कब तक निर्माण कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह निवाई से संबंधित नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजस्थान की सब सड़कें खराब हैं यू बोलो फिर तो आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा, आप अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित हो तो कहिए।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह जनरल बहस नहीं है माननीय सदस्य, मैं अलाऊ नहीं करूंगा माननीय सदस्य।

प्रश्न संख्या-22

श्री रामनारायण मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इंटर स्टेट रोड में भादरा-झांझल सड़क की कब स्वीकृति हुई, कितने पैसे उसके स्वीकृत हुए और वो जो आज बंद पड़ी है उसका करना क्या है?

स्वायत्तशासी संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का निलम्बन एवं बहाली

23. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माह जनवरी, 2004 से अब तक राजस्थान में कितने महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, किस-किस आधार पर निलम्बित

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किये गये? कितनों को बर्खास्त किया गया तथा वे किस-किस राजनैतिक दल से संबंधित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने स्वायत्तशासी संस्थाओं के सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न प्रकरणों में जांच विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय (श्री प्रताप सिंह सिंघवी): (1) माह जनवरी, 2004 से दिनांक 23.3.2007 तक राजस्थान में जिन महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद को निलम्बित किया गया, का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर और जिनको बर्खास्त किया गया है का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। जिसमें कार्यवाही का आधार व उनके राजनैतिक दल का अंकन है। इस अवधि में कुल 85 को निलम्बित और 21 को बर्खास्त किया गया है।

(2) वर्तमान में उक्त में से 58 के विरुद्ध न्यायिक जांच विचाराधीन है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम संख्या 8 में अंकित है एवं 4 के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों में विभागीय स्तर पर जांच/परीक्षण निलम्बित है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''स'' पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निलम्बित करने के बाद जांच कितने दिनों में कितने माह में कनक्लूड कर ली जाएगी और इसके लिए कोई कानून में कोई प्रावधान है या आपने कोई ऐसे मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं कि निलम्बित जांच से पूर्व निलम्बित करने के पश्चात कितने समय में उस जांच का निर्णय आ जाएगा, नम्बर-2, 2004 में आपने 44 नगरपालिका के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और पार्षदों को मुअत्तिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, आज तक उनकी जांच पेंडिंग है। 2005 में 8 को कर दिया और आज तक उनकी जांच पेंडिंग है और 2006 में 24 को कर दिया, आज तक जांच पेंडिंग है। 2004 से आज तक 44, 8 प्लस 24 और 2007 के अध्यक्ष इनको आप जोड़ दें तो सस्पेंड करने के बाद आपने एक आदमी की भी जांच पूरी सम्पन्न नहीं करवाई? इसके क्या कारण रहे? दूसरा, आपने अपने जवाब में आखिरी जो यह महेश चन्द्र यूनानी अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़, भाजपा, श्रीमती गीता देवी अध्यक्ष आबू रोड भाजपा, श्रीमती प्रवीण सैनी अध्यक्ष, कामां भाजपा, इनको ट्रेप किस तारीख को किया गया था और आपने इनको कब

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सस्पेंड किया? ट्रेप की तारीख बताइए आप, इनको किस तारीख को ट्रेप किया गया और ट्रेप करने के पश्चात इनको जो रेड हैण्डेड ट्रैप किया गया इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को और इनको आपने सस्पेंड किस तारीख को किया?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि सैक्रेटरी ने सस्पेंड की फाइल कब भेजी और आपके आफिस में कितने दिन रुकी रही? यह और जोड़ दें आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले मेरा जवाब मंगवा लें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहले जवाब मंगा लें (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कि पाली, किशनगढ़ और सीकर नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के खिलाफ जांच चली हैं, क्या उनको भी सस्पेंशन करने की कार्यवाही आपने की? उनकी जांच कम्प्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी स्वायत्त शासन मंत्री की क्या कांग्रेस से मिलीभगत है कि वो उनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा मुझे यह बताइए कि बीजेपी के कितने चैयरमेन्स को कांग्रेस के राज में सस्पेंशन किया गया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री महोदय कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17.01... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिलकुल मिले हुए हैं, उनकी जांच कम्पलीट हो गई उसके बाद सस्पेंड नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो बहुत-बहुत गम्भीर मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह गम्भीर आरोप लगाया है, बहुत गम्भीर आरोप लगाया है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कि सत्ता पक्ष के सदस्य ने यह आरोप

(डा. सी. पी. जोशी)

लगाया है कि कांग्रेस से मिले हुए हैं, इससे बड़ा भयंकर कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि सदन के अंदर रूलिंग पार्टी का एक मेम्बर अपनी पार्टी के... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिलकुल ठीक बात है पाली, किशनगढ़ और सीकर को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? बिलकुल ठीक बात है (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि यह हमारी पार्टी के खिलाफ मिले हुआ है, मैं समझता हूं कि या तो मंत्री जी को खुद को इस मामले में कोई बात करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पाली, किशनगढ़ और सीकर के चैयरमेंस को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वहीं, पाली, पाली (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जो बात पार्टी मीटिंग में होनी चाहिए थी, जो बात पार्टी के अध्यक्ष के सामने होनी चाहिए वह आपके सामने हो रही है, जो बात पार्टी मीटिंग में पार्टी प्रेसीडेंट के सामने होनी चाहिए वह यहां पर हो रही है इससे बड़ा दुर्भाय नहीं हो सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कल आ जाइए आप मेरे पास। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी का एक माननीय सदस्य अपने मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि वह भ्रष्टाचार के मामले में प्रतिपक्ष से मिला हुआ है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई उदाहरण... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पाली, किशनगढ़ और सीकर में भ्रष्ट कांग्रेस के कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? सही किया है, पाली, किशनगढ़ और सीकर के लोगों को बचा रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार आपकी है या हमारी है? यदि सरकार हम चला रहे हैं तो इसका आप सर्टिफिकेट दे दो आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इसको कहा जो आरोप लगाया है इसकी जांच कराई जाए? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार अगर हम चला रहे हैं तो सर्टिफिकेट दे दो आप, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन नहीं सकती कि सरकार चलाने वाला आदमी अपनी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाए कि सरकार हम चला रहे हैं क्या? यदि आपके मंत्री पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि कांग्रेस से मिलकर सरकार चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाई जाए, एक कमेटी बनाकर के जांच करवाई जाए (व्यवधान) इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इस आरोप की जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसकी जांच की जाए, एक कमेटी बनाई जाए अध्यक्ष महोदय, एक असेम्बली की कमेटी बनाई जाए अध्यक्ष महोदय और यह जांच करवाई जाए कि मंत्री किन-किन कांग्रेसियों से मिला हुआ है? यह जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसकी जांच कराई जाए, आप यह कार्यवाही कराइए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो आपके सदस्य की बात बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आपके सदस्य की बात बता रहे हैं (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके सदस्यों को आप निलम्बित करवाना चाहते हैं क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जी, जी यदि वे बेइमान हैं तो निलम्बित होने चाहिए, यदि हमारी पार्टी के भ्रष्ट हैं तो निलम्बित होने चाहिए, हम कहां बचा रहे हैं? आपके सरकार के मंत्री कांग्रेस के भ्रष्ट आदमियों को बचा रहे हैं। आप मानो इस बात को। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कोई नहीं बच सकता, कार्यवाही हो जाएगी उसके खिलाफ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके सदस्य कह रहे हैं कि आपके मंत्री कांग्रेस के भ्रष्ट आदमियों को बचा रहे हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनें पहले आप।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाई जाए, कोई कमेटी बनाई जाए और इस आरोप की जांच करवाई जाए (व्यवधान) और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब नहीं सुनना चाहते आप? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): एक माननीय सदस्य एक मंत्री के ऊपर खुला आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न का जवाब आने दीजिये माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोई फैसला आप पहले करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप जवाब सुनिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको पूछ रहे हैं इन्होंने जो आरोप लगाये उन आरोपों की जांच की जाए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहता कोई सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) जितनी नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों के चेयरमेनों को निलम्बित किया गया वो राजनीतिक आधार पर किया गया और कांग्रेस की सरकार ने केवल भारतीय जनता पार्टी के चेयरमेंस को उस समय निलम्बित किया ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): कांग्रेस के शासन में जितने भी चेयरमेंस को निलम्बित किया गया, जितने भी पार्षदों को निलम्बित किया गया वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और चेयरमेंस को निलम्बित किया गया।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ये तो मिलीभगत ...(व्यवधान) की बात अंदर की बात आप कैसे कह रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना): ये तो अंदर की बात की कोई बात है अन्दर की बात को आप उजाले में ला रहे हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पते की बात कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि माननीय उपाध्यक्षजी के स्वभाव का मिसयूज न करें कम से कम आज पूरे दिन हाउस बड़ी शांति से चलना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप ध्यान रख लें, बाकी सब ठीक हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये अपना स्थान ग्रहण कीजिये। । आप अपना कोई प्रश्न हो तब पूछिये बीच में जरूरत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने कहा?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बाद में पूछना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न बाद में पूछना।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह कहना बिलकुल गलत है कि...

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: बिना परमीशन के अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये पहले।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1.3.2007 को...

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते । जवाब ही नहीं सुनना चाहते।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो नियमों में साफ प्रावधान है कि जांच का कोई समय निश्चित नहीं है फिर भी हमने इनको तत्परता से तीनों हालांकि भारतीय जनता पार्टी के थे फिर भी तीनों दोषी पाये गये थे इनको 1.3.2007 को निलम्बित कर दिया गया। इन पर आरोप था ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) ट्रैप की डेट बताओ आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका भाषण अंकित... माननीय सदस्य।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप ट्रेप की तारीख बताओ। भारतीय जनता पार्टी के पांच लोगों को आपने सस्पेंड किया वो ट्रेप के कारण किया ...(व्यवधान) पांचों का ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनका ट्रेप किस तारीख को हुआ? यह बतायें आप। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 8.1.2007 को एसीडी ने ट्रेप किया गया था। उस मामले में जब हमको शिकायत प्राप्त हुई, विभाग को शिकायत प्राप्त हुई 13.1.2007 को उसके बाद इसकी जांच चलती रही । जब मेरे पास प्रकरण आया तो मैंने तुरंत इनको 1.3.2007 को तीनों अध्यक्षों को हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, मैंने तीनों को निलंबित कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप फिर बोल रहे हैं? आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहें तो ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है भाषण आपका। आपका भाषण अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री के जरिये पूछें स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई पूछना हो तो यह जनरल बहस थोड़े हो रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप नियमों को जानते हुए भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपको सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया जाएगा माननीय सदस्य। भाषण नहीं चलेगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जवाब सुनिये शांतिपूर्वक। माननीय सदस्य, आसन की अनुमति के बिना अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): विभाग को श्रीमती गीता देवी की शिकायत प्राप्त हुई है 17.1.2007 को उसके बाद में हमने त्वरित गति से जांच करवा कर कार्यवाही की है चूंकि अभी तक जांच पेंडिंग है फिर भी हमने चूंकि ये इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप था इसलिए हमने निलम्बित करते हुए इनकी उच्चाधिकारियों के सम्मुख जांच कराने के लिए दी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): रेड हैण्डेड पकड़े जाने के बाद जांच विचाराधीन है अभी ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके ही गवर्नमेंट के आफिसर्स ने उनको ट्रेप किया और उसकी जांच बाकी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये पहले।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जांच में दोषी पाये गये। एसीडी ने ट्रेप किया। हमने सस्पेंड किया उनको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ...(व्यवधान) जांच हो रही है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसीडी जांच कर रही थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं और वे जवाब दे रहे हैं आप बीच में नहीं। आप बीच में टोका-टाकी नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुछ नहीं प्रश्न लगने के बाद ...(व्यवधान) प्रश्न लगने के बाद किया है यह।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 1.3.2007 को कोई प्रश्न नहीं था आपका। 1.3.2007 को मैंने सस्पेंड किया है। उस टाइम पर विधान सभा में कोई प्रश्न नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका दिया जाएगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने पूछा निलंबन के कारण का विवरण । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल 85 आदमियों को हमने निलम्बित किया है उसमें पद के दुरुपयोग के लिए 60 को और 2 से अधिक संतान के 16 को, एसीडी के ट्रेप के लिए 9 को इस प्रकार कुल 85 सदस्यों को निलम्बित किया है। इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से पूछा हमने हमारी सरकार में अब तक कुल 85 सदस्यों में से 11 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को निलम्बित किया है जब कि कांग्रेस के राज में 87 में से मात्र 2 बीजेपी के सदस्य निलम्बित किये थे। कांग्रेस के, सॉरी। सब्जैक्ट टू करेक्शन। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): xxx

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): किसने गुनाहगार को बचाया?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बचाने की अगर नौबत आती तो 13 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को ... (व्यवधान) मैं सस्पेंड नहीं करता।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आपके टाइम पर आपने 87 लोगों को सस्पेंड किया था जिनमें 85 कांग्रेस के थे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं यह जो आप फरमा रहे हैं तीनों ट्रेप के, ... (व्यवधान) एक ट्रेप का केस है ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 2 ट्रेप के केस हैं और एक इल्लिगलिटी का है ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): चित्तौड़गढ़ से संबंधित जो आप बता रहे हो वह 1997 का है उसके बाद पांच साल तक आप लेकर बैठे रहे ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 85 में से 5 जो भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड हुए एसीडी वाले किये और 80 हैं वह कांग्रेस वाले हैं सन 2004 के आज तक उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप है । एक मेम्बर के अलावा और पेंडिंग जांच 2004 से आज तक है यह तो आपके लिये शर्म की बात नहीं है ना । आपने सस्पेंड कर दिया, जांच नहीं करवाई और जांच नहीं करवाने के बाद आज उन 85 में से 80 कांग्रेस के आदमी हैं और जिन 21 को इन्होंने स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया है वह 21 के 21 कांग्रेस के हैं एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है । भ्रष्टाचार करने वालों को तो आप अलग बचा रहे हो ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसको हमने नोटिस नहीं दिया हो । पहले नोटिस देने के बाद ही निलम्बन की कार्यवाही की है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया (व्यवधान) उनका जवाब आने दीजिए ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह 80 जिनके खिलाफ जांच पेंडिंग है वह उसमें दोषी ही नहीं है इसलिए यह उस जांच को टाल रहे हैं । जानबूझ कर जांच नहीं करवाना चाहते । आज तीन साल हो गये उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्देश देना चाहिये सन् 2004 की जांच आज तक चल रही है 44 आदमियों की । सन् 2005 के 8 आदमियों की चल रही है, सन 2006 की 24

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आदमियों की चल रही है सरकार को कोई शर्म की बात ही नहीं है और दूसरे मंत्री खडे हो जाते हैं आपने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया । आप साफ कहो कि हम भी उसी लाइन पर चलेंगे हमने जो कर दिया वह कर दिया । यह कहो ना, यह कहने में आपको क्या झेंप आ रही है ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आप थोडा शांति से सुन लें कि जितने भी निलम्बन हैं यूडीएच और पंचायती राज में दोनों में एसीबी के कारण होते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं हम भी जानते हैं लेकिन एसीबी में ट्रेप का और एसीबी में चार्ज फ्रेम होने का यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एसीडी में जांच फ्रेम होने का नहीं है, आइपीसी के कैसेज में जांच फ्रेम होने का है । एसीडी में तो आपको खुद को ही शर्म आ जानी चाहिये कि हमारे पार्टी के सारे अध्यक्ष एसीडी के द्वारा पकड़े जा रहे हैं उसमें तो जांच का सवाल ही नहीं है । अख़बार में पढ़ते ही **सुओमोटो** राज्य सरकार को कदम उठाकर सस्पेंड करना चाहिये और आप जांच कराने की बात कर रहे हो और फिर बहादुरी से कह रहे हो हमारे तो एसीडी में पकड़े गये तो भी जांच करवायेंगे ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): एसीडी जांच नहीं करता... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं है, (व्यवधान) पद का दुरूपयोग भी किया है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप जवाब सुनिए ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ... (व्यवधान) प्रकरणों की स्थिति इस प्रकार है कांग्रेस 7... (व्यवधान) न्यायिक जांच पूर्ण एवं अयोग्य घोषित कांग्रेस 7 । जांच के बाद बहाल कांग्रेस एक ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी नीयत राजनीतिक होती...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य टोका टाकी नहीं । आप जवाब सुनना नहीं चाहते। जवाब देने दीजिए ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हमारी नीयत राजनीतिक द्वेषता के कारण किसी को निलम्बित करने की होती या उसके खिलाफ कार्यवाही करने की होती तो जिन कांग्रेस के माननीय पार्षद को हमने बहाल किया है, बहाल नहीं करते । हमने जांच करके कांग्रेस के सदस्य को बहाल किया है । हमारा इस प्रकार का कोई मकसद नहीं है कि नगरपालिका में... (व्यवधान) अच्छा काम हो, अच्छे तरीके से हो । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): जहां तक किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली, किशनगढ, सीकर की बात कही उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रकरणों को मैं दिखवा लूंगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, करने का प्रयास करूंगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, 85 माननीय पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को निलम्बित किया गया है उसमें से 72 कांग्रेस के हैं 8 भाजपा के हैं और 5 निर्दलीय हैं। तमाम अध्यक्षों, पार्षदों जो कांग्रेस के थे राजनीतिक आधार पर माननीय मंत्रीजी ने दुर्भावना से उनको निलम्बित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताइए कि किन लोगों को राजनीतिक दुर्भावना से निलम्बित किया और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि न्यायालय ने कितनों में स्थगन आदेश दिया ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): न्यायालय ने आपके द्वारा राजनीतिक दुर्भावना से जिन लोगों को हटाया गया उनमें न्यायालय ने कितनों में स्थगन आदेश दिया ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह भी बतायें कि हमारे जो सदस्य थे उनको केवल राजनीतिक दुर्भावना से आपने निलम्बित किया और उसमें कितने लोगों को न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब आने दीजिए। माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन कारणों से माननीय सदस्य निलम्बित हुए उनका मैं एक-एक का कारण बता सकता हूं। जिस प्रकार से जिन्होंने जो गड़बड़ी की है इनमें श्रीमती अन्नी देवी उदय, अध्यक्ष, पुष्कर कांग्रेस, कियोस्क आबंटन में हेराफेरी। श्रीमती राजकुमारी, अध्यक्ष, सरवाड, कांग्रेस वित्तीय अनियमितताएं। श्रीमती सीता देवी, सदस्य, अजमेर, भाजपा, एसीबी द्वारा ट्रेप। श्री नाथूलाल अग्रवाल, सदस्य, छबडा कांग्रेस, एसीबी द्वारा ट्रेप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने राजनीतिक दुर्भावना से किया है । कांग्रेस के तमाम लोगों को (व्यवधान) पूरा सदन इस बात को जानता है (व्यवधान) कांग्रेस के लोगों में सुमित्रा कांवटिया जो नीमकाथाना की महिला अध्यक्ष थी कभी गाड़ी नहीं चढ़ी । उसको कहा कि गाड़ी का दुरुपयोग किया । उसने कभी गाड़ी को नहीं देखा ही नहीं उसको गाड़ी के दुरुपयोग के ऊपर हटा दिया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसका एक-एक का जवाब दे रहे हैं । आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक का जवाब देने को तैयार हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सुमित्रा कांवटिया जो कांग्रेस की चुनी हुई अध्यक्ष थी कभी गाड़ी नहीं चढ़ी उसको कहा गाड़ी का दुरुपयोग किया, एक बार भी गाड़ी में नहीं बैठी उसको कोर्ट ने स्थगन आदेश देकर ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह सब चुने हुए हैं जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं आपकी सीकर की ही नहीं चुनी हुई । यह सारे के सारे मेम्बर इलेक्टेड हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका थोड़े ही है मामला, आपका मामला नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... (व्यवधान) आपने कांग्रेस के लोगों को राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर हटाया और आपके आदेशों की धज्जियां उडाकर आपके आदेशों को स्थगित करते हुए उनको बहाल किया ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह धज्जियां आपने उडाईं आपका रिकार्ड बताया था अभी मंत्रीजी ने, एक-एक कारण बताया था। सुनने की क्षमता रखो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिन 21 लोगों को स्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया वह 21 के 21 कांग्रेस के लोग हैं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित किया है उनका मेरे पास एक-एक का रिकार्ड है । मैं एक-एक का बताने को तैयार हूं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह बता दो नियमित विधि अनुसार मीटिंग राजस्थान के किन-किन अध्यक्षों ने नहीं बुलाई, उनकी सूची पेश करो आप । एक कांग्रेस का था उसको तो आपने इस आधार पर किया कि मीटिंग ठीक समय पर नहीं बुलाई । जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें से अधिकांश में जैसा आप क्लेम करते हो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं एक भी बोर्ड की मीटिंग अगर टाइम पर हुई हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं । एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई उनके खिलाफ आपको सांप सूंघ गया क्या । जिन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई क्या सरकार को सांप सूंघ गया। आपके आदमी तो मीटिंग नहीं बुलाये तो वह ठीक और दूसरा एक भी नहीं बुलाये, एक महीने लेट हो जाये तो वह सस्पेंड । कोई खरीदा है क्या । (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कोई नियम विरुद्ध काम नहीं किया है .. (व्यवधान) लगातार तीन मीटिंगों में गैर हाजिर रहता है उसको निलम्बित किये जाने का प्रावधान है । मैंने जो भी किया है वह नियम सम्मत किया है, कानून सम्मत किया है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी बूंदी की नगरपालिका के अध्यक्ष का चीर हरण भारतीय जनता पार्टी का वार्ड पार्षद कर ले उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, वह तो एग्जम्प्ट है । भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षद ने भारतीय जनता पार्टी की बूंदी की नगरपालिका के अध्यक्ष की सरेआम साडी खींच ली, मुकदमा दर्ज हो गया वहां तो आपको नहीं दिखता । (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप अगला सवाल पुकारो ।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उधर देखो ना ।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री महोदय आप स्थान ग्रहण कीजिए मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आप भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण प्रदान कर रहे हो। 11 जनवरी को भ्रष्टाचार ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक ने चिट्ठी भेज दी कि हमने ट्रेप कर लिया, सस्पेंड कर दो । जनवरी में आपने कुछ नहीं किया, फरवरी में आपने कुछ नहीं किया और जब हमने असेम्बली क्वेश्चन का नोटिस भेजा तब आपको विवश होकर मार्च में कार्यवाही करनी पड़ी। दो-दो महीने तक आप बीजेपी के जो ट्रेप चेयरमैन हैं उनको लेकर आप बैठे रहे और वहां चर्चा चल रही है कि हमने महीने के पैसे बांध दिये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, स्थान ग्रहण कीजिए, जवाब दे रहे हैं ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन तीनों मामलों का सवाल है चित्तौड़गढ़, कामां और आबूरोड, आबूरोड में तो चेयरमैन 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ी गई उसके खिलाफ हमने कार्यवाही कर दी और सस्पेंड कर दिया ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बता दीजिए कि आपके सेक्रेटरी ने आपको पत्रावली कितनी तारीख को भेजी थी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बाद में आर्डर किस तारीख को निकाला (व्यवधान) यह बता दीजिए ताकि आपका यह मालूम पड़ जाए कि आपके दफ्तर से क्या हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मेरे पास यह जांच आई 17.1.2007 को..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर डेढ़ महीने लेकर क्यों बैठे रहे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आखिरी सूचना पर..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डेढ़ महीने लेकर क्यों बैठे रहे आप ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): 17.1 2003 को (व्यवधान) जांच हुई...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ऐसे निलम्बन तो (व्यवधान) पांच-पांच साल निकल गए, यह महीने-डेढ़ महीने की क्या बात कर रहे हो पांच-पांच साल भी निकल गए और उसके बाद जांच भी चल रही है।(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 2004 की जांच आज तक चल रही है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्राम पंचायत का दफ्तर नहीं है, राजस्थान सरकार का दफ्तर है स्वायत्त शासन विभाग का, तो इतना समय तो लगना स्वाभाविक है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 2004 की जांच अभी तक नहीं (व्यवधान) 2004 की जांच अभी तक नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): किसी का भी निलम्बन, किसी की भी शिकायत प्राप्त करो तो उसके पहले जांच कराई जाती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17.1.2007 को इस प्रकार की शिकायत हमारे विभाग को प्राप्त हुई और हमने 1.3.2007 को उसको निलम्बित कर दिया, बीच में जो भी कुछ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दूसरा प्रश्न काल कर लिया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बीच में जो कुछ भी प्रशासनिक कार्यवाही होती है (व्यवधान) उसमें जरूर समय लगा है। मेरे पास जिस प्रकार से पत्रावली आई...

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैंने एक मिनट का भी समय नहीं लगाया। जो भी इस प्रकार का मामला था, मैंने तुरंत सस्पैण्ड किया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूरा जवाब आने दें (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 74 अमेंडमेंट के बाद क्या राजस्थान सरकार, क्योंकि इतने

(डा. सी. पी. जोशी)

आदमी आपने सस्पैण्ड किये, पार्टी लाइन पर नहीं है, क्या राजस्थान सरकार इस विधान सभा को यह आश्वस्त करने की स्थिति में है कि आप जब सस्पैण्ड करें उसके कितने समय में उसके खिलाफ कार्यवाही सम्पन्न हो जाएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): इस प्रकार का नियमों में प्रावधान नहीं है, समय सीमा नहीं दी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं मालूम है, 74 अमेंडमेंट के बाद क्या राजस्थान सरकार नियमों में परिवर्तन करके यह राजनीतिक भेदभाव खतम करने का मानस रखती है या नहीं रखती, इसका जवाब दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नियमों में, जो, एक तो उसमें प्रावधान नहीं है, उसमें कितनी समय सीमा... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नियम यह है कि कांग्रेस जो करेगी वो ही बीजेपी करेगी, यही नियम है क्या? जो कांग्रेस करेगी वह बीजेपी कर रही है, यह कोई नियम है? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 74 अमेंडमेंट के बाद इस सरकार की मनमर्जी पर चुने हुए प्रतिनिधि को सस्पैण्ड नहीं किया जा सकता इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि राजस्थान सरकार इसमें अमेंडमेंट लाए। सस्पैण्ड करने का अधिकार है तो कम से कम आपको उसको डिस्पोज करने का भी अधिकार होना चाहिये। 2004 से लगाकर आज दिन तक कांग्रेस के सस्पैण्ड किये हुए आदमियों के खिलाफ कार्यवाही सम्पन्न नहीं करे यह लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं है। आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा हम इसे (व्यवधान) सम्पन्न करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सी. पी. साहब, आपके राज में जब हम (व्यवधान) मैम्बर को सस्पैण्ड किया जब आप नहीं... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरे राज में मैं आरती नहीं उतार रहा था मुख्यमंत्री की। (व्यवधान) मेरे राज में मुख्यमंत्री की आरती नहीं उतार रहा था। मेरा राज और आपका राज क्या होता है, राज तो आपका और हमारा सब का चलेगा (व्यवधान) 74 अमेडमेंट के बाद सरकार को आगे आकर यह कहना पड़ेगा कि 74 अमेंडमेंट के बाद चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों उनका

(डा. सी. पी. जोशी)

सम्मान हो। सस्पैण्ड का अधिकार यदि सरकार के पास हो (व्यवधान) लेकिन टाइम पीरियड का डिस्पोजल कीजिए, यह बात क्यों नहीं कहते आप, इसमें क्या तकलीफ है आपको। कांग्रेस ने नहीं किया, फलां नहीं किया, यह उदाहरण है कोई आपका? (व्यवधान) आप कांग्रेस का यह कहकर, अपने भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। (व्यवधान) कांग्रेस का यह कहकर, माननीय मंत्रीजी, आप अपने भ्रष्टाचार को नहीं छुपा सकते। 2004 से लगाकर आज दिन तक जो सस्पैण्ड सरपंच है, चेयरपर्सन है यदि उनको आप रीइंस्टेट करने का काम नहीं करते तो लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता इससे अच्छा होगा कि बंद करो इस लोकतंत्र को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब से कहीं संतोष करने की कोई वजह नहीं है। 85 जन प्रतिनिधियों को आपने सस्पैण्ड किया...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उसमें बीजेपी और निर्दलीय भी शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 80 में से 72 कांग्रेस के हैं, 8 आपके बीजेपी के हैं जिसमें तीन को अपने आप सस्पैण्ड किया जब विधान सभा का आपको नोटिस मिल गया। जिस तरीके से राजस्थान सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय खुद इनके, रंजिश से और बेरहमी से काम कर रहे हैं, कानून कायदे सब छोड़कर, राजनीतिक आधार के ऊपर फैसले कर रहे हैं (व्यवधान) यह आपके लिए शर्म की बात है, सत्ता पक्ष के लिए और मंत्री महोदय खुद के लिए भी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सुनो, सुनो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके जवाब से हमें असंतोष है और बहुत दुःख है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपका इतिहास देखिये पहले पांच साल का।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम आपके विभाग का उत्तर सुनने के बाद, आपका स्पष्टीकरण लेने के बाद..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बीजेपी वालों को निलम्बित किया उस समय आपको शर्म नहीं आई (व्यवधान) आज तो न्याय हो रहा है जिसने गलती की उन सब को सस्पैण्ड कर रहे हैं चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे निर्दलीय हो। आपने एक तरफा कार्यवाही की पांच साल में, इतिहास बता दिया आपका।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजनीतिक भेदभाव का हक नहीं है। राजनीतिक आधार पर सरपंच को, पंचों को जन प्रतिनिधियों को आप सस्पैण्ड कर रहे हैं और जो रेड हैंडेड पकड़े गए पैसे लेते हुए, जो बीपेजी के हैं उनके ऊपर आप दया कर रहे हो, यह भेदभाव निदंनीय है, इसके खिलाफ निंदा करते हुए हम बर्हिगमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा बर्हिगमन)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। यह भूल गए जब यह शासन में थे, इन्होंने 85 स्वायत्त शासन संस्थाओं के सदस्यों को, अध्यक्षों को निलम्बित किया, 87 हैं उसमें मात्र दो कांग्रेस के थे और 85 बीजेपी के थे। एक तरफ तो इनका यह आचरण है और हमने जिनको निलम्बित किया 13 बीजेपी के अध्यक्षों को और 13 बीजेपी के उपाध्यक्षों को जिन पर करप्शन के चार्जेज थे, हमने इन्हें निलम्बित करके पारदर्शिता दिखाई कि यहां न्याय है, यहां पर जो गड़बड़ करेगा जो वित्तीय अनियमितता करेगा वह चाहे किसी पक्ष का हो, बराबर में तौलने का काम हमारी सरकार ने किया (व्यवधान) सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह काहे पर बोल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह काहे पर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके कर्मो पर बोल रहा हूं, आपके कर्मो पे बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): उपाध्यक्ष महोदय, हमने किसी प्रकार की गलती नहीं की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रश्न संख्या 24.

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार एक मछली पानी में रहते हुए कब पानी पी जाती है दुनिया का कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता, पिछले 50 साल में इस कांग्रेस पार्टी ने ऐसी लाखों मछलियां पाल रखी हैं जो भ्रष्टाचार के रूप में कब भ्रष्टाचार कर जाती हैं पता नहीं लगता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा नाम पुकार लिया, मैंने प्रश्न बोल दिया यह अभी भी जवाब दे रहे हैं। अभी भी जवाब दे रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दूसरा प्रश्न पूछ लिया, वह खड़े हो गए फिर जवाब दे रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको धन्यवाद दे रहा हूं आपने वाकआउट नहीं किया कम से कम कांग्रेस का साथ छोड़ दिया आपने आज। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं गेट तक जाकर वापस आ गया, यह मत कहो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मित्रता निभाने के लिए, इनका भाषण सुनने के लिए ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके केबिनेट मंत्री आपकी केबिनेट मीटिंग से वाक आउट कर जाए जब तो आपने कुछ नहीं कहा ना। (व्यवधान)

जिला-मुख्यालयों पर प्राकृतिक/यूनानी चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना

24. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त हैं? यदि हां तो कहां-कहां व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रत्येक जिले में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(4) क्या सरकार आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यूनानी विभाग भी खोलने का विचार रखती है ?

आयुर्वेद मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह): (1) जी हां। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों तथा नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का चिकित्सालय/औषधालय वार विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों की नवीन नियुक्ति पर मा. राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक है। यूनानी चिकित्सकों के 30 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्थना भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नर्स/कम्पाउण्डर के 219 रिक्त पदों की भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई जा चुकी है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(4) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में यूनानी का पृथक संकाय है तथा राज्य में स्नातक स्तर के दो यूनानी महाविद्यालय उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने आपके प्रश्न के खण्ड एक में जवाब दिया है कि 219 रिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को अर्थना भेज दी, कृपया यह बतायें कि यह अर्थना कब भेजी, नम्बर एक। दूसरा, आपने लिखा कि 30 यूनानी पदों के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है, यह आप कब तक भेज देंगे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि मैंने पूछा था कि क्या सरकार प्रत्येक जिले में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है, आपने जवाब दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप बाबा रामदेवजी को यहां बुलाकर विधान सभा में भी विधायकों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण दिलवाते हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम को जगह-जगह आप प्रायोजित करते हैं। अब यहां के बाद जब अपने-अपने जिलों में जाएंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र नहीं होंगे तो जब हमने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने का काम किया है तो हम वहां पर इलाज कहां करवाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सालयों के अन्दर जो चिकित्सा कराते हैं उनका पुनर्भरण भी नहीं करते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर जिले के अन्दर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय के केन्द्र अगर खोलने का आपका कोई प्रावधान नहीं है तो आप इस पर पुनर्विचार कीजिये और खोलने का काम कीजिये।

एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आपने लिखा है कि राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर में यूनानी का अलग विभाग है और इसमें आपने लिखा है कि 2 कालेज इससे सम्बद्ध हैं। वह दो एफिलिएटेड कालेज कौन-कौन से हैं। उनके नाम बता दीजिये, उसकी जानकारी मुझे दे दें। तीसरा, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है इस जवाब में पेज 14 पर देखिये, इस पेज 14 पर आपने बालघाट को आज भी सवाई माधोपुर में लिख रखा है। बालघाट तो, अब करौली जिला बन गया और करौली में आ रहा है। आपका विभाग अभी भी इतना पीछे चल रहा है कि कहां पर है बालघाट। तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका पेज 15 देखें कि 'ए' श्रेणी के जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं, जैसे आपके चार पद हैं पिड़ावा में तो वहां पर चारों के चारों पद खाली हो गये। अजमेर में 'ए' श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पांच पद हैं पांचों पद खाली हैं। आपके सीकर के अन्दर दादिया में 3 पद हैं, तीनों खाली हैं। गंगानगर में तीन पद हैं तीनों खाली हैं। तो मेरा निवेदन यह है जहां पर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक और कम्पाउण्डर के दोनों पद रिक्त हैं, फिर वह दवाखाना कहां का है, वहां कोई गाय-भैंस बांधे क्या लाकर। इसलिये वहां एक तो लगाएं, जहां 5-5 पद हैं और पांचों पद ही सन 1999, 2000, 2001, 2002 और 2004 से खाली चल रहे हैं। तो वहां 1-2 चिकित्सक हों तो कम से कम चिकित्सालय का नाम तो हो। तो यह असमानता जो है, इसको आप कब तक दूर कर देंगे। आप बताने का कष्ट करें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने चाहा है कि 219 आदमी जो कम्पाउण्डरों की आर.पी.एस.सी. को अभ्यर्थना भेजी है वह कौनसी तारीख को

(डा. दिगम्बर सिंह)

भेजी है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 27 फरवरी, 2007 को यह रिक्विजिशन गयी है। राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के साथ कौन-कौन से यूनानी के कालेज एफिलिएटेड हैं, उनका भी आपने ब्यौरा चाहा था। तो, एक राजपूताना यूनानी मेडिकल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेण्टर, खण्डार का रास्ता, जयपुर और दूसरा राजस्थान यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, आगरा रोड, जयपुर। यह दोनों यूनानी चिकित्सालय हैं जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक तो बंद पड़ा है। कई सालों से एक ही चल रहा है। राजस्थान में तीन कालेज थे। एक राजपूताना और एक राजस्थान, दो जयपुर के और एक जुबेरिया यूनानी चिकित्सालय, जोधपुर। तो एक ही चल रहा है, दो बंद पड़े हैं। आप करेक्ट कर लेना आपकी सूचना। (व्यवधान) एफिलिएटेड थे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह दो कालेज एफिलिएटेड हैं, यूनिवर्सिटी से, इतना मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। आपने प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के बारे में काफी गम्भीरता से अपने विचार रखे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी तक इस तरह का कोई विचार, कोई प्रावधान विभाग में नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज आस्था लोगों की इस प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में है तो इसको मैं एक बार निश्चित रूप से, आपको इतना आश्वासन तो नहीं देना चाहता हूं परन्तु निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार हम करेंगे। रिक्त पदों का आपने बताया। मैंने इसकी पूरी लिस्ट भी सदन की मेज पर रखी हुई है। इसमें वेकेंसीज जरूर हैं परन्तु निश्चित रूप से आने वाले समय में इन वेकेंसीज को भरने का पूरा-पूरा प्रयास मैं कर रहा हूं। और मैं समझता हूं जल्दी इसमें सफल होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सप्लीमेंट्रीज के जरिये यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विगत सरकार ने यूनानी 50 नये चिकित्सालय खोलने की घोषणा यहां पर बजट भाषण के अन्दर सन 2001 में की थी। तो हाकिम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता है। 50 यूनानी चिकित्सालय खोलने की जब इन्दिरा मायारामजी आयुर्वेद मंत्रीजी थीं, उस वक्त क्या यह घोषणा की थी। और उसके बाद अब आप 50 को 10 पर ले गये। क्या पुरानी जो घोषणा है, उसको ही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वापस लागू करके... (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी, सबको आप ही डिक्टेट करेंगे क्या। एक स्कूल-कालेज खोल लो इसका। यह भी 3-3, 4-4 साल में, आपके चूरू में खाली पड़े हैं जो तो आपसे भरवाये नहीं जा रहे। सबसे ज्यादा चूरू में खाली पड़े हुए हैं। सबको डिक्टेट करते हैं आप। थोड़ी-बहुत बुद्धि सब में है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, चूरू में एक कालेज खोला जाए, कोचिंग, इसमें मुख्य मंत्री के नजदीक कैसे रहें, वह ट्रेनिंग वहां हो सके, यह कालेज खोलने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री चाहे कोई भी रहें, उनके नजदीक रहने की जो कला है, वह इम्पार्ट करना जरूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह नाथद्वारा में भी खोला जा सकता है। क्योंकि पिछली बार आप भी यहीं विराजते थे। नाथद्वारा में भी खोला जा सकता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरा अनुभव कम है आपसे। आपका अनुभव ज्यादा है। आपके अनुभव का लाभ सब को मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी सदस्यों को, तो लाभ होगा पार्टी को।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसमें ट्यूटर आपको लगाया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है। कालेज चाहे वहां खोल लें परन्तु ट्यूटर वहां डाक्टर सी. पी. जोशी होने चाहिए उसके।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं ट्यूटर नहीं बनता हूं, मैं प्रिंसिपल बनता हूं। यह काम आपको सौंपा है। मैं ट्यूटर नहीं बनता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विजिटिंग प्रोफेसर। विजिटिंग प्रोफेसर तो आपको मंजूर है ना, विजिटिंग प्रोफेसर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि पिछली सरकार ने बजट में 50 यूनानी चिकित्सालय खोलने की घोषणा की थी और अब आप 10 पर आ गये तो आज जो यूनानी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं वह अलग। जो रिटायर हो गये या डैथ हो गयी, उनकी और जगह खाली पड़ी हुई है। यह 79-80 के करीब बनेंगे और आप केवल 30 की भर्ती कर रहे हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। मेरा यह सवाल है आपसे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आगे नम्बर आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नम्बर आ रहा है, आ रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो कम्प्लीट हो जाए।

एक सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने, चाहे वह आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में पहले एप्लाई कर रखा है और उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण भर्ती नहीं हो पाई तो-तो क्या उनको आप आयु में छूट देंगे, उनकी उस वक्त की जो पात्रता थी, उसको जब स्टे वेकेट हो जाएगा तब मानेंगे, यह दो सवालों का जवाब और दे दें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विगत सरकार का जो आपने बजट भाषण का जिक्र किया, उसी से आपको यह जानकारी इसकी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे कई बार खुद को ताज्जुब होता है, पिछली बार मैं कुछ कागज देख रहा था मेरे चिकित्सा से सम्बन्धित, हमारी जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या, सूर्यकान्ताजी आयी थीं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का माइक लम्बा करवा दो। आवाज नहीं आ रही है। या तो लम्बा करवा दो या इनसे कहें कि झुक कर बात करें थोड़ी।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं झुक कर बात कर लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मंत्रीजी को झुकाना क्यों चाहते हो, आप मंत्रीजी को झुकाना क्यों चाहते हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिन्दगी में झुकना हमेशा अच्छा रहता है।

तो मैं यह देख रहा था, आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं। आप वित्त मंत्री थे, शायद आपके बजट भाषण में घोषणा थी कि जोधपुर में महिला बाग़ को 50 बेडेड सेटेलाइट हास्पीटल बनाया जाएगा। यह मैंने खुद ने एक बजट भाषण में, और सूर्यकान्ताजी आज भी परेशान हैं, जो जोधपुर से आती हैं, हमारी माननीय सदस्या कि महिला बाग़ को सेटेलाइट हास्पिटल, उसको 50 बेडेड हास्पिटल हमने किया। तो उस समय क्या-क्या घोषणाएं आप लोगों ने कीं और उस पर अमल नहीं किया। शायद उसी के

(डा. दिगम्बर सिंह)

कारण आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं, उसका कारण यही है। परन्तु इस पर मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन तीन सालों में यूनानी चिकित्सा को हम बिलकुल साथ में लेकर चले हैं। 14 यूनानी चिकित्सालय हमने पहले खोले। इस बार भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 10 यूनानी चिकित्सालय खोलने की इस बार बजट भाषण में घोषणा की है। और हम यह निश्चित रूप से यह पूरे 10 पहले और 14 आज के, यह 10 वाले भी इस बार हम खोल देंगे। 50 जो तत्कालीन सरकार द्वारा घोषणा के अनुरूप औषधालय उसी सरकार के समय नहीं कर पाये, चूंकि उस समय घोषणा तो कर दी परन्तु बजट प्रावधान उस समय कुछ नहीं किया था। इसलिये खोले नहीं गये। परन्तु हमने जो कुछ घोषणाएं की हैं, उसका निश्चित रूप से अक्षरशः पालना करेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आयु वाला तो बता दें। जिन्होंने उस वक्त भरे हुए हैं और स्टे आ गया तो उनको आप आयु सीमा में छूट देंगे। उनकी पात्रता मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं तो वह ओवर'एज हो गये, फार्म भरे हुए, बेकार हो जाएंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिये आयु सीमा का रिलेक्सेशन हमारी सरकार ने पहले से किया है। उसको काफी रिलेक्स किया है और मेरे ख्याल से 45 साल उसकी आयु सीमा हमने उसकी कर दी है, जहां तक मैं सही हूं, तो 45 साल आयु रिलेक्सेशन आयुर्वेद में हम पहले कर चुके हैं। इसलिये उन लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इस तरह की आयेगी नहीं।

परन्तु मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यूनानी, होम्योपैथ और आयुर्वेद, यह तीनों चिकित्साएं, जो पिछली सरकार के टाइम पर बिलकुल मृतप्राय: हो गया था डिपार्टमेंट, न तो एक भी आयुर्वेद का औषधालय नया खोला और न एक भी यूनानी का औषधालय नया खोला पांच साल के अन्दर और न ही कोई यूनानी का चिकित्सालय एक भी खोला। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: अब नहीं आएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक भी

(डा. दिगम्बर सिंह)

चिकित्सालय नहीं खोला। हमने 65 पिछले वर्ष खोले, पिछले 3 साल में 65 आयुर्वेद के खोले और इस बार 30 और नये आयुर्वेद के खोलने वाले हैं हम। उससे पहले हमने 35 होम्योपैथी के खोले, इस बार 30 होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज हम और खोलने वाले हैं। 14 हमने यूनानी के खोले और 10 यूनानी के चिकित्सालय और खोलने वाले हैं तो हम तो सरकार जो कुछ घोषणाएं करती है उस पर निश्चित रूप से अमल करते हैं और इसकी क्रियान्वित भी बहुत जल्दी ही हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से नवलगढ़ की मस्जिद के अन्दर गैर के जुलूस द्वारा रंग के गुब्बारे एवं गंदा पानी फेंके जाने के संबंध में।

2. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला जालौर के थाना नोसरा एवं भाद्राजून चौकी में दिनांक 16 मार्च को एक निर्दोष युवक पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। दिनांक 20.03.2007 को पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को पर्याप्त अवसर उपलब्ध था।

3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से सब्जी पर आढ़त दर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने से सैकड़ों व्यापारियों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा होने के संबंध में।

आज कृषि विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य को इस विषय पर बोलने का अवसर उपलब्ध है। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री महीपाल सिंह यादव एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राजधानी जयपुर में 9 लड़कियों एवं 6 विवाहित महिलाओं के लापता होने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

5. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से विकलांग व्यक्तियों के चयन हो जाने के उपरान्त भी उनका आस्था कार्ड नहीं बनाने के कारण सहायता से वंचित होने के संबंध में।

6. श्री सी.डी. देवल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर झाला की चौकी (तहसील रायपुर) में चबूतरा बना दिये जाने से आवागमन में हो रही असुविधा के संबंध में।

7. श्री रघुवीर सिंह मीणा एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के कन्तोड़ा गांव में ओलावृष्टि से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, श्री सी.डी. देवल एवं श्री रघुवीर सिंह मीणा को दो-दो मिनट अपने-अपने प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी विषय की गम्भीरता को देखते हुए माननीय सदस्य श्री जुबेर खान को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में तकनीकी स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था की स्थापना के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

2. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर शहर में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी की दुर्दशा के संबंध में।

3. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचोर में ओलावृष्टि व बेमौसमी वर्षा के कारण किसानों के हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा देने के संबंध में।

4. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपासन को सामान्य चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से परिवहन निगम के फालना आगार को नवीन बसें एवं स्टाफ उपलब्ध करवाने के संबंध में।

6. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील चाकसू में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में।

7. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की ग्राम पंचायत चिराना के सरपंच द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने के संबंध में।

8. श्री बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हार्डवेयर व्यावसायियों को आबंटित भूमि का कब्जा देने के संबंध में।

9. श्री अशोक नागपाल, सदस्य की ओर से सूरतगढ़ से जैतसर, श्री विजयनगर होते हुए सड़क का पुनर्निर्माण करने के संबंध में।

10. श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के मांगरोल चौराहा में 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण करने के संबंध में।

11. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम बेई, नाथूण एवं घेवरिया को सड़क योजना से जोड़ने के संबंध में।

12. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से राज्य में मूक-बधिर-नेत्रहीन व मानसिक विमंदित बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं को शत-प्रतिशत अनुदान देने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको टाइम देंगे। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट का ही विषय है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, लाखों जो छोटे व्यापारियों को इससे बड़ी समस्या हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मांग पर बोलने का समय दे देंगे आपको। माननीय सदस्य, आपको समय दे देंगे मांग पर बोलने का। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि जो गैर के जुलूस के माध्यम से मस्जिद के अन्दर शराब की बोतलें फेंकी गयी थीं, यह गम्भीर विषय है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, गृह विभाग की ... (व्यवधान) माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। गृह विभाग पर भी चर्चा हो चुकी है। सारी बातें आपको कहने का मौका था। माननीय सदस्य, आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है। अब आप इसलिए अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, नहीं। माननीय सदस्य, गृह विभाग पर चर्चा हो चुकी थी, समय था आपको बोलने का और भी आपकी कोई बात होगी तो कह सकते हैं, गृह मंत्रीजी से। (व्यवधान) आपको इस पर समय नहीं देंगे।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं हो रहा है। आप समय बरबाद नहीं कीजिए। माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई पाबंदी का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपका ऐसा था नहीं प्रस्ताव इस कारण से। कोई गम्भीर नहीं है इस पर ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, कार्यवाही की जाएगी ... (व्यवधान) ऐसी कोई बात है तो कार्यवाही होगी पर कार्यवाही नियमानुसार होगी, माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य खड़े हैं, आप उन्हें बोलने का पहले मौका दीजिए। उनको ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कह दिया न। मैंने कह दिया कि आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया। आपने कह दिया। मैंने भी कह दिया है। आसन की तरफ से यह व्यवस्था दे दी गयी है। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अब गृह मंत्रीजी खड़े हो गये, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

नवलगढ़ में साम्प्रदायिक तनाव

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर आपकी इजाजत हो? जो भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, एक परसेंट भी सच्चाई नहीं है। न तो कोई गुलाल मस्जिद में फेंकी गयी है। केवल इन्होंने नवलगढ़ में एक हव्वा खड़ा करने के लिए जाकर लोगों को उकसा कर यह जुलूस इसके यहां से नहीं निकलना चाहिए जो 100 साल से निकल रहा है। वहां के लोग संतुष्ट हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। शांति समिति की बैठक हुई। सब ने स्वीकार किया फिर इन्होंने भड़काने का काम किया इसलिए उनको उस रात को इनको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गिरफ्तार किया, दूसरे दिन जुलूस निकलने के बाद, शांति पर, जुलूस के बाद इनको छोड़ा है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कोई उसके बारे में एक निशान भी यह नहीं कह सकता कि कोई गुलाल फेंकी गयी हो या मजिस्द में किसी प्रकार की कोई, केवल एक सनसनीखेज बनाकर अब वह अपनी विधान सभा क्षेत्र परिवर्तन करना चाहते हैं इसलिए नवलगढ़ की तरफ इशारा हो रहा है और इसके कारण स्टंट किया। एक प्रतिशत भी सच्चाई नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य जो आवश्यक कार्यवाही थी, वह पुलिस कर रही है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आवश्यक कार्यवाही पुलिस कर रही है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी ने कह दिया, इसके बाद भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आपको बिलकुल स्पष्ट जवाब दे दिया गया है। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कर लेंगे जांच। माननीय सदस्य, आवश्यकता होती तो जांच भी हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आपको आसन ने परमिशन नहीं दी है बोलने की। मंत्रीजी ने आपको स्थिति बता दी है। आप मानेंगे नहीं क्या ? (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी ने कहा है आप सुनने को तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। बिना परमिशन के ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया। इसका कोई अंत नहीं है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। मंत्रीजी ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी। सदन में आज अभी मांग पर चर्चा होगी। आप स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) कह दिया, गृह मंत्रीजी को जो कहना था, आपके कहने से नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप अगर मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है तो गृह मंत्रीजी को यह तो फरमा दें कि आप इसकी जानकारी ले लें। एक आदमी के साथ थाने में मारपीट हुई, उसका मेडिकल हुआ है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी देने में और लेने में मुझे कहीं कोई हिचक नहीं है। पर जो मैंने जानकारी ली, मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा जिस व्यक्ति को थाने पर बुलाया उस पर 6 केस आलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं। उसमें 5 चोरी के हैं, एक नकबजनी का है और 2005 में ही पांच केस दर्ज हुए। जब एक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ तो जैसे सामान्यत: पुलिस उन पुराने लोगों को बुलाती है, वैसे ही उसको बुलाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि चोरी की किसी वारदात को कबूल कराने के लिये अगर उसको थाने पर नहीं बुलायें तो मैं सोचता हूं अच्छा नहीं होगा। जो कुछ पुलिस ने किया, अपनी सीमा में रहकर एक पुराने अभियुक्त को बुलाकर नई वारदात को खोलने के लिये उन्होंने जरूर बुलाया। उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद भी आपको लगता है कोई भी अनफेयर बात हुई है तो मैं उसको निश्‍चित रूप से देख लूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा इस प्रकार से अगर अपना विधान सभा का उपयोग करेंगे तो मैं सोचता हूं पुलिस एकदम काम करवाने में असमर्थ हो जायेगी और वह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी कि पुलिस के बिलकुल हाथ ही बांध देंगे कि चोरी की वारदात खोलने के लिये भी वह अभियुक्त, जिसके ऊपर मुकदमे हों, उस व्यक्ति को बुलाकर नहीं पूछ सकें तो यह दुर्भाग्य होगा। मैं सोचता हूं उन्होंने

मंशा से किया किसी प्रकार, फिर भी अगर उसके साथ और दृष्टि से कुछ हुआ है तो मैं उसे दिखवा लूंगा । मैं इतना सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कृपा करके इस प्रकार के अभियुक्तों को बचाने के लिये सदन का उपयोग नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं गृह मंत्रीजी, अभियुक्तों को बचाने का कोई सवाल नहीं है। अगर उसके साथ बेरहमी से मारपीट नहीं हुई है, उसके बाल नोंचे नहीं गये तो आपने वहां से ए.एस.आई. को क्यों हटाया ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया आपने।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ए.एस.आई. को फिर किसलिये हटाया? आप यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब कह दिया उसमें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात थोड़ी हुई। हम कोई चोर की पैरवी करने के लिये खड़े हुए हैं? किसी चोरी के मुकदमे में इन्वाल्ब था। किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि पांच दिन थाने में लाकर रखेंगे और रात-दिन उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको लहूलुहान कर देंगे। यह किसने अधिकार दिया पुलिस को? एक चोर के भी मानवाधिकार हैं गृह मंत्रीजी। एक चोर के भी मानवाधिकार हैं। यह अधिकार आपको नहीं है, यह देखिये किस तरह से पुलिस ने मारपीट की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सदन में कह रहा हूं पांच मुकदमे उसके ऊपर हैं और उससे पूछना पड़ेगा । एक साल में पांच चोरियां और मुजरिम, जिसके खिलाफ पांच चालान पेश हुए हैं। 2005 में 67/2005 का चालान पेश हुआ है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इससे क्या हो गया ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 73 में हुआ, 76 में हुआ चालान 184 में हुआ । अगर ऐसे अभियुक्त को बुलाकर पूछताछ नहीं करेंगे ? पुलिस पूछताछ करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी । क्या बात करते हो ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसा है, यह लहूलुहान करने का हक नहीं दिया आपको। चोरी कर ली तो क्या हो गया, आप मुकदमे में बंद कीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : चोरों को सज़ा दे रहे हैं और उन चोरों का आप सरंक्षण कर रहे हो। पांच-पांच, छह-छह केसों में, चोरी-नकबजनी में फंसे हुए लोगों को सरंक्षण देते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई व्यक्ति हत्या कर देगा, लेकिन यह पुलिस को अधिकार किसने दिया कि वह लहूलुहान कर दे। (व्यवधान) पुलिस को अधिकार किसने दिया ?

श्री बंशीलाल खटीक : चोरों को क्या ...(व्यवधान) उनके साथ वह बर्ताव करना पड़ेगा और पांच-पांच, छह-छह केसों में फंसे हुए लोगों को उल्टा सम्मान किया जायेगा क्या? ऐसे चोरों को इसी प्रकार किया जायेगा। उन चोरों का संरक्षण कर रहे हो आप ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि हत्यारा भी है उसके भी अपने मानवाधिकार हैं। उसके भी अपने मानवाधिकार हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के बाल नोच लें इस तरह से और बेरहमी के साथ मारपीट करें। यह मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। उसके पांच चोटें आई हैं पांच जगह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आपका अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। गृह मंत्रीजी ने कह दिया कि पुलिस को जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह करेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्या बात कह रहे हो ? बिना परमिशन के माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा । (व्यवधान) आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर वो ही काम कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप बीच में ही ...(व्यवधान)

विकलांग व्यक्तियों के आस्था कार्ड बनवाने विषयक

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान इस सरकार द्वारा की गयी महत्वपूर्ण घोषणाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी यहां पर विराजते और आश्चर्यजनक घटनाक्रम यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सम्माननीय महावीरजी, मुख्य सचेतक और सम्माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मदन दिलावर को यह असहास करा दिया राजस्थान की मुख्यमंत्री ने कि वो इनको अपने पदों से हटाने वाली हैं और इसके कारण से लगातार ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद की बात है अब किसी के घर में कोई गमी हो जाए और अब यह क्या कोई बात हुई? इस तरह की बात करके किसी माननीय सदस्य की भावनाएं हैं उसे आहत करने का काम करता है। कम से कम इतना तो हमारा सोच छोटा नहीं होना चाहिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हटा दो आप तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिना छुट्टी का आवेदन किये और वो अनुपस्थित हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार के आपस में आपके मधुर सम्बन्ध हैं उससे यही कयास लगाया जायेगा कि उनकी छुट्टी होने वाली है और सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो उनकी छुट्टी करने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में नहीं हैं उनके लिए तो, उनके बारे में बोलने का हक नहीं है यहां। यह आपको मालूम है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 जुलाई, 2004 राजस्थान की माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 33 में कहा– 'नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 'विश्वास स्व:रोजगार सहायता योजना' लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थानो से 40 हजार रुपये तक के ऋण की व्यवस्था कराई जायेगी एवं साथ-साथ 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। एक और पहल के तहत ऐसे परिवारों में जिनमें दो या अधिक व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनकी पहचान की जायेगी तथा उन्हें बी.पी.एल. परिवारों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले बजट भाषण दिनांक 12 जुलाई, 2004 को की।

इसके साथ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण दिनांक 03.02.2005 को पैरा नम्बर 111 में कहा कि- 'नि:शक्त (विकलांग) व्यक्तियों के लिए स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिए 'विश्वास स्व:रोजगार सहायता योजना' तथा नि:शक्त निर्धन परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली समान सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए 'आस्था योजना' लागू की गयीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2004 में मुख्यमंत्री ने कहा, 2005 में माननीय राज्यपाल से उनके अभिभाषण में यह तथ्य उनसे कहलवाया गया लेकिन आज तक जो राजस्थान में नि:शक्तजनों की, एक परिवार में दो नि:शक्तजन हैं उनके मामले में आज तक राजस्थान की सरकार, राजस्थान का समाज कल्याण विभाग कतई सक्रिय नहीं है, इस अपनी निष्क्रिय भूमिका को इन तीन सालों में निभा रहा है लेकिन इसका परिणाम यह है कि जहां तक कि विधान सभा में अपने प्रश्नों का जवाब जो देते हैं वो भी अलग-अलग है। एक प्रश्न मैंने लगाया उसमें तो इन्होंने कहा कि, नहीं, बी.पी.एल. में उनकी गिनती नहीं की जायेगी। दूसरे में यह कहा कि बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाला आस्था कार्ड उनको दिया जायेगा, उनको दो रुपये किलो का गेहूं दिया जायेगा, उनको ग्रामीण विकास के अन्तर्गत जो भी सुविधाएं विकलांगों को और बी.पी.एल. परिवारों को दी जाती हैं वो दी जायेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक केवल मात्र जो इन्होंने अभी घोषणा की है इसी माह में मेरे प्रश्न के जवाब में, केवल मात्र इन्होंने अभी तक 2939 आस्था कार्ड जारी किये, चयन किया है इनके हिसाब से अभी तक 3672 का और 743 ऐसे लोग हैं कि जिनके अभी तक आपको जानकारी दूं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कि भरतपुर में 101 ऐसे लोग हैं जिनके आस्था कार्ड इन्होंने नहीं बनाये, घोषणा के अनुसार जो इन्होंने चयन किये, जैसलमेर में 10 हैं, जालौर में 6 हैं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के निवास झुन्झुनूं में 117 ऐसे व्यक्ति हैं, टोंक में जहां से कृषि मंत्रीजी विराजमान हैं, माननीय महावीरजी हैं और भी बहुत हैं, निवाई के विधायक बहुत कर्तव्य निभाते रहते हैं समय-समय पर, इनके अपने जिले में 131 ऐसे विकलांग परिवार हैं जिनका चयन करने के बाद भी आज तक यह आस्था कार्ड नहीं बना पाये, करौली में 242 हैं और हनुमानगढ़ में 127 हैं। यह सूची तो वो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 743 उन लोगों की इन्होंने चयन साल भर पहले, दो साल पहले चयन करने के बाद उनको आज तक भी बी.पी.एल. परिवारों को जो सुविधा दी जाती है, जो उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है, जो उनको दो रुपये किलो गेहूं दिया जाता है और जो उनको सामाजिक सहायता के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार को जो सहायता उपलब्ध होती है वो दी जाती है, उनसे इन 743 को तो इन्होंने महरूम कर रखा है लेकिन जिन लोगों के कार्ड बना दिये, आज की तारीख में भी राजस्थान सरकार ने न तो उनके इलाज के लिए कोई कार्ड वितरित किये गये हैं न उनको दो रुपये किलो का गेहूं उपलब्ध करा रही है और न उनको ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का वहां लाभ नहीं पहुंचा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 6.5 करोड़ आबादी है और राज्य सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 1.70 परसेंट विकलांगों का है 6.5 करोड़ में और उनमें 11 लाख करीब ऐसे विकलांग लोगों की उन्होंने श्रेणी निकाली और उनमें से 11 हजार ऐसे परिवार हैं जिनमें एक से अधिक, दो विकलांग व्यक्ति हैं। 11 हजार परिवारों का चयन करना तो दूर लेकिन जो इन्होंने 3500 परिवारों का चयन किया उसमें से भी 1000 परिवारों को यह आस्था कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाये और अभी तक जिनको कार्ड दिये उनको न तो गेहूं उपलब्ध करा पा रहे हैं और न उनको इलाज के लिए कार्ड बना पा रहे हैं।

इस प्रकार यह पूरी की पूरी राजस्थान सरकार अपनी घोषणा करने में तो माहिर है, 2004 में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, 2005 में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में दिया लेकिन आज की तारीख तक, यह 2007 का मार्च समाप्त होने जा रहा है, अब तक भी अपनी घोषणा के अनुरूप यह गरीब लोगों को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सहायता नहीं दे रही है और इस प्रकार इनकी घोषणा से यह मुकर रही है और उनको किसी भी प्रकार की सहायता इसके लिए राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग और घोषणा करने वाले ऐसी झूठी और असत्य घोषणाएं सदन में न करें जिसके आधार पर इन लोगों को सहायता दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है...

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि राज्य सरकार को आप निर्देशित करें कि वो तत्काल 11 हजार परिवारों को चयनित कर उनके कार्ड दे, जिनके कार्ड बन गये हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराये और जिनके कार्ड अभी तक चयन के पश्चात् नहीं बने हैं उनको भी कार्ड बनाने का आप निर्देश दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सी. डी. देवल।

एक माननीय सदस्य: जवाब तो दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप दे रहे हो क्या समाज कल्याण का जवाब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड पर आ गयी बात आपकी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हैं ही नहीं समाज कल्याण मंत्रीजी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समाज कल्याण ही गायब कर दिया क्या?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): महकमा दूसरे को देने के बाद जवाब आयेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब बोलेंगे? बाकी सब का तो बोल रहे हो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सबसे पहले समाज कल्याण गायब हो गया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नि:शक्त पर तो बोलो आप। बाकी सब पर बोल रहे हैं, सशक्त पर तो बोल रहे हैं, नि:शक्त पर बोलो। सशक्त पर तो बार-बार बोलते हो आप, नि:शक्त पर बोलो कुछ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राठौड़ साहब, बोलो न। दे रहे हो क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस महत्वपूर्ण बात पर भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, मंत्रीजी गायब हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह विस्तार से रिकार्ड पर आ गया ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी को हटा रहे हैं, दूसरे मंत्री आयेंगे जब जवाब आ जायेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय कार्य मंत्री इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि मदन दिलावर से जुड़ा हुआ सवाल है, और से होता तो दे देते।

श्री उपाध्यक्ष: आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मदन दिलावरजी को हटा रहे हैं फिर दे देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राठौड़ साहब तो इसलिए नहीं दे रहे कि विभाग मदन दिलावरजी के पास है और आफत मोल नहीं लेना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब इस पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-14 पर झाला की चौकी (तहसील रायपुर) गांव में चबूतरा निर्माण विषयक

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 पर झाला की चौकी एक गांव आया हुआ है, जहां से एक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर जाकर के मिलती है जैसाखेड़ा पर और ब्यावर से 17 माइल के स्टोन पर। उस सड़क के बीच व्यक्ति विशेष ने एक चबूतरा बनवा दिया और उनका यह विचार है कि इस पर मैं मेरे पिताजी की फोटो लगाऊं। पिताजी की फोटो लगाने की तो हर औलाद की मंशा रहती है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर और राजमार्ग पर किसी चबूतरे, अवरोध को खड़ा करने में, मूर्ति लगाने में राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। जिला स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जो स्थान तय करती है कि किस जगह पर मूर्ति लगायी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस चबूतरे को खड़ा करने के बाद यह सारी उस चबूतरे की फोटो हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग और उस मार्ग को अवरोध करती है, यह तो मैं सदन के पटल पर रखूंगा।

(श्री सी.डी. देवल)

लेकिन इसके बनाने के बाद मैंने कोई बीसों जगह सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के यहां लगाये और एक बार माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि पता नहीं माननीय मंत्रीजी पर किस बात का दबाव है आज तक उस चबूतरे को नहीं हटाया। जब कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता हुआ, उसकी सीमा में आता हुआ कोई अवरोध, बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं बन सकता लेकिन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस पर टालमटोल कर रहे हैं। वह पार्टी बर के न्यायालय में गयी, न्यायालय ने स्थगन आदेश खारिज कर दिया लेकिन आज तक अवरोध नहीं हट रहे हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवरोध को आप तुरन्त हटवा दें और यदि आप इस पोजिशन में नहीं हैं तो राजस्थान में इस बात की छूट दे दें कि जो भी सड़के हैं, जो चाहे वहां पर चबूतरा बनाए, चाहे जिसकी फोटो लगाए। इसकी आप व्यवस्था कर दें और जो नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं और जिन अधिकारियों को जो दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे, मेरी तो आपसे इतनी सी इल्तजा है और यह फोटो मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस चबूतरे का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है यह नेशनल हाइवे पर नहीं बनकर नेशनल हाईवे से जो सम्पर्क सड़क कानूजा जाती है उस पर छोटा-सा चबूतरा बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की बात नहीं, जिस जगह पर यह चबूतरा बना है वहां गांव के अति प्रतिष्ठित नाथूसिंहजी का एक सड़क दुर्घटना में देहान्त हो गया था।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उस गांव के हैं ही नहीं, वहां से दस किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। उनकी क्वालिफिकेशन एक है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के बाप हैं, क्या वह स्वतंत्रता सैनानी थे, क्या वार्ड पंच थे, कुछ थे? आखिर किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले से है। (व्यवधान) आप जवाब सुनें पहले।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) वह झाला की चौकी के रहने वाले हैं ही नहीं वहां से दस किलोमीटर है उनका गांव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, फिर गांव में किमवदंति जिस तरह चलती है, चल गया कि इनका अगर हम यहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छोटा चबूतरा बना लें और उसकी पूजा कर लें तो शायद वहां दुर्घटनाएं कम हो जाएं। यह गांवों के अन्दर अंधविश्वास है उसी के निमित्त उन्होंने उस चबूतरे को बनवाया। जब यह विभाग की जानकारी में आया तब हमने इस चबूतरे को हटवाने के लिए कार्यवाही भी प्रारम्भ की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए ए.ई.एन, एक्स. ईएन की और संबंधित एस.डी.एम. की तीनों की टीम बनाकर वहां भेजा भी। पर इसमें बाद में यह हुआ कि पहले तो ग्राम पंचायत ने वहां चबूतरा बनाने का प्रस्ताव ले लिया हालांकि ग्राम पंचायत प्रस्ताव ले ले उसके अनुसार कोई किसी सड़क के पास कोई चबूतरा बने, जरूरी नहीं है। उसके बाद यह मामला न्यायालय में चला गया। दीवानी, सिविल वाद संख्या 42/2005, बालूसिंह सरपंच वर्सेज राजस्थान सरकार, अभी वहां चल रहा है पर फिर भी आपने जो कहा मैं खुद मानता हूं कि नियम बने हुए हैं उन नियमों के अन्तर्गत ही चबूतरे बनते हैं, स्मारक बनते हैं।

पर जहां तक पूर्व में मेरी जानकारी थी, पूर्व में तो यह बात थी कि जब यह बना तब इसका उदघाटन कौन करे, शायद माननीय सदस्य से भी ग्रामीण जन ने सम्पर्क किया था। मेरे दिमाग में यह बात थी कि कोई उद्घाटन का मामला होगा पर आज बात स्पष्ट हो गई है तो मैं दिखवा लूंगा इसको।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हटवा रहे हैं साहब, आश्वासन तो दे दें। न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है इस पर और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है तो, मंत्री महोदय आप स्पष्ट कर दें कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करे और वहां पर चबूतरा बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इस अन्तरराष्ट्रीय स्मारक को रखिये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि व्यक्ति विशेष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है इसलिए वह अपने पिता की मूर्ति लगाना चाहता है, उसका गांव वहां से दस किलोमीटर है ...(व्यवधान) आप कृपया सुन लीजिए। मैं कोई फोकट में नहीं ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपको पीड़ा क्यों हुई यह बताओ ना?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैं तो वहां केवल चबूतरा ...(व्यवधान) चाहता हूं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह चबूतरे की आपको पीड़ा क्यों है,

(श्री सांगसिंह भाटी)

आपको किस बात की पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो उसका चबूतरा बनाए, आपको पीड़ा किस बात की ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उसका तरीका यह है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) क्या हुआ था बता दूं ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप तो सदन का समय फालतू गंवा रहे हो, चबूतरा, चबूतरा क्या पीड़ा है आपको चबूतरे की ...(व्यवधान) चबूतरा नहीं बनेगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बता दिया ना चबूतरा ...

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उससे भावना जुड़ी हुई है, नहीं हटेगा वह ...(व्यवधान) उसके साथ जन भावना जुड़ी हुई है चबूतरा नहीं हटेगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी साइज का ही है ...(व्यवधान) सवा पांच फुट का ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधे उलझ रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह हमेशा की आदत खराब है ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह चबूतरा जैसा कि जन भावना उससे जुड़ी हुई है ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी जन भावना जुड़ी हुई है चबूतरा कैसे हटेगा वहां ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यहां पर किसी को धमकाने की जरुरत नहीं है। आप सदन में जो माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय से फैसला करा दें कि ग्राम पंचायत और जनता चाहे वहां चबूतरा बना सकती है, मुझे उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा इस चबूतरे को हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): क्योंकि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर यह चबूतरा बना है और अगर कोई किसी का स्मारक भी बने, उनका

(श्री सी. डी. देवल)

तर्क यह मंत्रीजी स्वयं जानकार हैं। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होवे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां चालीस आदमियों के एक्सीडेंट हुए हैं तो चालीस फोटो लगाकर, उसको राकेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: आइन्दा नहीं होगा इसकी व्यवस्था ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसलिए आप उसको हटवाएं। जो नियम विरुद्ध काम है, उसको संरक्षण सरकार नहीं दे। मेरी तो इतनी इल्तजा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षण का कोई मामला है ही नहीं। मैंने पहले कहा कि इसमें चूंकि न्यायालय में वाद है फिर भी मैं दिखवा लेता हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है अगर न्यायालय से स्थगन आदेश हो तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूं। आप पता कर लें। इसके बावजूद भी इसको संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस न्यायालय के न्यायिक विवाद की बात कही है...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने स्वयं ने उस चबूतरे को देखा है, आप जब दौरे पर गये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दीवानी सूट संख्या/42, जिसका मैंने कहा है बालूसिंह सरपंच बनाम राजस्थान सरकार, यह चल रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चल रहा है तो स्थगन आदेश तो नहीं आये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ...(व्यवधान) केवल वाद कायम होने से ही उसका अधिकार बनता है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): केवल न्यायालय में पेश करने से क्या होता है ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): स्टे नहीं मिला तो आप सक्षम हैं अगर गलत काम हो रहा है, स्टे नहीं है तो आप सक्षम हैं। आप इनका हवाला देकर के कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं और वाद का बहाना ले लिया ...(व्यवधान) हम उस बहाने से ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात इतनी-सी है मंत्रीजी अगर न्यायालय का स्थगन नहीं है या पंचायत का प्रस्ताव नहीं है, तो आप उसको हटवा देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया दिखवा लेंगे इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग जो सदन में आये हैं हर किसी ने किसी न किसी के विरुद्ध चुनाव लड़ा है मतलब छोटी-छोटी बातों को लेकर के स्थगन ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सड़क के बीच में अवरोधक दे दिया, कौनसी छोटी बात है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने कहा न्यायालय का स्थगन है अगर न्यायालय का स्थगन नहीं है और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी नहीं है तो उसे हटवा देंगे क्या ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इस सदन में खड़े होकर ...(व्यवधान) बात सुनें आप सदन में खड़े होकर कह दीजिए ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज इतना-सा कह दीजिए कि न्यायालय का स्थगन नहीं है और ग्राम पंचायत भी नहीं चाहती है तो उसको हटा देंगे, खतम बात ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उस गांव का मुअज्जीज व्यक्ति ...(व्यवधान) उसके अगर चबूतरे में इनको यह पीड़ा है, उनमें जन भावना जुडी हुई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): काहे की जुड़ी हुई है?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): पूरी पंचायत उससे जुड़ी हुई है और वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता...(व्यवधान) उसका आप चबूतरा तुड़ाना चाहते हो, यह कभी नहीं हो सकता ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी साइज का ही है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह कभी नहीं हो सकता, वहां जन भावना जुडी हुई है सारे गांव की, वहां पूरी पंचायत की भावना जुडी हुई है ...(व्यवधान) न्यायालय आदेश दे या नहीं दे लेकिन गांव की भावना को ध्यान में रखते हुए किसी हालत में चबूतरा नहीं टूटना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्रीजी आप तो यह कह दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्य से यही पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि उस चबूतरे पर जाकर आपने भी दो-तीन बार फूल चढ़ाये हैं, अब उस आस्था का मैं क्या करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) कानून व्यवस्था की बात आ जाती है, वहां लोगों ने आस्था का केन्द्र बना लिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मैंने कोई धोक नहीं लगाई ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गांव का आदमी नहीं चाहता है सारा का सारा गांव खिलाफ है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): वहीं हमारे सदस्यों ने ...(व्यवधान) आप खुद के चुनाव के अन्दर उसी चबूतरे पर जाकर माथा टेककर आये और आज वही चबूतरा तुड़वा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उस चबूतरे को आप जैसलमेर ले जाओ, उस चबूतरे को आप जैसलमेर ट्रांसफर करवा दो।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप तो ट्रांसफर ...(व्यवधान) कब्र करवा दो, आप तो किसी की कब्र खुदी हुई है तो जैसलमेर में ट्रांसफर करा दो, चबूतरा ही ट्रांसफर हो जाएगा, अगर कब्र आप ट्रांसफर करा देंगे तो चबूतरा ही ट्रांसफर हो जाएगा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सड़क से हट जाएगा हम तो यह नहीं चाहते कि वहां अशांति फैले वरना तो ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपने अपने चुनाव के अन्दर वहां के उस चबूतरे पर माथा टेका, वहां के चबूतरे के ऊपर दण्डवत की, कैसे भी चुनाव जीतें, अब जीतने के बाद चबूतरा तुड़वा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो सरकार हटा दे नहीं तो आम पब्लिक हटा देती। हम क्षेत्र में अशांति नहीं चाहते हैं, मंत्रीजी ने स्वयं उस चबूतरे को देखा है, कानून हम हाथ में नहीं लेना चाहते इसलिए आपसे बार-बार विनती कर रहे हैं आप उसको हटवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं दिखवा लूंगा इसको।

सराड़ा के कन्तोड़ा गांव में ओलावृष्टि से हुई एक व्यक्ति की मृत्यु विषयक

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बारह तारीख की रात को ओलावृष्टि से जिस तरह से त्राहि मची उस त्राहि में एक गरीब आदिवासी जो ओलावृष्टि से मर गया उसके साथ अन्याय हो रहा है उसको मदद नहीं मिलने वाली, ऐसी सम्भावना है इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि गौर करें और उस व्यक्ति को मदद दिलाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 तारीख रात को ओलावृष्टि हुई और इतनी ओलावृष्टि हुई कि पंखेरू जी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, बैल, कुत्ते, जानवर जो भी थे वह चार-चार सौ ग्राम के ओले थे और मर गये और ऐसे मकानों में छेद हो गये जैसे कोई गोली मारी हो।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विस्तृत क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, यह वकत्व्य में आ गया सारा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं निवेदन कर रहा हूं जिस क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में जहां बारह तेरह साल बाद इतनी जबर्दस्त बरसात हुई जो इस साल हुई, बारह तेरह साल तक वहां का किसान अकाल से पीड़ित रहा। फसल होती नहीं थी और जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते थे। अभी इस वर्ष बरसात इतनी अधिक हुई कि किसान की फसल नष्ट हो गयी। फिर किसान को यह उम्मीद बंधी कि जयसमन्द डेम भरा है जिसके नीचे सरवाड़, सलूम्बर का क्षेत्र सिंचित होता है और यहां के किसान बड़े किसान हैं उनसे छोटे जो मजदूरी करते हैं कमजोर तबके के लोग हैं। वह लोग जमीन किराये से लेकर 25,000, 10,000, 7,000, 15,000 उस खेत की कीमत तय करके फिर उस काश्तकार से ठेका लेते हैं। अभी इस तरह से टमाटर, गेहूँ, चना आदि जो फसलें थीं वह इसी तरह से किराये पर लेकर काश्तकार कर रहे थे तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार द्वारा जो घोषणा की गयी हैं इसमें राहत देने में सब मामले कवर हो जाते हैं उसके अनुसार लोगों को राशि देनी शुरू कर दी गयी है। यह प्रक्रिया चालू है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): निवेदन तो सुन लो। आप सुन तो लें मेरी बात। संतुष्ट नहीं हों तो आप मुझे टोकना। हमारा पिता थावरा नाम का व्यक्ति, निवासी गंतोडा, 35 साल का नौजवान था। उसके तीन बच्चे भी हैं।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

मां-बाप हैं, पत्नी है और वह व्यक्ति किसी गावरी की जमीन किराये लेकर उसने खेती की थी। पिछली फसल भी चौपट हो गयी थी। मजदूरी पर ही आधारित था। रात को ओले से पूरी फसल नष्ट हो गयी। सुबह ज्योंही खेत पर गया, देखते ही हार्ट अटैक हो गया और खतम हो गया। अब आदिवासी इलाके में इतनी अशिक्षा की वजह से न तो पोस्टमार्टम कराया, कुछ नहीं कराया और लाश जला दी। दूसरे दिन 13 तारीख को 10.30 बजे यहां से मैंने तहसीलदार जी को टेलीफोन किया। तहसीलदार कहते हैं कि अभी आफिस का थोड़ा काम निपटा कर फिर जा रहा हूं। दूसरे दिन 10.00-11.00 बजे तक भी तहसीलदार मौके पर नहीं गये। उन्होंने सिर्फ पटवारी और इनके भरोसे छोड़ दिया। तहसीलदार तो अभी भी मौके पर नहीं गये क्योंकि पटवारियों ने जो रिपोर्ट भेजी है, मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि उस गरीब के साथ न्याय नहीं होने वाला है जिस तरह से रिपोर्ट भेजी है कलक्टर ने। उदयपुर जिले में आप भी सुनकर ताज्जुब करेंगे जैसे यह सरकार कहती है कि मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद खूब बरसात हुई। बरसात तो हुई। उदयपुर जिले में 10 विधान सभा क्षेत्र हैं और 10 विधान सभा क्षेत्रों में 2 ही कांग्रेस के हैं। एक सराड़ा और दूसरा गोगुन्दा। यह जो ओलावृष्टि हुई दो ही विधान सभा क्षेत्र में हुई गोगुन्दा और सराड़ा। अब यह भी आपकी मेहरबानी मानें। अब 10 गांव तो सराड़ा के और 5 गोगुन्दा के हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें न पशुओं का हवाला दिया, न राष्ट्रीय पक्षी का हवाला दिया, न किसी व्यक्ति के मरने का हवाला दिया। इन्होंने मात्र यही लिखा है कि 50 प्रतिशत और उससे अधिक फसल खराबा। तो इसका मतलब इसमें किसी तरह से भी यह कलक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उपायुक्त, आपदा प्रबंधन, सहायता विभाग को तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह से सहायता मिलने की सम्भावना है नहीं और जिसके पशु मर गये उनकी भी कोई गणना नहीं की गयी है इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पुन: जांच करा कर जिन-जिनको जो नुकसान हुआ है और जो व्यक्ति मर गये हैं इन्हें सी आर एफ के अलावा भी सरकार अपने कोष से और क्या सहायता मिलाकर इसको मदद करेगी ? यह थोड़ा बताने की कृपा करें। निःशक्त में तो कोई बताने वाला था नहीं। अकाल के मामले में संसदीय कार्य मंत्रीजी आप बता देंगे कि इसके बारे में क्या आप विचार कर रहे हैं। बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): बोलें। बोले ना। सी आर एफ के नार्म्स के अलावा भी कुछ इसको मदद करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नमेंट की तरफ से बहुत विस्तृत होती है जांच।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आपके कलक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात कही है वह इम्पोर्टेंट इसलिये है कि कटारिया साहब खुद जानते हैं कि सराड़ा के इलाके में एक किसान की जो मौत हुई है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ओले गिरने के कारण से हुई है। या तो जांच करवा लें और जांच करवाने के बाद यदि यह मालूम पड़े कि उसकी सदमे के कारण हुई है तो सरकार को कुछ सहायता करनी चाहिये। यह माननीय सदस्य कह रहे हैं आप जांच करवा लें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पटवारियों की तो बदनीयत बताऊं। गृह मंत्रीजी, पटवारी की बदनीयत बताऊं मैं। 15 तारीख को रजिस्टर्ड किया ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप जो कह रहे हैं अभी जानकारी में यह विषय नहीं है क्योंकि आज आपने यह विषय उठाया। मैं भी कल और परसों दो दिन वहीं था लेकिन मेरे भी ध्यान नहीं आया कि ऐसी कोई घटना अपने उस क्षेत्र में इसके कारण से ओलावृष्टि से हुई है। नुकसान के कारण से हुई है। पता कर लेंगे। अगर उसमें से नुकसान हुआ है, कोई बात हुई तो आगे उसको जो भी राहत है, पर अभी तक जानकारी में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति विषयक

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान स्टेट और राजस्थान विधान सभा उन विधान सभाओं में है जिन्होंने सबसे अग्रणी होकर राजस्थान लोकायुक्त एण्ड उप लोकायुक्त एक्ट 1973 में पास किया। 1973 में पास किया और महामहिम राष्ट्रपति की 26 मार्च, 1978 को इस पर कंसेंट मिली। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में साफ है "An Act to make provisions for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of allegations against the Ministers and Public Servants in certain cases and for matters connected herewith."

(श्री जुबेर खान)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें एक्ट के अन्तर्गत जिन लोगों के खिलाफ लोकायुक्त या उप लोकायुक्त जांच कर सकते हैं भ्रष्टाचार की उसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी काउंसिल आफ मिनिस्टर्स आते हैं। चीफ सैक्रेटरी को छोड़कर सारे सैक्रेटरीज आते हैं। पब्लिक सर्वेण्टस आते हैं। म्युनिसपेलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आते हैं। जिला प्रमुख, पंचायत के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आते हैं। तो जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं लोकायुक्त महोदय के मार्फत ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई जांच हो सकती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो अपाइंटमेंट देना है लोकायुक्त एक्ट में प्रोविजन है कि "For the purpose of conducting the investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta and may be similar warrant for the appointment for one or more persons to be known as Up Lokayaukta or Up Lokayauktas." मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा और 1973 में यह प्रावधान किया कि इसका अपाइंटमेंट भी कितना पारदर्शी होना चाहिये "The Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court and the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly or if there is no such Leader a person elected in his behalf by the Member of the Opposition in the House in such a manner as the Speaker may direct." और इसी तरह से लोकायुक्त की कंसल्टेशन से उप लोकायुक्त का अपाइंटमेंट महामहिम गवर्नर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक है एक लोकायुक्त का संवैधानिक पद कि गवर्नर भी उनको जब तक किसी हाई कोर्ट के जज से जांच, इंक्वायरी नहीं करा लेते और दोषी पाया जाता है तब तक उसको संसपैंड नहीं कर सकते। पद से रिमूव नहीं कर सकते और अगर उसको पद से रिमूव भी करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, "Notwithstanding anything contained in Sub-section 1, the Governor shall not remove the Lokayukta or an Up Lokayukta unless and until addressed by the House of the State Legislature supported by a majority of the total Members of the House and a majority of not less than 2/3rd of the Members of that House present and voting has been presented to the Governor in the same session for such removal." यहां तक है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जब तक विधान सभा उस बात से सहमत नहीं हो 2/3 मैजोरिटी से जब तक उसको पद से नहीं हटा सकता, यहां तक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमने इतना बनाया, यह अधिनियम बनाया और इसको स्ट्रेंथन करने के लिये राजस्थान में 1974 में, 80 में अमेंडमेंट भी आए। नियम

(श्री जुबेर खान)

और कानून भी बने। कंडीशन आफ सर्विस, कंडीशन आफ प्रोसीडिंग्स सारी इस एक्ट में बनी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक बात कि जब वैकेंसी हो जाती है तो यह एक्ट क्या कहता है "Where the Office of the Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office and there is no Up Lokayukta by Judge of the High Court of jurisdiction for Rajasthan nominated by the Chief Justice of High Court on a request of the Governor." यानि कि लोकायुक्त की जगह खाली हो गयी है किसी कारणवश तो महामहिम राज्यपाल के कहने से एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज को उसका चार्ज देना चाहिये। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा "provided that the Judge so nominated shall perform the duties of the Lokayukta in addition to his own duties as a Judge of the High Court and nothing contained in the provisions of Act Section 3 sub section 4 shall apply on him." यह है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में गत दो साल से लोकायुक्त, उप लोकायुक्त के सारे पद वेकेंट पड़े हैं। किसी की नियुक्ति नहीं की जा रही।

क्या हम यह समझें कि हम अधिकारियों के खिलाफ तो और छोटे जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ, संरपंचों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ, प्रमुखों के खिलाफ और चेयरमैन, म्युनिसपेलिटी के खिलाफ तो सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर के उनको सस्पैंड कर रही है, निलम्बन कर रही है और जो इस लोकायुक्त के अधीन आते हैं, Secretaries to the Government of Rajasthan, Ministers of the Council of Ministers of Rajasthan, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वह खुले आम चाहे भ्रष्टाचार करें, कुछ भी करें। अगर कोई आदमी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो वह जायेगा कहां, जब लोकायुक्त हमारे यहां नहीं है। क्या हम यह समझें कि राजस्थान में यह मौजूदा सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कि वह जनता के बीच नहीं आयें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो, इसलिए लोकायुक्त को अपाइंट नहीं कर रही। गत सत्र में भी यह बात आयी और स्पीकर साहब ने कहा कि नेता, प्रतिपक्ष समय नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे पास समय है। आप जब चाहें मीटिंग कर लें, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा या तो यह सरकार इस पर कदम उठाये, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करें, नहीं तो हमारे पास इस संविधान के बनाये हुए अधिनियम और एक्ट के अनुसार, कानून के अनुसार यही

(श्री जुबेर खान)

रास्ता बचता है कि हम महामहिम गवर्नर साहब के पास जाकर के अपील करें कि आपको यह अधिकार है कि हाई कोर्ट के माननीय सीटिंग जज को लोकायुक्त नियुक्त करके यह जो सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता के पैसे को लूट रहे हैं, इधर-उधर लगा रहे हैं। उनके खिलाफ जांच बैठायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, विधान सभा में जब गत सत्र में, एक साल पहले यह तय हो गया कि एक हफ्ते के अंदर-अंदर मीटिंग करके लोकायुक्त को नियुक्त कर दिया जायेगा और आज एक साल से ऊपर हो गया है। सरकार लोकायुक्त को नियुक्त नहीं कर रही है, आखिर इस सरकार की मंशा क्या है। यह चाहती क्या है। एक तरफ तो कहते हैं, बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, पारदर्शिता, ईमानदारी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट के लिए सदन का ध्यानाकर्षित करने के लिए व्यवस्था दी है। एक घंटे के भाषण का समय थोड़े दे दिया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गयी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): व्यवस्था आपने दी है, आप खुद फरमा दें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आप तो पहले जवाब दें ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी दो घंटे तक बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): असमर्थ हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, हमारे पास इतने बड़े-बड़े पर्चे घूम रहे हैं इनको कहीं न कहीं फैसला होगा कि नहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने इनको दो मिनट बोलने की अनुमति दी ...(व्यवधान) और नियमों में आते ...(व्यवधान) अगर यह मानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, एक मिनट ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इतने बड़े-बड़े सरकार के हमारे पास घूम रहे हैं, इनका कोई फैसला होगा कि नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर इस विषय को इतना गम्भीर समझते हैं, एक मिनट ...(व्यवधान) अगर इस विषय को इतना गम्भीर समझते हैं तो नियम और प्रक्रिया में नोटिस देकर के आ जायें ना ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समअप करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियमों और प्रक्रिया में नोटिस देकर के आ जायें। यह क्या हुआ कि दो मिनट के नाम पर भाषण चालू कर दिया, डिबेट चालू कर दी ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो ऐसी बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी पूरी बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण क्यों है मसला ...(व्यवधान) मैं समअप कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, एक बात और है कि – ''The Lokayukta and UpLokayukta shall present annually a consolidated report on the performance of their functions ….to the Governor." नेकस्ट क्लॉज क्या कहता है एक्ट का– ''On receipt of a special report under sub-section (iii) or the annual report under sub-section (iv), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before the House of the State Assembly." इस तरह ये विधायिका, यह विधान सभा इस बात से दो साल से वंचित है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की एनुअल रिपोर्ट और उनके द्वारा ली गयी भ्रष्टाचार पर जो कार्यवाही है, वह महामहिम गवर्नर महोदय के माध्यम से इस सदन में आनी चाहिए। जो पिछले गत दो साल से नहीं आ रही है इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे हैं, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी आपकी बात ...(व्यवधान) कह दिया आपके ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कर्मचारियों को एसीडी से पकड़वा दें, आप सरपंचों को पकड़वा दें, औरों को पकड़वा दें, क्या यह मंत्री महोदय और सैक्रेटरी महोदय इस पब्लिक के प्रति, इस हाउस के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आप डायरेक्शन दीजिये

(श्री जुबेर खान)

गवर्नमेंट को। यह संवैधानिक पद है और इसकी वजह से जनता में जो मैसेज जा रहा है कि बड़े-बड़े लोग, मंत्री और सैक्रेटरी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इससे सरकार की संवेदनशीलता के प्रति प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अपने मंत्रियों और सैक्रेटरियों से भ्रष्टाचार करवा रही है लोकायुक्त की गैर मौजूदगी में। आप लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे तो इनके चिट्ठे सामने आ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान) बीच में नहीं, अपना स्थान ग्रहण कर लें, मैं इस पर बहस नहीं होने दूंगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने चर्चा की अनुमति हमारे सचेतक को दी है तो हमारा भी तो अधिकार बनता है ना बोलने का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अधिकार नहीं बनता है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने दस्तखत किये हैं उस पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बनता है आपका अधिकार ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने दस्तखत किये हैं प्रस्ताव पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उस दस्तखत पर परमिशन नहीं दी है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आज सात दिन हो गये सरकार को प्रस्ताव भेजे हुए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदन का मामला इसलिए बनता है कि दो साल से लोकायुक्त का आफिस खाली पडा हुआ है और यहां पर जो रिपोर्ट आनी चाहिए वह दो साल से नहीं आ रही है इसलिए हमारा अधिकार है कि राजस्थान के मंत्री खुले हाथों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं ...(व्यवधान) उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह एक्सरसाइज नियमों के बिना नहीं कर सकते हैं आप ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह क्या बात है, इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए कि वह कब तक लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे या नहीं करेंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ...(व्यवधान) उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कटारिया साहब, एक मिनट, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात सुन लें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ दो बिन्दु ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में दो बिन्दु लाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उसकी चर्चा मैंने अलाऊ नहीं की है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप देखें, ऐसे अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो करेंगे तो फिर एक घंटा खड़ा रहूंगा मैं यहां पर ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): खड़े रहें, कौन मना कर रहा है आपको, खड़े रहें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई तरीका नहीं हुआ ...(व्यवधान) हम नियमों में आये हुए हैं, नियमों में आपने हमारे प्रस्ताव को अलाऊ किया है, दो मिनट के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है इसके अंदर, स्थगन प्रस्ताव में अलाऊ नहीं करूंगा मैं आपको ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे दस्तखत हैं, आप प्रस्ताव मंगाकर के देखें इसमें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर नाम अकेले का है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस में अलाऊ करने के बाद यह हाउस की प्रापर्टी है।

श्री उपाध्यक्ष: यह अकेले का नाम है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैम्बर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब आपने एक बार गवर्नमेंट को भेज दिया । उसके बाद जब भी चर्चा होगी, हर मेम्बर का अधिकार है उस पर अपनी बात कहने का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हर मैम्बर का अधिकार है लेकिन नियम और प्रक्रिया में अधिकार है, ऐसा नहीं कि खड़े होकर के कोई भाषण देना चालू कर दे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियम और प्रक्रिया में अधिकार है ना तो 131 में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लाते दूसरे नियमों में ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, दो मिनट दे दिये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका काम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप लूट रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं, यह जेलों में होते, लोकायुक्त इनको जेलों में डाल देता ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने अपनी व्यवस्था को फरमाया था ...(व्यवधान) यहां मत बोलें, यहां मत बोलें, अपनी सीट पर जायें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आनरेबल पार्लियामेन्ट्री अफेयर मिनिस्टर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था का मुलाहिजा फरमा लें ...(व्यवधान) आपने दो मिनट बोलने के लिए कहा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी, रिएक्ट कर रहे हैं ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी को पहले सुना जाये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसा है आप जिन नियमों को फरमा रहे हैं, हमने 131 में कितने नोटिस भिजवाये, लगे क्या इस विधान सभा में, नियमों की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) 49 में चर्चा का नोटिस दिया लेकिन क्या एक भी ...(व्यवधान) नियमों की आप बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विधान सभा की कार्यवाही के लिए यहां बात नहीं की जा सकती है। आप वैश्म में बात करिये। अगर आप विधान सभा सचिवालय पर किसी तरह का आक्षेप लगा रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं यहां ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्थगन प्रस्ताव नियमों में ही तो दिये हैं ...(व्यवधान) ठीक है, कटारियाजी बोलेंगे उसके बाद बोलूंगा मैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके बाद बोलूंगा मैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह पूरे राजस्थान की जनता का सवाल है, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कैसे बोलेंगे ...(व्यवधान) आप अपनी व्यवस्था का मुलाहिजा फरमा लें, ऐसे कैसे बोलेंगे यह ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह लूट के खा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बिना परमिशन के नहीं बोल सकेंगे, आवश्यकता होगी तो परमिशन मिलेगी आपको ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बिना आसन की व्यवस्था के बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या पर्यटन विभाग, क्या ऊर्जा विभाग, क्या नगरीय विकास विभाग, लूट मची हुई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान) आप गृह मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सदन की टेबल करिये आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सदन की टेबल करिये आप। अगर आपके पास सबूत है तो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आरोप लगाये आपने ...(व्यवधान) बगैर सबूत, बिना तथ्य कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंत्री ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो टेबल करें आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कैसे बोल रहे हैं, आपको दो मिनट की परमिशन दी है ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय सदस्य को इस तरह का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गृह मंत्रीजी रिएक्ट कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): इनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आप नियमों के अंदर आकर के आरोप लगायें, ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की इस भावना से सहमत हूं कि लोकायुक्त के पद पर निश्चित रूप से नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ इसमें विलंब हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। विलंब हुआ है और यह सिद्वांततः हमने स्वीकार इसलिए किया है लोकायुक्त को 73 के एक्ट के आधार पर हम इसी भावना से लाये थे कि जिन लोगों को भी इसके दायरे में आयें, उनकी जांच हो सके। भावना से और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपकी बात से कोई असहमत नहीं है। लेकिन यह बात निश्चित है कि 2004 के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है वह आपने पढ़ी है, उसमें विद दी कंसलटेशन हैं, जब तक कसंलटेशन करके उनकी नियुक्ति होती है, विलंब हुआ है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगी इसकी प्रक्रिया करेंगे और ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पर लेट हुई है। पिछली बार आपके समय भी पुरानी अपनी लिस्ट उठाकर के देख लें तो भी इसी तरह हो चुकी है।

1982 से 1984 तक भी इस प्रकार का समय रहा है जब लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी। हमारे इस पीरियड में भी है। मैं तर्क के आधार पर यह नहीं कहना चाहता कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, लोकायुक्त की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो इस बात के लिए हम प्रयत्नशील हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था सदन में कि हम एक महीने में कर देंगे, यह आश्वासन इस पवित्र सदन में देने के बाद भी नहीं हुई। आप एक टाइम फ्रेम बता दीजिए कि एक महीने में, एक साल में, दो साल में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चूंकि मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनसे बिना पूछे समयावधि एकदम बताने की स्थिति में नहीं हूं। जो बताऊंगा तो वह बिलकुल पुख्ता करके पर मैं आपकी इस भावना को यह कहूंगा कि जल्दी से जल्दी लोकायुक्त की नियुक्ति हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कह दीजिए सदन की समाप्ति के पहले बता देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, एकदम नहीं बता सकता।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं आज नहीं, सदन, सत्र की समाप्ति के पहले सरकार यह घोषणा करे कि इस अमुक तारीख तक हम लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं उनसे बिना बात किए हुए आपको समयावधि नहीं बता सकता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सहमत हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस बात का कोई झगड़ा नहीं है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, जल्दी हो इसके लिए मुख्य मंत्रीजी से बात करके जितनी जल्दी हो सकेगा उनकी नियुक्ति कराएंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी भावना ऐसी है क्या, मुख्य मंत्रीजी से बात करने के बाद आप, मतलब मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व है, हमें आप यह आश्वस्त करें कि मुख्य मंत्रीजी आज नहीं हैं। मोबाइल है, आप बात कर सकते हैं, आज नहीं, कल नहीं, इस सत्र की समाप्ति के पहले क्या सरकार यह घोषणा करने की स्थिति में है कि अमुक तारीख तक, अमुक महीने तक, अमुक साल तक हम लोकायुक्त नियुक्त कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वह कह दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह बात अभी यहां इस समय मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इस बारे में कोई जवाब दे सकूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, ठीक है, 29 तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर जवाब देते समय दे देना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 29 तारीख को फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल है, उस दिन तो कर देंगे, उस दिन तो कर दीजिए, तब तो बात करके कर दीजिए, यह तो कहो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात, वह उन्होंने कह दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बायकाट करो इस पर, बोलो, यह भी कोई तरीका थोड़े है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी गृह मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि 2 साल से लोकायुक्त का पद खाली है, लगभग 3 साल से, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर लोकायुक्त का पद लम्बे समय से खाली हो। अभी तक गृह मंत्रीजी यह आश्वासन नहीं दे पाए हैं कि इस पद को कब तक भर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दिल्ली में क्या है, आप जरा जानकारी तो कर लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं आपके ध्यान में यह भी बात लाना चाहता हूं कि इसके लिए कोई मीटिंग आयोजित नहीं की गई। मैं स्वयं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विपक्ष का नेता था तब भी इस बात के लिए कोई मीटिंग आयोजित नहीं की गई और अभी हमारे रामनारायणजी चौधरी प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक भी मीटिंग इसके लिए आयोजित नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है। अतएव मंत्रीजी को और बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार के खिलाफ मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं और यह प्रोटेस्ट करते हुए कि तत्काल राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए नहीं तो कांग्रेस पार्टी सदन और सदन के बाहर भी सरकार को यह मजबूर कर देगी कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए और इसके लिए यदि हमें अनशन या आमरण अनशन करना पड़े तो वह भी करेंगे लेकिन सरकार को मजबूर कर देंगे कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए।

(बहिर्गमन)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: सरकार करेगी, कोई मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाली बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह घड़ियाली आंसू क्या होता है। पिछले समय भी यह कहा था कि कर देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इनके कार्यकाल में मैंने यह बताया कि 8.8.82 से लेकर 3.4.84 तक, कांग्रेस के अपने राज में भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर सके। आप जो यह बात कह रहे थे मीटिंग बुलाने की तो मीटिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। ‘‘The Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court and the Leader of Opposition in the Legislative Assembly.” कंसल्टेशन है, कोई मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बात के लिए बात कहना है। लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, लोकायुक्त की नियुक्ति से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि यह केवल अपनी बात के लिए अड़ने वाली बात है और जो गलती इनकी टाइम पर हुई वह एक गलती न हो इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से जरूर कहूंगा कि और जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा नियुक्ति हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी शाश्वत सत्य है कि लोकायुक्त की कितनी ही रिपोर्ट इनके शासन काल में धूल चाटती रही, यह अपने आपको पारदर्शी कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब-जब इनका शासन आया, दो-दो साल तक लोकायुक्त की बात करी नहीं और जब इनको मालूम पड़ गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है, सरकार कंसल्ट कर रही है चीफ जस्टिस से और किसी से बात कर रही है तो सदन के बाहर यह दिखाने के लिए कि हम हिमायती हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका खुद का दामन छींटों से भरा हो वह हमें शिक्षा देने की बात कर रहा है।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की तो क्या यह वाजिब है कि हम भी न करें? कांग्रेस ने लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की तो क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता कि हम लोकायुक्त की नियुक्ति न करें। जहां तक सवाल है कि मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी, आपकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी से सम्पर्क करना आज के युग में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और मैं कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के लिए नितान्त आवश्यक है और इसके अन्दर हमें जितनी जल्दी हो सके, करनी चाहिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने सदन में आप सबके सामने जो भावना आपकी है उस भावना में मैंने अपनी भावना मिलाकर पूरी बात कही है। मैंने कोई बात इसमें यह नहीं कहा कि नियुक्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन जब तक उनसे कंसल्ट न हो, यह बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गृह मंत्रीजी, आप जैसा व्यक्ति यह कहे, आप जैसा मजबूत आदमी यह कहे कि मैं उनसे बात करे बिना, इतना तो आप कह सकते हैं कि अभी एक हफ़्ते सदन है, इस बीच में हम जरूर निश्चित रूप से घोषणा कर देंगे लेकिन आज मुझे पता पड़ा कि आप इतने कमजोर गृह मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष: 295। प्रभुलाल वर्मा, श्री राजकुमार रिणवा, बद्रीलाल जाट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आप जवाब मांगे कि लोकायुक्त के मसले पर...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर यह बहिर्गमन करके गए हैं उसी विषय पर वापस आकर बोलने का कहीं कोई नियम नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कौनसा नियम है बताओ जरा?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): बहिर्गमन जिस विषय को लेकर किया है, आप बता दीजिए कि आप किस नियम से बोल रहे हैं? कोई नियम नहीं है, जिस विषय पर बहिर्गमन करके गए हैं उसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं, उस विषय पर डिबेट खतम हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष: बाबूलाल बैरवा। श्रीमती प्रतिभा सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हर वक्त बोलने का नियम है। नियम नहीं है यह पहली बार सुना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 में आपने नाम पुकारे हैं?

जयपुर शहर में महिलाओं का अपहरण

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि इस शहर में 9 लड़कियां और 6 महिलाएं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसकी परमीशन मैंने नहीं दी है। इसको जानकारी के लिए भेजा है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, नहीं, नव वर्ष भी मन गया है, महिलाओं का राज है, महिला समर्पित बजट है, 15 परिवार बेघर हैं, उन औरतों का आज तक पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए महिलाओं को बोलने दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप यहां नहीं थे जब जवाब दिया था कि गृह मंत्रालय को भेजा है जानकारी के लिए, इसलिए हो गई बात।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जानकारी कब आनी है, विधान सभा तो दो दिन और चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना से चिंतित है सरकार।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): 29 को भग जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएगा।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत...

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इस राजधानी में विधान सभा की नाक के नीचे महिला का अपहरण हुआ और लापता हुई है, एक का पता नहीं लगा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): एक महिला के साथ और अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप?

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): आप कृपा करके महिला को सदस्य ही समझिए, उनको व्यक्तिगत रूप में देखें, क्या महिला-महिला होती है? कमजोर होती है क्या महिला? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मौजूद नहीं थे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): 9 लड़कियां और 6 महिलाएं इसी महीने अपहृत हुई हैं। इसी राजधानी में हुई हैं, विधान सभा की नाक के नीचे, एक का पता नहीं लगा, तीन महीने हो गए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके मन में अगर यही है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बताने में, कोई ऐसा नहीं है 27 लड़कियां लापता हुई उनमें से 17 बरामद कर ली गई। 27 में से 17 लड़कियां बरामद कर ली गई हैं। यह जो विवाहिता है वह 16 मुकदमे दर्ज हुए उनमें से भी 9 वापस आ गई हैं, बरामद हो गई है, कुछ बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि आज गई और अभी दो मिनट में लेकर आ जाएं, इतना जादू किसी के पास नहीं है। पुलिस बराबर प्रयत्नशील है, 27 में से जब 17 बच्चियां लेकर आए हैं तो बाकी को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हम जो कर सकते थे किया और आगे भी हम करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती प्रतिभा सिंह। (व्यवधान) बीच में नहीं। आप बार-बार खड़े हो जाती हैं, किस बात पर?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: किस बात के ऊपर?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इस सदन के माननीय सदस्य इस सदन की प्रोपर्टी हैं और सभी माननीय सदस्यों और सदन की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे पर नजर रखें कि कहां हैं। तीन माननीय सदस्य सर्किट हाउस में लिफ्ट में फंस गए एक घण्टे तक।

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या पाइण्ट आफ आर्डर है माननीय सदस्य?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं, इसकी सबको इन्फोर्मेशन है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): और तीनों सदस्य आज सदन में नहीं हैं, इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि यह माननीय सदस्य कहां हैं? प्रकाशजी चौधरी, हंगामीलालजी मेवाड़ा, और जगन्नाथजी वर्मा नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी लिफ्ट में बैठे हैं क्या?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मन में शंका है कि यह माननीय सदस्य कहां हैं, एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत रिस्की होता है। तीन महीने में यह दूसरी घटना है इसलिए माननीय सदस्यों की रक्षा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन का समय खराब कर रहे हैं, आप इसमें गम्भीर नहीं हैं। यह क्यों फालतू...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): फालतू बात कह रहे हैं इसको, घंटे भर तक अगर कोई लिफ्ट में फंस जाए तो उसका दम घुट जाए, मर जाए, लाखों लोगों में से छंट कर एक माननीय सदस्य इस सदन में पहुंचता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। सरकार यह बताए कि माननीय सदस्य सुरक्षित हैं या नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य, आप ...(व्यवधान) अंकित न हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समय बर्बाद न करें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान) आपको सब मालूम है। आपको मालूम है स्थिति क्या मालूम करावें। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नवलगढ़ की ग्राम पंचायत चिराना के सरपंच द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में ग्राम पंचायत चिराना क्षेत्र में करीब 300-400 वर्ष पुराना रास्ता पूर्व राजा चन्द्रसेन ने चिराना से किरोड़ी तीर्थ स्थान जाने के लिए पहाड़ियों से होते हुए बनवाया था। यह रास्ता पवित्र तीर्थ लोहार्गल की चौबीस कोसीय परिक्रमा को जोड़ता था। इसी रास्ते में पूर्व सरपंच कमला गुर्जर के समय में अकाल राहत कार्य में इसकी चौड़ाई 8 फीट से बढ़ाकर 16 फीट की गई थी।

इस रास्ते के किनारे बहुत बड़ा बरगद का एवं एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ भी था, उनके नीचे राहगीर विश्राम किया करते थे। अब कुछ समय पूर्व वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत चिराना द्वारा अपनी स्वयं की जे.सी.बी. मशीन लगाकर सरकारी राशि से उस रास्ते से पहाड़ी क्षेत्र की अंधाधुंध कटाई करके कहां से निकाली गयी खनन सामग्री को पीएमजीएसवाई की सड़कों में बेच दिया था, दोनों बड़े पेड़ों की कटाई करके भी बेच दिया। पहाड़ों की कटाई इतनी ज्यादा कर दी गई कि वह रास्ता वहां से अस्तित्व में नहीं रहा। पहाड़ियों पर रहने वाले जंगली जानवर चराई करने वाले पशु एवं भेड़-बकरियां गहरी खाई में गिर जाते हैं तथा मर जाते हैं। खाई लगभग 30 फुट गहरी एवं 500 फुट लम्बी है। चिराना ग्राम में बसे हुए बहुत ही गरीब तबके के लोग जिनमें मेहतर, रैगर एवं बलाई हैं के प्रवेश का मुख्य रास्ता भी वही था, जो अब बंद कर दिया गया है।

मान्यवर, एक तरफ राज्य सरकार गरीबों की सुविधा, पवित्र तीर्थ स्थलों की रक्षा, वन सम्पदा की रक्षा, अवैध खनन पर कार्यवाही करती है। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत चिराना के सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर किये गये कार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जब कि ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को कई बार निवेदन किया जा चुका है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

फालना परिवहन आगार के लिए नयी बसों व स्टाफ की व्यवस्था

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जोधपुर डिवीजन के फालना परिवहन आगार को नवीन सवारी बसें, आवश्यकतानुसार स्टाफ एवं लम्बी दूरी के रूट की बस सेवा उपलब्ध करवाने हेतु नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जोधपुर डिवीजन के अति महत्वपूर्ण गेट वे आफ गौड़वाड़ फालना का परिवहन बस आगार गौड़वाड़ क्षेत्र के यात्रियों को वर्षों से बस परिवहन सेवा उपलब्ध करवाकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गौड़वाड़ के यात्रीगणों के लिए रेल, बस सेवा का फालना भौगोलिक एवं अन्य दृष्टिकोणों से केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से यहां 15 पुरानी बसें वर्ष 1997-98 मॉडल जो परिवहन निगम के निर्धारित नोर्म्स पूरे कर 9-10 लाख किलोमीटर से कहीं ज्यादा चलकर कंडम हो चुकी हैं। दूसरी ओर यहां 20 परिचालक एवं लगभग 7 से 10 लिपिक वर्गीय स्टाफ की कमी बनी हुई है। यहां केवल मात्र 5-6 बसें ही लंबी दूरी के रूट पर चलती हैं जो आय अर्जन की दृष्टि से नाममात्र की ही हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यह आगार जोधपुर डिवीजन के अन्य आगारों से नाममात्र के कम घाटे पर जैसे-तैसे चलाया जा रहा है। बार-बार नई बसें मांगने पर मात्र 4 बसें ही वर्ष 2006 माडल की उपलब्ध करायी गई। वर्तमान में इस आगार में प्रतिदिन 17,513 किलोमीटर बस संचालन किया जा रहा है। इस आगार की कंडम प्राय: हो चुकी 15 बसों के स्थान पर नवीन बसें कम से कम 5 अतिरिक्त लम्बी दूरी की बस सेवाएं 20 परिचालक, 7 से 10 लिपिक वर्गीय स्टाफ व यहां कम से कम 21000 किलोमीटर प्रतिदिन बस संचालन किया जाए, अन्य तीन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जाएं तो निश्चित रूप से यह आगार घाटे के स्थान पर मुनाफे में संचालित हो सकेगा। पिछले चार वर्षों में फालना आगार को अन्य आगारों की तुलना में सुविधा जैसे नवीन बसें, स्टाफ बंद किया गया है जबकि सालाना दो करोड़ के लगभग घाटा देने वाले जोधपुर आगार को प्रतिवर्ष नई गाड़ियां व स्टाफ दिये जाते रहे हैं। अत: फालना आगार को नवीन सवारी बसें, आवश्यकतानुसार स्टाफ लम्बी दूरी की बस सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बीरूसिंह राठौड़।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में एक शंका है। हर साल हम 295 विधान सभा के अंदर बोलते हैं उस कागज को कंसर्निंग डिपार्टमेंट डम्प कर देता है, उस पर कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मैं बोलूं या नहीं बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष: कार्यवाही होती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): अभी तो कार्यवाही हुई नहीं। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आता है, कार्यवाही होती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आप अधिकारियों को पाबंद करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह जवाब दें या इस पर कोई आश्वासन दें, कोई न कोई कार्यवाही करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार में रूलिंग पार्टी के विधायक की यह हालत है। हम जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं या नहीं कि सरकार कुछ नहीं करती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): सूचना के लिए धन्यवाद।

जयपुर में हार्डवेयर व्यापारियों को आबंटित भूखण्ड का कब्जा

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि 23 जून, 2003 को जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में लाटरी द्वारा हार्डवेयर व्यवसाय से संबंधित सदस्यों को भूखण्ड आबंटन किया गया था। अक्टूबर, 2003 में तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण श्रीमती उषा शर्मा के आश्वासन पर हार्डवेयर मण्डी की जमीन का विकास व अन्य सम्पूर्ण पैसा जमा कर भूखण्डों का पट्टा प्राप्त कर लिया व भूखण्डों की रजिस्ट्री करवा ली। उक्त आबंटियों द्वारा लगभग 4.25 करोड़ रुपये जयपुर विकास प्राधिकरण को भुगतान किये जा चुके हैं तथा 50 लाख रुपया रजिस्ट्री के जमा कराये जा चुके हैं, किन्तु खेद है कि उक्त आबंटियों को आज तक जमीन का भौतिक कब्जा नहीं संभलाया गया है। तीन साल तक कब्जा नहीं मिलने के बावजूद सदस्यों द्वारा 2.5 करोड़ रुपये ब्याज की हानि उठानी पड़ रही है।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

अतः सदन से अनुरोध है कि आबंटियों को मौके पर भौतिक कब्जा दिलाया जाए अन्यथा किसी अन्य स्थान पर भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाए। पिछले सत्र में भी मैंने 295 लगाया था, आज तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक नागपाल । (अनुपस्थित) श्री अशोक कुमार नवलखा।

निम्बाहेड़ा के मांगरोल चौराहा पर 132 केवी जीएसएस का निर्माण

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 79 पर मांगरोल चौराहा स्थित है। मांगरोल ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के साथ यहां का चौराहा करीब 12 ग्राम पंचायतों का केन्द्र बिन्दु है। ग्राम पंचायत सतखण्डा, भादलीया, कारूण्डा, फलवा, लसडावन फाचर अहीरान, बडोलोघाटा, टाई, अरनिया जोशी, उखलिया, अरनोदा, मांगरोल के करीब 50 गांवों की विद्युत समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई है। आये दिन विद्युत भार की कमी से किसानों व ग्रामीणों को अघोषित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है।

मांगरोल चौराहे पर विद्युत भार की आवश्यकता के कारण पिछले काफी समय से 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की मांग की जाती रही है। इस जीएसएस का निर्माण हो जाने से मांगरोल सहित 12 ग्राम पंचायतों के करीब 50 गांवों के किसानों व आम जनता की विद्युत समस्या का समाधान हो सकेगा तथा किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

अतः व्यापक जनहित में मेरा राज्य सरकार व माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आग्रह है कि मांगरोल चौराहा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में 132 केवी जीएसएस का निर्माण करवाने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर के ग्राम बेई, नाथूण व घेवरिया का सड़क से जुड़ाव

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

(श्री शिवजीराम मीणा)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के तीन ऐसे राजस्व ग्राम बेई, नाथूण एवं घेवरिया हैं जिनकी जनसंख्या क्रमश: 1133, 1099 एवं 926 होने के बावजूद इन्हें सड़क से जोड़ने की योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त गांवों के छोटे-छोटे मजरों से होकर गुजरने वाली सड़कों के आधार पर ही इन गांवों को सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया है, जब कि मूल गांव में रहने वाले लोगों को अब भी सड़क के अभाव में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेई, नाथूण एवं घेवरिया को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करावें ताकि ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती।

मूक-बधिर, नेत्रहीन व मानसिक विमंदित बच्चों की शिक्षा हेतु संचालित संस्थानों को शत-प्रतिशत अनुदान

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत निवेदन है कि समाज में मूक-बधिर, नेत्रहीन व मानसिक विमन्दित बच्चों की समस्या भयावह है तथा समाज का यह वर्ग विशेष अटेंशन चाहता है। इस प्रकार के निश्चित रूप से नि:शक्त वर्ग के छात्रों का विकास व पालन-पोषण समाज का दायित्व है तथा वह संस्थाएं वास्तव में प्रशंसनीय हैं जो इन बच्चों को निश्चित रूप से नि:शुल्क शिक्षा देने वाली संस्थाओं को सरकार अपने आदेश क्रमांक प.16(13)शिक्षा-6/99 जयपुर, दिनांक 25 जून, 1999 द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता था जिससे ये संस्थाएं समाज के इस निशक्त वर्ग को शिक्षाण का कार्य करती थी। आज भी ये संस्थाएं इन निश्चित रूप से नि:शक्त बच्चों के शिक्षण का काम कर रही हैं।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के अनुदानित वियालयों की अनुदान कटौती के लिए जारी अध्यादेश क्रमांक प.(74)शिक्षा-5/91 पार्ट, जयपुर दिनांक 24.3.2006 द्वारा आदेश जारी किये थे। अनुदान कटौती के उक्त आदेशों को इन विशिष्ठ संस्थाओं पर भी प्रभावी माना जाकर उनके अनुदान में भी कटौती की गई।

समाज सेवा की भावना से संचालित मूक-बधिर, नेत्रहीन व मानसिक विमन्दित बच्चों को निश्चित रूप से नि:शुल्क शिक्षा एवं शिल्प प्रशिक्षण प्रदान करने वाली यह संस्थाएं अनुदान कटौती के करण विकट आर्थिक कठिनाई में हैं। अनुदान कटौती से इन संस्थाओं का विकास तो बाधित हो ही रहा है बल्कि वियमान शिक्षण, शिल्प प्रशिक्षण के स्तर को संभाल पाना कठिन हो रहा है। वैसे तो सरकार को अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के फ्रीज किए अनुदान को भी तत्काल देना चाहिए वह तो दूर उल्टा सामान्य श्रेणी की अनुदानित संस्थाओं की अनुदान कटौती के संबंध में जारी उक्त अध्यादेश के दायरे में मूक-बधिर, नेत्रहीन व मानसिक विमन्दित बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित अनुदानित संस्थाओं को भी ले लिया। जिससे विकलांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण के अवसर एवं सुविधाएं मिलना भी मुश्किल है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मूक-बधिर, नेत्रहीन व मानसिक विमन्दित बच्चों की शिक्षा के लिए संचालित, शिक्षा विभाग से मान्यता व सहायता प्राप्त सभी 14 विशिष्ठ संस्थाओं को राज्यादेश क्रमांक प. 17(74) शिक्षा-5/91 पार्ट, जयपुर दिनांक 24.3.2006 के दायरे से बाहर माने जाने के संशोधित आदेश जारी करा पूर्व की भांति शत-प्रतिशत अनुदान जारी कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्री मदन राठौड़। **(अनुपस्थित)** सांगसिंह भाटी ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर जिले में भू-आबंटन के लम्बित प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसलमेर जिले में भूमिहीनों के आवेदन पत्र 63 हजार तीन सालों से विचाराधीन हैं और लगभग 22 हजार आवेदन पत्र जो वीरानी भूमि के, भूमिहीन काश्तकारों के भरे हुए विचाराधीन हैं। यह आजीविका का साधन कृषकों के लिए सिर्फ भूमि ही है और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वह भी भूमिहीन किसान जिसके पास एक बीघा भी जमीन न हो और सिर्फ आजीविका का साधन ही जमीन है तो मेरा निवेदन है कि वहां एक्स्ट्रा अधिकारी, अतिरिक्त अधिकारी लगवा कर, विभाग में तहसीलदारों की पोस्ट खाली है, आबंटन अधिकारियों की पोस्टें खाली हैं, ये अधिकारी लगवा कर इन जमीनों का तुरन्त प्रभाव से आबंटन कराने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव। **(अनुपस्थित)**

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर मंत्रीजी से थोड़ा आश्वासन तो दिला दो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ। उनसे मिल लेना आप।

प्रदेश में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राजस्थान प्रदेश में लगभग दो लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, इसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दो लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से अभी राजस्थान में रह रहे हैं, इनके कारण विभिन्न शहरों में कच्ची बस्तियां पनप रही हैं, ये लोग गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चोरी, जासूसी, नकबजनी, लूटपाट, मादक पदार्थों की तस्करी, जिस्मफरोशी के धंधे में इनकी युवतियां लिप्त हैं और शांति भंग के अनेक मामलों में इनकी

समय-समय पर संलिप्तता उजागर हो चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का कि जयपुर शहर में पिछले वर्ष जवाहर नगर और सेठी कालोनी में जो डकैती की घटनाएं हुई हैं, जो लूट की घटनाएं हुई हैं, उनमें भी पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन किया तो इन लोगों की संलिप्तता उसमें पायी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को इस बात के लिए चेताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में आतंकवादियों के कैम्प लगाकर और वहां बांग्लादेशियों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रही है और आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के बाद यह बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। कई सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए पाकिस्तान और भारत की सीमा पर हमारे राजस्थान में भी पकड़े गये हैं। अभी जो गृह मंत्रालय ने भी जो रिपोर्ट दी थी, पुलिस रिपोर्ट, उसमें इस बात का जिक्र है कि कई बांग्लादेशी भारत पाक सीमा पर पकड़े गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और यह देश की एकता और अखण्डता को चुनौती देने का प्रयास बांग्लादेशियों के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर आदि जो बड़े शहर हैं प्रदेश के उनमें हजारों की संख्या में यह बांग्लादेशी रह रहे हैं। अभी जयपुर शहर में लगभग 40 हजार इस प्रकार के बांग्लादेशी आज कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। जयपुर शहर में बगराना, आजाद नगर कच्ची बस्ती, जवाहर नगर कच्ची बस्ती,बास बदनपुरा, झोटवाड़ा, विश्वकर्मा, रामगंज, मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, शास्त्री नगर की भट्ठा बस्ती, जयपुर दिल्ली बाईपास कमेला गोदाम की पुरानी बस्ती, बास बदनपुरा के नाले पर यह झोंपड़ियां बनाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों की संख्या में रह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तो बहुत कमाल का काम किया। जो कालवाड़ स्कीम गोपालबाड़ी रेलवे स्टेशन के बगल में जहां हजारों की तादाद में लगभग 4-5 हजार बांग्लादेशी रहते थे उनको बांग्लादेश भेजने के बजाय बस्सी के पास बगराना गांव में उनको व्यवस्थित रूप से बसाया, उनको पट्टे दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध किया उसके बाद भी जबरदस्ती ऐसे बांग्लादेशियों को वहां बसाया गया और उनको जो पट्टे दिये गये। उनके आधार पर उनको आज स्थानीय नागरिकता मिल गई। इतना

(श्री कालीचरण सर्राफ)

ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने राशन कार्ड बनवा लिये, वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वा लिये और ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के बन गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि ऐसे बांग्लादेशी जो देश की एकता और अखण्डता की चुनौती बने हुए हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और आज राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां इन लोगों के कारण बढ़ रही है, ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए, उनकी पहचान की जाए और केन्द्रीय सरकार से बात करके उनको किस प्रकार से वापस बांग्लादेश खदेड़ा जाए इस बात की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। पिछली सरकार ने तो इनके राशन-कार्ड बनवा दिये, इनके वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा दिये, इनको पट्टे दे दिये और आप आश्चर्य करेंगे कि जहां बगराना में इनको बसाया वहां पर जे.डी.ए ने पांच हैण्डपम्प लगवाये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह देश वैसे धर्मशाला है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इनके कारण से एकता और अखण्डता को चुनौती दी जा रही है इन पर अंकुश लगायें, इनको चिह्नित करें, इनकी पहचान करें और इनको किस प्रकार से वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है उसकी व्यवस्था करें। कई तो इस प्रकार की सूचना आई है कि बांग्लादेश भेजने के लिए यहां से भेजते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए यह मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत गम्भीर समस्या है और राजस्थान सरकार बहुत इस पर निरन्तर चिंतित है। हम लोगों ने प्रयास भी किया, कुछ लोगों को यहां से हमने वापस भेजने के लिए ठेठ बोर्डर तक भी पहुंचाया, वहां बी. एस. एफ. ने इसके लिए कोशिश की लेकिन इसमें नियम इतने कमजोर हैं कि जब तक बांग्लादेश उनको स्वीकार नहीं करता है कि वे हमारे नागरिक हैं तब तक वो बोर्डर पर जाकर के अपने आप रुक जाते हैं। कई बार जाते हैं, कई बार वापस लौटकर के आ जाते हैं। कानून भी इतना कमजोर है, हमने केन्द्र सरकार को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समय-समय पर चिट्ठी भी लिखी है कि जो पाकिस्तान से आता है उसका तो वीजा और सब समय के हिसाब से देखा जाता है और आवश्यक होता है, बांग्लादेशी जो इस प्रकार से आते हैं अगर वो बिना वीजा के भी आते हैं तो कानून इतना लचर है कि उसके खिलाफ कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह भी सच है कि इन लोगों के राशन-कार्ड भी बने हैं, इन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम भी लिखे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि जहां-जहां भी ये लोग हैं, जहां राशन-कार्ड बने हैं तो उनको रिजैक्ट कराने के लिए तो पुलिस कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से उनके जो राशन-कार्ड बनाये हैं उनको निरस्त करायेंगे, जो वोटर लिस्ट में उनके नाम दर्ज हुए हैं, अगर सही सर्वे होकर सही ढंग से आयेगा तो उसको भी हम करेंगे। लेकिन इनको भेजना, जब तक केन्द्र सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा यहां से भेजना हमारे लिए सम्भव नहीं हो रहा है। हम लगातार, हमने पिछले साल 2005 में भी और उसके बाद निरन्तर चिट्ठियां केन्द्र सरकार को इस बारे में लिख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं और विशेषकर जयपुर में जितने गम्भीर अपराध हुए हैं उनमें से लगभग 30 प्रतिशत अपराध केवल इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है जो अब तक हमने ट्रेस किया है। एक गम्भीर समस्या है, मैं चाहूंगा कि सदन के सब माननीय सदस्य भी सहयोग करें और इनके राशन-कार्ड और वोटर लिस्ट से नाम हटाने में हमारी मदद करें। हम केन्द्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं, प्रतिपक्ष के बंधुओं से भी प्रार्थना है कि वो केन्द्र सरकार पर भी इस बात का दबाव डालें कि इस प्रकार के जो लोग यहां आकर के लाखों की संख्या में राजस्थान में रह रहे हैं इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था में सरकार कोई न कोई ऐसा कानून बनाये कि उनकी ठीक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनको वापस लौटाया जाए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के राशन-कार्ड बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं वो भी आप सदन में खुलासा करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियली संकल्प ले आइये आप विधान सभा में। हां, इस बात के लिए सब तैयार हैं।

(श्रीमती ममता शर्मा)

(व्यवधान) लेकिन आपके कई माननीय सदस्य हैं जिनके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं उनमें बांग्लादेशी बसा रखे हैं। पहले उनसे भी कहिये कि उनको भी हटायें। आप संकल्प ले आइये बिलकुल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तैयार हो? (व्यवधान) किसने दे रखे हैं किसने नहीं दे रखे हैं, आपने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक संकल्प ले आयें तो तैयार हैं, अपने क्या है। (व्यवधान) आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत बढ़िया बात है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): आप लाओ न, आप लाओ, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप जैसे विचारों के लोगों की जरूरत है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई संकल्प की बात नहीं है, पहले आप अपने घर में जो रह रहे हैं सर्वेंट क्वार्टर में उनको तो निकालो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया जरा यह ही बता दें न, संकल्प की कहां बात हो गई। राजस्थान में 8 साल तक भाजपा की सरकार रही, तीन साल से यह सरकार है, केन्द्र में एन. डी. ए. की पांच साल सरकार रही तब तो कुछ किया नहीं और हर बात में संकल्प। आपकी सरकार है, करिये, कौन रोक रहा है? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बचाव पक्ष में मत आओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह प्रस्ताव आपका नहीं है? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बांग्लादेशियों के बचाव पक्ष में मत आओ सचेतकजी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि इस तरह के लोग जो विदेशी लोग हमारे यहां आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए और ऐसे आदमियों को यहां शेल्टर नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार किसलिए बैठी है यहां पर आपकी? हर बात में आप संकल्प। जो यहां पास कर रखे हैं लोकायुक्त नियुक्त करो वो तो कर नहीं रहे हो और संकल्प से काम करोगे आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): संकल्प लाने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? संकल्प लाना चाहिए बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्ती में रहने वाले सभी लोग बांग्लादेशी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्ती में रहने वाले सभी बांग्लादेशी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम सब के लिए नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह किसी ने नहीं कहा कि बांग्लादेशी हैं पर मैं यह कह रहा हूं कि ये कच्ची बस्तियों में रहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): 30 प्रतिशत अपराध उनके द्वारा हुए हैं तो आप अपने-अपने सर्वेंट क्वार्टर्स से तो निकालिये पहले। बसा तो आपने रखे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपका राष्ट्रवादी सोच है कि आपने खुद ने आगे बढ़कर के कहा कि सरकार संकल्प लेकर के आये। यह हमारा नहीं, आपका प्रस्ताव है। आपके जैसे राष्ट्रवादी सोच के लोगों को करना ही चाहिए। अब यह दुर्भाग्य है कि आप ही की पार्टी के सचेतक आपकी इस सोच का विरोध करेंगे। यह दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): .... आप यह बताइये कि आप पिछले तीन साल में क्या कर रहे थे। (व्यवधान) 1990 से 1998 तक आपने क्या किया? (व्यवधान) आपने दिल्ली में क्या किया? पहले आपकी सरकार थी। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): उनका सोच यह है कि तीन साल से जो अपराध हो रहे हैं उनके बारे में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। ममताजी, आपकी सोच का स्वागत करते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप वक्तव्य तो दे दीजिये। आज अगर किसी का गृह मंत्री.... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आज गृह मंत्रीजी जानते हैं कि कोई आदमी 10 साल लगातार रहता है तब उसका राशन-कार्ड बनता है तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों रहने दिया? (व्यवधान) आज कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही है। आप निकालिये, आप जिसको चाहे निकालिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): यह राजस्थान की समस्या है, हिन्दुस्तान की समस्या है। सबको मिलकर के संकल्प लेना चाहिए इसमें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्षजी, आप परमिट करें तो मैं बोलूं। आप एक मिनट मुझे परमिट करिये। मेरा नाम लीजिये ताकि मैं बोल सकूं। एक मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, बांग्लादेशियों का संरक्षण कांग्रेस करती आई है। (व्यवधान) वोटर लिस्ट में उनके नाम व राशन-कार्ड कांग्रेस के लोगों ने बनवाये हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शायद प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे.....

श्री उपाध्यक्ष: वह राय नहीं बनी इनकी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट। ये भी इस बात से सहमत होंगे, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि ये विरोध करें या हम पक्ष में करें या विरोध करें, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज चेरापूंजी के पास जहां मेघालय का बोर्डर है, सब माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर भी यह समस्या थी लेकिन मेघालय सरकार ने और केन्द्र सरकार का सहयोग लेकर के वहां पर उन्होंने उसकी व्यवस्था की कि बांग्लादेशी वहां से नहीं घुस पाये। मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से चाहे हमारे शासन में चाहे आपके शासन में, किसी भी तरह से एक बार घुस गये और कई जगह उन्होंने राशन-कार्ड बना लिये। राशन-कार्ड बनाने के बाद आज यह स्थिति हो गई कि पता ही नहीं लग रहा है कि कौन इंडियन है और कौन बांग्लादेशी है। उसके बाद मंत्रीजी ने माना है, 30 प्रतिशत तो आन रिकार्ड इन्होंने माना है कि अपराध उनके द्वारा किये जाते हैं और मेरे हिसाब से जहां तक है, 50 प्रतिशत से ज्यादा अपराधों में वो लोग सम्मिलित हैं। जो बच्चे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: वह आ गया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, कल आपने टी. वी. में एक कार्यक्रम देखा होगा, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है जेब काटने की। लड़के-लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और यह जेब काटना, चोरियां करना और दूसरे छोटे-मोटे अपराध करना, बच्चे-बच्चियों को इसमें संलग्न कर दिया जाता है। इसलिए गम्भीर मसला है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडा हुआ सवाल है इसलिए पक्ष-प्रतिपक्ष में मत बांटिये इस हाउस को और यह मत करिये कि दिल्ली में किसकी सरकार थी और किसकी नहीं थी। हमारी जब सरकार थी तो हमारी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, आपकी सरकार है तो आपकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी लेकिन अब यदि पहले आपने नहीं किया, हमने नहीं किया उसके कारण यह इसमें दुहाई देकर के कि पहले से ऐसा नहीं हुआ इसलिए अब हम नहीं करें, अब समय आ गया है कि इस पर आज प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, क्या हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह के कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पक्ष-विपक्ष को मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे निकले इस पर हमको राजनीति परिदृश्य से ऊपर उठकर के विचार करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस बात के लिए कौन रोक रहा है वो कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार या तो यह कह दे कि सरकार अकर्मण्य है, सरकार इन-एफिशिएंट है, अगर सरकार नहीं कर पाती है तब यहां संकल्प की आवश्यकता है। आप सरकार लेकर के बैठे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहले संकल्प लेकर के आये? भारत सरकार के विदेश मंत्री आतंकवादियों को जेल से छुड़ाकर कंधार छोड़कर के आये उसका निन्दा का प्रस्ताव भी यहां पर लाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि राजस्थान में कितने (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): कांग्रेस पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार चला रहे हैं और पीडीपी मांग कर रही हैं कि वहां से सेना को हटाया जाए, आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं और आज कह रहे हैं कि आपने कंधार में यह किया (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, या तो सरकार कह दे हम निकम्मे हैं, हम असमर्थ हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नकारा हैं, तब यह सदन संकल्प लाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा हूं कि यह जयपुर का या जयपुर के अंदर छोटे-मोटे अपराध हो रहे हो या जेब कट रही हो उसका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर इन लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर अंदर भेज रहा है....

श्री उपाध्यक्ष: यह है सब जगह पर।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): यह बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और यह टालमटोल वाली बात नहीं है और एक दूसरे के ऊपर जो आक्षेप लगाने वाली जो बात है कि आप सरकार है, निकम्में हैं, वह नहीं हम सबको एक होना पड़ेगा इस मामले के अंदर हम कितने निकम्मे हैं और कितने नहीं हैं? इस देश का भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा और आपको इसको जातियों के अंदर और पक्ष और विपक्ष के अंदर नहीं बांटना चाहिए और हमको पूर्णतया संकल्प ले लेना चाहिए इस सदन के अंदर की इन बांग्लादेशियों को बाहर भगावो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था कि बांग्लादेशियों को (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने एक संकल्प के लिए यह बात कही है और उसको प्रतिपक्ष वाले सब दबा रहे हैं (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सरकार को कार्यवाही करने से कौन रोक रहा है? इसमें कांग्रेस भाजपा सब सहमत है (व्यवधान) इस पर कार्यवाही करके बताइए (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इसके ऊपर संकल्प आना चाहिए, आप वोटों की खातिर इतना एक, इस देश के लिए एक खतरा बना हुआ है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मेरा यह कहना है कि प्रतिपक्ष की महिला सदस्य ने एक संकल्प के लिए इन्होंने एक वाजिब बात कही है, प्रतिपक्ष वाले इस बात को दबा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को इनको (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करिए माननीय सदस्य।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास पूरी सरकार है, पूरा तंत्र है आप चाहे कार्यवाही करिए आप कार्यवाही करना चाहते नहीं हैं और संकल्प का नाम लेकर (व्यवधान) चाहते हैं यह अनुचित है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर कार्यवाही करें और इस कार्यवाही के अंदर किसी को पता भी न चले, यह बात भी सही है कि सदन ने इस संदर्भ में चिंता जाहिर की है। बांग्लादेशियों की घुसैपेठ यदि सरकार चाहेगी तो रोक पायेगी और सरकार इनको रोके तो संकल्प की बात तो बहुत बाद की बात है। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एम एल ए क्वाटर्स में जो अवैध रूप से रह रहे हैं इनको खाली करवाओ पहले आप (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प आना चाहिए, यह गम्भीर विषय है इस पर संकल्प आना चाहिए। प्रतिपक्ष की माननीय महिला सदस्य ने यह बात उठाई है यह वाजिब है और उनको दबा रहे हैं, यह संकल्प आना चाहिए, यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार बार तो मेरे खुद के फ्लैट में चोरी हो गई है, यह एम एल ए क्वाटर्स में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको तो पहले निकलवा दो फिर बात करना बांग्लादेशियों की, उनको तो निकाल नहीं सकते आप।

श्री उपाध्यक्ष: अब कोई शिकायत आयेगी तो निकाल देंगे।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिए आप।

अलवर जिले में सरकारी भूमि की अतिक्रमण से मुक्ति

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्षजी, अलवर जिले में मैंने राजस्व में चाहे वह किसी भी तरह का चाहे गांव में खेल मैदान हो या रास्ते हो, उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए मैंने पर्ची दी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी बैठे हैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 59 साल की आजादी के बाद में आज तक कहीं स्कूल का फील्ड है उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, कहीं रास्ते हैं उसमें तामीर करना चाहते हैं। हम या पी डब्ल्यू डी या मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा कही रोड दिया जाता है, रेवेन्यू रिकार्ड में वह जाता है, वो जाकर के स्टे ले आते हैं अदालत के द्वारा, यह रास्ता अभी तो पुराना नहीं है, पहले का हमारा अतिक्रमण है, पक्की तामीर कर ली। माननीय मंत्रीजी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह मामला इतना गंभीर है कि गांव-गांव में झगड़े होने चालू हो गये और करते क्या हैं नगरपालिका मेरे खैरथल में माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, नगरीय आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, 80 बीघा जमीन नगरपालिका के पास है, 80 बीघा जमीन में देखा कि यह खाली पड़ी है लोगों ने छप्पर बना लिये और हम वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन देना चाहते हैं जो मैन रोड की जमीन है, उसके ऊपर अतिक्रमण है। इसमें माननीय स्वायत्त शासन मंत्री मुझे आश्वस्त करें कि उस जमीन को हम खाली करा देंगे। यह मामला एक नगरपालिका का नहीं है, पूरे जिले में हमारा अलवर जो जिला है वह दिल्ली से लगता हुआ है, जमीन इतनी महंगी हो गई है कि रोड की जमीन तो लगभग करोड़ रुपए बीघा की कीमत से बिक रही है और रास्ते, तालाबों पर या जो श्मशान घाट के लिए जो रास्ते जाते हैं या श्मशान घाट की भूमि है उसको भी तोड़ दिया। इसलिए आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी यह आश्वस्त करें कि जो जितनी सरकारी भूमियां हैं, जो रिकार्ड में है उन सब भूमियों के रास्ते या जोहड़ तालाब या श्मशान घाट हो और विशेष तौर से मेरे खैरथल का आग्रह करता हूं कि जो नगरपालिका की भूमि है उसको अतिक्रमण से बचाया जाए और वहां हमारा जो किस तरह का चाहे वो हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं हॉस्पिटल की हो या कॉलेज की बात करना चाहते हैं या आई. टी. आई. के लिए जमीन देना चाहते हैं, तो वह

(श्री जयराम जाटव)

अतिक्रमण जब तक हटेगा नहीं जब तक वो काम नहीं हो पाएगा। मैं अपनी लंबी बात नहीं कह करके दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पर जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए मुझे आश्वासन दे दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्ची दी है वह पर्ची है अलवर जिले में सरकारी भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने बाबत। फिर भी माननीय सदस्य ने नगरपालिका खैरथल में अतिक्रमण से संबंधित बात की है मैं उसको दिखवा लूंगा, निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खैरथल से आने वाले सदस्य द्वारा सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण बाबत चिंता जाहिर की है और इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बहुत व्यापक अधिकार बने हुए हैं, सक्षम अधिकारी के लेवल पर समय-समय पर अतिक्रमियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है और जो भी यदि स्थान विशेष से बात है तो उसके अंदर यदि आप बता रहे हैं तो उसमें मतलब कार्यवाही की जाएगी। वह तो निरंतर प्रक्रिया है इस कार्यवाही की, 91 के अंदर जो मतलब सक्षम अधिकारियों द्वारा और यदि न्यायिक मामले के अंदर वह चले गये हैं तो उनका अलग से मामला देखा जाता है तो मेरा निवेदन है कि अलवर के अंदर जो माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उसकी बाबत पूरी निगरानी के साथ कार्यवाही की जाएगी।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) वहां तो तीन-तीन गट्टे जो रास्ते हैं वह सब तोड़ दिए, जमीन इतनी महंगी हो गई है (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): जितने भी हैं उन सबको देखा जाएगा।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (सं. 4)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह समस्या सब जगह है अतिक्रमियों की, यह बहुत बड़ा मुश्किल काम है। श्री शिवजीराम मीणा, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल, सदस्य, विधान सभा 12 याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 12 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:

धौलपुर के 9 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम छावनी, भागीरथपुरा रतनकापुरा, खनपुरा, उमरारा, वरखेड़ा, दरियापुर, विश्नोदा एवं गुन्नाकापुरा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत् नौ याचिकाएं ; तथा

विश्नोदा, मौरोली करीमपुर ग्राम में पशु चिकित्सालय खोले जाने बाबत

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम विश्नोदा, मौरोली एवं करीमपुर में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् तीन याचिकाएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, सदस्य विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:

मालगढ़ से रूण्डमाल की ढाणी तक सड़क का डामरीकरण

I विधान सभा क्षेत्र आहोर के मालगढ़ से रूण्डमाल की ढाणी तक सड़क-डामरीकरण करने बाबत्।

चरली से माढ़ा भाखरी ग्राम तक सम्पर्क सड़क का डामरीकरण

II पंचायत समिति आहोर के ग्राम चरली से माढ़ा भाखरी तक सम्पर्क सड़क का डामरीकरण करने बाबत् ।

III आहोर (जालौर) में स्टेडियम का निर्माण करने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राकेश मेघवाल, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे

(अनुपस्थित)

श्री टीकमचन्द कांत, सदस्य विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

भाटा से सिणधरी पेयजल योजना की स्वीकृति

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर की भाटा से सिणधरी पेयजल योजना को स्वीकृत कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल (निवाई) सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

भावंता एवं संग्रामपुरा ग्राम के बीच एनीकट निर्माण

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तहसील निवाई (टोंक) के ग्राम भावंता एवं संग्रामपुरा पंचायत समिति बलवाड़ी के बीच एनीकट निर्माण कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री प्रभुलाल सैनी कृषि मंत्री अनुदान की मांग संख्या-37 व 39, श्री कालूलाल गुर्जर, पंचायती राज मंत्री अनुदान की मांग संख्या-28 विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले

(श्री प्रभुलाल सैनी)
वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,03,25,23,000 (रुपए तीन अरब, तीन करोड़, पच्चीस लाख, तेइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,50,58,000/- (एक अरब, बहत्तर करोड़ पचास लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,31,38,13,000/- (एक अरब, इकत्तीस करोड़ अड़तीस लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

मांग संख्या 28, 37 व 39 पर विचार

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 28, 37 और 39 पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार हमारे इलाके में बहुत अच्छी बरसात हुई और कुछ खाद की कमी जब महसूस हुई तो मैं इफको के कार्यालय में गया और जब वहां पर जाकर मैंने कहा कि यह खाद हमको चाहिए इफको की तो उन्होंने कहा कि खाद तैयार है लेकिन हमको केन्द्र सरकार रेलवे वेगन्स नहीं दे रही है क्योंकि व्हीट इम्पोर्ट हो रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि व्हीट इम्पोर्ट हो रहा है । पहले कभी सुना था तीस वर्ष पहले जब गेहूं आयात किया करते

(समय: 13.51 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

(श्री मदन राठौड़)

थे लेकिन इन तीस वर्षों में तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आयी कि गेहूं भी हमको बाहर से मंगवाना पड़े, विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़े। तीस वर्ष हो गये, तीस वर्ष पहले इन्होंने मंगवाये थे जब माइलो गेहूं हिन्दुस्तान को खाना पडा था लेकिन अभी फिर से गेहूं आयात करना पडा और गेहूं आयात करने के लिए सारे रेलवे वेगन्स वहां लगा दिये गये। यह आश्चर्य की बात है। सभापति महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि जब हमारे किसान, क्या गेहूं का उत्पादन करना उसने बंद कर दिया? क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गयी? तो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। फिर मैंने थोड़ा चिन्तन किया कि ऐसी क्यों परिस्थितियां आ गयीं कि किसान की रीढ़ तोड़ने का काम केन्द्र सरकार ने किया। किसान ने जो अन्न पैदा किया उस अन्न का किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान के सामने बिजली की समस्या पैदा हो जाती है। किसान अपनी खेती के लिए जो भी ऋण प्राप्त करते हैं उस पर ब्याज अधिक होता था। किसान अपने उपकरण लेते थे उस पर भी जो टैक्स लगता था उसके कारण से किसान पर बहुत भार बढ़ गया था लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को जिसने कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरणों पर टैक्स फ्री किया। ये पहली बार अभी किया है इससे पहले किसान का कर्जा भी माफ किया था राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। कांग्रेस की सरकार जब-जब भी आयी है उसने किसान की रीढ़ तोड़ने का प्रयास किया। किसान के हित के लिए कभी भी इन्होंने चिन्ता नहीं की।

मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा सहकारिता विभाग को भी, सहकारिता में भी अभी आपको ध्यान होगा सभापति महोदय, सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक से जो कर्जा लिया गया था उस पर चौदह-पन्द्रह प्रतिशत ब्याज लिया जाता था लेकिन अभी हमने सात प्रतिशत के ब्याज पर किसान को ऋण उपलब्ध कराने की जो घोषणा की है ये निश्चित रूप से किसान के दर्द को कम करने का प्रयास किया और इसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। किसान की चिन्ता किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की इस राजस्थान की सरकार ने की है। पहले किसी ने परवाह नहीं की। किसान के सामने बहुत समस्या है। सभापति महोदय, किसान की भूमि में पानी भी नहीं है। पानी की भी तकलीफ रहती है तो इसके लिए भी क्या प्रयास किया जाना चाहिए किसी ने कभी भी चिन्ता नहीं की। पहली बार राजस्थान में

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिन्ता की । श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ किसानों को चुन कर के इजराइल भेजा जहां पर पानी कम रहता है । कम पानी में भी किस प्रकार से वहां अधिक उपज ली जा सकती है इस प्रकार का जो प्रयास किया तो ऐसे कुछ लोगों को वहां पर भेजा इजराइल ताकि वहां पर ...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): काश्तकार गये थे क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां काश्तकार गये थे और उन काश्तकारों ने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको नहीं लेकर गये इसलिए नाराजगी मत प्रकट करो। काश्तकार गये थे जो वहां से सीख करके आये और उन्होंने यहां पर प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। तो सभापति महोदय, इजराइल में प्रशिक्षण लेकर वहां से वे सीख कर आये और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां पर कम पानी में अधिक उपज ली जा सकती है किस प्रकार से हाइब्रिड खेती वो लोग कर लेते हैं यानी किस प्रकार, यानी मुझे यह आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बताया कि पेड़ पर भी इंजेक्शन लगते हैं पेड़ के तने में इंजेक्शन लगते हैं जिससे वहां पर जो फल प्राप्त होते हैं वो बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में यानी नींबू भी कहते हैं अमरूद जैसा इतना बड़ा नींबू उन्होंने पैदा किया। यही नहीं वहां पर बूंद-बूंद खेती के माध्यम से यानी पानी का पूरा उपयोग करने की जो वहां से सीख प्राप्त करके वो आये वो उन्होंने यहां पर और अपने क्षेत्र में इसका लाभ यहां की जनता को दिया।

सभापति महोदय, इसमें आधुनिक तकनीक अपनायी जानी चाहिए इसके लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए। केन्द्र ने राजस्थान को सहयोग नहीं किया लेकिन फिर भी राज्य में जो बजट 2003-04 में कृषि के निमित्त जो बजट था वो 43.43 करोड़ था केवल लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इन्होंने बजट भी बढ़ाया और 132.03 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान इन्होंने किया और वैज्ञानिक सोच के आधार पर खेती के लिए प्रयास किया। जो जमीन हमारी उर्वरा नहीं है उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए कहां जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, कहां पर किस प्रकार का खाद मिलाना चाहिए इस प्रकार के भी प्रयास किये। इसके लिए इन्होंने टास्क फोर्स का भी

(श्री मदन राठौड़)

गठन किया । इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपनी उपज को बढ़ाया है इसके लिए भी कई प्रयोग किये और इसके लिए कुछ क्षेत्र चिह्नित किये उन क्षेत्रों में कौन-सी फसल अच्छी मात्रा में पैदा हो सकती है इसके लिए प्रयास किये। जैसे मूंगफली इस बार हमने 2005-06 में 491 लाख मीट्रिक टन मूंगफली पैदा की, जौ 4.58 लाख मीट्रिक टन, सरसों 43.86 लाख मीट्रिक टन और सरसों की तो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी उपज हुई है। आज हालत यह है कि वहां पर किसान ट्रेक्टर लेकर आ रहे हैं खूब और कृषि उपज मंडी समिति में नंबर बड़ी मुश्किल से आ रहा है। यह स्थिति हमारे क्षेत्र में भी है। बहुत अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया इसके लिए मैं कृषि मंत्रीजी की उनके प्रयासों के लिए सराहना करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, हमने प्रयास किया सरसों का और भरतपुर जिले में कहते हैं सरसों पहले 13.7 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज हुआ करती थी लेकिन इस जब प्रयास किये कुछ और तरीके अपनाये उनको खाद और जो कीटनाशक वगैरह समय पर देने चाहिए थे वो दिये तो वहां पर बीस क्विंटल प्रति हैक्टेयर उन्होंने उत्पादन लिया है। मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे सुमेरपुर में भी इस बार 20.24 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज हुई है। इसके लिए और निश्चित रूप से जो हमें समय पर खाद चाहिए था वो उपलब्ध कराया, व्हीट इम्पोर्ट के कारण वैगन्स हमको नहीं मिले होंगे लेकिन ट्रकों के माध्यम से हमने खाद मंगवाया और कीटनाशक भी मंगाये इसके कारण से बहुत अधिक उपज हम ले पाये इसके लिए भी अच्छे प्रयास रहे।

सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से और बीज, उर्वरक, जिप्सम और तकनीकी ये अपनाने का जो प्रयास किया इसके कारण इसका लाभ हमको मिला है। इस बार 7160 क्विंटल उपचारित बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह पहली बार किया गया इसके लिए निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था हिण्डौली से आने वाले सदस्य का। हिण्डौली से आने वाले सदस्य मेरे बहुत परम मित्र हैं और इनकी सहानुभूति मेरे प्रति काफी है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरी मां के बराबर जो भाभीजी थीं उनका देहांत हो गया उस पर बैठने और संवेदना

प्रकट करने तो आये नहीं परन्तु यहां इन्होंने संवेदना प्रकट की उसके लिए, मैं वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं क्योंकि जब इनके नेताओं को श्रद्धांजलि दी जा रही थी उस समय लोगों ने देखा है। जब इनके नेताओं के प्रति ये समर्पित नहीं हैं तो मेरे प्रति तो क्या दोस्ती निभायेंगे। आपने जो भावनाएं प्रकट कीं उसके लिए और मैं पीछे से वार भी नहीं करता मतलब ममताजी की तरह और रामनारायणजी की तरह जैसे आप अन्दर ही अन्दर से करते हो ऐसे मैं अन्दर ही अन्दर कुछ करता नहीं हूं। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इतना ही मेरा निवेदन है। आपने कृपापूर्वक जो श्रद्धांजलि दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, हमारी जो शंका थी वो आपने निर्मूल साबित की और यथावत इसी स्थान पर विराजे रहेंगे। हम तो प्रसन्न है इससे।

श्री सभापति: ठीक है, धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी शंकाओं को निर्मूल साबित आपने किया हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप यथावत इसी स्थान पर विराज रहे हैं हमको कभी-कभी कष्ट हो जाता है आप यहां नहीं रहते हो तब।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बिलकुल चिन्ता मत करो। आप अपनी चिन्ता करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने राजस्थान में किसान महोत्सव मनाया और जल चेतना यात्रा 10 मई से 16 जून तक निकाली और सभी ग्राम पंचायत स्तर तक हमने अपनी टीम भेजी और इसमें 32-33 विभागों के कर्मचारी साथ में लगे इसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिला है। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा । इसके माध्यम से 9189 ग्राम पंचायतों में और 304 जल चेतना रथ निकाले और उस रथ में सभी प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिये प्रदर्शनी टाइप लगाने का प्रयास किया, उसके सार्थक प्रयास हुए हैं। इसमें किट दिये गये 2.73 लाख मिनी किट वितरित किये और उन्नत बीज, पुस्तिकाएं और कई पैम्पलेट्स भी किसानों को दिये इससे किसान प्रेरित

(श्री मदन राठौड़)

होता है उसका लाभ भी किसान ले सके इस प्रकार के प्रयास किये । हमारे यहां फव्वारा पद्धति अपनाने के लिये जो जोर डाला गया, गत पाँच वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 11700 किसानों को इन्होंने फव्वारा पद्धति अपनाने के लिये प्रेरित किया लेकिन हमारा प्रतिवर्ष जो औसत आया है वह 36374 है। इनके पांच वर्षों में कुल संख्या देखें तो 83735 किसानों को इन्होंने प्रेरित किया । हमने केवल तीन वर्ष में ही 80404 किसानों को प्रेरित किया जिन्होंने यह लगाई । पाइप लाइन में पांच वर्षों का इनका जो औसत था वह 1462 किलोमीटर प्रतिवर्ष था लेकिन हमारे तीन वर्षों में 5657 किलोमीटर प्रतिवर्ष का औसत आया है । यानी पांच वर्षों में इन्होंने केवल 58.07 लाख मीटर पाइप लगाये हैं, हमने तीन वर्षों में 128.53 लाख मीटर पाइप किसानों को दिये हैं जिसका लाभ निश्चित रूप से हमारे किसानों को मिला है ।

बूंद-बूंद सिंचाई के लिये पाँच वर्षों में आपका जो औसत था वह 705.70 हैक्टेयर था जब कि केवल 2005-06 में हमारा औसत आया है 1672 हैक्टेयर। यानी प्रयास जो करें उसकी सराहना निश्चित रूप से की जानी चाहिये। डिग्गी बनाने के लिये भी किसानों को प्रेरित किया । सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा जब बांध से पानी आता है और बांध से नहरों के माध्यम से जब पानी जाता है तो जितना किसान का खेत होता है उसमें जो क्यार बना होता है उस क्यार को ऊपर तक भरने का प्रयास करता है इसलिए बहुत पानी व्यर्थ हो जाता है । इस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहिये कि किसान बूंद-बूंद सिंचाई कर सके । लेकिन किसान के पास साधन नहीं है । जब नहरें चलती हैं तो मैंने भी एक निवेदन किया था कि 8-10 किसानों के खेतों के बीच में कोई बड़ा होद बना दिया जाये और वह किसान वहां पर जितना पानी उसको तय है, तय सीमा में किसान को जितना पानी आप देना चाहते हैं उतना एमसीएफटी पानी उस टेंक में डाल दें और वहां पर वह अपना टुल्लू पम्प लगा कर पाइप के माध्यम से अपने खेत में बूंद-बूंद सिंचाई करें तो मैं सोचता हूं जितना नहरों के माध्यम से जितने क्षेत्रफल में वह सिंचाई करता है उससे ढाई गुना क्षेत्र में वह बूंद बूंद से कर सकता है । अधिक क्षेत्रफल में इस प्रकार की सिंचाई का लाभ हम ले सकते हैं । मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का प्रयास हम करें । किसान वह होद बना नहीं सकता है तो उसको उसके लिये कर्जा दिया जाना चाहिये । यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाये कि उसको 50 प्रतिशत कर्जा बिना ब्याज किसान को दिया जा सके और 50

(श्री मदन राठौड़)

प्रतिशत हम अपने किसी निधि से चाहे एमएलए लेड से हो, चाहे एमपी लेड से हो और किसी भी माध्यम से किसान को दे सकें तो इसका लाभ भी निश्चित रूप से किसान को मिलेगा ।

सभापति महोदय, इन्होंने उन्नत बीज वितरण के लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं किये थे। हमने तीन गुना वितरण किया। इन्होंने जितना वितरण किया उससे तीन गुना अधिक उन्नत बीज वितरित किये । यही नहीं, परीक्षण के लिये इन्होंने कोई प्रयोगशाला नहीं बनाई थी । हमने इस बार 12 प्रयोगशालाएँ राजस्थान में बनवाई । इन्होंने पांच वर्ष में एक भी प्रयोगशाला विकसित नहीं की । किसानों के हितों की यह बात करते हैं मैं सोचता हूं यह केवल थोथी बात है किसी भी प्रकार से इन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया । बीज वितरण के लिये जो प्रयोगशाला होनी चाहिये इन्होंने पांच वर्षों में कोई नई विकसित नहीं की । हमने दो प्रयोगशाला बनाई एक अलवर में और एक जोधपुर में । इस प्रकार बीज परीक्षण प्रयोगशाला बनाई । ठीक इसी प्रकार कीट नाशक प्रयोगशालाएं कोटा और अलवर में की । सभापति महोदय, आपको मालूम है कि हम कोई भी निर्यात करते हैं तो वह जो निर्यातक देश है वह फाइटोसैनेटरी प्रमाण पत्र मांगता है कि क्या आपके यहां कीटनाशक प्रयोगशाला है और उससे आपने यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है । यदि हमने प्राप्त कर लिया जो प्रमाण पत्र साथ में देना पड़ता है तब जाकर हम अपनी उपज निर्यात कर सकते हैं । इसके लिये हमने दो प्रयोगशालाएं विकसित की, हमने किसानों की चिंता की । सभापति महोदय, यह पहले सुविधा नहीं थी जो अवशेष हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिये, यह पहले व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार की व्यवस्था हमने विकसित की । इसके लिये भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा । सभापति महोदय, जयपुर में भी हम एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं लगभग 4 करोड़ की लागत की यह बनेगी जिससे हम विश्व प्रतिस्पर्द्धा में आ सकेंगे । आज डब्ल्यूटीओ लागू हो गया और सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा का युग है तो हमको भी प्रतिस्पर्द्धा में आगे आना पड़ेगा और इसके लिये भी हमें सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे, हमारे किसानों को भी मजबूत करना पड़ेगा ताकि वह भी अपनी उपज का उचित मूल्य ले सके ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है वह समस्या रहती है किसान जब

(श्री मदन राठौड़)

अपनी पैदावार करता है आज कोई उद्यमी अपना प्रोडेक्शन करता है तो वह पहले माल बेचता है उसके बाद उसके अनुरूप अपने क्षेत्र में अपने कारखाने में माल पैदा करता है ताकि उसका माल तैयार होने के बाद पड़ा नहीं रह जाये । वह तैयार करते ही तुरंत पैक करके भेज दें जिस किसी भी क्षेत्र में उसने पहले से आर्डर ले रखे हैं । इस प्रकार जब उद्यमी प्रयास कर सकता है तो हमारे किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है क्योंकि वह बरसात पर निर्भर करता है और मानसून आता है तब किसान एक साथ बुआई शुरू करता है तो पैदावार भी एक साथ आती है । जब चारों ओर से पैदावार एक साथ मार्केट में आ जाती है तो उसके भाव गिर जाते हैं । चूंकि किसान ने पहले कर्जा ले रखा है, चाहे उसने ट्रैक्टर चलाने के लिये लिया होगा, चाहे बीज के लिये चाहे खाद के लिये उसने कई स्थानों से कर्जा ले रखा होता है । जब उपज चारों ओर से मार्केट में आती है तो मार्केट में जो खरीददार होते हैं वह भाव गिरा देते हैं । जब भाव गिर जाते हैं तो किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है और किसान को आनन फानन में मजबूरन कम रेट पर प्रतिस्पर्द्धा में अपना माल मार्केट में बेचना पड़ता है । इससे किसान को नुकसान होता है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा एक तो जो संविदा खेती है जो आपने कुछ जींसों में शुरू की है जिसमें औषधि, फलों पर, फूलों पर इस प्रकार से किया है । संविदा खेती का बहुत बड़ा लाभ है यदि इसमें और कुछ विस्तार कर सके तो इसके बारे में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है । सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा यदि किसान अपनी जो उपज है उसको किसी बैंक के गोदाम में रख या कृषि उपज मंडी के गोदाम में रखे दे और जितना उसने अपना माल रखा है उसकी आधी कीमत बिना ब्याज के किसान को मिल जाये, उसका माल तो आपके पास सुरक्षित पड़ा ही है, माल लेकर वह भाग नहीं रहा है, किसान आपको धोखा दे नहीं सकता क्योंकि माल आपके गोदाम में सुरक्षित पड़ा है । लेकिन किसान को कर्जा चुकाना जरूरी है, साहूकार उसके पीछे लगा रहता है, बैंक उसके पीछे लगी रहती हैं तो उसको आधी कीमत के बराबर राशि उपलब्ध करा दी जाये तो इससे हमारे किसान को मजबूती मिलेगी। इसके लिये भी हमें और प्रयास करने चाहिये । यदि इस प्रकार के प्रयास आप कर सकें तो निश्चित रूप से इसमें और सार्थकता रहेगी ।

सभापति महोदय, हमने एक और प्रयास किया कृषि योजनाएं आपके द्वार । यह 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक हमने की । इसके माध्यम से

(श्री मदन राठौड़)

इसमें कई पुस्तकें भी वितरित कीं, टीवी, रेडियो पर भी कई प्रसारण किये जैसे कृषि दर्शन, नवांकुर इस प्रकार के प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। महिला सशक्तीकरण के लिये भी हमने अच्छे प्रयास किये हैं। सभापति महोदय, इस बार जब यह किट दिये गये तो हमने यह प्रयास किया कि महिलाओं को ही किट दिये जायें। यह जो बीज और खाद के किट क्षेत्रों में दिये गये वह महिलाओं के नाम से ही हमने दिये हैं। इससे क्या हुआ महिला की इज्जत, महिला का सम्मान उस परिवार में बढ़ा।

इस प्रकार के जो प्रयास किये इसके लिए मैं इनकी सराहना करना चाहूंगा। इस बार कृषि मंत्रालय ने एक और काम किया, कृषि विभाग ने, वह यह किया कि कोई भी लड़की कृषि विभाग में अध्ययनरत है, तो उसको भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई, निश्चित रूप से मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

महिला कृषक को अंतरराष्ट्रीय भ्रमण के लिए भेजा। महिला कृषक को, यह प्रयास भी सार्थक रहा, इसके लिए भी मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले फसल बीमा लागू नहीं थी, जब कांग्रेस का राज था तो फसल बीमा से यह भागते रहे, देश में लागू हो गई थी लेकिन हमारे यहां कांग्रेस के राज में फसल बीमा को लागू नहीं किया गया था लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं और प्रभुलालजी सैनी मंत्री बने तो सबसे पहला काम इन्होंने यह किया कि कृषि बीमा लागू किया और कृषि बीमा का लाभ भी हमारे किसानों को मिला, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मौसम बीमा योजना, यह भी लागू की गई। यह भी सार्थक प्रयास किया। जब असमय वर्षा हो जाए और तापमान कम हो जाए तो उनकी फसल बरबाद हो जाती है इस प्रकार के बीमा की भी व्यवस्था की। बागवानी मिशन भी 13 जिलों में लागू किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पाली में भी यह मिशन लागू किया गया, इसके लिए भी मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, हम जो सब्जियों का निर्यात करते थे इसके लिए इन्होंने हवाई भाड़े में कमी की। पहले हवाई भाड़ा 45 रुपये प्रति किलो था। दुबई अगर जाए, जयपुर से दुबई कोई अपनी उपज भेजना चाहे, कोई सब्जी भेजना चाहे तो 45 रुपये की रेट थी जिसे घटाकर 23 रुपये 15 पैसे प्रति

(श्री मदन राठौड़)

किलो की, इसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा, इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया।

आपने सांगानेर हवाई अड्डे के पास में कूलिंग सेंटर लगाया, पैक हाउस लगाया। पैक हाउस एक तो चौमूं में, एक जयपुर में। चौमू में 3.80 लाख और जयपुर में 3.60 लाख। ठीक इसी प्रकार से आपने कई ऐसी मण्डियां राजस्थान में विकसित की जो विशिष्ट कृषि मण्डिया रहीं, जैसे सोजत में मेहँदी, इसका लाभ भी मेरे पाली जिले को मिला इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपने साझा खेती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। हमारे किसान के पास में थोड़ी जमीन कम होने लग गई। ज्यों ज्यों परिवार का विस्तार होने लगा जमीन के टुकड़े होने लग गए। छोटे-छोटे टुकड़ों में न तो अच्छी तरह से खेती हो पाती है लेकिन आपने साझा खेती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपने किसान कल्याण कोष स्थापित किया और उसमें आपने, कोई किसान की मृत्यु हो जाए तो उसको 50 हजार और कोई अंग भंग हो जाए उसमें 25 हजार। इसमें एक सुझाव आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि कोई भी किसान अगर कोमा में चला जाए, सिर में चोट लग जाए और कोमा में चला जाए तो उसको भी आप 25 हजार रुपये देते हैं, मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है। कोमा में काई चला जाए तो मैं सोचता हूं उसके परिवार पर और ज्यादा, कोमा में काफी लंबे समय तक व्यक्ति रहता है, बीमार व्यक्ति कोमा में लंबे समय तक रहता है तो पूरा परिवार भी उसकी सेवा में लग जाता है, तो निश्चित रूप से कोमा में अगर कोई व्यक्ति चला गया तो वह मरने से कम नहीं है। मृत्यु पर आप 50 हजार देते हैं और कोमा पर 25 हजार रुपये देते हैं तो मैं सोचता हूं कि इसमें आपको यह प्रयास करना चाहिये कि कोमा में यदि गया है तो उसको भी 50 हजार रुपये दिया जाना चाहिये, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक अंग यदि कट जाए तो 12500 रुपये देते हैं, एक अंगुली कट जाय तो 3 हजार, इस प्रकार का, आपने वृद्धि की है यह ठीक बात है।

कृषि उपज मण्डी के चुनाव भी आपने करवाए1 मैं सोचता हूं कि कई

वर्षों तक चुनाव नहीं हुए जिसमें 30-30 वर्षों से यह भागते रहे चुनाव से और चुनाव नहीं करवाए। आपने कृषि उपज मण्डी के चुनाव करवाये इसके लिए भी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह जब्त कराओ। सभापति महोदय, यह जब्त कराओ। यह राजस्थान विधान सभा है, कोई पब्लिक पार्क नहीं है। (व्यवधान) नहीं, सभापति महोदय, इसको जब्त करवाइये मेरी आपको प्रार्थना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): सॉरी।

श्री सभापति: सॉरी कहने से नहीं, आप यहां लाकर रख दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मंत्रीजी, यह राजस्थान की विधान सभा है, इस ओर थोड़ा माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करो। वह आधा घंटा सदन में दिया करे जिससे इस सदन की व्यवस्था ठीक चले। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अशोक जी गहलोत कितना बैठा करते थे ? आप ज्ञान बता रहे हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पांच साल होने को आए, (व्यवधान) मेहरबानी करके बंद करो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप एक तर्क दे रहे हो, खुद तो गुड़ खाने से परहेज करे, दूसरों को गुलगुले खिला रहे हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजस्थान सरकार ने गौ-पालक बीमा योजना (व्यवधान) यह लागू किया, यह पहली बार हुआ है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको तो मंत्रीजी, आप लोगों को तो नींद में भी अशोकजी गहलोत का भूत दिखता होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कामधेनु बीमा योजना लागू की जिसमें 2 वर्ष से 10 वर्ष तक उम्र की गाय है उसका बीमा किया जाता है। इसमें 4 प्रतिशत प्रीमियम जिसमें 25 प्रतिशत केन्द्र देती है, इस प्रकार का यह राजस्थान में लागू किया, यह भी किसानों के हित में है। गौ-पालक बीमा जिसमें 200 रुपये प्रतिवर्ष, 100 रुपये केन्द्र देती है और 25 रुपये राज्य

सरकार देती है और 25 गौ-पालक खुद देता है, इसमें निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिल सकेगा। गौ-रक्षक बीमा योजना जिसकी प्रीमियम राशि 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार देती है, इसके लिए राजस्थान सरकार की भी सराहना की जानी चाहिये। एक आदर्श गौशाला प्रत्येक जिले में, आपने घोषणा की है इसके लिए भी निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिये।

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने पशु प्रजनन नीति, इसके लिए राठी, थारपारकर, गीर, कांकरेज (व्यवधान) यह बात ठीक है आपकी, आपने किसी भी प्रकार का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, डेयरी के मामले में भी हमने और अच्छे प्रयास किए1 डेयरी में भी अभूतपूर्व यानि पहले कभी भी, उससे 30 प्रतिशत अधिक दूध संकलन हमने शुरू किया। पहले जितना दूध एकत्रित करते थे इस बार 30 प्रतिशत अधिक डेयरी ने भी सफलता प्राप्त की है। एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो खेल हुए थे क्रिकेट के उसमें मैं समझता हूं कि सरस डेयरी का उत्पादन यदि उसमें विक्रय किया जाता तो और लोगों को भी लाभ मिलता। इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिये, ऐसा अवसर हमको खोना नहीं चाहिये। (व्यवधान) जो भी सशुल्क, सशुल्क की बात है, वहां पर जो वितरण किया गया मतलब सशुल्क उपलब्ध करवाया गया उसमें लोगों को बहुत तकलीफ रही, अगर हम इस प्रकार का प्रयास करते तो निश्चित रूप से इसमें भी सफलता मिलती।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, दो-तीन निवेदन और करना चाहूंगा।

श्री सभापति: वाइंडअप करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक तो विषय रह ही गया, सीआरएफ की गाइड लाइन । मैं इसमें भी निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार ने बहुत प्रयास किया कि सीआरएफ की गाइड लाइन में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये लेकिन मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार ने कोई 10-12 पत्र भी लिखे होंगे, उन पत्रों की प्रतियां भी हमारे पास हैं, इन्होंने इस प्रकार के प्रयास

(श्री मदन राठौड़)

किये लेकिन केन्द्र सरकार ने कतई परवाह नहीं की। पहले, अब कोई यदि हानि हो जाए, ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि में भी और केन्द्र सरकार के नोर्म्स के अनुरूप यदि किसान को कोई राहत देते हैं तो मैं सोचता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान था और राजस्थान सरकार ने आगे बढ़कर इस प्रकार का प्रयास किया कि किसान के हितों की चिंता इन्होंने की। सीआरएफ की गाइड लाइन से हटकर, उससे हटकर, आगे बढ़कर अपने खुद के कोष से 100 करोड रुपये दिये हैं इसके लिए भी राजस्थान सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि टीएफसी और एसएफसी या एसजीआरवाई में आरसीसी की जो रोड्स है वह बंद कर दी, मैं सोचता कि इसके केन्द्र सरकार को, और उसके ऊपर दवाब भी डालना चाहिये कि आज गांव में..(व्यवधान) केन्द्र सरकार से निर्देश हुआ है माननीय सदस्य, केन्द्र ने बंद किया है, उसने गाइड लाइन दी है उसने वहां से, उन्होंने आरसीसी की सड़कें, आरसीसी के रोड्स जो अपने गांवों में हम लोग बनवाया करते थे वह बंद कर दिये, वह निश्चित रूप से चालू होने चाहिये, इस प्रकार आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव, यह विकसित करने का प्रयास किया इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं और यह गांव में रहे, आज व्यक्ति गांव से भागकर शहर में आने का प्रयास करता है, शहर की और दौड़ता है, यह रोकने का जो प्रयास किया मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी प्रकार से यह भी निवेदन है, शहरों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का जो प्रयास किया, इस प्रकार की आपने पुरा के माध्यम से जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ भी अधिक से अधिक गांव को मिल सके इस प्रकार का हमें और प्रयास करना चाहिये। एक बहुत अच्छी इस बार केशवबाड़ी योजना आपने लागू कि जिसमें आपने चुना कि एक कोई भी जनजाति का व्यक्ति है और अपने क्षेत्र में उसके पास न तो पर्याप्त साधन है, वह अपने क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकता लेकिन आपने केशवबाड़ी योजना के माध्यम से उसके क्षेत्र को विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, आपने वहां पर किस प्रकार से उसकी जमीन उर्वरक बनाई जाए, किस प्रकार से वहां पौधे लगाये जाएं, राज्य सरकार अपनी मद से अपनी व्यवस्था से वहां पौधे लगाकर उस क्षेत्र को विकसित करके उस किसान को वापस जब सुपुर्द

(श्री मदन राठौड़)

करेगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ उस किसान को मिलेगा। वह परिवार तो निश्चित रूप से लाभान्वित होगा और खड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी समिति से जो आय होती है उसका व्यय उस क्षेत्र के विकास के लिये हो, इस प्रकार का आप प्रयास करें। जैसे मेरे नोवी में वह पुल टूट गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बार-बार बीच-बीच में बैठे-बैठे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब कभी भी हम लिखकर देते हैं तो आपके यहां से यही आता है कि कोई किसी प्रकार का फण्ड उपलब्ध नहीं है। जब हमारे पास फण्ड है, अभी सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति के पास में लगभग सौ करोड़ रुपये का फण्ड है, जब इतना पैसा है तो यह पैसा हमारे क्षेत्र में लगे तो उसका लाभ भी निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी बाला में एक जैसे हमने पत्र लिखा, उसमें 4 लाख कुछ का खर्चा था और उसके लिये भी यह जवाब आये कि पैसा नहीं है तो ठीक नहीं है। बहुत छोटे-छोटे काम हैं। यह तो निश्चित रूप से कर ही लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मिसिंग लिंक की भी हम घोषणा कर सकें, कृषि उपज मण्डी समिति के पास...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस विषय पर तो अभी बोला ही नहीं है।

श्री सभापति: जैसे अब जो भी है, समय की सीमा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा, मैं बाहर से आया और नाम आ गया। तो जहां से मुझे शुरू करना था, आज माननीय सदस्य ने कहा कि आपका भाषण सही नहीं रहा। तो उसका एक मात्र कारण है कि जहां से मुझे शुरू करना था तो वह तो रह ही गया विषय।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो जिससे समाप्त करना था, उससे शुरू किया। तो थोड़ा उलटा हो गया। तो जब उलटा हो जाता है तो सब कुछ उलटा-पुलटा हो जाता है। तो इसमें आप...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन लम्बा बोलने से लोग उब जाते हैं और फिर आप बोलने में ऐसा करते हो कि कौनसी योजना बनाई है केशवजी के नाम से। केशवजी के नाम से कौनसी योजना बनाई है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केशवबाड़ी योजना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा, केशवबाड़ी योजना। केशवजी कौन हैं? कोई किसान से ताल्लुक रहा है क्या उनका।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केशवजी कौन हैं, यह तो मैं आपको बता सकता हूं। ऐसा है कि डाक्टर केशवराव हेडगेवार...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह योजनाएं आपके नाम की वजह से ही जल जाएंगी। क्योंकि कृषि मंत्रीजी, किसी भी कृषक का नाम जोड़ते तो बात समझ में आती है। जिन लोगों का कृषि से कोई लेना-देना नहीं रहा उनका नाम आपने जोड़ रखा है, केशवबाड़ी। तो यह.... (व्यवधान) कैसे, आप लोगों को बोलना कैसे आता है इतना।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसका मतलब तो यह हुआ कि आप, माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह मालूम है कि केशव कौन है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप विराजें थोड़ा तो... (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, केशवराव बलिराम हेडगेवार, उन्हीं के द्वारा दुनिया जीवित है। वह केशवराव बलिराम हेडगेवार है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बैठें ना, आप बैठिये, मैं समझा सकता हूं। (व्यवधान)

ऐसा है, आपको मालूम है। इनको भी पता है, यह आपको बताने की भी जरुरत नहीं है। तभी इन्होंने कहा कि किसी किसान के नाम से करते। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि वे किसान परिवार से थे, डाक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 1925 में स्थापना की। यह जानकारी आपको है। यह बात नहीं है। आप यदि कोई अच्छा काम करें, काम की प्रशंसा होनी चाहिए। उनके नाम से जो काम किया, आज यह कहें कि दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव... तो वह गांव विकसित होगा ही होगा। (व्यवधान) इसमें जो कार्य है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य, अब आप विराजें। माननीय श्री बंशीलाल खटीक।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आजादी के बाद वे सामने आये हैं। किस बात की प्रशंसा कर रहे हो और किस नाम से उनकी योजना चला रहे हो, उनके नाम से। (व्यवधान) हमें क्या एतराज है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये ना।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने क्या पूछा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपने पूछा, केशव किसका नाम था, वह मैंने बता दिया।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, आप विराजें। माननीय श्री बंशीलाल खटीक।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा-39 और ग्रामीण विकास-28, आज इनके ऊपर बोलने का जो आपने मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रतिपक्ष से ही शुरू करता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता, पूजनीय, उन्होंने एक बहुत अच्छे...

श्री सभापति: आप तो विषय पर बोलें, विषय पर।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, मैं वहीं आ रहा हूं।

श्री सभापति: हां, विषय पर ही बोलें आप।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, विषय पर ही आ रहा हूं।

हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता की, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहते हैं। हम तो उनके एक पोते के बराबर हैं। हम उनके सामने क्या बोलेंगे। अगर कोई ऐसी बात होती है कि यदि दादा नहीं जानता है, पोते को कोई नई सीख मिल गयी है तो दादा को वह बता देनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भारतीय संस्कृति में तो पोता दादा के सामने बोलता ही नहीं है। बाप के सामने नहीं बोलता तो दादा के सामने बोलने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): दादा को जो जानकारी नहीं है वह जानकारी तो देगा पोता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दादा का जो परामर्श है वह सर्वोपरि है। वह पूरे परिवार में प्रवेल करेगा। और वह प्रवेल ही नहीं करेगा पूरे गांव में उसकी शोहरत हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अपनी बात निवेदन करने का तो अधिकार है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): निवेदन करने का सब को अधिकार है। वह मुझे भी तो अधिकार है। आप अकेले को ही है क्या अधिकार। या उनको अकेले को है। जो बात मुझे नहीं जंची, मैंने सुझाव दे दिया। अब क्या आपत्ति है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को यह समझना चाहिए जो बोलेगा...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपत्ति हो तो मेरी बात मानोगे थोड़ी आप। मैं तो कहता हूं अशुभ नाम जोड़ोगे तो वह शुभ काम भी नष्ट हो जाएगा। खेती काश्तकारों की नष्ट हो जाएगी इसके नाम से। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नहीं बोलें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अशुभ नाम कैसे है।

श्री सभापति: कोई बात नहीं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अशुभ नाम कैसे है। हम भी किसान के बेटे हैं। पर अशुभ नाम इस तरह से नहीं, हम आपका आदर करते हैं, आपको ऐसे...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप भैरोंसिंहजी शेखावत के नाम, जो यहां के सदन के नेता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका नाम जोड़ देते, क्या बात करते हैं आप। जीती मक्खी मत निगलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के माननीय नेता से सम्मान से बात कही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको निवेदन किया है, इसमें कोई बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा-प्रार्थी हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और ऋषि हमारे देश की पहचान है। कृषि के खेत में, हमारे देश के किसान जब देश आजाद हुआ उससे आज तक लगातार हमारे किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। माननीय सभापति महोदय, आज दिन

(श्री बंशीलाल खटीक)

तक हिन्दुस्तान के उन अन्नदाताओं की चिन्ता वर्तमान के महामहिम उप राष्ट्रपति और उस समय के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने हमारे प्रदेश के किसानों की चिन्ता की थी। इतिहास गवाह है कि हमारे किसानों के ऊपर कई प्रकार की परेशानियां आती थीं। कई विपदाएं आती थीं। एक प्राकृतिक विपदा है, एक कर्ज की विपदा है। उन सब विपदाओं को माननीय भैंरोंसिंहजी शेखावत ने देखा और उसका निराकरण उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भैंरोंसिंहजी शेखावत ने बारानी लगान माफ कर और किसान के 10 हजार तक के कर्ज माफ कर उस समय हमारे किसानों को एक संजीवनी बूटी दी थी। उस तर्ज के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वसुन्धरा राजेजी आज उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के किसानों के ऊपर, जब परिवर्तन यात्रा के समय उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मजरे तक जब वे स्वयं पहुंची और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने अपनी आंखों से किसान की हालत देखी और उन्होंने ईश्वर से कामना की कि हे प्रभु, मुझे इन दीन-हीन जो किसान हैं, उनकी इस चिन्ता से, उनके दु:ख-दर्द को मिटाने का मुझे समय दे और प्रभु ने माननीय मुख्य मंत्रीजी की आवाज सुनी और आज इस पवित्र सदन में हमारी माननीय मुख्य मंत्री हैं। उनके पास अधिकार आने के बाद हमारे कृषकों के ऊपर जो आमूल-चूल परिवर्तन किया, उनके जन-हित में जो प्रयास किये जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे आकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं और प्रदेश की आम जनता जानती है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किसानों के साथ में कितना बड़ा सहयोग किया। आज हमारे किसान खुशहाली के कगार पर है। वर्तमान में जब ओलावृष्टि हुई, कई नुकसान हुआ। यह पूरा प्रदेश जान रहा है और वह तो जिस किसान के मन में जो दर्द है वही जानता है और जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने तत्काल जो उनको सहयोग देने की जो घोषणा की, भूतों न भविष्यति, आज दिन तक ऐसा पैकेज हमारे किसानों को जो ओलावृष्टि का, जो मुआवजा, जो सहयोग माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दिया है उसकी आज दिन तक कोई बराबरी नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, भले ही प्रतिपक्ष के लोग, माननीय सदस्य घड़ियाली आंसू बहा-बहा कर बहिर्गमन कर दें, सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप कर दें, इसे आम जनता जान चुकी है। ऐसे नाटक पैदा करने से आम जनता सब पहचान चुकी है कि अंधेरे में यदि गुड को खाया जाए तो

वह मीठा लगता है। भले ही उसको छुपा कर खाया जाए पर उसकी जो गुणवत्ता है, जो मिठास है वह किसी से छुपती नहीं है और उसको नकारा नहीं जाता है, प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का बहुत सम्मान करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत परिवर्तन आया है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): परिवर्तन समय की मांग है और वह परिवर्तन हमने करके दिखाया है और परिवर्तन यात्रा के समय आपको अदला-बदली कर दी। यही परिवर्तन का रूप है। माननीय हरिमोहनजी शर्मा की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): बढ़िया बोल रहे हैं, आज।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, किसानों का दु:ख जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जाना है, मैं इस पूरे सदन के माध्यम से, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे किसान का दु:ख-दर्द उन्होंने सुना और आज हमारा किसान जिनका नुकसान हुआ है उनके चेहरे पर खुशहाली है वरना इस प्रदेश में कई राज आये, ज्यादातर प्रतिपक्ष के लोगों ने, माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस ने ही हमारे प्रदेश पर राज किया। मुझे प्रमाण बता दें, आज दिन तक के इतिहास में किसानों के ऊपर उन्होंने क्या सहयोग किया और आज का इतिहास, आज का वर्तमान का मिला लें, आ जाए आमने-सामने, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम प्रमाण के तौर पर यह कहते हैं आपको। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि यह सद्‌बुद्धि आपको भी मिले और जब-जब भी आपको समय मिले किसानों के हित में हमेशा आप कदम उठायें। भले ही प्रतिपक्ष में कई किसान के नेता हैं। कई किसान हैं पर आज दिन तक उन्होंने वोटों की राजनीति करने के अलावा किसान का भला नहीं किया। एक दूरदराज झोंपड़ी में बैठा हुआ किसान, गरीब, उसको खाली झुनझुना पकड़ा देते हैं। उनको ललचाने के लिए खम्भे डाल देते हैं। वोट जब पड़ते हैं वहां तक वे खम्भे पड़े रहते हैं। जब उन गरीबों से वोट लेकर अपनी सत्ता बना देते हैं और उन खम्भों को वापस जहां से लाये हैं वहां रख देते हैं। ऐसा हमारी जनता के प्रति आप सभी ने जो कुठाराघात किया है यह कुठाराघात का प्रतिरूप स्वरूप ही है कि आप प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। यह

(श्री बंशीलाल खटीक)

जनता ने निर्णय करके आपको सही निर्णय दिया। जनता के निर्णय को आपको मानना चाहिए और आगे आने वाले समय में यदि आप अपने में परिवर्तन कर सकें तो अपने आप में करें।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में आज जो प्रदेश में कई ऐसे बड़े-बड़े संयत्र, कई कृषि अनुसंधान केन्द्र हमारे प्रदेश में हमारी सरकार ने लगाये हैं। मैं इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक कृषि बहुल क्षेत्र है और उसका एक भाग रेलमगरा क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र में एक बहुत जुड़ा हुआ है। मैं उस राजसमन्द रेलमगरा क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र की मांग करता हूं कि आप हमारे वहां पर एक कृषि अनुसंधान केन्द्र लगाएं ताकि हमारे कृषकों को जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उस अनुसंधान केन्द्र से वे अपनी पूरी कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जिस प्रकार कृषि कार्य करते हुए यदि किसान किन्हीं कारणों से या ज़हरीले जानवर से या खेती कार्य करने से यदि मौत हो जाती है तो हमारी सरकार ने पचास हजार रुपये उस कृषक के परिवार को देने की जो व्यवस्था की है मैं इस बात के लिए भी माननीय कृषि मंत्रीजी को और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं। आपने एक परिवर्तन किया कि खेजड़ी से पड़ने पर ही, कृषि कार्य करने वाला, उसको जो सहयोग किया जाता है उसमें परिवर्तन आपने, खेजड़ी की जगह पेड़ किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि हर क्षेत्र में खेजड़ी हो नहीं सकती और कई ऐसे पेड़ होते हैं, हमारे खेतों के ऊपर तो काम करते हुए यदि हमारा कृषक मौत के कगार पर चला जाता है तो उसको, उसमें आपने परिवर्तन किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, यह विषय, अभी कृषि ही है। दो विषय और हैं, मुझे समय दें। आज के बाद जितनी मांगें गयी हैं, मेरा पहला नम्बर है उसको प्लस करते हुए मुझे समय दें। अभी समय बहुत है इसलिए आप मुझे घंटी बजाकर, क्षमा करें। ऐसा नहीं करें।

श्री सभापति: अब आप पांच मिनट में कनक्लूड कर दो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन के साथ में कह रहा हूं। मैं तीन मांगों पर नहीं बोला हूं। मुझे प्लीस करके समय दें।

श्री सभापति: पांच मिनट में पूरा करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मंडी समिति के मंडी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के बारे में मैं कहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमंद रेजमगरा में कृषि, कृषि उपज मंडी की जो सम्पर्क सड़कें हैं जितनी भी प्रस्तावित हैं उन सभी सड़कों को आप स्वीकृति प्रदान कराएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, राजसमंद रेलमगरा क्षेत्र, मैंने पूर्व में कहा कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। फल एवं बागवानी मिशन से मेरे इस क्षेत्र को आप जोड़ें ताकि इसमें हमारे किसान कहीं से लाभ ले सकेंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मेरे क्षेत्र में मैंने आपसे कई पशु चिकित्सालय के लिए निवेदन किया है और प्रस्तावित है। मैंने प्रस्तावित योजना, आपके समक्ष मैंने निवेदन किया है उन सब को स्वीकृति प्रदान कराएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि पर्यवेक्षकों की बहुत कमी है। मेरे क्षेत्र में कई कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। उन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां कृषि नहीं है और वहां कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं उन कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि क्षेत्र में लगायें ताकि वह कृषि पर्यवेक्षकों के लिए ठीक रहेगा और किसानों के लिए भी ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन हमारे देश का एक बहुत बड़ा ध्येय है।

हमारे देश की सर्व देवमयी गौमाता, जो हमारे देश की एक पहचान है, जिसको हमारी संस्कृति ने माता माना है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको हम संस्कृति में मानते हैं, सर्व देवमयी गौमाता मानते हैं और गौशालाओं में आप जितना अनुदान दे सकें, मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि मैं इस सदन में जिनकी बदौलत हूं, जिनके आशीर्वाद से हूं और जिनसे पहचाना जाता हूं, वह एक ही है मेरी गौमाता और गौमाता के हिसाब से मुझे जनता ने इस सदन में पहुंचाया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे देश की गौमाता है, वेदों

(श्री बंशीलाल खटीक)

में भी साफ-साफ लिखा हुआ है, यदि गौमाता को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसको शीशे की गोली से मार देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं सरकार से और आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जितना अनुदान ज्यादा से ज्यादा हो, सभी योजनाओं से कम से प्रतिशत ज्यादा हो, अनुदान दिया जाये। विधायक मद से गौशालाओं के सहयोग करने के लिये एक व्यवस्था होनी चाहिये कि हम गौशालाओं में विधायक मद से हम गौशालाओं की बाउण्ड्री, गौशालाओं का शेड आदि बनाने की हमें स्वीकृति प्रदान करें तो हम हमारे इन अधिकारों का सही उपयोग कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, गौमाता के बारे में मैंने आपको बताया और सर्वसम्मति ...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज। अब बोल लिये आप ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अभी तो एक और विषय बाकी है हुक्म। माननीय सभापति महोदय, मैं आज निवेदन के साथ जिद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा बोलने दें। कई दिनों से मैं तैयारी में हूं और इस सत्र में मैं पहली बार बोल रहा हूं तो आप भी मुझे थोड़ा प्रोटक्शन दें, थोड़ा सहयोग करावें। माननीय सभापति महोदय, इसमें अब ग्रामीण विकास के बारे में कहूंगा, मैं शार्ट कर देता हूं । अब ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे इस प्रदेश में हमारे कई जिलों को रोजगार गारंटी से जोड़ा गया जब कि राजसमन्द जिले को नहीं जोड़ा गया है। मैं इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजसमन्द जिले को रोजगार गारण्टी से जोड़ा जाये ताकि राजसमन्द एक ऐसा मार्बल बाहुल्य क्षेत्र है और कई बार हमारे मजदूर वर्ग इतनी संख्या में बढ़ जाते हैं कि हम वहां रोजगार नहीं दे पाते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजसमन्द जिले को रोजगार गारण्टी में जोड़ने का प्रयास करावें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्राम सेवक, जो ग्राम सचिव होते हैं, जहां-जहां भी स्थानीय जिले के हैं, उन सब को जो राजस्थान के किसी जिले में हैं जैसे राजसमन्द जिले का कोई हो तो उनको राजसमन्द जिले में ही कार्य दे दिया जाये, जैसे ग्राम सेवक हैं, हैण्डपम्प मिस्त्री हैं। इनको प्रायोरिटी अपने जिले में देंगे तो हमारा पंचायत राज का काम अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के अंदर विधायक मद से हम जो राशि देना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र

(श्री बंशीलाल खटीक)

में विद्या निकेतन है और जयपुर क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर है । मेरा आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि आदर्श विद्या मंदिर एवं उसमें विद्या निकेतन और जोड़ दिया जाये ताकि हम हमारे विधायक मद से इन संस्थाओं को सहयोग कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कई रेबारी भाई अलग-अलग क्षेत्र में भेड़ लेकर जाते हैं तो उनको भी सरंक्षण देना चाहिये। उनके ऊपर कई विपदायें आती हैं इसलिए उनको भी सरंक्षण देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर जो एक ऐसे आम जनता से जुड़े हुए विषय में चर्चा करने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय हिन्द। वंदेमातरम्।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 एवं मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें मेरे विचार रखना चाहूंगा। आज राजस्थान में मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करूंगा, आज राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा दु:खी है तो किसान है। कैसे है, सभापति महोदय, अब इसी साल का आप देख लें। इस साल जब फसल पककर तैयार होने वाली थी और अब की इस फसल में कोई बीमारी नहीं थी, उस समय ऐसी ओलावृष्टि हुई और ऐसी बारिश हुई कि इस प्रदेश के जिन इलाकों में फसल थी, वह तबाह हो गयी । हालांकि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने उनको मदद दी है, दूसरे पैकेज की भी घोषणा हुई है, वह कब जारी होगा, यह तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि राजस्थान का किसान निहाल हो गया, राजस्थान का किसान तरक्की कर रहा है, राजस्थान का किसान खुशी में है। सभापति महोदय, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के किसान की फसल का उचित मूल्य उसको दिलाने में कई सरकारें बदली हैं पर व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं। सरकार बदलती है, व्यवस्था वही रहती है। मैं किसान की हिमायत उस सरकार को मानता हूं जो किसान की उपज का विधान सभा में कानून बनाकर उसको उपज का सही मूल्य दिला दे। वह किसान की हिमायती सरकार है। सभापति महोदय, अभी पिछले वर्ष जब राजस्थान सरकार की तरफ से एक कृषि अध्ययन दल

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

इजरायल गया था तो हम भी कांग्रेस के तीन माननीय सदस्य रामगढ़ से आने वाले सदस्य, खण्डेला से आने सदस्य एवं मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जाने का मौका मिला था। सभापति महोदय, इजरायल में जो खेती देखी, उस खेती का हम तो अदांज लगाते हैं, वह तो हम 100 साल में नहीं कर सकते। जो वहां की तकनीकी देखी, जो वहां के फ्रूट्स देखे, खेती देखी, उगा हुआ धान देखा, आज मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसी तकनीकी के बारे में यहां पर प्रचार-प्रसार हो, वह तकनीक आये। कम पानी में किसान ज्यादा पैदावार कैसे ले सके और वह फव्वारा सिस्टम और वह पानी की एक बूंद का भी खराबा होते नहीं देखा। आज यहां देखो धोरो में पानी जाते-जाते आधा पानी क्यारी में पहुंचता है, आधा उससे पहले समाप्त हो जाता है तो कई बातें वहां देखीं। सभापति महोदय, जो काश्तकार के हित की बातें हैं, मंत्रीजी और माननीय अध्यक्षजी भी हमारे साथ थे, वहां एक बूंद, जो जैतून के प्लाण्टेशन में हमने देखी तो उसमें यह नहीं लग रहा कि यह पानी कहां से पी रहा है । सभापति महोदय, उस इजरायल की तकनीक के बारे में मुझे पता नहीं माननीय मंत्रीजी के पास दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो राजस्थान के किसान से संबंध रखते हैं, मंत्रीजी ने जरूर प्रयास किये होंगे, इनके नीचे के अधिकारियों ने किये होंगे। मैं इन पांच-सात सालों की बात कह रहा हूं, इनके विभाग के अधिकारी करीब-करीब लगभग पूर्ण रूप से निष्क्रिय लग रहे हैं। आज प्रचार-प्रसार की कमी है। जो योजनाएं बनती हैं उनका लाभ किसान तक नहीं पहुंचता। आज तीन तरह के किसान हैं। एक तो जो शौक से खेती करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी खेती जल जाये या उसमें कुछ नुकसान हो जाये। एक तो हकीकत में काश्तकार हैं जिसके पास 10-20 बीघा जमीन है, मध्यम श्रेणी का काश्तकार है, उसको फर्क पड़ता है, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि 75 प्रतिशत लोगों का इस खेती और पशुपालन पर जीवन-यापन निर्भर करता है।

आज गांव में जाकर दशा देखें लोगों की, किसानों की, उनके खाने-पीने लायक साधन बचा है कि नहीं बचा है। इस ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ यह वर्षो से जिसका तो अब ऊपर वाला मालिक है, सभापति महोदय, सरकार जितनी मदद कर सकती है करती है पर मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो इजरायल में तरीका देखा है, कुछ बातें ऐसी राजस्थान के किसानों को नहीं बतायेंगे, पश्चिमी राजस्थान का तो मैं कह सकता हूं, सभापति महोदय, करीब-करीब काश्तकार कंगाल हो चुका है।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां खेती के लिए जो बातें अभी मेरे से पूर्व दो ही वक्ता बोले थे, उन्होंने भी बतायी, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, जो माननीय सदस्य खेती से सम्बन्ध रखते हैं उनको भी सब प्रकार की जानकारी है, आपको भी है, आप भी ग्रामीण इलाके से आते हैं, आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि जो पानी का लेवल आज है, मैं मेरे जिस जिले से आता हूं उसमें तो, सभापति महोदय, पैदावार का प्रतिशत दिन प्रति दिन घट रहा है, पानी खराब हो गया, पीने लायक पानी नहीं है, उपज कम हो गयी, काश्तकार पैदा करे तो पैदा हो नहीं, खेत खराब होने लग गये। इस सम्बन्ध में सरकार अगर काश्तकारों की कोई मदद कर सके तो ऐसी योजना बनाये जिससे छोटे टुकड़ों में खेती करके काश्तकार उस उपज को ज्यादा पैदावार करके उपज का मूल्य ले सके।

सभापति महोदय, गेहूं पांच क्विंटल पर बीघा आता है 3500 रुपये उसमे खर्चा होता है, रायड़ा तीन क्विंटल प्रति बीघा आता है उसमें 3000 रुपये खर्चा आता है, ईसबगोल तीन क्विंटल पर बीघा और उसमें 8500 रुपये खर्चा आता है, जीरा एक से दो क्विंटल और 5500 रुपये खर्चा आता है, चना दो क्विंटल 3000 रुपये खर्चा आता है। तो, सभापति महोदय, काश्तकार को जब तक अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा जब तक प्रदेश तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा और देश और प्रदेश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से ही निकलता है। किसान की जेब में कुछ होगा तो वह बाजार में आयेगा अन्यथा प्रदेश और देश कंगाल होते जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितने नकली बीज बिक रहे हैं उनकी रोकथाम होनी चाहिए। नकली खाद बिकती है, उन पर रोक लगनी चाहिए और जो यह कालाबाजारी करके माल बाजार में पहुंचाते हैं उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमे करने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं जिस जिले से आता हूं, राजस्थान में पांच करोड़ से अधिक पशुधन है और राजस्थान में दस पशु मेले लगते हैं, मुख्य पशु मेले दस लगते हैं, इसमें से तीन हमारे नागौर में लगते हैं और वो मेले बर्बाद होने का मुख्य कारण है कि पिछले दस वर्षों से मैं यह मांग कर रहा हूं 2000 में एक हाई-कोर्ट से रोक लगी थी कि तीन साल तक कम उम्र के

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

बछड़े को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, यह निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के किसान का जीने-मरने का सवाल है, अगर आज भी उस कमेटी में यह फैसला करके उस कानून में संशोधन कर दें कि तीन साल से कम उम्र का बछड़ा बाहर का है, हमारे जो बछड़े बाहर जाते हैं सब खेत के लिए जाते हैं। नागौर के बैलों की जोड़ी एक लाख से लगा कर 30 हजार तक बिकी हुई है और नागौर के बैल या नागौर का बछड़ा कभी भी आज तक कटने नहीं गया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभापति महोदय, जो भी बछड़ा मेले से बिक कर जायेगा वो खेती के लिए आयेगा। राजस्थान के मेलों में, नागौर के मेलों में, सभापति महोदय, महाराष्ट्र के व्यापारी आते, उत्तर प्रदेश के व्यापारी आते, हरियाणा के व्यापारी आते, गुजरात के व्यापारी आते, इतने प्रसिद्ध मेले थे, गाय की वैसे ही दुर्दशा हो गयी, माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि वहां तो गाएं लोगों ने पहले ही छोड़ दी थी अब इस बछड़े की रोक लगने से जब बछड़े खरीदते ही नहीं हैं तो कौन गाय पालेगा? तो मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह विशेष रूप से निवेदन है कि आप इसमें संशोधन करके जो रोक लगी हुई है उसको हटाने का काम करें तो हमारे मेले वापस बहाल हो सकते हैं।

सभापति महोदय, डेयरी के बारे में निवेदन है कि हमारे नागौर जिले का दूध ...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें यह प्रमाणित हो कि वह कत्लखाने में नहीं जाए। कैसे प्रमाणित करेंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नहीं जाती है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, हमारे जिले का बैल, गाय और बछड़ा कभी आज तक कटने नहीं गया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। विश्वास के साथ में करना चाहिए।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): प्रमाणित का अधिकार आपको दे देना, सभापति महोदय, आप कर देना।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नहीं, यह आपको, हम सब को देना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सभापति महोदय, मेलों में कई ऐसे लोग जरूर आते हैं अहमदाबाद और मुम्बई से कत्लखानों के लोग आते हैं और वो बछड़ों को डबल स्तर पर अपने स्थानों में ले जाते हैं और निर्ममता से ले जाते हैं और उनका वध कर दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी अपने आप सक्षम हैं, वो अपने आप जवाब दे देंगे, आप विराजो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि कम से कम यह प्रमाणित हो कि वो कत्लखाने में नहीं जाएं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय सदस्य, मैं आपकी बात का खुलासा कर देता हूं, जो ले जाते हैं वो लोग हैं साटिये, सांसी और अन्य यह कोई छोटे लोग जो लेते हैं 500, 700 रुपये की खरीद करते हैं, दस हजार से लगा कर एक लाख खरीद करने वाला व्यापारी नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं और इस नस्ल के हमारे जो नागौर के बैलों की नस्ल है वो हिन्दुस्तान में मशहूर है, आज तक कटने नहीं गया और पश्चिमी राजस्थान में किसानों का मुख्य धंधा है तो खेती और पशुपालन है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कम से कम आप संतुष्ट हो जाएं कि यह कत्लखाने में नहीं जा रहा है तो हमें विश्वास है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मैं आप से ज्यादा गाय को मानता हूं, मैं तीन गौशाला चलाता हूं। आप आकर देखना मेरे यहां कभी कि कैसे गाय रखते हैं और कैसे 800 गाएं रखते हैं, तीन गौशाला चलती हैं मेरे यहां ...(व्यवधान) हां।

तो, सभापति महोदय, यह मांग मैं नहीं करता कि जो कटने जाते हैं उनको, मैं तो यह मांग करता हूं कि जो कृषि योग्य बछड़े हैं उन पर जो रोक लगी है उसको हटा दें तो पश्चिमी राजस्थान का किसान का जो आमदनी का जरिया है, पेट पालने का जरिया है वो बहाल हो सकता है। यह निवेदन है मेरा।

सभापति महोदय, अब मैं डेयरी से सम्बन्धित कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि आज नागौर जिले में खेती गयी, पशुपालन कम हो गया तो अब लोग दूध बेचकर के अपना जीवन-यापन करने में लगे हुए हैं। नागौर का दूध आधा अजमेर जिले में जाता है, आधा जोधपुर में जाता है तो, सभापति महोदय, में आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो मुख्य सेण्टर है मेरा क्षेत्र डेगाना वो अजमेर के नजदीक है और उसमें डेयरी की उत्पादक संघ की स्थापना की जाए ताकि उसका लोगों को, छोटे किसानों को फायदा मिले एवं दूध वहां देकर अजमेर भेज सकें। आधा जोधपुर पहले ही जा रहा है तो इससे जो लोग दूध बेचने वाले हैं उनको काफी फायदा मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब हमने इजरायल में मंत्रीजी का ज्ञान देखा तो मैं तो, मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं कि मंत्रीजी को कृषि और पशुपालन के बारे में पूरी जानकारी है और मंत्रीजी को लगन भी है कि राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के पशुपालन के लिए कुछ करके दिखाएं। अब अंत में मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि डेढ़ साल का समय मंत्रीजी के पास बचा है अगर मंत्रीजी को काश्तकार का बेटा होने का कोई झण्डा ऊंचा करना है तो यह करके दिखाएं कि राजस्थान के किसानों के लिए और राजस्थान के पशुपालन के लिए मैंने यह-यह काम किये हैं तो राजस्थान की जनता और पश्चिमी राजस्थान का किसान हमेशा इनको याद रखेगा।

सभापति महोदय, में इतना ही कह कर मेरी बात समाप्त करता हूं, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभरी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): सभापति महोदय, आज कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मांग पर विचार हो रहा है। सभापति महोदय, यह देश किसान, कृषि प्रधान देश है। मैं भी एक कृषक हूं। एक बात बिलकुल सही है कि राजस्थान हो चाहे देश हो, कृषि के मामले में जो हम कृषक हैं वो हमेशा ही माइनस में रहते हैं। आज तक कोई भी सरकार यह बात तय नहीं कर सकी कि काश्तकार जो खेती करता है उसकी खेती में जो धान पैदा होता है उसकी कोस्ट कोई भी निर्धारित नहीं कर पाया और उसके अनुकूल कभी उसके भावों को निर्धारित नहीं कर पाया। जो काश्तकार धान पैदा करता है उसके लेवल से लगा कर, सूड़ से लगा करके, बीज से लगा

करके तब तक जितना खर्चा पड़ता है यह बिलकुल तयशुदा बात है कि यह सब से खर्चिला मामला है और आज तक यही कारण है कि छोटे किसान आज तक दब कर के रहे।

मैं तो उस सरकार को प्रगतिशील सरकार मानता हूं जो सरकार इन काश्तकारों के बारे में विचार करे। हमारी सरकार में यह बिलकुल सत्य बात है पिछली सरकार में मैं खुद एक काश्तकार हूं, मुझे मालूम है कि बीज के मामले में मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे पास काफी जमीन है, हम हमेशा ही हताश हैं कि जो भी बीज उन्नत बीज के नाम से दिया उसमें हमेशा गड़बड़ी निकाली और हम तो कह-कहकर थक गये, किसी ने पैनल्टी नहीं की। जितनी भी उन्नत बीज के नाम से जो दुकानें थीं या इन्सेक्टिसाइड्स थे वह सारे के सारे, अधिकांश दुकानें जो हैं पता नहीं क्या मैनिपुलैटिंग करके छूट गये। हमने कई अफसरों को पकड़वाया भी है इसमें, उन्होंने बीज गलत दे दिया । यदि किसान को बीज गलत दे दिया जाता है तो उसके तो कर्म फूट जाते हैं। बीज जब उगता ही नहीं है तो उसकी तो सारी मेहनत विफल हो जाती है। हमारी सरकार ने उन्नत बीज इतना गुणवत्ता का बीज सप्लाई किया है वह है विशेष अभियान सरसों में टारगेट बीस हुए, एक सौ पचास पर्सेण्ट उन्नत कृषि बीजों की जानकारी दी है, यह था मंशा कि जन-जन तक लाभ पहुंचे ।

इस सरकार ने सबसे बड़ा काम यह किया कि जल चेतना यात्रा और यह कृषि अभियान जो चलाया गया, यह सरकार ने पहला काम किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इस प्रोग्राम को पहुंचाया। उसमें कई बातों का पता लगाया कि जमीन की किस्म क्या है, यह बहुत बड़ा एक सर्वे हुआ राजस्थान में कौनसी किस्म की जमीन है, इस जमीन में कौनसा बीज काम में लिया जा सकता है और इसमें कौन-कौनसी जमीन में क्या-क्या मैन्यौर की जरुरत पड़ेगी, यह सारा का सारा इस पूरे अभियान के अन्दर जो सरकार ने चलाया। पहली सरकार ने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे कहता हूं पानी आज इतना नीचे चला गया है, मेरे नागौर जिले में तो एक हजार फुट पानी चला गया है, इतना गहरा पानी, इससे इर्रिगेशन करने में हमको बड़ी मुश्किल आती है। तो इस सरकार ने कई उन्नत बीजों को अब के बंटवाया है और पहले की सरकार के मेरे पास आंकड़े हैं, तीन गुना तो इन्होंने उर्वरक बांटा है, तीन गुना से ज्यादा इन्होंने उन्नत बीज बांटा है। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार कृषि की ओर कितना ज्यादा ध्यान देती है। कौन मना कर रहा

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

था इनको बीज बांटने में, कौन मना कर रहा था पहले वाली सरकार को कि आप अच्छा बीज मत बांटो लेकिन इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपने आपको कृषि विशेषज्ञ मानते थे।

मैं तो यह मानता हूं कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सरकार ने बहुत ही विद्वान मंत्री को जो कृषक के घर से पैदा हुआ है उसको यहां मंत्री बनाया है, उसको इस बात की चीस है, उसको इस बात की कशिश है कि मेरे विभाग में कुछ होना चाहिए । तो मैं सरकार को यह बात कहना चाहता हूं ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपने महावीरजी और नाथूसिंहजी से पूछ लिया ना ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): नहीं, उनका मामला और हो सकता है लेकिन पर्सनली जानता हूं, उनकी कुछ ग्रिवेन्सेज हो सकती हैं अलग लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि हमारा कृषि मंत्री, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस सदन में जो बैठे हैं उनमें कृषि के बारे में यदि कोई जानता है तो उनका नाम प्रभुलाल सैनी है। यहां मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं खुद एक कृषक हूं, क्योंकि इन्होंने हर बात में पेन लिया है। केवल कृषि में क्या, आपके फलों में क्या, आपके बागवानी में क्या, हर मामले में इन्होंने इन्ट्रेस्ट लिया है । इसलिए उन्होंने जो आज तक इस मामले में वृद्धि की है, आपके आंकड़ों में वृद्धि हुई है और कार्य में वृद्धि हुई है, हमको अच्छा बीज मिला इस साल, हमको अच्छा खाद मिला इस साल। इसलिए यह कौन कह सकता है कोई आदमी यह नहीं कह सकता, आप विपक्ष वाले भी यह बात नहीं कह सकते। मैं आंकड़ों से साबित कर सकता हूं कि इन्होंने बीज अच्छा दिया, अब की साल अच्छा उर्वरक दिया। खेती में दो चीजें होती हैं । एक तो अच्छा बीज और वर्षा तो भगवान के हाथ में है, इर्रिगेशन भगवान के हाथ में है। दो चीजें सरकार दे सकती है, बीज दे सकती है और उर्वरक अच्छी दे सकती है तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करने वाले तो हम हैं ।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विशेषकर कृषि विषय में अपना बहुत योगदान दिया है और यहां के कृषक उनके बहुत ही आभारी हैं। एक मेरी पर्सनल शिकायत यह है कि यह जितने भी इजरायल गये थे, मैं खुद खेती करता हूं, मैं ट्रेक्टर से खुद खेती करता हूं, मेरे करीब-करीब चार-पांच सौ बीघा जमीन है

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)
और मैं कृषि के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं लेकिन मुझे इन्होंने इजरायल नहीं दिखाया, यह तो मेरी पर्सनल शिकायत हो सकती है, मैं असली काश्तकार हूं और मैं इस बात को जानता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, पांच सौ बीघा जमीन कैसे हो सकती है सीलिंग के अन्दर ...(व्यवधान) सीलिंग से ज्यादा जमीन ले रखी है आपने, आप स्वीकार कर रहे हो यहां सदन में ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं भी उससे वंचित रह गया।

श्री सुरेश मीणा (करौली): पांच सौ बीघा जमीन किसी के हो नहीं सकती, सीलिंग में लग जाए वह जमीन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। वह मेरे पिताजी तीन पोतों के नाम पहले कर गये थे पर वह है मेरी, मैं झूंठ क्यों बोलूं मेरे पिता ने दे दी थी जमीन तो मेरे पास है, नहीं सही है, मेरे पिताजी ने तीन जगह बांट दी थी। जमीन तो बंट गई लेकिन मैं हूं आज भी उसका मैं मालिक नहीं हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कृषि के बारे में ज्यादा जानता हूं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मेरी कोई ग्रिवेंस नहीं लेकिन मैंने एक बात के हिसाब से कह दिया ...(व्यवधान) मैं कृषि मंत्री जी आपको कहना चाहूंगा, आप यहां अच्छी टेक्निक, जानकारी आप यदि ट्रेन्ड करें तो वास्तव में काश्तकारों को ट्रेन्ड करें ...(व्यवधान) मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं व्यक्तिगत रूप से ....

श्री सभापति: माइक को सामने रखें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): यह माइक मुझे छोटा पड़ता है माननीय सभापति महोदय, एनीमल हस्बैंड्री के बारे में बात करना चाहता हूं। पशुपालन के बारे में मेरा स्पष्ट कहना यह है कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान दें आज कि एक टेन्डेंसी हो गई है पूरे राजस्थान में या पूरे हिन्दुस्तान में कि यह गाय और भैंस जो हैं यह अनइकोनोमिक हैं और अनइकोनोमिक होने से आज चारा बहुत कम लोगों को मालूम है यहां के सत्तर प्रतिशत लोगों को पता नहीं कि चारे का क्या भाव है, आज लूंग आता है दो सौ रुपये मण का भाव है, कुतर भी आती है एक सौ पचास रुपये मण का भाव है अब चार पांच रुपये किलो कोई आदमी गाय को खिलाकर जिंदा रख सकता है क्या ?

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

यह या तो उसमें कट्टर धार्मिकता है वह जैसा बंशीलालजी भाई कह रहे थे वह या जिसके पास थारपारकर ब्रीड हो तो अन्यथा तो हमारी नागौरी गाय जो राजस्थान में नहीं इण्डिया का सबसे अच्छा पशुधन, जो अच्छा सबसे बढ़िया बछड़ा होता है, सबसे सुन्दर बछड़ा हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में नागौरी गाय का होता है तो नागौरी गाय का बछड़ा तो बहुत अच्छा होता है लेकिन हालत यह हो गई है कि जैसे कि हमारे यहां अभी मिर्धाजी कह रहे थे, आज नागौर का बछड़ा बिकना बंद हो गया, दो साल से एक रोक लग गयी कि इसको काटते हैं। इसलिए काटने के नाम से मैं खुद भुक्तभोगी हूं । हमारे तीन बड़े-बड़े पशु मेले भरते हैं नागौर में और यह जानकर के एक दो जने जिसको कहें साठिये हो सकते हैं बागरे हो सकते हैं लेकिन इसके नाम से एक ऐसी रोक लगा दी कि पशु वहां पर मेले में बिकना बंद हो गया। आज डेढ़ साल के टोगडी को कौन पाले, महीने का दो हजार रुपये का चारा कौन खिलाए, इसलिए वह धंधा अनइकोनोमिक हो गया। यह बहुत बड़ा बुलक जो है वह बुलक हमारा आज नाकाम हो गया।

इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। हमारे दो बड़ी-बड़ी ब्रीड है उनको डवलप करें, उसका इन्सेमीनेशन करावें, मुझे फख्र है कि हमारे मंत्रीजी ने बहुत इस साल में तीन गुणा इन्सेमीनेशन करवाया, जो पिछली सरकार के इन्सेमीनेशन हुए थे, मैं एक बात कहता हूं, आपको रोक कौन रहा था, आपने यह कार्य क्यों नहीं किया, आपके क्या सरकारी अमला नहीं था, आपके पास लैबोरेट्री नहीं थी क्या, आपके पास डाक्टर वहां अवेलेबल नहीं थे क्या, यह काम मैं अभी आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, यह काम तो आप ही करवा सकते थे, यह सरकार तिगुना काम करवा रही है। यह तो एक उपलब्धि है और एक दो गलती हो जाती है उस पर आप लोग इतना इसको एक्सपोज करके कहते हैं । एक घर की हमारी अर्द्धांगिनी है हमारी औरत यदि खाना बनाती है और पन्द्रह फुलके अच्छे बनाती है और यदि एक फुल्का जल जाए भूल से अनजाने से तो क्या उसको यह कहना चाहिए कि तू तो +++ है, तू नालायक है, तेरा खराब है, यह कोई बात हुई, एक छोटी सी गलती से छोटी सी चीज को इतना बड़ा हाइलाइट करके आप यह कहते हैं जैसे कोई उपलब्धि हो ही नहीं। यह उपलब्धि तो आपके सामने है, इतने बुलक आये, इतने इन्सेमीनेशन हुए, इतना कास्टेशन हुआ, इतना इनोकुलेशन हुआ, यह आपके सामने है। आपके पास तो सारी बुक्स सामने हैं।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और मंत्रीजी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनकी मानीटरिंग बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार की मानीटरिंग बहुत बढ़िया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैं डवलपमैंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं डवलपमैंट विभाग जो है उनके मंत्री हमारे बड़े सजग हैं। आज तक कई मामलों में इतना पैसा लगाया। जैसे आज बीपीएल में, हमारे बीपीएल की सेंट-परसेंट उपयोगिता है, रोजगार गारंटी की उपयोगिता है। मैं ज्यादा आंकड़ों में इस सदन को नहीं उलझाना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज पंचायत राज का जो ढांचा है, थोड़ा उसको आपको आधारभूत सुधारना पड़ेगा। आज पंचायत राज ढांचे में मैं जो सबसे बड़ी कमी देख रहा हूं, हर पंचायत समिति में ग्राम सेवक कम हैं, ग्राम सेवक ऐसे आ गये, कोई तो फोरेस्टर आ गया, कोई नाकेदार आ गया, कोई चुंगीदार आ गया जिनको पंचायत राज की और डवलपमैंट की ए. बी. सी. का पता नहीं और पंचायत के नियमों का पता नहीं जो पंचायत का सैक्रेटरी बना बैठा है और स्थिति यह हो गयी है कि वहां ग्राम सेवक नहीं होने से, वहां ग्राम सेवक आठ आठ-दस-दस कम होने की वजह से पंचायत राज पंगु हो गया है। आप इसमें विशेष ध्यान दें।

मैं मुख्य मंत्री होती तो निवेदन करता, आपने पटवारियों की संख्या बढ़ाई है, आपने फोरेस्टर की संख्या बढ़ाई है, आपने सिपाही की संख्या बढ़ाई है, आपको ग्राम सेवक जो हैं बहुत ज्यादा लेने चाहिए थे, ग्राम सेवक के बिना पंचायत नहीं चलेंगी। एक-एक ग्राम सेवक को चार-चार पंचायतें, अलाटमैंट वह कुछ कर नहीं सकते और वह बिलकुल अनभिज्ञ हैं इसलिए पंचायतें पंगु हुई हैं। मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं 18 साल प्रधान रहा हूं, मुझे मालूम है कि पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति में 73वें संशोधन करने के बाद आपने यह पंचायत समिति के मैम्बर बनाये एक पंचायत समिति का सदस्य तीन-चार पंचायतों में से बनता है और उसको आप क्या देते हो, फाइनेंशियल खर्चे के लिये क्या अधिकार है उसको ? 70,000 रुपये। बहुत कम है। आज जिला परिषद् का सदस्य जिसके कम से कम दस पंचायत होती है वह आधी विधान सभा के वोटर्स के वोट लेता है। उसको एक लाख देते हो या डेढ़ लाख रुपये देते हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं चलेगा। इससे पंचायत राज पंगु हो जायेगा। पंचायत राज संस्थाओं को अपने को मजबूत करना पड़ेगा। पंचायत राज संस्थाएं हमारी

स्तम्भ हैं। पंचायत राज, ठेठ पंचायत राज यदि इनकी सहभागिता होगी, आज पंचायत का वार्ड पंच तगड़ा होगा, यदि पंचायत राज का सरपंच तगड़ा होगा, यदि प्रधान और जिला परिषद् के सदस्य तगड़े होंगे तो आपका पंचायत राज सुदृढ़ बनेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें। यह ध्यान रखने की बात है। इनके मानदेय बढ़ाने की कृपा करें। क्योंकि आप म्युनिसपेलिटी के मैम्बर को जो मानदेय देते हो, मानदेय देते हो उससे आधा पंचायत समिति सदस्य को देते हो। जिला परिषद् की तो बात ही नहीं कर रहे हो आप।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं विकास के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन निवेदन मेरा इतना ही है कि हमारी योजनाएं बहुत सफलतापूर्वक हैं। हमारी राजस्थान सरकार हर मामले में आगे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्थान दो साल में, कहते हैं कि यह तो एक उदाहरण ही है दो साल में तो हम आपको बहुत करके दिखायेंगे। सरकार किसको कहते हैं वह साबित हो जायेगा। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता को आगे ले जायेगी। हर समूह को, हर व्यक्ति को, हर पंगु को, हर लूले को, हर बच्चे को, हर लड़की को, हर बुड्ढे को, हर परित्यक्ता को, सरकार ने किसको नहीं टच किया है ? सरकार ने बहुत कुछ काम किया है और सरकार बहुत काम करेगी। आपने मुझे मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने +++ शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिये किया, वह बहुत अशोभनीय, असंसदीय है। कृपया उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हम लोग कहते हैं। गुस्से में औरतों को कह देते हैं ... (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): नहीं, वह आप जैसे भद्र पुरुष, इतने पढ़े-लिखे एज वाइज सीनियर स्त्रियों के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इस मातृ शक्ति का क्या होने वाला है यह बताइये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): गांव में बहुत कहते हैं, अब उसको क्या कहो, यह तो उनकी भाषा है। वह तो सिर्फ बात है। स्त्रियों को जानते हैं हम ... (व्यवधान) वह तो इकरार नहीं है यह तो भावना की बात है।

श्री सभापति: अगर इस प्रकार का शब्द आया है तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। माननीय श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के लगभग 70 प्रतिशत जनता से जुड़े हुए लोगों की मांग संख्या-37-कृषि, मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और मांग संख्या-39-पशुपालन के संबंध में चर्चा में शामिल होते हुए कुछ सुझाव राजस्थान के इस पवित्र सदन में रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री महोदय को कि राजस्थान में आयी इस आपदा की घड़ी के अन्दर किसान की भावनाओं को समझते हुए, किसान की पीड़ा को समझते हुए व किसान के दु:ख-दर्द को समझते हुए इतनी शीघ्र राजस्थान में पहली बार एक विशेष पैकेज ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए दिया। उस किसान के लिए दिया जिसकी चिन्ता कोई नहीं करता। इसलिए मैं इस पवित्र सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदया और कृषि मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज के समय के अन्दर हो सकता है कि किसान की पीड़ा से संबंधित सभी माननीय सदस्य चर्चा करेंगे लेकिन यह चर्चा इसी सदन तक बन कर नहीं रह जाए उस चर्चा की सकारात्मक रूप से क्रियान्विति होना भी नितान्त आवश्यक है। पूरे भारतवर्ष के अन्दर हरित क्रांति के नाम पर उत्पादन बढ़ाने का एक अभियान चला। उस अभियान के तहत सभी किसान उत्पादन बढ़ाने में अपनी शक्ति समर्थ रूप से लगाते हुए और रासायनिक खादों का जिस तीव्र गति से उपयोग करते हुए, आज हमने उत्पादन के क्षेत्र में तो काफी वृद्धि कर ली लेकिन उस उत्पादन की वजह से मनुष्य के जीवन के ऊपर जो साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं उनके बारे में भी हम सबको चिन्ता करनी चाहिए। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मनुष्य का जीवन सुरक्षित रह सके इसलिए जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए सरकार भी विशेष रूप से जितना मैं समझता हूं अभी तक जो घोषणा की है जैविक खेती में वृद्धि के लिए वह नितांत कम है। जैविक खेती में वृद्धि के लिए अलग से योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तरफ जो भी व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार करने से पहले वह आकलन करता है कि मैं जिस चीज का व्यापार कर रहा हूं उस व्यापार के अन्दर नफा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मात्र किसान ऐसा है जो जुए का काम करता है। जिसको खुद को पता नहीं रहता कि मैं जो खेती करूंगा उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं जो खेती कर रहा हूं उस खेती के अन्दर क्या मैं सुरक्षित रूप से इस फसल को मंडी तक बेचने का काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस अप्राकृतिक रूप से प्रकृति के प्रकोप की वजह से जब तक मंडी के अन्दर बेचान नहीं कर देता अपनी फसल का तब तक उसको चैन नहीं मिलता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमेशा छह महीने का कठिन परिश्रम करके जब किसान पूरे परिवार की शक्ति लगाते हैं, खुद अकेला मेहनत नहीं करता, उसकी पत्नी खेत के अन्दर मेहनत करती है। उसके बच्चे खेत के अन्दर मेहनत करते हैं और छह महीने के कठिन परिश्रम के बाद वह मंडी के अन्दर अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है या अपनी छह महीने की कठिन परिश्रम से तैयार की हुई सब्जी को बेचने के लिए जाता है तो किसान की दयनीय हालत उस समय होती है कि छह महीने के कठिन परिश्रम के बावजूद भी अपनी मनमर्जी का भाव नहीं ले सकता। मंडी के अन्दर व्यापारी के द्वारा जो भाव लगाया जाता है किसान की मजबूरी होती है कि उस फसल को, उस सब्जी को उसी भाव में बेचना पड़ता है। पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्री महोदय को कि किसान की पीड़ा को समझते हुए राजस्थान में दो पैक-हाउस जो एक मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमू में भी बन रहा है। किसान को मजबूरी में अपनी सब्जी बेचने की आवश्यकता नहीं है। मंडी में व्यापारी कहता है कि आप तो टमाटर एक रुपये किलो में बेचोगे क्या? तो उसे मजबूरी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। आज किसान यह कहने का हकदार है कि मैं मेरे टमाटर या प्याज चाहे दो महीने बाद बेच दूंगा जब मेरे को उचित मूल्य मिलेगा उस समय बेच दूंगा। किसान के प्याज, टमाटर व सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए पैक-हाउस का निर्माण चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह किसानों के सपनों को साकार

(श्री रामलाल शर्मा)

करेगा और उसको फसल मजबूरी में बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार इस राजस्थान की सरकार ने जिंस के ऊपर आधारित विशेष मंडियों का प्रोविजन किया है। लगभग 16 मंडिया पूरे राजस्थान में हैं। चाहे वह टमाटर की मंडी हो। चाहे वह प्याज की मंडी हो। चाहे वह आंवले की मंडी हो। चाहे वह जीरे की मंडी हो। पहली बार पूरे भारतवर्ष से व्यापारी आकर विशेष मंडियों के अन्दर अपनी खरीद कर सकें। इसका लाभ भी आज किसान को उचित मूल्य मिले, यह मिल रहा है। आज पहली बार और माननीय सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की है कि किसान के साथ हमेशा धोखा होता है। नकली बीज लाने की वजह से। चार-पांच महीने की उसकी कठिन परिश्रम की फसल, कठिन मेहनत से तैयार की हुई फसल बरबाद होती है। इसलिए मैं आपको इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को उचित व प्रामाणिक बीज मिल सके, ताकि उसको कोई धोखा नहीं हो इसलिए जो भी लोग किसान के साथ धोखा करने की कोशिश करें उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही नितांत रूप से करें।

माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। किसान कल्याण कोष के अन्दर खेत में काम करता हुआ यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से चाहे विकलांग हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे कोई दुर्घटना हो तो किसान कल्याण कोष में उसको सहायता देने का प्रावधान है। किसान जो एग्रीकल्चर भूमि के अन्दर झोंपडी बनाकर रहता है वह भी किसान से जुडा हुआ है। दुर्घटना हो सकती है। किसान के खेत के अन्दर झोंपड़ी बनी हुई होती है। उस झोंपड़ी में आग लगती है, सरकार के द्वारा मात्र पांच सौ रुपये उस अग्नि कांड पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर दिये जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को भी किसान कल्याण कोष के दायरे में लाकर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जो गरीब है उसी के खेत के अन्दर झोंपड़ी रहती है। अमीर आदमी के झोंपड़ी नहीं रहती इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कृषि कल्याण कोष के अन्दर अग्नि पीड़ित व्यक्ति को मदद के दायरे में लाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने किसान महोत्सव के माध्यम से लगभग लाखों किसानों को इस अभियान से जोड़ा है, पानी बचाने के लिए भी, जल संरक्षण के लिए

(श्री रामलाल शर्मा)

भी। इस अभियान से जाग्रति फैलाने के लिए काफी लोगों को लाभ मिला है। इस अभियान के दौरान जिन किसानों को विभाग के द्वारा एक पम्पलेट दिया गया था उस पम्पलेट में यह उल्लेख था उस पम्पलेट में यह लिखा था कि किसान यदि ड्रिप इर्रिगेशन के संयंत्र को अपनायेगा या फव्वारा पद्धति के संयंत्र क्रय करेगा तो उन्हें फिक्स सब्सिडी देने की बात की गयी थी जो पम्पलेट में उल्लेख किया गया था। उस पम्पलेट में लिखा गया था कि किसान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा खरीदा गया यंत्र चाहे कितने ही मूल्य को उसके लिए एक फिक्स सब्सिडी दी जायेगी। जब किसानों के द्वारा उन फव्वारों के सैटों की या ड्रीप इर्रिगेशन के सैटों का क्रय किया गया तो बाद में किसानों को कहा गया कि सरकार के मापदंड के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। जो पम्पलेट में घोषणाएं सरकार के द्वारा की गयी थी, उस घोषणा की पालना कम से कम उन किसानों को जरूर करें क्योंकि उन्होंने पम्पलेट देखकर के उसका क्रय किया था।

सभापति महोदय, एक बात और है कि आज राजस्थान में कुछ मंडियां ऐसी हैं, आज कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात रखने का प्रयास किया था। सरकार की यह मंशा रही है कि किसान को जो आढ़त के रूप में 6 प्रतिशत राशि दी जाती थी उसमें 3 प्रतिशत कमी की गयी है। सरकार की मंशा भी किसान को लाभ पहुंचाने की रही है। लेकिन कुछ मंडियां राजस्थान में ऐसी हैं जहां पर किसान से कोई आढ़त नहीं ली जाती। मात्र व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं उनसे ही आढ़त ली जाती हैं। उनमें मेरी चौमूं मंडी भी एक है, जहां पर किसान से कोई आढ़त नहीं ली जाती है। सिर्फ व्यापारियों से ही आढ़त ली जाती है। इसलिए कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन मंडियों में किसानों से आढ़त नहीं ली जाती है उन मंडियों में आर्थिक रूप से सक्षम वह व्यापारी बनी रहें, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, उनसे 6 प्रतिशत ही यदि आढ़त रखी जाती है तो मैं समझता हूं कि उनके साथ उचित रहेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को एक परिपत्र पंचायत राज विभाग द्वारा दिया गया, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सी.सी. रोड का निर्माण किया जाता है, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं रहती हैं। पंचायतों के पास ऐसे संसाधन नहीं रहते जिसकी वजह से यह सड़कें

(श्री रामलाल शर्मा)

ठीक से नहीं बनती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की काफी समस्या रहती है, रास्तों में गंदा पानी भरा रहता है, उस गंदगी को दूर करने के लिए सी.सी. रोड ही बनना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार द्वारा सी.सी. रोड़ बनाने पर जो रोक लगायी है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अविलम्ब उन रोक को हटायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ गांव बन सकें उसके लिए सी.सी. रोड बनना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, ज्यादा कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रासायनिक खादों का उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है, उनका मनुष्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वह जितनी जल्दी हो सके उसको रोकने का प्रयास हम करें। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): सभापति महोदय, मैं आज हाउस में जो मांग संख्या 28, 37 और 39 पर चर्चा हो रही है, यह तीनों ही मांगें ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। कृषि, पशु पालन और ग्रामीण विकास यह आपस में संबंधित मांगें हैं। सरकार ने इसके लिए जो राशि मांगी है वह भी काफी बड़ी राशि है। सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास के लिए, कृषि के लिए, पशु पालन के लिए काफी प्रावधान किये हैं। उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, लेकिन इतना बजट लगाने के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि गांव के लोगों का जिनमें ज्यादातर खेतीहर भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, उनका आज शहरों में मेला लगता है। गांव के लोग रोजाना विवश होकर, मजबूर होकर शहरों में आकर के रोजी-रोटी की तलाश करते हैं। अगर जो सुविधाएं शहरों में हैं वही सुविधाएं अगर गांवों में क्रिएट कर दी जायें तो गांव के लोग यहां आकर के सड़कों पर मेले नहीं लगायें। यह हमारे प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है। आज हरियाणा और पंजाब का काश्तकार शहरों में आकर के मेले नहीं लगाता। शहर के लोग आज हरियाणा और पंजाब के गांवों में जाकर के बसना चाहते हैं और यहां सारा का सारा उलटा हो रहा है, इसलिए कि जिन साधनों की जो कि विकास के आधार हैं उनकी गांवों में आज भी नितांत अभाव है।

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विकास की सबसे बड़ी सीढ़ी तो शिक्षा है। गांव में आज 20-20 साल से प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं वह मिडिल नहीं हो रहे हैं, 15-15 साल से जो स्कूल मिडिल थे वह दसवीं के नहीं हो रहे हैं। जो दसवीं के थे वे बारहवीं के नहीं हो रहे हैं और टेक्निकल शिक्षा का तो नामो-निशान नहीं है।

श्री सभापति: आज शिक्षा की डिमांड नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण विकास के जो आधार हैं, उनका गांवों में नितांत अभाव है। जब तक वह आधार मजबूत नहीं किये जायेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तब तक गांवों का सही विकास नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, पहले तो जैसा माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिये थे, मैं भी सुझाव देना चाहूंगा कि गांवों में एकमात्र खेती की पैदावार है और वह पैदावार भी हम ले जाकर दूसरों के दरवाजों के आगे डाल देते हैं और अगला एक, दो और तीन कहकर के यतीम के माल की तरह से उठा ले जाता है। उसकी कोई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। आप बतायें कि विकास कैसे होगा। किसान की खुदकुशी कैसे रूकेगी। किसान जो आज समाज का सबसे गरीब तबका है। वह ऊपर उठकर के वहां तक कैसे आये, जब किसान की अच्छी फसल होती है तो भाव नीचे चले जाते हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा और जब बुरी फसल होती है तो उसे मिलता ही क्या है। रोजगार के सारे के सारे साधन शहरों में क्रिएट किये जाते हैं। गांवों में नहीं किये जाते हैं। आज के दिन कारखाने लगाने में गांवों में क्या दिक्कत है। लेकिन कारखाने भी शहरों में लगते हैं। सेज में जो इनवेस्टमेंट किया जाता है वह भी शहर के नजदीक किया जाता है, क्यों नहीं गांवों के साथ जो बंजड़ भूमि पड़ी है और जो भूमि काबिले काश्त नहीं है, ऐसी भूमि पर सेज का काम क्रिएट किया जायेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पिछड़े हुए इलाकों में इनवेस्टमेंट भी बढ़ेगा। सुविधा भी बढ़ेगी तो उन इलाकों का विकास भी हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार का अभी तक वह दृष्टिकोण नहीं है कि गांवों को आगे लेकर जायें। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि जो साधन-सुविधाएं उद्योगों को दी जा रही हैं, वही साधन-सुविधाएं खेती को क्यों नहीं उद्योग मानकर के दी जा रही हैं। वही साधन-सुविधाएं डेयरी को उद्योग मानकर क्यों नहीं दी जाती हैं। कृषि पैदावार की कीमत भी औद्योगिक आधार पर क्यों नहीं तय की

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

जाती। आज फैक्ट्री से माल निकलता है उस आधार पर उस माल की जो कीमत तय की जाती है वही अगर खेत से पैदावार आती है, उसी आधार पर अगर उसकी कीमत तय की जाये तो किसान गरीब नहीं रहेगा। गांव के विकास को कोई रोक नहीं सकता है, सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय हमारे उप कृषि मंत्रीजी खुद किसान भी हैं, इनको सारी बातों का मालूम भी है। लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, आवाज भी नहीं उठा रहे हैं और इसलिए किसान दबता जा रहा है एवं पिछड़ता जा रहा है। किसान खुदकुशी के कगार पर खड़ा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बहादुर सिंहजी, गोदारा साहब, सवारियां चैक करने के बाद इनकी सोने की पुरानी आदत है ...(व्यवधान) मैंने कहा सवारियां चैक करने के बाद सोने की इनकी पुरानी आदत है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को पूरी कीमत मिले। आज किसान को सरकार मजबूर कर रही है।

कृषि पैदावार की बीमा पॉलिसी बनाई और किसान से इण्डीविजुअल किश्तें ली जा रही हैं और तहसील को इकाई मानकर उसको हर्जाना दिया जाता है। क्यों नहीं जब एक किसान से किश्तें ली जा रही हैं, उसी किसान को इकाई मानकर नुकसान का हर्जाना क्यों न दिया जाए। आज जब मोटर साइकिल का बीमा हो सकता है, कार का बीमा हो सकता है, छोटे से कारखाने का बीमा हो सकता है तो खेत का बीमा क्यों नहीं हो सकता, जिस तरह से उनको क्लेम दिया जा सकता है तो उसी तरह से काश्तकारों को क्लेम क्यों नहीं दिया जा सकता? लेकिन इसलिए कि काश्तकार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, ग्रामीण विकास के नारे जरूर लगाते हैं, किसानों के नारे लगाते हैं लेकिन किसान की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है, न इस सरकार का गया न उस सरकार का गया।

मैं इस साल तो कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सौ रुपए गेहूं पर बोनस देना तय किया है। हमारी सरकार को भी पचास-सौ रुपए बोनस देना चाहिए था एक क्विंटल के ऊपर ताकि किसान को अच्छी कीमत मिले और इस बढ़ती हुई महंगाई में कुछ तो अपनी पैदावार से पैसा लेकर आए और अपनी रोटी-रोजी का जुगाड़ बिठा सके।

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

किसान का खर्चा पूरा नहीं होता। पुराने वक्त में तो एक बात और थी कि किसान को जमीन अलोट हो जाती थी, सस्ती अलोट हो जाती थी और आज अगर एक किला जमीन खेती में जोड़ने के लिए किसान खरीदता है तो लाख रुपए लगते हैं और उसका ब्याज भी घर वाले मेहनत करते हैं, खर्चा लगाते हैं उसके बाद भी उस रकम का ब्याज नहीं उतरता है, उस पैदावार से किसान निरन्तर घाटे में जा रहा है, इसलिए किसान का यह घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने कारखानों को छूट दे रखी है, सुविधाएं दे रखी हैं, वे सारी की सारी सुविधाएं किसानों को भी दी जाएं, खेती को भी दी जाएं, डेयरी को भी दी जाएं। आज बड़े-बड़े कारखाने लग रहे हैं वह कारखानेदारों के पैसों से नहीं लग रहे हैं, उसे पैसा देने वाली एजेंसियों के मार्फत सुविधाएं दी जा रही हैं इसलिए इतने बड़े कारखाने लग रहे हैं। किसान के अगर एक गाय टळ जाती है और उसे धीणे की आवश्यकता होती है तो वह दूसरी गाय नहीं खरीद सकता है। अगर वही सुविधा किसान को मिल जाए तो किसान के घर में भी पशु की कमी नहीं आएगी किसान के घर भी साधनों की कमी नहीं आएगी।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ जो चूरू से आते हैं वह जानते हैं कि हमारे यहां एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो राजस्थान के बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोक सकता है और अकाल से भी हमारा पीछा छुड़ा सकता है। मैं मेरे गांव में एक किसान के यहां बैठने के लिए गया था। उसने कहा कि बहादुरसिंहजी, अकाल पड़ता नहीं, अकाल गेरते हैं, मेरे खेत में 132 क्विंटल लूंग हुई है, इस भयंकर अकाल में न साढ़ी बीजी गई न सावणी बीजी गई और 132 क्विंटल लूंग में से मैंने 100 क्विंटल लूंग 40 हजार में बेच दी, 32 क्विंटल लूंग मैं कुछ और कचरा मिलाकर अपने दो-तीन पशु जीवा दूंगा। अगर इसी खेजड़ी को काश्तकारों को प्रोत्साहन देकर रो में लगाया जाए तो न तो कल्टीवेशन में दिक्कत आएगी और रेगिस्तान बढ़ने देगी, न हरियाली में कमी आएगी, न चारे में कमी आएगी। आज हमारी खेजड़ी की लकड़ी एक कॉमर्शियल लकड़ी बन गई है। यह केवल जलाऊ लकड़ी नहीं है। आज इसकी लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर विदेशों में जाकर सागवान की लकड़ी की कीमत के बराबर बिक रहा है। खेजड़ी में जो एक कमी होती थी कि इसके कीड़ा लगता था, बीध जाती थी इसलिए यह लकड़ी काम में नहीं आती थी लेकिन आज अगर इसे भाप में पका लिया जाए, इसके ऊपर केमिकल लगा दिया जाए

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

तो यही खेजड़ी की लकड़ी सागवान की लकड़ी के बराबर हो जाती है और उसी से बना हुआ फर्नीचर आज पूरे विश्व के अन्दर जा रहा है। हमारे रामगढ़ शेखावाटी के पास जो बड़े कारखाने लगे हुए हैं उनमें यह हमारी लोकल लकड़ी काम आती है और उनसे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से इस बात के लिए भी अनुरोध करूंगा कि इस कल्प वृक्ष को आप बढ़ाएं, खेतों के अन्दर रो में लगाएं, न चारे की कमी आएगी, न हरियाली की कमी आएगी, न ईन्धन की कमी आएगी और यह आपको कॉमर्शियल लकड़ी भी मिलेगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केवल बजट पास करवाने से काम नहीं चलेगा, किसान को भी वही सुविधाएं दी जाएं जो आपने कल कारखाने वाले लोगों को दे रखी हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन से सम्बन्धित मांगों पर आज सदन में चर्चा हो रही है और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, अपने महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। नवें दशक में जब उन्होंने देश का नेतृत्व सम्भाला तो उनके रूप में एक 21वीं सदी का ऐसा स्वप्नदृष्टा देश को मिला जिसने हर विषय को छूने की कोशिश की। आप, हम और पूरे देश की जनता जानती है कि चाहे नई शिक्षा नीति का मसला हो, चाहे नवोदय विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं का मसला हो, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के कानून का मसला हो, चाहे राष्ट्रीय युवा नीति का मसला हो, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि देश को एक नई दृष्टि से सम्पन्न किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास की मांगों पर चर्चा जिसके क्रियान्वयन का दायित्व हमारा पंचायती राज विभाग निभाता है और जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह कहा था कि मैं गांवों के विकास के लिए एक रुपया भेजता हूं लेकिन पन्द्रह पैसे ही वहां तक पहुंचता है। आज जिस ढंग से

(श्री संयम लोढ़ा)

सदन में हमारे कुछ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य शेम-शेम की बात कह रहे थे, उस वक्त भी जब राजीव गांधी ने यह बात कही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह बात उन्होंने प्रधान मंत्री रहते हुए कही थी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह एक आदमी की ऐसी ईमानदार कोशिश थी जो व्यवस्था परिवर्तन करके देश के वास्तविक आदमी तक इन योजनाओं, इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता रखता था और इसीलिए माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी की पहल पर 73वां संविधान संशोधन विधेयक देश की संसद में रखा गया, वह लोक सभा में पारित हो गया, राज्य सभा में चूंकि कांग्रेस का बहुमत नहीं था, उस वजह से गिर गया और वह लागू नहीं हो सका लेकिन 1991 में जब कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनी तो अपने नेता दिवंगत स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वह संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।

माननीय सभापति महोदय, यह राजीव गांधी की सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बहुत ईमानदार कोशिश थी। वह गरीब तबका, दलित वर्ग का आदमी, आदिवासी वर्ग का आदमी, पिछड़ी जातियों का आदमी, महिलाएं, ये सारे लोग जो सैकड़ों सालों से निर्णय में भागीदारी की प्रक्रिया से अलग बने रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी ने उन सारे लोगों को निर्णय की प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश की।

माननीय सभापति महोदय, हम आज जिस सोशल ऑडिट की बात करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण के मुद्दे पर आज अगर सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री अपने बजट भाषण, अभिभाषण और इससे पहले प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करते हैं, वह सोशल ऑडिट राजीव गांधी के उसी वक्तव्य का नतीजा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आज एक रुपया भेजता हूं और पन्द्रह पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): राजीव गांधी-राजीव गांधी यह गाने बंद करो, बोफोर्स था ईमानदारी का पुतला।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राजीव गांधी के नाम पर इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना चाहता हूं। देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ग्रामीण विकास मंत्री वैंकेया नायडू जिन्होंने 2003 में नई दिल्ली में देश भर के पंचायतीराज मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भाषण दिया और यह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों का विकेन्द्रीकरण स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया, यह रिकार्ड पर है। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी गौहाटी में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किया और यह निर्देश दिये ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा संरक्षण प्रदान करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बैठकर यहां पर कमेंट पास न करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और उसका नतीजा था, माननीय सभापति महोदय, आप भी इसी सदन में थे, दो दिन का विशेष सत्र 2003 में इस सदन में बुलाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार सम्पन्न कैसे बनाया जाए और आम जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास में आम जनता की भागीदारी को कैसे बढाया जाए। उस दो दिन के सम्मेलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो ग्यारहवीं सूची में 19 विषय दिये गये हैं उनके अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिये। इसके संबंध में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने 19 जून, 2003 को आदेश जारी कर दिये थे।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भावनाओं के, सपनों के अनुरूप काम नहीं कर रही है और उसी का नतीजा यह हुआ कि इस सरकार के शासन में आते ही 15 जनवरी, 2004 को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी करके 19 जून, 2003 को पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार दिये गये थे उसमें से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री, जो इस सरकार के सबसे अधिक खैरख्वाह बने हुए हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के हस्तांतरित अधिकारों को संबंधित विभागों को वापस सौंप दिया। यह फैसला

आपने किया। दूसरे जिन विभागों के संबंध में अधिकार दिये जाने चाहिए थे इन सवा तीन साल में उन अधिकारों को देने के लिए रिकार्ड पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसी लुंज-पुंज हालत के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को छोड़ दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 19 जून, 2003 को यह आदेश जारी किया गया था, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूपेण पंचायती राज संस्थाओं के अधीन, खण्ड शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जिला परिषद के अधीन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा जिला परिषद के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। हस्तांतरित अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं 17 सीसीए के तहत कार्यवाही करने के अधिकार पंचायत समिति, जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति में निहित होंगे। शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही जिला परिषद की स्थायी समिति के माध्यम से होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कब का है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 19 जनवरी, 2003 का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 19 जनवरी, 2003 के साथ 8.9.2003 का आदेश पढ़कर सुना दें जब आपने आदेश वापस लिए हैं। आप इन संस्थाओं को दंतहीन करके ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 8.9.2003 के आदेश को आप टेबल कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 8.9.2003 को आदेश वापस लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप टेबल कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, टेबल कर दूंगा। आप यों ही चेप रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कर देना, यों ही नहीं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने वापस लिये। आपने आदेश एक हाथ से दिये, दूसरे हाथ से सी पी जोशी साहब ने दबाव बनाया, अशोक गहलोत ने वापस लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो पंचायती राज मंत्री था। आपको याद है 2003 में मैं पंचायती राज मंत्री था या नहीं था, ऐसे ही कपोल कल्पित बात करके इस राज को डुबोओगे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं टेबल कर दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री को ऐसी राय देते हो। आप डुबोने का काम करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने पंचायती राज संस्थाओं को झुनझुना पकड़ाने का काम किया था माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्री को ...(व्यवधान) बनाकर भारतीय जनता पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं तो ये मंत्री कर रहे हैं, और कोई मंत्री नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जब राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो राजस्थान के मुख्य मंत्री को गुमराह करके किसी ने कमजोर किया तो राजेन्द्रजी राठौड़ ने किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक तरफ आदेश देते हो दूसरी तरफ आदेश वापस लेते हो। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब को पीड़ा हो रही है, मैं आपकी सरकार का एक और आदेश पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं से अध्यापकों के स्थानान्तरण और भर्ती के अधिकार वापस लेने के संबंध में क्या आदेश आपकी सरकार ने जारी किये हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 31.5.2005 के पैरा 5 के अनुसार पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण के अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को दिये गये। 2005 में तो सीपी जोशी साहब नहीं थे, आप ही थे, ये मुख्य मंत्री ही कार्मिक मंत्री भी हैं, उन्हीं के फाइल पर दस्तख्त से आदेश निकले हैं, पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों का गला घोंटने का काम इसी मुख्य मंत्री ने किया है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, पांच साल के राज के अंदर अध्यापक कितने नियुक्त किये? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 1500 राजीव गांधी स्कूल एक सिंगल कलम से खोली हैं। (व्यवधान) बातें कर रहे हो खामख्वाह आप।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ये प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): शिक्षा का स्वरूप बिगाड़ दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): स्वरूप आपने बिगाड़ा है जो बीजेपी में आना पड़ा आपको कांग्रेस से। हमारा स्वरूप नहीं बिगड़ा, आपको आना पड़ा इधर।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपने आते ही शिक्षा का स्वरूप बिगाड़ दिया। नींव को वापस मजबूत करनी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत जो शिक्षकों की भर्ती का अधिकार जिला परिषद की स्थापना समिति को दिया गया था इस सरकार ने भी उसको वापस लेकर आरपीएससी को सौंप दिया। एक के बाद एक फैसले इस सरकार ने ऐसे किये हैं जिसके माध्यम से राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का गला घोंटने का काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार ने अपनी वार्षिक योजना के आकार को लेकर एक ऐसा वातावरण बनाने की चेष्टा की है, लेकिन उसकी असलियत क्या है ..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका आधार क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो अपने आधार की चिन्ता करें जो पूरे राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मंत्री नहीं थे तब और अब मंत्री बनने के बाद 15 किलो वज़न बढ़ा है और 15 किलो राठौड़ साहब का बढ़ा है। पता है या नहीं, सब रिकार्ड है यहां पर। बातें कर रहे हैं आप।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री बनने के बाद 8 किलो वज़न कम हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अगर मेरा एक किलो भी बढ़ा हो तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं।

श्री सभापति: आपका वेट बढ़ा या कम हुआ या इनका वज़न बढ़ा, इससे कोई लेना-देना नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका वज़न नहीं बढ़ा तो फिर इतना हल्ला-गुल्ला आपके मिनिस्टर कैसे कर रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य: आपका कद बढ़ गया, वज़न नहीं बढ़ा। कद बढ़ गया।

श्री सभापति: आप वेट बढ़ने से सदन का समय खराब मत कीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इनका वेट घटा दो, सरकार अच्छी चलेगी। आपकी भावना व्यक्त कर रहे हैं हम तो। इनका वज़न कम करें, सरकार ठीक चलेगी, इनके वज़न से सरकार डूब जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हो सकता है इनका शारीरिक वज़न नहीं बढ़ा हो, पर अदृश्य वज़न जरूर बढ़ गया है।

श्री सभापति: आप कनक्लूड करें दो मिनट में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या दो मिनट में? मेरी पार्टी का टाइम है, मैं बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, आज ये पहली बार बोलते हुए मुस्कराये। आज पहली बार मुस्कराये हैं, इनकी मुस्कान देखें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, 2007-08 के बजट प्रावधान के संबंध में मैं एक बिन्दु आपको पढ़कर सुना रहा हूं ग्राम विकास का। आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों पर जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2006-07 में उसका बजट एस्टीमेट 1146.41 करोड़ था और 2007-08 में यह घटकर 1169.86 करोड़ रह गया। इसी तरह से आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों पर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्राम विकास का बजट एस्टीमेट 2006-07 का 211.53 करोड़ था 2007-08 के बजट एस्टीमेट में घटकर 139.50 करोड़ हो गया है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का सोच और इस सरकार का विचार गांवों के विकास के प्रति क्या है वह दर्शाने के लिए बहुत पर्याप्त है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हिन्दुस्तान की जनता को पहली बार एक क्रान्तिकारी अधिकार मिला कि जब

(श्री संयम लोढ़ा)

भारत की संसद ने रोजगार गारण्टी का अधिकार कानून पारित किया और राजस्थान के छह जिलों को उस योजना में सम्मिलित किया गया और उनके माध्यम से उनको लाभान्वित किये जाने की चेष्टा की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उस योजना में आज 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मजदूर से काम लिया जा रहा है जो कि टाइम बेस्ड है 9 से 5 बजे तक। मजदूरी क्या दी जा रही है टास्क बेस। यह सरकार दोनों प्रावधान लागू करके राजस्थान के उन लाखों मजदूरों का शोषण कर रही है जो टाइम बेस के आधार पर तो उनसे हाजिरी लेते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक और टास्क बेस पर पेमेंट कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस कानून की भावना के ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सभापति महोदय, यह रोजगार गारण्टी कहां से आयी?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): केन्द्र से आयी और ये लागू कर रहे हैं। आपके नोर्म्स ही परेशानी कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप बिराजें, मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आज उसी का नतीजा है, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) हाजिरी ले रहे हैं उनकी और टास्क बेस के आधार पर पेमेंट करके 25 रुपये से कम, 20 रुपये से कम, 30 रुपये से कम राजस्थान के लाखों मजदूरों का शोषण करने का काम यह सरकार कर रही है और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी डींगें हाकते हैं हम देश के अन्दर फलां नम्बर पर चल रहे हैं । आपके फीगर बता रहे हैं कि इस पूरे साल के अन्दर सौ दिन का रजिस्ट्रेशन तो आपके पास है 15 लाख 13 हजार 739 लोगों को जॉब कार्ड आपने दिये हैं, आपसे काम मांगा है 11 लाख 45 हजार 985 लोगों ने और आपने पूरे सौ दिन काम कितने लोगों को दिया है, मात्र 3,62,313 लोगों को सौ दिन पूरे काम दिया है, मतलब उन 6 जिलों के अन्दर 15 लाख के आवेदन करने के बाद भी सौ दिन आप लोगों को काम पूरा उपलब्ध नहीं करा सके और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा असंवैधानिक काम राजस्थान की सरकार ने इस रोजगार गारंटी योजना से कर रही है, भारत सरकार ने पिछले साल फरवरी महीने में 23 करोड़ रुपये इनको दे दिये, 2 हजार कर्मचारियों को रोजगार गारंटी योजना में

काम के लिए भर्ती करो। माननीय सभापति महोदय, उन दो हजार पदों के अन्दर कोई का रिजर्वेशन नहीं, कोई एस.टी. का रिजर्वेशन नहीं, कोई ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन नहीं, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उन लोगों को काम पर लगाया जा रहा है और जो राजस्थान का बेरोजगार नवयुवक जिसका अधिकार था, इसके अन्दर लगने का, भारत सरकार ने जिसका पूरा पैसा दिया हुआ है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के लोगों के शोषण करने का काम यह सरकार कर रही है। एक तरफ रोजगार गारंटी योजना में आप टास्क-बेस के आधार पर पेमेंट कर रहे हैं और आप ही की इस किताब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, तकनीकी सहायता जो इनको पंचायत समिति के स्तर पर भर्ती करने थे, ये बांसवाड़ा तकनीकी सहायता आपको 8 लगाने थे, आज तक आप यह किताब विधान सभा में पेश करने तक एक भी तकनीकी सहायक नहीं लगा पाये। इसी तरीके से सिरोही में आपको 5 तकनीकी सहायक लगाने थे, आप पंचायत समिति के स्तर पर सिर्फ एक ही लगा पाये। इसी तरह से, ग्राम पंचायत के स्तर पर 33 तकनीकी सहायक लगाने थे, माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा के अन्दर लगाये कितने जीरो। डूंगरपुर में 25 लगाने थे, लगाये कितने दो, झालावाड़ जो मुख्य मंत्री का गृह जिला है, जहां से पांच बार लोगों ने भारत की लोक सभा में मुख्य मंत्री को जीता कर भेजा, वहां पैसा मिलने के बाद भी 26 तकनीकी सहायक लगाने थे, लगाये कितने जीरो और सिरोही में 15 लगाने थे, लगाये कितने जीरो, उदयपुर में 50 लगाने थे और लगाये कितने 8 और टोटल 173 के अगेंस्ट में मात्र 21 लोगों को लगाया गया, माननीय सभापति महोदय, और जब तकनीकी सहायता नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, तो मजदूरों के काम का निर्धारण कौन करेगा, कौन आकलन करेगा, आज जो घर बैठे-बैठे जो जे॰ईएन॰ बैठे हुए हैं, आपके आफिस में बैठ कर के मांड देते हैं कि इतना काम किया, बाद में रोते रहो, प्रदर्शन करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा मंतव्य यहां कोई राजनीति करने का नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से फरियाद करना चाहता हूं कि जिन 2060 पदों पर भारत सरकार ने आपको पैसा दिया, लगाने के लिए, संविधान के प्रावधानों की पालना करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, उनके आरक्षण के प्रावधान की पालना करते हुए, आप नियमित लोगों को

लगाइए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने का सपना श्रीमती सोनिया गांधी का है, रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से, उस सपने को साकार किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सम्बल ग्राम योजना का एक बिन्दु आपको निवेदन करना चाहता हूं। सम्बल ग्राम वह है जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जिस गांव के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की है, वह सम्बल ग्राम है और सम्बल ग्राम विकास योजना राज्य के 32 जिले उसके अन्दर आते हैं और इन 32 जिलों में से 19 जिलों को, माननीय सभापति महोदय, फूटी कौड़ी सरकार ने नहीं दी। फूटी कौड़ी और टोटल 1 करोड़ 28 लाख रुपये मात्र इन्होंने स्वीकृत किया है और उसमें से भी 50 लाख रुपये कहां दिये, मुख्य मंत्री के बेटे के निर्वाचन क्षेत्र बारां में, 1 करोड़ 28 लाख में से और बाकी का 24 लाख 23 लाख तो करौली और सवाई माधोपुर के उत्तर के बाकी के जिलों को एक एक लाख रुपये पकड़ाये हैं और 19 जिलों में फूटी कौड़ी इस सरकार ने नहीं दी है। माननीय सभापति महोदय, और 2463 गांव राजस्थान के हैं जो इस सम्बल ग्राम योजना के अन्दर आते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के 40-45 विधायक हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, हजारों के तादाद में गांव हैं जिनको फूटी कौड़ी नहीं दी उस योजना में इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि यह सरकार वास्तव में कि किसी भी स्तर में हितैषी है तो एक-एक गांव के अन्दर इस सरकार को पैसे देने का काम करना चाहिए, दलित वर्ग की बस्तियों में सुविधाओं में इजाफा करने का काम करना चाहिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करना चाहिए और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक फीगर पर डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इसका 2006-07 में प्रोविजन था 535 करोड़ का एलोकेशन है और इन्होंने एक्चुअल रिसीट है 1 करोड़ 94 लाख की, 5 करोड़ 35 लाख के अगेंस्ट में 1 करोड़ 94 लाख की रिसीट है लेकिन खर्चा कितना किया, माननीय सभापति महोदय, 17 करोड़, वेस्टफुल एक्सपेंडीचर, 310 परसेंट खर्चा ज्यादा खर्चा डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस सरकार ने किया है। दलितों के काम के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के काम के लिए पैसा नहीं, उड़ाने के लिए पैसा है आपके पास? और माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): नये आंकड़े बना लिये क्या, आप कहां से यह ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं टेबल पर रख दूंगा अगर इन आंकड़ों को मंत्रीजी चुनौती दे दें, अगर आंकड़े गलत हैं तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, स्टेट स्कीम के बारे में एमएलए लैड के 120 करोड़ के प्रोविजन के अगेंस्ट में रिलीज किये कितने 91 करोड़ और मेवात के अन्दर 275 करोड़ का एलोकेशन था, रिलीज कितने हुए 126 करोड़ और खर्चा कितना मात्र 40 परसेंट जीजीजेडीवाई में 10 करोड़ उन्हें रिलीज करना था, और 5 करोड़ इन्होंने जारी किये। स्वविवेक, स्वविवेक में 5 करोड़ का प्रावधान इन्होंने किया और खर्चा कितना किया, माननीय सभापति महोदय, मात्र 12 लाख रुपये, यह फरवरी तक के आंकड़े हैं, मेरे पास में डांग के अन्दर 5 करोड़ रुपये रिलीज किये और खर्चा कितना किया, टोटल मिला कर, दोनों का मिला कर 1 करोड़ 52 लाख अभी भी बचा हुआ है आपके पास। मगरा में 4 करोड़ रिलीज किये और 61·88 खर्चा किया और एक इश्यु मैं और आपके माध्यम से लाना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह सरकार पिछले दो साल से लगातार राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि सहरिया आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जितना फंड अवेलेबल था, सहरिया के लिए उसका मात्र 40 परसेंट इस सरकार ने खर्चा किया है और 29 फरवरी को टोटल प्रोविजन के अगेंस्ट में 3 करोड़ 84 लाख रुपये, माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास बचा हुआ पड़ा है, जो अपने आप में यह जाहिर करता है कि सहरिया आदिवासियों के प्रति जो इनकी सहानुभूति है वह खाली दिखावा है, खाली खोखली नीति है। जिस सहरिया आदिवासी ने पांच बार भारत की लोक सभा में वसुंधरा राजे को पहुंचाया उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रति उनके बच्चों के भविष्य के प्रति ····

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ये सहरियाओं के लिए बिलकुल गलत बोल रहे हैं। सहरिया के जीवन स्तर में जितना सुधार हुआ है और जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं, आज दिन तक 45 साल, 47 साल में कांग्रेस जीरो भी नहीं कर पाई। मैं बिलकुल आंकड़े देकर बता सकता हूं। सहरिया के लिए जो काम ये कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और माननीय सभापति महोदय, मैंने तो यह फीगर रखा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, यह ए सी इतना ज्यादा ठण्डा चलाने का अभी मौसम नहीं है। कई सदस्यों ने मेरे को कहा है कि बहुत ही ज्यादा है। यह तो मई जून का सा टेम्परेचर है।

श्री सभापति: अब आप, माननीय सदस्य, आपको 20 मिनट हो गये, कन्क्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अभी कर रहा हूं, मैं सिर्फ डवलपमेंट की एक चीज आपको कोट करना चाहता हूं। यह रूरल डवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्टेट की पोजीशन मेरे पास है जिलावाइज और राजस्थान के अन्दर माननीय सभापति महोदय, जहां से पांच बार राज्य की मुख्य मंत्री निर्वाचित हुई हैं, झालावाड़ लोक सभा क्षेत्र का बारां जिला राजस्थान के अन्दर 31वें नम्बर पर है, माननीय सभापति महोदय, और मात्र 52 परसेंट पैसा राजस्थान में यह सरकार पूरी ताकत लगाने के बाद मात्र 52 परसेंट पैसा वहां खर्च पाई है और जहां से यह मंत्रीजी आते हैं, ग्रामीण विकास से, उनका अपना झालावाड़ जिला माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 15वीं जगह पर खड़ा है। मैं आपके माध्यम से दो बातें कृषि के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब और नहीं, प्लीज। वांइड-अप करें अब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी तो एक डिपार्टमेंट हुआ है। 2-5 मिनट में खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 5 मिनट तो मुझे दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान) राठौड़ साहब, आप इस तरह से इशारा मत करें। आप इस तरह से आसन को डिक्टेट कर रहे हो यह ठीक बात नहीं है। मेरे 10 मिनट तो आपने खराब कर दिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई डिक्टेट नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने कब इशारा किया? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को कोई डिक्टेट नहीं करता। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विपणन की एक बात कहना चाहता हूं और मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने भरतपुर मण्डी के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव जमीन एक्वायर करने का भेजा था उसमें सैक्शन 4 की कार्यवाही हो गई और उसके बाद में अभी तक आपने सैक्शन 6 की कार्यवाही क्यों नहीं की? ये मंत्रीजी आ गये। आपने वह प्रस्ताव अधरझूल में लटका दिया और इसलिए लटका दिया कि इसके अन्दर जो मण्डी ने प्रस्ताव भेजा उसमें यह पटाखा फैक्ट्री आ रही थी। आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस पटाखा फैक्ट्री को 1949 में जमीन मुफ्त दी हुई है और आपने प्रस्ताव निरस्त भी किया तो आपने मण्डी समिति को क्यों नहीं भेजा वापस? मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाली यह ही नहीं, रामगंजमण्डी के अन्दर भी जो जमीन की कार्यवाही हुई है उसके अंदर भी सैक्शन 6 की कार्यवाही हो गई, 4 की हो गई उसके बाद में आपने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। किसके दबाव में आप काम कर रहे हो? किसके दबाव में आप रुके हुए हो? वो कौनसी ताकतें हैं, किसकी जमीन बाहर निकालना चाहती हैं? कौन सरकार के फैसले को प्रभावित करना चाहता है? जब आप जवाब दें मंत्रीजी तो इन बातों का जवाब दें।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज। नो-नो। अब आप विराजें। माननीय श्री अशोक नवलखा।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, चूंकि भरतपुर से आता हूं और भरतपुर की मण्डी के बारे में आपने जिक्र किया उस बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डाक्टर साहब, करेक्ट कर लें। करेक्ट कर लें, आप भरतपुर से नहीं आते हैं, आप कुम्हेर से आते हैं। भरतपुर से कहां आते हैं? इसमें जिले का कहां आता है? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भरतपुर मण्डी के पास 120 बीघा जमीन आज भी खाली है। मण्डी के कितने भी विस्तार के लिए आज भी 130 बीघा जमीन भरतपुर में खाली है तो भरतपुर की मण्डी का जिक्र करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, 5 मिनट में मैं वाइंड-अप कर रहा हूं। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप सुनिये, मैं कोई फालतू की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़): ये एक भी बात काम की नहीं, सारी फालतू की है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग 30वें नम्बर पर आ गई है। लगातार इस सरकार ने उस विश्वविद्यालय की यह हालत बना रखी है कि वह विश्वविद्यालय लगातार पिछड़ता जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो अंतरिम राहत 80 करोड़ रुपये की इस यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए थी वह इस वजह से मात्र 20 करोड़ रुपये उसको मिले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप बड़ेबड़े दावे सारे कर रहे हो लेकिन इसके बावजूद कृषि का क्षेत्र क्यों घट रहा है? उत्पादन क्यों घट रहा है? आप किसानों के मसीहा होने का दावा कर रहे हो तो मुझे जरा यह बता देना जब मंत्रीजी उत्तर दो कि फसल बीमा योजना, इसके अन्दर जो 2401 बजट मद है, आयोजना में पिछले साल 202 लाख का प्रावधान था जिसमें संशोधित अनुमान आपने 232 किया, आपने तो पिछली योजना का आकार बढ़ा दिया है, आपने तो 35 प्रतिशत वार्षिक योजना में बढ़ोतरी की है और आपकी मुख्य मंत्री तो किसानों की बहुत बड़ी मसीहा हैं फिर आपने 150 लाख रुपये का प्रावधान क्यों किया इसमें?

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज। आप प्लीज, बस।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक्यू। श्री अशोक नवलखा। अब आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ..... केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने पूरे देश को भिखारी, मंगता तक कह डाला विदेश के राजकुमार के सामने।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): 15 सैकण्ड की है मेरी दो पंक्तियां। उन्होंने कैसा अपमान किया देश का, उसको देश में रहने का हक नहीं है। ऐसे मंत्री की नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। हमारे देश में भीख मांगने की परम्परा रही है परन्तु सब के सामने कहना ठीक नहीं है फिर भी कह रहा है। हमारा देश कंगाल है, मंगता है, भिखारी, ऐसा कहा था वहां पर और हमारे

(श्री रामरतन बैरवा)

हाथ में कटोरा हो, जब भी मैं आपके पास आऊं स्पेन के राजकुमार, इसमें कुछ-कुछ डाल दीजिये। ऐसे उनके पंचायती राज मंत्री हैं। पूरे देश का अपमान किया है। हमारे प्राचीन युगों का और वर्तमान युग का, सबका अपमान कर डाला। कंगाल बोला और यह बड़ाई कर रहे हैं। (व्यवधान) ये क्यों आलोचना कर रहे हैं हमारी। अभी 2-4 महीने पहले पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था। मणिशंकर अय्यर।

श्री सभापति: विराजें आप। विराजें। माननीय श्री अशोक नवलखा।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि, मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, इन तीनों विभागों की मांगों पर आज चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी चर्चा हो रही थी और हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो ग्रामीण विकास और कृषि के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये, मैं किसी आलोचना-प्रत्यालोचना में नहीं जाते हुए अपनी बात सीधे-सीधे आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जिन तीन महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हो रही है, ये तीनों मांगें ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण समृद्धि, किसानों का उद्धार, किसानों का विकास, यह सब पूरी जो व्यवस्था है यह पूरी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर हमारी वर्तमान सरकार और माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधराजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिनकी सूझ-बूझ से आज ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो विकास के काम सम्पन्न होते जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को मिलने लगा है। मैं इस अवसर पर इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान में उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत और हमारी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधराजी, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन तीनों ने अपने-अपने कार्यकाल में अपनी-अपनी सूझ-बूझ से जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और कृषि के लिए जो कार्य किये हैं उसको जनता कभी भूल नहीं पायेगी। मैं इस अवसर पर पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

शासनकाल में जो योजनाएं प्रारम्भ हुईं, विशेषकर फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ये ऐसी योजनाएं थीं जिनसे आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किसान हो चाहे गांव का व्यक्ति हो, हमारे जो विकास की धुरी के कार्य थे, इन योजनाओं के माध्यम से गांवों का विकास आज हुआ है। आज आप देख लें, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई और इस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो 500 तक की आबादी के गांव सड़क से जुड़े हैं, आज निश्चित रूप से मानकर चलिये कि चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे स्वर्ण चतुर्भुज योजना हो, चाहे ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर सड़क हो, इन सड़कों की अच्छी संरचना से आज गांव का जो किसान है वह शहरों के अन्दर अपनी सब्जियां लाने लगा है, शहरों के अन्दर अपनी कृषि उपज लाने लगा है जिससे किसान की समृद्धि का अपने आप रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं इस अवसर पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और उप राष्ट्रपति महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अन्त्योदय योजना, अपना गांव अपना काम योजना और विशेष रूप से पंचायत मुख्यालय पर 8वीं तक की स्कूल की व्यवस्था, बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई की व्यवस्था, ये कार्य निश्चित रूप से ग्रामीण विकास को प्रतिपादित करते हैं।

मैं इस अवसर पर अधिक नहीं बोलते हुए सीधे-सीधे अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र की मांग थी उस मांग पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रीजी माननीय गुर्जर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनकी सूझ-बूझ के कारण चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजना हो, ग्रामीण विकास के अन्दर जो विकास के काम हुए हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन हुआ है।

अभी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की चर्चा चली। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पहले राज्य के 6 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही व उदयपुर के अन्दर लागू थी और इन योजनाओं के लिए जो जॉब-कार्ड 15 लाख 7 हजार परिवारों को जारी किया गया था, 10 लाख 38 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, 499 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि व्यय की गई और इसकी सराहना न केवल भारत सरकार ने बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 6 और जिलों को इस बार इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो 6 जिले इसमें आपने सम्मिलित किये हैं वो वास्तव में पिछड़े जिले थे। जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सवाई-माधोपुर और टोंक जिले।

इन जिलों के अंदर आपने चित्तौड़गढ़ हमारे मेवाड़ के इस जिले को भी सम्मिलित किया है। इसके लिए मैं मेवाड़ की जनता की ओर से और चित्तौड़गढ़ जिले की और से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इसी क्रम में माननीय मुख्य मंत्रीजी और ग्रामीण विकास मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार आपने जो भारत सरकार की योजना थी बीआरजेएफ योजना जो पिछड़ा जिला योजना है, उस योजना के अंतर्गत भी जो जिले शामिल किए हैं उसमें भी आपने चित्तौड़गढ़ जिले को सम्मिलित किया है और उस योजना में शामिल होने से निश्चित रूप से हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के जो पिछड़े इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर विकास के काम निश्चित रूप से होंगे। आपने इस साल अभी हमारे इस बजट के अंदर 15 करोड़ रुपए चित्तौड़गढ़ जिले को दिए हैं और इस 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं। मैं चाहूंगा कि इन प्रस्तावों की जल्दी से जल्दी क्रियान्विति करें ताकि चित्तौड़गढ़ जिले का विकास हो सके। मैं इस अवसर पर राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुंधराजी द्वारा जो योजना जारी की गई है गुरु वोल्कर योजना, उस योजना के भी उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं और इसी के प्रतिरूप में माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस साल बजट के अंदर 60 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया है। मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह वर्ष हमारे परम् पूज्य गुरुजी गोलवोलकरजी के शताब्दी वर्ष के रूप में पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। आपने 60 करोड़ रुपए का बजट दिया है मेरा इस बार अनुरोध है कि इस बजट को बढ़ाकर इसको 100 करोड़ रुपए करें और कम से कम प्रत्येक पंचायत के अंदर गुरु वोल्करजी के नाम से एक काम निश्चित रूप से हो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो भी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है वह गुरु वोलकरजी के नाम पर उन भवनों का नामकरण किया जाना चाहिए।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के उन मगरा क्षेत्र के लिए विकास की एक योजना प्रारंभ की है और मगरा क्षेत्र विकास योजना यह पिछले दो सालों से यह योजना चल रही है और आपने इस वर्ष भी इस मगरा क्षेत्र योजना के अंतर्गत पांच करोड़ का बजट दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले की मेरे क्षेत्र के 6 ग्राम पंचायतें इस मगरा क्षेत्र के अंदर आती हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस बार इस बजट को भी आप बढ़ाकर के इन क्षेत्रों के विकास के लिए निश्चित रूप से बजट देंगे। साथ ही मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस साल जो दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना थी उस योजना के अंतर्गत 50 गांवों का चयन प्रारंभिक तौर पर इस बार किया था। इस बार सरकार 100 गांवों को और सम्मिलित कर रही है, निश्चित रूप से यह योजना बहुत ही अच्छी है और इसको जनता सराह रही है और इससे निश्चित रूप से उन गांवों का और पंचायतों का विकास होगा। इस 100 गांव के चयन का काम भी सरकार ने हाथ में लिया है। मैं चाहूंगा कि इन गांवों की संख्या में आप वृद्धि करें ताकि राजस्थान की कम से कम एक तहसील के अंदर, हर तहसील के अंदर एक गांव, पंचायत तो इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। साथ ही आपने इस बार सरकार की एक विशेष जो योजना थी जो हिन्दुस्तान में केरल के बाद केवल राजस्थान के अंदर ही इस योजना को लागू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लान हमारा तैयार किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने से सरकार की ग्रामीण क्षेत्र की जो योजनाएं थी वो सरकार के सामने आ गई हैं और जो जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लान से काम लेकर के चरणबद्ध तरीके से उनका विकास होगा तो इन डिस्ट्रिक्ट प्लान की भी काफी उपयोगिता रहेगी।

मैं इस अवसर पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार बजट के अंदर आपने सरपंचों के, प्रधानों के, प्रमुखों के मानदेय सभी के बढ़ाये लेकिन जिला परिषद के सदस्यों के और पंचायत समिति के सदस्यों के मानदेय का कोई प्रावधान नहीं रखा। मैं चाहूंगा कि जिला परिषद और पंचायत समितियां ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं और इनके सदस्यों का भी मानदेय का निश्चित रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए और मानदेय भी कम से कम पंचायत समिति सदस्य का मानदेय एक सरपंच के बराबर और जिला परिषद का सदस्य का मानदेय

प्रधान के मानदेय के बराबर होना चाहिए यह मेरा अनुरोध है। साथ ही एक निवेदन और है कि आपने विभाग के अंदर हैण्डपम्प मिस्त्री काम करते हैं लेकिन हैण्डपम्प मिस्त्रियों के लिए कोई वेतनमान लागू नहीं हुआ है, आज भी वो ही बेचारे पुरानी स्थिति के अंदर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बरसों से यह लोग हैण्डपम्प मिस्त्री का काम कर रहे हैं, इनका भी वेतनमान निर्धारण होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के साथ-साथ यहां कृषि और पशुपालन पर भी चर्चा हो रही है और ये ऐसे विभाग हैं जो हमारे किसानों की समृद्धि के लिए उपयोगी हैं। मैं इस अवसर पर माननीय हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सूझबूझ से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चाहे कृषि के कार्य हो, चाहे कृषि विपणन के कार्य हो, उन कार्यों की समृद्धता बढ़ी है और पिछले दिनों जब केन्द्रीय सरकार के आत्म-निर्भरता से हमारे इस पूरे समूचे राजस्थान के अंदर जो अच्छी वर्षा हुई थी उसके अंदर उर्वरकों की कमी थी लेकिन आपने पूरी सूझबूझ के साथ राजस्थान के किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराकर के जो आपने सहयोग दिया है, किसान आपको कभी भूल

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं पायेंगे। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर अफीम की खेती होती है। चित्तौड़गढ़ जिला, झालावाड़ा जिला, मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिले और उनके अफीम के भाव तय करना केन्द्र सरकार का काम है लेकिन अफीम से जो डोडा चूरा होता है उसके भाव का निर्धारण राजस्थान की सरकार करती है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डोडे चूरे का भाव जब हम सरकार में नहीं आये उस समय दो रुपए किलो था। उस डोडा चूरे का भाव बढ़ाकर के सरकार ने 15 रुपए किलो किये लेकिन माननीय सभापति महोदय यह डोडा चूरा जो होता है वह आज 15 रुपए किलो आप किसानों को दे रहे हैं। यह डोडा चूरा पश्चिमी राजस्थान में ठेकेदार 700-800 किलो में बेचते हैं, एक इतना अंतर कि 15 रुपए किलो में किसान को जो डोडा चूरा लेते हैं, वह 700 -800 किलो में बेचते हैं, इस अंतर को भी माननीय कृषि मंत्रीजी आप इसको समाप्त कराइए। किसानों को डोडा चूरा का भाव पूरा मिल सके इसकी भी व्यवस्था आप कराने की कृपा करें। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्रीजी से कि आपने कृषि विभाग के माध्यम से काफी

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

काम किए हैं और एक निवेदन मेरा यह था कि कृषि विभाग के माध्यम से जो कृषकों को विभिन्न योजनाओं में जो अनुदान दिया जाता है और उन अनुदानों के चैक अकाउंट पे देने की कृपा करें। अभी पीईसी के पाइप के जो पांच-पांच हजार रुपए के अनुदान दिये गये हैं वह अकाउंट पे नहीं देने के कारण इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और मेरा निवेदन है कि इन चैकों को अकाउंट पेई देंवे और सीधा किसानों के खातों में जमा करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): पांच मिनट खाली, कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है, 2-3 बातें और रह गई हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चित्त्तौड़गढ़ जिले के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्बाहेडा कृषि उपज मण्डी एक विख्यात कृषि उपज मण्डी है और माननीय कृषि मंत्रीजी ने उसके अंदर काफी कुछ सहयोग दिया है, काफी काम किये हैं। मण्डी के निर्माण काम भी किये हैं। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि हमारे यहां फल सब्जी मण्डी अच्छी है, वहां पैक हाउस का निर्माण किया गया है, आपकी योजना में निम्बाहेड़ा सब्जी मण्डी का भी नाम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष आप उस निम्बाहेड़ा की कृषि मण्डी को गौण मण्डी सब्जी मण्डी जो चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी मण्डी है, उसके अंदर भी पैक हाउस का निर्माण करने के लिए आप बजट आबंटित करने की कृपा करें। कृषि उपज मण्डी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ को अलग जिला घोषित किया है और प्रतापगढ़ जिला होने से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो तहसीलें आती हैं एक तहसील छोटी सादड़ी वह है। इस समय जो प्रतापगढ़ जिला घोषित हुआ है उसके अंदर सम्मिलित की गई है। छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा के अंतर्गत गौण मण्डी के रूप में आती है। प्रतापगढ़ जिला अलग हो गया है, मेरा निवेदन है कि छोटी सादड़ी की कृषि उपज मण्डी को पृथक दर्जा प्रदान करने की कृपा करें और विशेष रूप से क्योंकि छोटी सादड़ी जो है वह मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसके 17 कि.मी. आगे मध्यप्रदेश का नीमच जिला शुरू होता है और नीमच की मण्डी बहुत बड़ी मण्डी है वहां जितना छोटी सादड़ी के अंदर किसानों का माल उत्पादन होता है उसका 75 प्रतिशत माल नीमच की मण्डियों में जाता है। मैं चाहूंगा कि और अभी वर्तमान में गौण मण्डी है उसकी आय 15 लाख

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

रुपए वार्षिक के करीबन है लेकिन उसमें केवल एक बाबू के भरोसे चलती है, एक लिपिक उसका माल ऑक्सन भी काम करता है, वह लिपिक का काम भी करता है, मैं चाहूंगा कि आप वहां कृषि उपज मण्डी को पृथक मण्डी करें ताकि किसानों का माल मण्डी में आये और वहां पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध हो सके। पशुपालन की दृष्टि से भी मुझे बहुत बात करनी थी लेकिन समय ज्यादा नहीं होने की वजह से मैं बात को संक्षिप्त करते हुए अंत में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां डेयरी का काफी अच्छा व्यवसाय है, दूध उत्पादन भी काफी होता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सरकार वहां डेयरी सयंत्र की स्थापना भी कर रही है। मैं चाहूंगा कि वहां किसानों की मांग है कि अभी हमारी डेयरी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की ज्वाइन्ट रूप से चलती है और चित्तौड़गढ़ में पृथक से डेयरी की स्थापना की जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री लालचंद मेघवाल।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास, 37 कृषि और 39 पशुपालन विभाग पर चर्चा हो रही है, मैं इसमें अपने विचार सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि आज इस दौर में किसानों के प्रति जो केन्द्र सरकार, प्रदेश की सरकारों ने जो व्यवस्था दे रखी है निश्चित तौर पर इस युग में क्योंकि आज भारत वर्ष को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। अगर हम कृषि क्षेत्र में किसानों को सहुलियत नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम हमारा कृषक आज जो कृषक के हालात है तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इस दयनीय हालात में कृषकों को कुछ अलग से प्रदेश के किसानों की अलग से कुछ सहायता करनी पड़ेगी। ताकि हमारे प्रदेश का किसान विकसित हो क्योंकि आज के इस दौर में हम सभी कृषक परिवारों से आते हैं और इस दौरान जो प्रदेश में कृषकों की स्थिति है हम सबके सामने है। मैं प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदया और विशेष रूप से कृषि मंत्री महोदय का आभार इसलिए प्रकट करूंगा कि कृषि क्षेत्र में अगर कोई कृषक की डेथ हो जाती थी तो उसको मात्र पच्चीस हजार रुपये दिये जाते थे जो प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद में जस्ट दुगुना किया पचास हजार रुपये की राशि किसानों को दी और जो भी किसानों का नुकसान हो जाता था कृषि क्षेत्र में कार्य करते हुए

(श्री लालचन्द मेघवाल)

उसकी राशि जस्ट दुगुनी राशि की। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और इसके साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो किसानों को सहूलियतें मिलनी चाहिए, जिस तरह आज अनुदान देय है डिग्गी निर्माण पर 21 बीघा से ऊपर सैंतालीस हजार रुपये इसको एक लाख पच्चीस हजार रुपये कर दिये जाएं, ताकि किसानों को फायदा हो सके। और पंपसैट पर जिस तरह फव्वारा पर पचास प्रतिशत अनुदान देय है उसको बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना चाहिए और जिस तरह पाइप लाइन पर मात्र पच्चीस प्रतिशत है इसको भी बढ़ा कर 75 प्रतिशत करना चाहिए और इसी तरह रसायन व उपकरण पर अभी अनुदान पचास प्रतिशत है इसको बढ़ा कर 75 प्रतिशत करना चाहिए बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर मात्र पचास प्रतिशत सब्सिडी जो दी जा रही है उसको 75 प्रतिशत या 90 प्रतिशत करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले और प्रदेश की सरकार जिस तरह चाहती है कि हमारे किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की सहायता से पानी अच्छा मिलेगा तो निश्चित तौर पर अगर हम सब्सिडी नहीं बढ़ायेंगे तो काश्तकार को फायदा नहीं होगा और जिस तरह से बागों की स्थापना की जा रही है और जिस तरह किन्नू, अनार, बैर, आंवला में वर्तमान में 75 प्रतिशत सब्सिडी देय है इसको बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना चाहिए। जिस तरह अभी जोजोबा के लिए कृषक को बढ़ावा दे रहे हैं और जोजोबा का एक पेड़ लगाने के लिए मात्र 6 रुपये की सब्सिडी दी जाती है इस सब्सिडी को बढ़ा कर बीस रुपये करना चाहिए। इसके साथ-साथ फव्वारों का संचालन बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के सोलर उपकरणों पर 90 प्रतिशत का अनुदान बढ़ाना चाहिए।

मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गंगानगर और हनुमानगढ़ में कृषक के जो हालात हैं विशेष तौर से जो हमारे गंगानगर जिला है वो कृषि प्रधान जिला है और किसान जब अपने खेत में पेड़ लगाता है और उस किसान को वो पेड़ काटने की परमीशन नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर किसानों के मन में बड़ी पीड़ा है और जो किसान वर्षों से जिस पेड़ को बड़ा करता है पाल पोस कर अपने बेटों के समान बड़ा करता है ओर वो ही किसान पेड़ काटे तो पुलिस उस पर कार्यवाही करती है तो निश्चित तौर पर एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान जो पेड़ लगाये जो शीशम के पेड़ व अन्य पेड़ लगाता है निश्चित तौर पर उसको काटने की परमीशन दी जानी चाहिए।

(श्री लालचन्द मेघवाल)

इसके तहत मैं कुछ सुझाव और देना चाहूंगा कि जिस तरह से मण्डी समितियों की निजी आय से जिस मण्डी समिति का क्राइटेरिया है उसी क्षेत्र में जहां मण्डी समिति का क्षेत्र है उसमें सड़कें बननी चाहिए, पुलिया बननी चाहिए और जो बिलकुल कमजोर मण्डियां हैं उनको भी डवलप करने के लिए विशेष तौर से कुछ सरकार को नये डाइरेक्शंस देने चाहिएं ताकि मंडी विकसित हो और विशेष तौर से जो पूर्व सरकार ने हमारे गंगानगर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों की निजी आय को गंग कैनाल फंड में दिया था कि गंग कैनाल का आधुनिकीकरण होगा, पक्का होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार ने यह व्यवस्था दी कि गंग कैनाल को विशेष पैकेज के तहत पक्का किया जाए। यह मण्डी समिति का पैसा है उसी मण्डी क्षेत्र में लगे ताकि सड़कें व पुलिया बनें। मैं इस समय कृषि मंत्रीजी विराजे हैं, मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी मण्डी समिति की जो निजी आय है मैं काफी कोशिश भी कर चुका हूं लेकिन मुझे पता नहीं किस कारण से इसमें बढ़ोतरी नहीं मिली, हमारी मंडी समिति की जो निजी आय है आलरेडी जो है उससे उस क्षेत्र में सड़कें बनानी चाहिए। जो हम बार-बार मंडी से प्रस्ताव करते हैं लेकिन यहां आकर पता नहीं किस कारण से उसका परिणाम नहीं आता तो विशेष तौर से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी मण्डी समिति की जितनी आय है उससे उस क्षेत्र में ही सड़कें बनें ताकि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है वो निश्चित तौर पर सड़कों से जुडेगा और इस समय ग्रामीण विकास की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम पंचायत राज को सुदृढ़ नहीं करेंगे और जब तक उनको पॉवर नहीं देंगे ग्राम पंचायत इकाइयों को, सरपंचों को तब तक हमारा ग्रामीण विकास सम्भव नहीं है। हम यहां बैठे कितनी ही चर्चा कर लें लेकिन ग्राम पंचायत इकाई को हम पॉवर दें, ताकि उस ग्राम पंचायत इकाई के अधीनस्थ जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं निश्चित तौर पर अगर उससे कोई प्रमाण ले काम करने का तभी हमारा ग्रामीण विकास सम्भव होगा।

पशुपालन विभाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा गंगानगर जिला निश्चित तौर पर पशुपालक क्षेत्र है और यहां प्रत्येक जो बड़ा गांव है, कोई आबादी का क्राइटेरिया रखकर वहां नये पशु उप केन्द्र खोले जाएं ताकि हमारा यह क्षेत्र सक्सेस हो सके और जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में अभी पशुओं की जो व्यवस्थाएं हैं डाक्टर्स की, निश्चित तौर पर जहां डाक्टर्स की नियुक्ति है वो भी समय पर नहीं आते हैं और जहां काम करने के लिए दूर जब ग्रामीण

(श्री लालचन्द मेघवाल)

क्षेत्र का कृषक डाक्टर को लेने जाएगा तो निश्चित तौर पर डाक्टर कहेगा कि जो भी पशु है उसको यहीं ले आओ तो उसको लाने में बड़ी दिक्कत है तो विशेष तौर से यहां से कोई डाइरेक्शन जाए कि जहां पशु बीमार है डाक्टर उनके वहीं जाकर उसकी व्यवस्था करे।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रतिभा सिंह। (व्यवधान) आप रोज बोलते हैं सबको बुलाना पड़ता है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने ...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं भी लगाता हूं न कट मोशंस ।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़): वो तो सभी ने लगाये थे। मेरा भी कई बार मौका रोका गया सदन में ...(व्यवधान) आप कोई बात उठायेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा।

मैं मांग संख्या 28, 37 और 39 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। सबसे पहले मैं पंचायत राज के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। 2 अक्टूबर, 1957 को नागौर से पण्डित जवाहर लाल नेहरू जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने पंचायत राज राजस्थान से शुरू किया और यहां पर थ्री टायर सिस्टम उन्होंने पंचायत राज में इंट्रोड्यूज किया जिसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थ्री टायर सिस्टम और ऊपर एमएलए और एमपी यानी के ये जो पांच सीढियां हैं इनसे उनकी सोच

(समय : 16.27 बजे)

(श्री रावराजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

थी कि प्रजातंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाए। ये आजादी के तुरंत बाद का दौर था और शासकों की जो नीयत थी वो भी बहुत साफ थी कि वो आम आदमी तक प्रजातंत्र की चीज को और विकास को पहुंचाना चाहते थे। आज फाइव टायर सिस्टम है हमारा जिसमें प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं लेकिन जैसे-जैसे पंचायत राज आगे हुआ हमारी स्वतंत्रता के बाद का पांच दशक का जो इतिहास है उसके अन्दर जो सत्तारूढ़ दल कभी कोई भी रहा उसको पंचायत राज की नीचे की जो सीढियां हैं उनमें उनका अपना बहुमत नहीं होने की वजह से उन्होंने इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम शुरू

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

किया। गला घोंटने का काम शुरू किया इसका उदाहरण मैं आपको हमारे जिले का झुंझुनू का ही देना चाहूंगी कि वहां पर जिला परिषद कांग्रेस की है और यहां पर बीजेपी का राज है। हरियाली करके जो योजना चलती है जिसमें तीस लाख रुपये की स्कीम होती है और वहां की जिला परिषद की साधारण सभा ने हरियाली योजना को मंजूरी दी और विपरीत स्थितियां होने की वजह से प्रशासन के बल पर आज साल भर से वे योजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं । यह हमारी कथनी और करनी के अन्तर्द्वंद को दर्शाता है कि आज भी जो शासक दल होता है वो प्रजातंत्र को मन से नहीं अपनाता है। मन से यों नहीं अपनाता कि प्रजा उनके पक्ष में बहुमत नहीं देती नीचे और वहां पर वो प्रशासनिक तरीके से प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण दूंगी पंचायत समिति नवलगढ़ का। प्रधान को अधिकार होता है कि वे ग्रामसेवकों का अंतर पंचायत स्थानांतरण करे। प्रधान का पद है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ताकि पंचायत समिति क्षेत्र में बराबर प्रोपर व्यवस्था बनाये रखे लेकिन बीस ग्राम सेवकों के स्थानांतरण जो प्रधान द्वारा किये गये थे उसको यहां के पंचायत राज मंत्री ने आदेश करके पूरा बैन कर दिया जब कि ये पंचायत राज मंत्रीजी का जवाब आया था कि कोई आपदा हो, कोई राज्य में ऐसी समस्या हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो ऐसी स्थिति में ही राज्य सरकार सीधे ग्राम सेवकों के ट्रांसफर को रोक सकती है। ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट न करने के बाद बार-बार इसी तरीके से हठधर्मिता सरकार द्वारा की जा रही है।

इसी तरीके से जिला प्रमुखों को भी अंतर पंचायत समिति स्थानांतरण के अधिकार हैं, उनके अधिकार भी बैन किये हुए हैं । आप प्रजातंत्र की मूल भावना को पहचानिए कि लोग जो आपके पक्ष में हैं, आज आप भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो प्रजातंत्र की मूल भावना आपके साथ बहुमत था इसलिए बैठे हुए हैं और यह जो प्रशासन के द्वारा हठधर्मिता करते हैं इसका पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो एक अच्छा संदेश जायेगा लेकिन जो आम आदमी है उसमें इसका संदेश विपरीत जाता है । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि गांवों में विकास की मोनेटरिंग का जो सिस्टम है उसको सुधारिए, उसको स्ट्रेंथन करिए उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और वही एक कारण है कि जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं का जो लाभ है वह आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता । इसी तरीके से पंचायती राज में जो शिक्षा की स्थिति है वह बहुत

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

दयनीय है । हम अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि हमें प्राथमिक तक की शिक्षा या मिडिल तक की शिक्षा है उसको ग्राम पंचायतों को देना है या नहीं देना है । पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को सौंपना है या नहीं सौंपना है और यह जो सरकार की अंतर्द्वंद्व की स्थिति है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, सरकार संदेश तो देना चाहती है कि हम प्रजातांत्रिक हैं पंचायत संस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं लेकिन राजस्थान में अधिकांश जिला परिषदें और पंचायत संस्थाएं कांग्रेस की हैं। उसकी वजह से यह दो तरफा चल रहे हैं । कोई क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, आपको सरकार के पास शिक्षा रखनी है सरकार के पास रखिए, पंचायती राज को देनी है पंचायती राज को दीजिए लेकिन कम से कम गांव के बच्चों के भाग्य के साथ तो दुर्भावना मत रखिए । उनके शिक्षा के मामले में पंचायतों की हालत बहुत कमजोर है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि आज पंचायती राज में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला है इसके लिये इसका जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है वह भी दोषी है । पहले पंचायती राज में जो इलेक्ट्रोल सिस्टम था उसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच सभी लोग आते थे । आज हमने इसकी संख्या लिमिट कर दी है, कहीं पर 27 है, कहीं पर 30 है हो सकता है इससे अधिक भी हो, इलेक्ट्रोल सिस्टम छोटा होने से भ्रष्टाचार बढ़ गया। आदमी 5-6 आदमियों को रुपया पैसा देकर मैनेज किया और प्रधान के पद पर पहुंच गया और जो भ्रष्ट आदमी जनमत के जोर पर नहीं अपने पैसे के बल पर प्रधान बनेगा या प्रमुख बनेगा तो मैं सोचती हूं कि हमारा जो पंचायती राज का पुराना सिस्टम था, जो इनीशियली हम लोगों ने दिया था वह भ्रष्टाचार के तरीके से बहुत अच्छा था। उसमें संख्या इतनी अधिक हो जाती थी कि पैसे के बल पर लोगों को काबू में नहीं किया जा सकता था । मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो लोकल स्कीम है वह पंचायती राज के सिस्टम को पंचायतों को देनी चाहिये । जैसे वहां पीएचईडी की कोई स्कीम चल रही है तो उनसे भी उनके बारे में राय ली जानी चाहिये । लोकल इश्यूज को हम इतना नहीं जान पाते हैं जितना सरपंच और वहां के अन्य जनप्रतिनिधि जान पाते हैं । जो लोकल कर्मचारी है जैसे ग्राम सेवक वगैरह उनका पद स्थापन पंचायत मुख्यालयों पर सुनिश्चित होना चाहिये। अभी तो खाली पंचायत कर्मचारियों का नहीं बल्कि जो लोकल सेवाएं हैं उनके भी आधे से अधिक कर्मचारी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज के युग में यदि सबसे दयनीय स्थिति है तो वह हमारे किसान की है और इसका कारण मैं समझती हूं कि हर आने वाली सरकार उसको अपना वोट बैंक समझती है । आदमी के दो करेक्टर होते हैं एक तो उसका नेचुरल होता है और एक चरित्र होता है वह उसका ओढ़ा हुआ होता है। किसान की तकलीफ की किसी को चिंता नहीं है और इसको हमेशा वोट बैंक समझा और उसकी परिणति यह है कि किसान हर आने वाले पांच साल में सरकार को बदल कर रख देता है क्योंकि वह देखता है कि मेरे को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है सीरियसली उसके साथ कोई ठोस उपाय कोई भी सरकार नहीं कर पाती । आज उसको उसकी कृषि का उचित मूल्य नहीं मिलता और किसान आज पूर्णत: सरकार के भरोसे है । सरकार के भरोसे इस तरीके से है कि भौगोलिक चेंजेज पूरे हिन्दुस्तान में आ रहा है हमारा राजस्थान भी उससे बचा हुआ नहीं है । भौगोलिक चेंजेज की वजह से पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त टाइम पर वर्षा नहीं होती है उसकी वजह से किसान बिजली पर आश्रित है और बिजली की सप्लाई और उसके कनेक्शन का काम सरकार के हाथ में है । इसलिए आज जो किसान है वह पूर्णत: सरकार पर निर्भर है । सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगी कि किस तरीके से सरकार किसानों का शोषण करती है । आज बिजली के कनेक्शन हम नहीं दे रहे हैं और कनेक्शन के लिये अप्लाई करने से पहले यह शर्त है कि किसान के कुआं होना चाहिये । कोई जमाना था जब कुआं होने में एक-एक, दो-दो महीने का टाइम लगता था, ओपन वैल बनते थे । आज तो एक दिन में कुआं तैयार है और किसान कहां-कहां से कर्जे पर रुपया लाकर उसके कनेक्शन का तो मालूम ही नहीं है कब होने वाला है 5-5, 10-10 साल निकल जाते हैं और उसका पैसा बराबर ब्याज पर चलता रहता है। इस नियम में हम संशोधन करें कि जब उसको कनेक्शन देने का वक्त आये उसके महीने भर पहले उसको कुआं बनाने के लिये एग्री करें। हमें किसानों की खेती की जो ट्रेडिशनल सोच है उसको बदलनी होगी। जो ट्रेडिशनल खेती हम करते थे उसको अब कुछ लाभकारी खेतियों के बारे में भी किसान को बताना चाहिये । उन्नत बीजों की सप्लाई बराबर हो, उन्नत क़िस्में उनको मिले, जैविक खेती को भी हमें बढावा देना चाहिये। पानी की अनुपलब्धता को देखते हुए बूंद बूंद सिंचाई का महत्व हमें बताना चाहिये । मैं जानती हूं कि यह काम कागजों में ज्यादा होते हैं बाकी

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

प्रेक्टिकली फील्ड में हमारे आदमी नहीं पहुंचते हैं इसलिए यह नहीं हो पाता । अन्य खेतियों की तरफ किसान का ध्यान सरकार को आकर्षित करना चाहिये ।

चौमूं से आने वाले मेरे साथी विधायक कह रहे थे कि गांव का जो आदमी है वह झौंपड़ी में है । सभापति महोदय, यह वक्त आ गया है गांव में अधिकतर लोग झौंपडियों में ही रहेंगे क्योंकि बिजली तो मिलती नहीं है और यह जो ढूंढे बना लिये हैं पक्के इनमें आदमी की जान निकल जाती है, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है बिजली उपलब्ध नहीं होती तो जो झौंपड़ी है वह ज्यादा वैज्ञानिक है ।

सभापति महोदय, अब मैं पशु पालन पर अपने विचार रखना चाहूंगी कि जयपुर स्थित हमारा जो मुख्यालय है उसके कार्यालयों में डाक्टरों का अनावश्यक पद स्थापन हमने कर रखा है । जो क्लर्कों के काम हैं वह भी हम यहां पर डाक्टरों से करवा रहे हैं । मंत्री महोदय जो डाक्टर है वह यहां रहना चाहते हैं, पद कम हैं इसलिए अपने आप को शहर में ही रखने के लिये वह इलाके में नहीं जाते हैं और यहां बैठकर एलडीसी का काम कर रहे हैं, कृपया आप इस चीज को देखिए । दूसरा विभाग के केटल ब्रिडिंग फार्मों पर फतेहपुर के अतिरिक्त कहीं भी ब्रिडिंग का काम नहीं हो रहा है । हम बाजार से पशु खरीदते हैं 6 महीने उसको हमारे यहां पालते हैं उसके बाद किसान को हम उपलब्ध करा देते हैं । दूसरा पशु स्वास्थ्य एवं उन्नत नस्ल कार्यक्रम को अलग-अलग किया जाये और राज्य स्तर पर इसकी पैरलर यूनिट हमें बनानी चाहिये । इसी तरीके से गौरक्षक, गौपालक बीमा योजना में निरंतर सबक्रिप्शन पर अन्य जीवन पोलिसी के समान लाभ देने चाहिये । इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगी कि यह जो पशु जीवन बीमा पालिसी है उसमें 75 प्रतिशत तो किसान भरता है और 25 प्रतिशत सरकार देती है और जैसे अन्य बीमा पालिसियों में बाद में लगा हुआ धन वापस मिलता है वह धन इन किसानों को नहीं मिलता है । यह बेनिफिट नहीं मिलता है यह बेनिफिट उनको जरूर मिलना चाहिये जो उनका लीगल राइट है । मोबाइल यूनिट जो अभी नहीं के बराबर है उनको हमें स्थापित करना चाहिये और फील्ड में डाक्टरों की उपस्थिति को भी हम सुनिश्चित करें ।

अब मैं आपका ध्यान आपके डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कमी की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री के स्वयं के क्षेत्र में एआई का जो

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

प्रोग्राम चलता है, कृत्रिम गर्भादान का उसकी गिनती आप डबल करते हैं। कृत्रिम गर्भादान में दो शाट जानवर को लगाते हैं और आप उनको एक नहीं गिनकर दो गिनते हैं । इसलिए इस विसंगति को भी आप देखिए । इसी तरीके से आपके जो पांच फार्म हाउस हैं फतेहपुर में भेडं का, रामसरा में बकरी का, अजमेर डिस्ट्रिक्ट और झालावाड़ में मुर्रा भैंस का और कुम्हेर में भी, और नागौर में गाय और पाड़ो का, तो इसी तरीके से सी.एम. साहब ने अपने बजट भाषण में कहा था हम राठी, थारपारकर नस्ल सुधार फार्म और खोलेंगे, तो जब पुराने फार्म हैं, इनमें फतेहपुर में भेड़ का जो नस्ल सुधार का प्रोग्राम वह तो ठीक चल रहा है बाकी में जो आपके विभाग के हैं वह बिलकुल शून्य पड़े हुए हैं। हम कहीं-कहीं से जानवर लाते हैं और लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। हमारा नस्ल सुधार का जो उद्देश्य है वह एक तो हमें दूध की प्राप्ति हो, दूसरा मांस भी बेसिक कारण है हमें उसकी प्राप्ति हो और तीसरा है ऊन की प्राप्ति भी हो। उनकी नस्ल सुधारने का काम हम बराबर नहीं कर रहे हैं।

इसी तरीके से माननीय मंत्री महोदय आजीविका मिशन के अन्तर्गत सिरोही नस्ल के बीजू बकरे का मूल्य अधिकतम 3 हजार रुपये रखा गया है इसमें प्रति बकारा 1500 रुपये तो सरकार अनुदान देती है और 1500 रुपये पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है जब कि राजकीय पशु प्रजनन फार्म रामसर द्वारा सिरोही नस्ल का जो बीजू पक रहा है उसमें पशुपालकों को प्रति बकरा 600 रुपये दिये जाते हैं जो अनुसूचित जाति के हैं और जो सामान्य है वह 800, तो वो ही चीज जो 1500 रुपये में पड़ रही है उसको आप 3 हजार रुपये में उपलब्ध करा रहे हें, कृपया इस ओर भी ध्यान दीजिए कि यह राजकीय पैसा है इसका दुरूपयोग नहीं हो।

दूसरी चीज, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे यहां माल हम दूसरी जगह से लेकर आते हैं, हमारे राज्य का पैसा दूसरी जगह जाता है, तो हमें इसकी मण्डी विकसित करनी चाहिये। इसकी मण्डी का आइडल स्थान मैं समझती हूं झुन्झुनू, झुन्झुनू की जो भैंसें, गायें है उनको हर प्रकार के रोग से मुक्त बताया गया है, यह जो आपकी जांच है मैं उसके आधार पर कह रही हूं। वह उधर हरियाणा से भी लगता हुआ है हमारे यहां जो झुन्झुनू की भैंसें हैं उनका दूध बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, उसके अंदर रेशोज बहुत ज्यादा है इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आप झुन्झुनू के अंदर मण्डी खोलने का विचार करें, उसका झुन्झुनू को तो लाभ मिले ही पूरे

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

राजस्थान को भी मिले। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालालजी रैगर।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास, मांग संख्या 37 कृषि विभाग और मांग संख्या 39 पशुपालन विभाग..

श्री भरत सिंह (दीगोद): दो सदस्य उधर से बोल लिये..

श्री सभापति: नैक्स्ट इज योअर।

श्री भरत सिंह (दीगोद): नहीं-नहीं, दो तो आपके बोल लिए।

श्री हीरालाल (निवाई): कटौती मांगों में मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए भाग ले रहा हूं, सभापतिजी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1977 जनता पार्टी की सरकार भारत में आई और राजस्थान में परम श्रद्धेय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने और पंचायतों के चुनाव 13 साल में 15 साल में नहीं हुए, पहली बार माननीय भैरोंसिंह शेखावतजी ने चुनाव कराये।

इसी प्रकार राजस्थान में माननीय वसुन्धराजी की सरकार आई और कृषि मण्डियों के चुनाव हुए। माननीय वसुन्धराजी के कुशल नेतृत्व और कृषि मंत्रीजी के मार्गदर्शन में चुनाव हुए। जो वर्षों से चुनाव नहीं हुये थे वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराये। हमारे प्रतिपक्ष के लोग आलोचना समालोचना की बात करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन सरकार जो काम अच्छा करे उसकी तारीफ करनी चाहिये, उसको धन्यवाद देना चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में किसान महोत्सव एवं जल चेतना यात्रा 16.5.2006 से 16.6.2006 तक आयोजित की गई। यह यात्रायें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, सारे ग्रामीण इसमें पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, उसमें मंत्री महोदय भी पहुंचे। इस किसान महोत्सव और जल चेतना के माध्यम से लोक कलाकारों द्वारा नुक्कड नाटकों के द्वारा जल संरक्षण, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम हैं इस तरह के नारों से जल का महत्व, जल को बचाने के महत्व को सुझाया गया।

(श्री हीरालाल)

इसी के साथ-साथ कृषि के बारे में भी, बीज वितरण किये गए, आर्थिक सहायता कृषि विभाग के माध्यम से दी गई, इसी प्रकार कृषकों को जो लाभ दिया गया वह एक सराहनीय कदम कृषि विभाग का है।

इसके साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, पिछली सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना को शामिल नहीं किया गया। हमारी सरकार बनी, वसुन्धराजी राज में आई तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को मूर्तरूप दिया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उनको डीपीआइपी के माध्यम से अनुदान दिलाकर, 10 प्रतिशत वो जमा कराते और 90 प्रतिशत उनको बैंक से मिलता, जो पैसा चुकाना नहीं पड़ता। इस तरह टेंट व्यवसाय, बैण्ड बाजा, भेड़, बकरी इनके लिए यह, उनको सहायता दिलाई गई जिससे गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हमारी सरकार ने गरीबों के हित में लिया लेकिन इस कार्यक्रम के तहत जो एनजीओज हैं वह स्वच्छंद है, उन पर हमारा कन्ट्रोल होना चाहिये, क्योंकि पैसा सरकारी है, गरीब को वापस नहीं देना पड़ता है इसका यह मतलब नहीं है कि उस पैसे का समुचित सदुपयोग नहीं हो, तो मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे क्षेत्र में, माननीय कृषि मंत्रीजी जो हमारे जिले के हैं इन्होंने सोइला में मिर्च मण्डी जो पहले टोंक में, मिर्च के उत्पादन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, चूंकि कृषि मंत्रीजी कृषि परिवार से हैं और कृषि परिवार नहीं बल्कि कृषक मजदूर परिवार से हैं। बहुत छोटे से स्थान से आए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे परिवेश के व्यक्ति को कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री बनाया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा । जो कृषि के मामले में समझते हैं और फिर सबसे बड़ी बात है कृषि के साथ-साथ सहकारिता विभाग और जोड़ा उसके लिए भी मैं अपनी ओर से, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इनकी योग्यता को देखते हुए, इनका गरीबों के प्रति झुकाव देखते हुए, अभी सभी पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया कि इनको कृषि में बहुत अनुभव है, सारी बात हुई, डा. पुरोहितजी ने बताई, (व्यवधान) हां, इजरायल जाकर आए हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह योग्य है, आप अयोग्य थोड़े ही हो।

श्री हीरालाल (निवाई): कौन?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आप।

श्री हीरालाल (निवाई): आप की तरह हूं मैं तो अभी। मैं तो आपकी तरह हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मैं तीन बार आया हूं। मैं तो तीसरी बार आया हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं तो रघुवीरजी, पहली बार आया हूं। योग्यता अयोग्यता का तो प्रश्न नहीं किया। मैंने आपकी सरकार के प्रति कोई कमेण्ट नहीं किया। आप क्यों बीच में खड़े हो गये। आप हमारी भ्रूण हत्या मत करो। नयों को सीखने दो। आप तो पुराने सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप किसको हराकर आये हैं, यह बताओ।

श्री हीरालाल (निवाई): आप किसको हराकर आये हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप किसको हराकर आये हैं, यह बताएं।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं उप मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार के उप मुख्य मंत्री को हराकर आया हूं। आपकी सरकार के मुख्य मंत्री को।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हीरालालजी, आप जिनको हराकर आये हैं, वह ठीक हराकर आये हो। उनको तो ये भी नहीं चाहते थे।

श्री हीरालाल (निवाई): अच्छा-अच्छा। तो बीच में आपने व्यवधान पैदा करके सारा मोशन ही खतम कर दिया। (व्यवधान) दूसरा, जो इन्होंने सोहेला में मिर्च मण्डी बनाई, वह जिले की नहीं, बल्कि एक तरह से राजस्थान की अच्छी मण्डी होगी। जो गरीब मिर्च उत्पादन करते थे, उनकी फसल का प्रोपर मूल्य नहीं मिलता था। आज वह मिर्च मण्डी बनने से उन लोगों को अपनी फसल का समुचित मूल्य मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि मेरे उप खण्ड निवाई, जो क्षेत्र है, उसमें एक सहायक निदेशक, कृषि का पद सृजित करावें। पुन: आपका आभार, सभापतिजी, आपने समय दिया, जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम्।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सायं सात बजे तक के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आदरणीय भरतसिंहजी।

मांग संख्या 28, 37 व 39 पर विचार

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय सभापतिजी, आज मांग संख्या 27-कृषि, 39-पशुपालन, 28-ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। कृषि के सम्बन्ध में सदन में और सदन के बाहर हम राजनीति करने वाले लोग-बाग बहुत शोर करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा है तो एक-चौथाई भी सदस्य हमारे यहां उपस्थित नहीं हैं। और यही नजारा पार्लियामेंट का है। अगर अव्यवस्था के लिये कोई जिम्मेदार है, कृषि क्षेत्र के लिये तो बहुत हद तक चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं। क्योंकि उन्होंने कभी गम्भीरता से इस विषय को नहीं लिया है। आज जब भारत प्रगति के मार्ग पर है और 9 प्रतिशत ग्रोथ है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2 प्रतिशत से कम है। यह चिन्ता का विषय भारत के प्रधान मंत्री के लिये भी है और सब के लिये है। कल हमारे उप राष्ट्रपतिजी ने इसके ऊपर चिन्ता की और जो भी आदमी समझता है वह मानता है कि भारत में कृषि पिटती है तो भारत का सही रूप से विकास नहीं हो सकता है। जिस देश में 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती हो और ग्रोथ की दर 2 प्रतिशत से कम है तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। कृषि के पिछड़ने के अनेक कारण हैं। जब तक हम उन कारणों को नहीं सीखेंगे, सिर्फ हम इसी में उलझेंगे कि 5 साल पहले आपका यह था और हमने इतना बांट दिया, इतना कर दिया तो उससे विकास नहीं होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कृषि मंत्री कृषि से सम्बन्धित मंत्री हैं, कृषि से सम्बन्धित मंत्री मतलब, आप कृषि से जुडे हुए हैं और एक माननीय

(श्री भरत सिंह)

सदस्य ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि जब इजरायल गये तो कृषि मंत्री को उसका ज्ञान था। माननीय कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे एक अनुरोध करुंगा कि आपको रुचि है तो आप यह सुनिश्चित करें कि आपके उच्च पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, क्या उनको भी रुचि है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैंने बहुत बरसों पहले एक किताब पढ़ी थी कृषि के ऊपर। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था कि अगर आपको खेती में रुचि है तो इस किताब को आगे पढ़ना। नहीं तो पहले पन्ने को बंद करके इस किताब को रख देना। मोटी किताब थी। शुरूआत इस प्रकार से थी कि जिस विषय में आपको रुचि है तो पढ़िये और नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको जो लिखने वाले थे उसने इस रूप में एडवाइज किया कि को उसको मत पढ़ना। तो आपके अधिकारी जो उच्च स्तर पर बैठे हैं उन्हें कृषि में रुचि नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए कि तुम्हें रुचि है क्या। नहीं तो वह जिस विभाग में जाना चाहता है, वह उनको दें और उनको मुक्ति दें। आपके विभाग में मुझे मालूम है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, जिनको कृषि के बारे में जानकारी है। ऐसे लोगों को पूरा मौका दें कि खुल कर काम करें।

आज किसान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि कहने को तो कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। कृषि के बारे में बात आती है कि स्टेट सब्जेक्ट है। मगर आधे से ज्यादा कृषि से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वह केन्द्र से सम्बन्ध रखते हैं। और केन्द्र में सरकार की किसी की भी हो। आज आप यहां हैं, केन्द्र में सरकार दूसरी है। कल परिस्थितियां पलटेंगी और पलटती रहती हैं। राजनीतिक व्यवस्था है। मगर जहां तक जो हमारी समस्या है, दोनों में तालमेल नहीं होगा तो कृषि की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। जैसे स्टेट में, बिजली स्टेट सब्जेक्ट है, सिंचाई स्टेट सब्जेक्ट है, सहकारिता स्टेट सब्जेक्ट है, कृषि विस्तार का कार्यक्रम, आपरेशन स्टेट सब्जेक्ट है, पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट पालन स्टेट सब्जेक्ट है। मण्डी और बाजार व्यवस्था यह स्टेट सब्जेक्ट है। बीज और भण्डारण स्टेट सब्जेक्ट है। कृषि शिक्षा, यह स्टेट सब्जेक्ट है। मगर इससे जो रिलेटेड दूसरी बातें हैं, आयात-निर्यात, यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, उर्वरक का मूल्य, यह केन्द्र सरकार से है, फसल बीमा, यह भी केन्द्र सरकार से है, मूल्य नियंत्रण, यह भी केन्द्र सरकार से है, आधारभूत संरचना केन्द्र सरकार से है, बैंकों का ऋण, नाबार्ड, वह भी केन्द्र सरकार से है। प्राकृतिक आपदा, वह भी केन्द्र सरकार से है। कृषि आर्थिक सहायता,

(श्री भरत सिंह)

अनुसन्धान, सीमा शुल्क, यह सब केन्द्र सरकार से है। और जब इस प्रकार की व्यवस्था हो तो किसानों के साथ न्याय-संगत कार्यवाही होना सम्भव नहीं है। जब बात की जाती है कि किसान की पैदावार बढ़े, उसकी हालत सुधरे। जब हालत सुधरने की नौबत आती है, किसान की हालत सुधरेगी कैसे। जो वह पैदा करेगा, बाजार में बेचेगा उसी से तो मिलेगी। और जब बाजार में बेचने जाए और उसके भाव मिलने लगें तो बोलें कि अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी। बाजार मूल्य बढ़ गया। यह केन्द्र से सम्बन्ध रखता है। आयात शुल्क कम करो। जब सरसों पैदा होती है यहां पर और हम मण्डी में बेचने जाते हैं तो आयात शुल्क पूरा माफ कर दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि सरकार को खरीदने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और सरकार जिसको उपलब्धि करती है कि हमने 12 लाख, 14 लाख मीट्रिक टन खरीदा, 27 हजार करोड़ का खरीदा, यह निश्चित रूप से आपने खरीदा है मगर साथ में आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जितना आपने खरीदा है, अगर 27 हजार करोड़ का खरीदा है तो 35 हजार करोड़ का किसान ने कम दाम पर बेचा है। इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा। आज गांव, कृषि में ऐसे-ऐसे शब्द आ गये, जिसको मैं तो नहीं समझता हूं, कृषि मंत्रीजी आप भी नहीं समझ पाएंगे शायद, आप समझते होंगे, आप ज्ञानी हैं कृषि के बारे में। पर आम किसान तो नहीं समझेगा। सट्टा बाजार, अब सट्टा बाजार क्या चीज है, डबल्यू.टी.ओ., वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन, उसके क्या दुष्परिणाम हैं किसान के ऊपर। किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। कोई चीज, केवल नई आर्थिक व्यवस्था के अन्दर कि किस प्रकार से, जो पहाड़ में किसी सिपाही को भेजते हैं तो उसको बेस कैम्प में रखते हैं ताकि टेम्प्रेचर से एकुमलेट हो जाए। नहीं तो उसका दम फूल जाएगा वहां पर। आपने गांव के किसान को छोड़ दिया खुल्ले के अन्दर, और बोले कि तू जीवित रहेगा। और हम यहां पर कहते हैं कि हम उसके लिये बहुत काम कर रहे हैं, टेबल ठोक रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि गांव के विकास के लिये दो संस्थाएं आवश्यक हैं, पंचायती राज और सहकारी। और मेरे मुंह से सुनिये कि दोनों का भट्ठा बैठा हुआ है। (व्यवधान) भैया, मत बोलो, मैं बैठ जाता हूं। आप बोलिये। क्या मतलब है यह। तमाशा यही तो है। (व्यवधान) कोई हित में बात करे उसके अन्दर आपको तमाशा आता है।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं तीन बार पंचायत का सरपंच रहा हूं, तीन बार सहकारी का अध्यक्ष रहा हूं। दोनों संस्थाएं डूब गयी हैं। सहकारी को

(श्री भरत सिंह)

आप ऋण बांट दो और बैंक का प्रोफिट हो जाए तो वह सहकारी में चलता हुआ मत मानो। जहां भी सरकार ने सहकारी में हाथ लगाया है भस्मासुर का काम किया है, भस्म हो गयी वह संस्था। तिलम संघ आपने चलाया, कितने भी चलाये, सब 10 करोड़ का घाटा है। काटन को आपने सहकारी में चलाया 42 करोड़ का घाटा है, शुगर को आपने हाथ लगाया, वहां घाटा है। तो सरकार तो चलाने में सक्षम नहीं है और जो चलाना चाहता है उसके लिये रास्ता, अपन निर्णय नहीं ले पाते हैं। शुगर मिल बंद है। मैंने गंगानगर शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ा कि हमारी कोटा में शुगर मिल बंद है, गंगानगर शुगर मिल चल रही होगी। और गंगानगर शुगर मिल, उसमें तो शुगर की बात ही नहीं, उसमें तो बात दारु की है। पूरे वार्षिक प्रतिवेदन में शक्कर का कोई लेना-देना नहीं, उस शुगर मिल से कोई सम्बन्ध नहीं। नाम शुगर मिल है, मेरा प्रस्ताव है उसका नाम आप गंगानगर दारु मिल कर दो। आप नाम उसका नाम चेंज करो, भाई। वार्षिक प्रतिवेदन, शुगर से क्या लेना-देना? शुगर जो फायदे की चीज है, यू.पी. में 19 नयी फैक्ट्री लगी हैं शुगर की, राजस्थान में क्यों नहीं लगी? राजस्थान में जहां 65 हजार हैक्टेयर में गन्ना होता था, आज पांच हजार में ही रह गया। जो चीज राजस्थान के हित में है, चम्बल की कैनाल के अन्दर आपका वह गन्ना करिये, गन्ना अगर मौसम परिवर्तन होगा, ओला भी पड़ेगा तो वह गन्ना बच जाएगा। प्रोफिटेबल है। शुगर मिल आपसे नहीं चले तो बेचने का निर्णय लें और यह बैठी क्यों? बैठी इसलिए कि सरकार में जब भी भर्ती होती है, मैं, सरकार की व्यवस्था इस प्रकार क्यों हो गयी, मैंने पहले भी विधान सभा में कहा है, मैं वापस यह कहता हूं कि आज लोग सरकारी नौकरी के लिए लालायित हैं। वह चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं रामायण के अन्दर रावण का महत्व इस बात के लिए जानता हूं कि रावण का महत्व रामायण में इसलिए है कि उसको पता चल गया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। रावण को मालूम था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। आज जो सरकारी नौकरी में बैठ गया उसने रावण का रूप ले लिया। वह निश्चिंत हो गया। उसको कोई हटा नहीं सकता। उसकी तुंदी में कोई तीर नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी तुंदी है ही नहीं। उसकी नाभि में कोई तीर नहीं मार सकता। ऐसी व्यवस्था हो गयी इसलिए सहकारी विभाग तो आपका चल नहीं सकता। पंचायत की आपके व्यवस्था यह है कि पावर देने की बात है और पावर लेने की बात जो अभी वापस बात आयी, लेंगे नहीं तो क्या करेंगे?

(श्री भरत सिंह)

आपने मटका तो बना दिया। कुम्हार मटका बनाता है तो उसको आग में तपाता है। वह कच्चे मटके में तुम पानी भरना चाहते हो। वह तो पता नहीं कैसे तो जीतकर आ गया और कैसे आप उसको कोई आप अच्छा कदम ले रहे हैं मगर यह तो स्वीकारना पड़ेगा कि आपने राजनीति की नर्सरी जिसमें से लोग-बाग निकल कर आते थे उसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मैं, महिलाओं के आगे आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जब महिलाएं आगे आकर काम करती हैं। मैं शिड्यूल्ड कॉस्ट या किसी कॉस्ट के रिजर्वेशन के संबंध में भी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज की नर्सरी, जिसको उजाड़ दिया, उस व्यवस्था में से कोई नहीं आएगा और अब राजनीति में आएंगे तो हुड़दंग करने वाले आएंगे। दारू के ठेकेदार आएंगे जो इस देश के लिए चिंता का विषय है और होना चाहिए।

किसानों की समस्या, अब मैं कुछ समस्याओं के ऊपर आऊंगा। किसान की अपनी समस्या है। कुछ समस्या सरकार से है और कुछ समस्या बाजार से है। आज दुर्भाग्य से कृषि का यह स्तर हो गया है कि कोई किसान अपने आप को खेती करने में आत्मसम्मान महसूस नहीं कर रहा है बल्कि बहुत कम लोग-बाग होंगे और डाक्टर स्वामीनाथन ने तो यहां तक कहा है कि अगर चालीस प्रतिशत लोगों को खेती से विकल्प मिल जाए तो वे खेती छोड़ना चाहेंगे और अगर किसी किसान के पास कोई मोटर दिख रही है आपको बड़ी वह इसलिए नहीं है कि उसने कोई आंवले के बगीचे से पैसा कमा लिया होगा या कोई आम के बगीचे से कमा लिया होगा या कोई बहुत अच्छी खेती हुई हो, उसकी। वह इसलिए है कि उसने जमीन बेची, उसके भाव बढ़ गये हैं इसलिए और वह, यह प्रथा चलती जाएगी और ज़मीनें घटती जाएंगी, सिंचित ज़मीनें और दूसरी जो यह है यह इसमें निगलते जाएंगे।

अपर्याप्त आय। वह आय की कोई गारंटी नहीं। कृषि में जितनी अनिश्चितता है, अभी ओलावृष्टि हुई। पूरा जो सब कुछ सजाकर रखा था, जो उम्मीदें थीं वह सब नष्ट हो गयीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 करोड़ की जो है, मांग हुई सदन की कि कुछ आप और पैकेज दें, जो मिल रही है सहायता, उसके अतिरिक्त 100 करोड़ दिया, मैं उनका स्वागत करता हूं मगर मुझे खेद है कि वह 100 करोड़ देने के अलावा वह आज इस सदन में बैठकर इस चर्चा में भी भाग लेतीं ताकि हम उनको, सुनतीं कम से कम ताकि उनको जो सुझाव हम दे रहे हैं उसके ऊपर वह थोड़ा चिन्तन करतीं और उसके अनुसार अमल करतीं।

(श्री भरत सिंह)

सरकार से संबंधित जो है। सरकार का बजट का जो आबंटन है, चाहे वह केन्द्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जी.डी.पी. में उसके अनुपात में न तो केन्द्र सरकार बजट आबंटित करती है और न राज्य सरकार बजट आबंटित करती है। आधारभूत संरचना, आज अभी यहां शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं मगर इस सदन में आपको मालूम है कि पचास हजार अध्यापकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। प्रदेश का 70 परसेंट किसान है और पढ़ाई के बाद एक ...(व्यवधान) में, मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पढ़ने के बाद उसका लाभ वह कृषि में लें तो समझ में आता है मगर पढ़ाई के बाद मैं तो मेरे गांव में देख रहा हूं कि आदमी जो गाय-भैंस चराने वाला पीछे चलता था, आज वह जब से उसने जींस पहन ली और टी-शर्ट पहन ली तो वह गाय के पीछे चलने में ही उसको शर्म आ रही है। गाय तो ले जा रहा है पर गाय वहां चल रही है और वह पीछे चल रहा है कि कहीं कोई देख नहीं ले मुझे। ऐसी शिक्षा जो आपको स्कूल से, अपने गांव से दूर ले जाए और पलायन लोगों का शहर की तरफ हो उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। मैं शिक्षा का विरोध नहीं कर रहा। मैं यह कह रहा हूं, कृषि मंत्रीजी, आपकी जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उस ग्राम पंचायत के अनुपात में आधे भी, दो ग्राम पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवक है और 25 परसेंट कोई भी विभाग के कर्मचारी तो हर वक्त आपको एब्सेंट मिलेंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप बांटना चाहते हैं अगर आप 1000 लोगों का भोज करते हैं, खाना करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास परोसने वाले तो होने चाहिए।

एग्रीकल्चर का आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यह आज से नहीं है। आप इसको यूं मत लेना अगर आप जवाब दें तो यह मत बोलना कि हमने इतना कर दिया तुम्हारे राज में यह था और उसके पहले यह था और उसका यह था। 60 के दशक के बाद से कृषि नेग्लेक्टेड है। कृषि का सबसे बड़ा इनग्रेडिएंट वाटर। राजस्थान के अन्दर जहां 30 परसेंट जमीन कुल सिंचित है। 70 परसेंट जमीन असिंचित है। वहां हमको शर्म आनी चाहिए, हम चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को कि हम उस एक प्रतिशत पानी का उपयोग नहीं कर सकें। 40 प्रतिशत पानी बह कर जा रहा है। हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। एक प्रतिशत पानी जो हमें उपलब्ध था प्रकृति से उसका भी हम उपयोग नहीं कर सकें। चालीस प्रतिशत बाहर जा रहा है तो हमारा डेफिनेटली

(श्री भरत सिंह)

इन्फ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है ही सही और उसके ऊपर भी अभी इस बजट के अन्दर भी क्योंकि इर्रिगेशन के ऊपर मैं बोल चुका हूं। मगर उसके ऊपर भी एम्फेसिस नहीं। इसी प्रकार से आप सहकारी का लें। सहकारी की हालत और भी खस्ता है। सहकारी के अन्दर आपने जो लोग-बाग लगा रखे हैं उनको तो सहकारी की नौकरी से उनसे कुछ लाभ ही नहीं। अभी मेरे यहां पर एक हमारी सोसायटी के पास, एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के पास, जो मेरे गांव की है, 20 लाख से अधिक उसका मुनाफा है और उस मुनाफे में काम करने के लिए वहां के जन-प्रतिनिधि बहुत और सैक्रेटरी बहुत, उनका भी बड़ा योगदान है। काम करते-करते चुनावों के पहले की बात है उसकी मृत्यु हो गयी। आज आपके पास क्या व्यवस्था है उन लोगों को सम्भालने की है?

पशुपालन की आप देखेंगे। पशुपालन का मैं आपको आकड़ा दूं तो वह की वह स्थिति पशुपालन की है। चार करोड़ से अधिक पशु आपके इस प्रांत में हैं। 9 परसेंट मिल्क प्रोडक्शन है आपका। 40 परसेंट ऊन प्रोडक्शन है आपका और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट बंद कर देंगे तो खेती बंद नहीं होगी। खेती तो पहले से भी हो रही थी जब एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट एग्जिस्ट नहीं करता था।

सीड की बात करें आप। सीड ही सब कुछ है। टोटल रिप्लेसमैंट आफ गुड क्वालिटी सीड के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा मगर मैं आपको बताऊं अभी एक प्रश्न आया था थोड़े दिन पहले जिसका आप जवाब दे रहे थे। वह टेगिंग की बात आ रही थी। मेरे बोलने की तो उस टाइम भी आयी थी पर मैं सोच रहा था कि जब डिबेट में नम्बर मिल जाएगा तो उस टाइम बोलूंगा। मैं बीज उत्पादक भी रहा हूं। दो प्रकार के किसान हैं इसके अन्दर जो बीज उत्पादन करते हैं। एक तो वह जो ईमानदारी से कहता करता है और दूसरा जो बेईमान है, जो मिला हुआ है उसके अन्दर। मेरे पैदावर 3 क्विंटल और मैं फलाता हूं मेरी क्विंटल पांच। मेरे खेत का इंस्पेक्शन करने के लिए एक बार आया। गेहूं बीज लिया। मैंने खेत के ऊपर लगाया तो वह विचित्र तरह का गेहूँ था। एक यहां था, एक वहां था, एक वहां था। उसका इंस्पेक्शन करने वाले आये। मैं वहीं था फील्ड पर। मैंने कहा क्या करने आये हो? साहब, इंस्पेक्शन करने आये हैं? मैंने कहा क्या इंस्पेक्शन करोगे? साहब, यह क्रोप इसके जो ऊपर दांगियां निकल रही हैं न इनको आप निकाल देना। मैंने कहा उसके बाद पास कर दोगे, तुम? हां, कर देंगे, साहब, यह निकल जाएगी तो।

(श्री भरत सिंह)

मैंने कहा कि आधा खेत खाली हो जाएगा। तुम जिसको पास कर रहे हो वह तो मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। ऐसा बीज किसी और को मेरे बाद का मत दे देना तुम किसी को। तो यह स्थिति है। एक आदमी ने रिजेक्ट कर दिया। वह कभी आया ही नहीं था। क्योंकि आपके जाकर इंस्पेक्शन पर पैसा लेते हैं वह लोगबाग। यह हकीकत है। आपकी छाप लगी हुई है, लोगबाग उसको ले लेते हैं मगर ग्राउंड रियलिटी यह है और व्यवस्था, उसको नापेंगे कैसे आप? खाद को कैसे नापेंगे? उन लोगबागों को भ्रम है कि इस खाद के बिना फसल नहीं होगी, उसको क्या मालूम है कि वह खाद जिसको वह डाल रहा है वह रेत है। कोई तरीका है नापने का? कोई तरीका नहीं है और जब इतनी गुंजाइश है कि जब शार्ट सप्लाई में कोई चीज आ रही है तो आपको रेत भी दे सकता है कोई। कहां इंस्पेक्शन करने जाओगे उसके पास, उसका तो वह तो धन्यवाद देगा कि देखो चुपचाप आना, पीछे के दरवाजे से, तेरे लिए 50 कट्टे रख रखे हैं। पूरा कायदे से टेगिंग है। दूसरा, दवाइयों के जब आदमी की दवाई में ही नहीं चूकते, जब खून में मिलावट कर सकते हैं तो आपको तो, उसको कौन छोड़ेगा और बीच की स्थिति क्या है? आपकी पैदावर बढ़ रही है किसी की? इस साल पैदावर कम है। क्या हमारे पास प्लान है गर्मियों के लिए। कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे पूछता हूं अगर बिजली मंत्रीजी यहां पर विराजमान हो तो क्या समर के लिए प्लान करा है क्या कि दालों की कमी है, मूंग के लिए कोई प्रोग्राम है? एक दाना भी अवेलेबल नहीं है।

मैं यहां आने से पहले पूछकर आया था जब दालों की कमी है कि हमारे पास उसकी थी तैयारी, क्या बिजली की तैयारी थी हम तो बिजली में गंगा नहाये कि मुश्किल से खेती का सीजन छूटा है तो काश्तकार को बिजली देने की व्यवस्था थी, चलो अब डिमाण्ड तो कम होगी, किसान का बिल आना बंद हो जायेगा। किस बैक-ग्राउण्ड में किसान जिंदा है, किस प्रकार वह खेती कर रहा है, अगर उसकी लागत जोड़ेगा तो कुछ निकलेगा नहीं। उसकी मजदूरी की लागत जोड़ेगा। अभी तो वह अपनी मजदूरी को तो गिन ही नहीं रहा। वह कह रहा है जितना उसने किया है उसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं रहा तो इस प्रकार की स्थिति है।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं हर साल आपके आंकड़े देखता हूं और जो भी कुर्सी पर बैठा है उसके पहले ने जो छापा है, वह उस पर दस्तखत करके भेज देता है । मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं

(श्री भरत सिंह)

कुक्कुट पोलट्री के बारे में, क्या कर रहा है राजस्थान पोलट्री के बारे में। मैंने पिछली बार एक व्यावहारिक प्रश्न किया था क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केटिंग की है। प्रोडक्शन इज नाट द प्रॉब्लम। अभी कोटा में एक कृषि मेला था। एक किसान आया और बोला मैंने यह ब्रोकरी कर ली, अब इसका क्या करूं ? मैंने कहा प्रॉब्लम यही तो है। मैं वह किसान हूं जिसने बग़ीचा लगाया और जब खूब फल दे रहा था तब उसकी आमदनी का रिटर्न नहीं मिला, उसको कुल्हाड़ी से कटवाया है। जब देश आजाद हुआ था तो सैकड़ों लोग-बाग़ बाहर से आये। उनके पास कोई धंधा नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक धंधा किया सब्जी लेकर बेचे। आज जहां-जहां भी लोग सब्जी के धंधे में जुड़ गये, उनके बड़े-बड़े मकान हैं सब शहरों में और हर किसान से वह आगे हैं क्योंकि पैसा बेचने में है और मंडी के ऊपर आज किसान का कोई नियन्त्रण नहीं है। जब चाहे वह हड़ताल कर दे और जिसमें भी हड़ताल करने की ताकत है, मंडी के दरवाजे बंद करने की ताकत है, उसकी चलेगी। इस व्यवस्था को भी हमें रोकना पड़ेगा। आपने अभी कोटा में कैम्प किया। मुख्य मंत्रीजी ने जब 26 जनवरी को मंत्रियों की बैठक की, आप भी वहां पधारे थे। किसानों ने आपको भी दरख्वास्त दी कि हमारी सबसे बड़ी भामाशाह मंडी के अंदर अनधिकृत रूप से महिलाएं इस प्रकार की आ जाती हैं और कम से कम एक दो नहीं एक हजार, पन्द्रह सौ महिलाएं किसान का माल समेट लेती हैं । आपने आदेश दिया इसको बंद करो। क्या हुआ आपके आदेश का ? पालना हो गयी उस आदेश की ? मंत्री आदेश करे 26 जनवरी को, मुख्य मंत्री कैम्प लगाये और उस आदेश की धज्जियां उड़े तो यह तो आपको सोचना पड़ेगा और आप तो योग्य मंत्री हैं, किसान की सोचते हैं । कौन सोचेगा, आपके निर्णय की पालना तो आप करेंगे और नहीं कर पायेंगे, मैं आपसे फिर बोलता हूं, क्योंकि वह धरना, प्रदर्शन करेंगें और आपके पास टेलीफोन आयेंगे और आपके सामने बड़ी विचित्र स्थिति हो जायेगी। कमिट मत कर देना इस सदन के अंदर।

मैं एक चीज और निवेदन करूंगा, आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने 32 साल बाद कृषि उपज मंडी के चुनाव कराये और मैंने आपको सचेत किया था। मैंने कहा आप चुनाव तो करवा रहे हो, वाहवाही ले रहे हो मगर मरे हुए घोड़े पर जीन कस रहे हो आप। आपकी कृषि उपज मण्डी मरी हुई है और उसका शोषण जैसे जोंक खून निकालती है, उसका दोहन यह सफेद हाथी, कृषि विपणन बोर्ड कर रहा है, क्या काम है उसका? सार्वजनिक निर्माण मंत्री चले

(श्री भरत सिंह)

गये, 14 हजार कि.मी. सड़कें आपसे बनवा ली हैं इन्होंने कोयल की जैसे आपके घोंसले में अंडा दे दिया और आप कव्वे के रूप में उसका बच्चा निकालकर सह रहे हो और वह कूं-कूं बोल रहा है तो सड़कें तो इनकी हैं और बना आप रहे हैं। पैसा हमारे से ले रहे हो, इसका क्या लेना-देना है ? यह किसानों का पैसा है, मंडियों की दुर्दशा हो रही है, अनाज भीग रहा है पानी आ रहा है तो 1400 कि.मी. सड़कें बनाकर छाती ठोक रहे हो । पी.डब्ल्यू.डी. की जो सड़क नीति है उसमें कराये। सड़कें बना दीं, वह बोलते नहीं, इनसे पूछेंगे वह बोलेंगे कृषि उपज मण्डी की । कृषि उपज मण्डी में जब यह सड़कें बनाने की बात रखी थी वह यह थी कि गांवों में उस जमाने के अंदर आने-जाने में कहीं दिक्कत होती नदी-नाले पर पुलिया कहीं बन जाये तो लोग-बाग़ आये। इनके पास पैसा नहीं। आपकी आमदनी दिखती है 160 करोड़ नाबार्ड से लोन लेना, आपके हिस्से की राशि दी और ले लिया। यह आप ही नहीं कर रहे हो यह पहले की सरकार भी कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम इतने कमजोर हैं चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की बात आपको समझ में आ गये, आपने एक बार मुझे कह दिया था, जब बात कर रहा था बाहर निकले तो, आपको ध्यान होगा । आपने कहा भरत सिंहजी आपकी बात में दम है और मैंने आपसे कहा था दम मेरे में नहीं, दम तो आपमें चाहिये मंत्रीजी, कलम तो आपके हाथ में है। आपके हाथ में दम है । मैं मानता हूं बहुत योग्य मंत्री हैं करिये इसको। राजस्थान का उद्धार करिये, इस हाथी को मारिये। भगाइये सफेद हाथी को और पैसा यहां दीजिये। 160 करोड़ रुपये यहां मत लाइये, क्या तमाशा है ? पैसा यहां से लो, बेशर्मी से उस पैसे को वहां भेजो कि कोई मरा है, स्वीकृति आप दोगे क्या ? पैसा तो यहां से ले रहे हो आप और उसको वापस भेजते हो। आपको पाले कृषि उपज मण्डी, जो खुद का कर रहे हैं किसान का टैक्स आगे भी बढ़ाओगे तो वह मना नहीं करेगा। उस पैसे को आप वहां लगायें। क्यों ला रहे हैं पैसा, उसको एक जिला स्तर पर रखें। आपके जब ओलावृष्टि होती है, दूसरी चीज होती है वहीं 30 प्रतिशत अगर आप जिला स्तर पर रख दें तो वहीं साल का 30 करोड़ रुपये होगा और इस प्रकार ओलावृष्टि जब कहीं हो जाये तो आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के यहां। किसान स्वयं अपने जिले के अंदर देखकर और फण्ड से दे सकता है और उसके लिये अगर दो पैसे और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो भी बढ़ा सकते हैं। माननीय योग्य कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि मैंने

(श्री भरत सिंह)

कुछ बातों पर आपका ध्यान दिलाया है, इन पर ध्यान दें। कृषि के विस्तार के साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था करें।

आंख मींचकर आंवला, क्या मालूम डाबर वाले ने सलाह कर ली कि मुझे आंवला नहीं मिल रहा है, आंवला उगाओ। वह लेकर क्या करेगा। किसी ने कहा लड्डू अच्छे बनते हैं। अभी ग्राम सभा की मीटिंग में मैने एक लड्डू खाया, एक तो खा लिया पर दूसरा खाने को कहे तो एक ही मुश्किल से बीतता है। क्या करोगे आप आंवले का? आंख मींचकर लगाये जा रहे हैं। होर्टीकल्चर का है, उसकी मार्केटिंग का क्या है ? आपने कभी जाकर एग्रो फूड पार्क देखा कोटा का ? यह एग्रो फूड पार्क एग्रो से रिलेटेड है । 150 आदमियों ने प्लाट ले लिये कि कीमत बढ़ेगी । सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में क्या है, यहां आने से पहले मैं दुबारा देखकर आया था एक यूनिट चल रहा है। लोग-बाग पीछे पड़े हैं, आप एक-डेढ़ साल है उसको जाकर देखें और सुनिश्चित करें कि एग्रो फूड पार्क में एग्रो प्रोसेसिंग के काम चलें। चाहे वह जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे अलवर हो, चाहे गंगानगर हो। निश्चित समय निकल चुका है अगर आप उनको और समय देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन यह तो सुनिश्चित करें कि जिस काम के लिये लिया है, क्योंकि जहां भी रीको की जमीन ली है, उसका दुरुपयोग हुआ है।

पोल्ट्री की मैं बात कर रहा था 65 लाख लोगों ने बताया कि हमारे पोल्ट्री है। सफेद असत्य कह दूं सरासर गलत। आपके यहां प्रदेश में 30 लाख मुर्गियों से ज्यादा हैं ही नहीं। पहले जैसे रणथम्भौर के शेर हैं न, उस तरह से आप ही बता रहे हो 65 लाख, कहां हैं 65 लाख ? 10-11 लाख आपके अजमेर में है और उसके बाद दूसरे जिलों के अंदर हैं । आपने 65 लाख छाप दिया। आपके 30 लाख से कम हैं और यह पोल्ट्री का यह सिनेरियो है, आपके बगल में हरियाणा है वहां डेढ़ करोड़ बर्ड्स हैं, आपके बगल में पंजाब हे, वहां एक करोड़ बर्ड् हैं। क्या कहना है आपको पोल्ट्री के बारे में? जब पोल्ट्री स्टार्ट की थी, उस समय बेहतर व्यवस्था थी। एक पोल्ट्री को छोड़ दिया और आप छाप रहे हैं । मत्स्य आपने ले लिया। जो अलाइड सर्विस हैं एग्रीकल्चर की, उसके बारे में सिर्फ एक वार्षिक प्रतिवेदन निकालने के अलावा कुछ व्यवस्था ही नहीं है। मंत्रीजी, आप वेजिटेरियन हैं, मुझे मालूम है इसलिये जो मैं कह रहा हूं उसमें शायद आपको रूचि नहीं होगी। मगर यह हकीकत है मत्स्य का भी यही है। आपके जो इर्रिगेशन के तालाब हैं, मैंने तो पहले भी सुझाव दिया था कि

(श्री भरत सिंह)

इसमें आप व्यापक स्कोप, इसमें व्यापक ग्रोथ के लिये और आपके चार करोड़ मवेशी हैं राजस्थान में टेनरी कितनी है क्योंकि वही बात, कि सहकारी की बात चली थी, स्टेट जिसमें हाथ लगायेगा, वह खतम हो जायेगा। आपकी जो प्रोपर्टीज है चाहे उनको आप ओपन पारदर्शिता के साथ आप दीजिये, ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो कोई उंगली नहीं उठायेगा और आप गुपचुप तरीके से करेंगे तो निश्चित ही उंगली उठाना और गुपचुप तरीके से काम करने की आप लोगों की आदत पड़ चुकी । मैं आरोप लगाने के लिये आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे आश्चर्य हुआ जब आपका यह वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा और मुझे ताज्जुब हुआ किसान स्टोर्स के नाम से आपने जमीनें दी हैं। किसान स्टोर्स, मैं कोटा से आता हूं, किसान और उनकी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं को एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये टी.सी.एम., डी.एस.सी.एल. को निम्नांकित प्रांगणों में उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि किसान स्टोर्स की स्थापना के लिये आबंटित की गयी है- इटावा, सुल्तानपुर, केशोरायपाटन, पीलीबंगा और झालरापाटन। अब मैं आने के पहले आपको जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे पूछा आपको मालूम है क्या ? वे बोले हमें नहीं मालूम । मुझे भी नहीं मालूम मैं एम.एल.ए. हूं। आपको भी पता नहीं ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार के गोपनीय तरीके से क्यों दे रहे हो आप ? लोगों को मालूम होना चाहिये कि आप दे रहे हैं तो खुलासा कीजिये और किस टर्म्स एण्ड कंडीशन पर दे रहे हो आप ? तो यह कृषि मंत्रीजी, यहां पर सिर्फ आलोचना करने की दृष्टि से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि यह वह सर्विस है जिससे कि इस देश का, इस राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। इन पर ध्यान दें और विकास की ओर कृषि को ले जाएं।

मैं आपसे यह भी कहूंगा कि सारा ज्ञान किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, आप जब भी मुख्यालय में जाएं, आप कोटा गये, आप काश्तकारों की मीटिंग लीजिए न। आप बोलिये, अख़बार में करिये कि हम कोटा आ रहे हैं, किसानों से सब चर्चा करना चाहते हैं। किसानों से बात करिये। कभी आपने इस प्रकार का साहस तो दिखाया नहीं कि आप कभी कोटा आये या कहीं अलग-अलग जगह गये और आपने अख़बार में प्रकाशित किया कि कृषि मंत्रीजी इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपके अधिकारी भी आते हैं तो गोपनीय तरीके से आते हैं। यह आपके विभाग के नहीं, राजस्थान के सब बड़े अधिकारी आयेंगे वह दूसरे दिन अख़बार में पढ़ेंगे कि, साहब, अमुक अधिकारी आये थे, वह चले गये।

(श्री भरत सिंह)

सभापतिजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने घंटी नहीं बजायी, मुझे अवसर प्रदान किया, कहने के लिए बहुत कुछ है पर बहुत कुछ और माननीय सदस्य भी बोलेंगे इसलिए इतना समय आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36-कृषि, 39-प्रशुपालन एवं चिकित्सा तथा 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की इस चर्चा में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे और राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्रीजी, प्रभूलालजी सैनी को मैं तहे दिल से, हृदय से परबतसर, मकराना और नावां विधान सभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा और हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि राजस्थान में पहले मेरे ख्याल से एक ऐसा माननीय सदस्य हूं जिसकी धर्म पत्नी कृषि उपज मण्डी, कुचामन सिटी की अध्यक्षा जनरल, पुरुष की सीट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी के आशीर्वाद से और भगवान के पूरे आशीर्वाद से जब बराबर वोट आ गये तो लॉटरी में जीत कर आयी है। जनरल सीट पर महिला जो अनुसूचित जाति और राकेश मेघवाल की धर्म पत्नी है, शायद किसी भी माननीय सदस्य की पत्नी कृषि उपज मण्डी की चेयरपर्सन नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): वो तो दादागिरी से आये हो आप। हां, ऐसे नहीं, दादागिरी से आये हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): दादागिरी कभी चलती है क्या, सदन में दादागिरी चलती है क्या और मंत्रीजी के पास दादागिरी चलती है क्या।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): नहीं, वहां मंडी में तो दादागिरी से आये हो आप। सब को कैप्चर कर लिया, सब को कैप्चर करके पकड़ कर ले गये। दादागिरी की उससे आये हो आप।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास दादागिरी चलती है। चलो यह तो मानते हो कि एक अनुसूचित जाति, मेघवाल बंदे में यह ताकत तो है। यह तो मानते हो न। चलो ठीक है, सदैव से मानते रहे।

(श्री राकेश मेघवाल)

इसलिए मैं खुद किसान और कृषि उपज मंडी की मेरी पत्नी किसान, हर चीज से, गांव से, गरीब से और मजदूर वर्ग पर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से किसानों का भला करते हैं।

सभापति महोदय, ओलावृष्टि में राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देश आजाद होने के बाद में पहला इतिहास कायम किया है कि सी.आर.एफ. के 70 करोड़ के अलावा राजस्थान सरकार से 100 करोड़ देकर गांव के किसानों को जो लाभ दिया है यह शायद पहली बार हुआ है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपया दिया और राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 100 करोड़ दिया इसलिए राजस्थान के किसान भी मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि, माननीय मंत्रीजी, थोड़ा ध्यान दें, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ उसको तो आपने मान लिया लेकिन बारिश से और हल्की बारिश से ईसबगोल और जीरा है उसका जो नुकसान हुआ है, मैं आपसे और सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ईसबगोल और जीरे का जो 70-80 परसेंट नुकसान हुआ है उसको भी इसमें शामिल किया जाए।

सभापति महोदय, एक और मेरी मांग है कि 1998 में कृषि उपज मंडी का यार्ड गच्छीपुरा खोला था। उस समय राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत और आज महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उनके आशीर्वाद से कृषि उपज मंडी यार्ड गच्छीपुरा में खोला था लेकिन वो चयन में कुछ गलती रह गयी। शहर गच्छीपुरा के बाहर होने से वहां व्यापारी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और किसान भी वहां नहीं जा रहे हैं। बहुत बड़ी परिसम्पत्ति है इसलिए उसको नीलाम करके और गच्छीपुरा और भैंसरोली के मेन रोड पर कृषि उपज मंडी यार्ड पुन: स्थापित किया जाए जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, एक हमारा प्रपोजल है फल, सब्जी मंडी कुचामन सिटी बन कर तैयार हो गयी, आपके पास प्रपोजल लम्बित है, आप स्वीकृति प्रदान कर दें तो फल, सब्जी मंडी के किसानों को और वहां कृषकों को लाभ मिलेगा। कम से कम 60 लाख रुपये लगा कर फल, सब्जी मंडी तैयार की गयी और उसमें दुकानों के आबंटन के लिए, नयी कृषकों को दुकानें आबंटन नीति और व्यापारियों को भी उसमें दुकानें अलाटमेट के लिए, आबंटन के लिए

(श्री राकेश मेघवाल)

आपके पास प्रपोजल भेजा है, कृपया उसको भी, माननीय मंत्रीजी, स्वीकृति प्रदान करें। परबतसर में कृषि उपज मंडी, जहां से मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो कम से कम आपके आशीर्वाद से हमने प्रपोजल भेजा है कि कृषि उपज मंडी यार्ड भी परबतसर में खोला जाए।

एक, सभापति महोदय, आपने मिसिंग लिंक की सडकें दी हैं, कृषि उपज मंडी में शायद पहली बार आपने ऐसा नया कदम उठाया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और कृषि उपज मंडी के माध्यम से आप मिसिंग लिंक बनायेंगे, यह जो 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं, आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिस तरह से पी.डब्ल्यू.डी. में 200 करोड़ दिया है तो कृषि उपज मंडी का 100 करोड़ है, बढ़ा कर 200 करोड़ किया जाए जिससे समकक्ष काफी हद तक मिसिंग लिंक जुड़ जायेगी। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि हम डामर की सड़क तो बना देंगे लेकिन जो किसान एक ढाणी से मंडी तक आता है और उसकी पगडंडी पर हम ग्रेवेल, मूरड़ डाल कर या ग्रेवल बना कर अगर उस किसान को वहां से उसकी ढाणी से छोटे गांव से फल, सब्जी अनाज कृषि उपज मंडी में ले आये, वहां ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आना दुश्वार होता है। तो मेरे ख्याल से अगर लाख, पचास हजार रुपये छोटे-छोटे ऐसे टुकड़ों में अगर पैसा देंगे तो कई गांव ढाणियों की यह समस्या मिट जायेगी। जिसमें ग्रेवल का या मूरड़ का ऐसा उसमें किया जाए ताकि किसानों को, डामर की सड़क से ज्यादा किसान को उस ढाणी और मजरे को लाभ मिलेगा कि ग्रेवल सड़क बन गयी जिससे आवागमन में सुविधा होगी।

कृषि उपज मंडी, कुचामन सिटी में विस्तार के लिए, सौन्दर्यकरण के लिए यह पुराने समय से बनी हुई है, जर्जर अवस्था में है, ऊपर से पानी टपकता है तो उसमें कई बार अनाज भी खराब होते हैं तो इसलिए एक बार वापस प्रपोजल आपके यहां लम्बित है कि कृषि उपज मंडी, कुचामन सिटी का सौन्दर्यकरण किया जाए और एक कलर, जैसे जयपुर में पिंक सिटी है उस तरह से एक कलर, पिंक कलर पूरी कृषि उपज मंडी में हो ताकि कृषि उपज मंडी अलग से दिखे।

एक मैं यह चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से और आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि कृषि उपज मंडी चार साइड सड़क है कुचामन सिटी में और हमने प्रपोजल बना कर भेजा है कि चार साइड किसानों

(श्री राकेश मेघवाल)

को और व्यापारियों को दुकान अलाटमेंट कर देंगे ताकि उस कृषि उपज मंडी में एक विकास भी होगा, पैसा भी आयेगा और किसानों के हितों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों को भी उस कृषि उपज मंडी में दुकान मिलेगी और बहुत बड़ी जमीन है और चार साइड सड़क है तो इसलिए उस सड़क के किनारे दुकानों का गेट खुल जायेगा और कृषि उपज मंडी को भी लाभ होगा। उस दुकानों के अलाटमेंट में कृषि उपज मंडी के दुकानों के अलाटमेंट में और फल, सब्जी के दुकानों के अलाटमेंट में कृषकों का आरक्षण किया आपने। वो तो आरक्षण बहुत अच्छी बात है कि किसानों का आरक्षण किया, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार। मैं यह चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. के लोगों का भी आरक्षण किया जाए ताकि हर वर्ग के लोगों को जिस तरह से राजनीति में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण है, उस कृषि उपज मंडी की इन दुकानों में भी अलाटमेंट में आरक्षण किया जाए। मैं आपसे यह विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक कृषि किसान कल्याण योजना में जहरीला जानवर खा जाने से, चाहे सर्प हो, किसी तरह का कोई भी जहरीला जानवर डस लेता है, खा जाता है तो 50 हजार रुपये दे रहे हैं पहले शायद 30 हजार रुपये देते थे, राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी, आपके सहयोग से 50 हजार रुपये दे रहे हैं- ताकि उसके परिवार के भरण पोषण के लिए एक सुविधा मिल जाए और तत्काल राहत मिल जाए। उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पच्चीस हजार भी दे रहे हैं अंग भंग होने पर ही दे रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं और राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है खेजड़ी उसको तुलसी माना है उसके काम करते हुए भी गिर जाने से भी उस पेड़ को आपने उसमें शामिल कर दिया तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, इसकी जो प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी है। अब उसकी प्रक्रिया से एक तरफ तो किसी महिला का पति खेजड़ी से पड़कर या सर्प काटने से मर गया, अब उसकी प्रक्रिया इतनी है कि पहले तो पटवारी के पास जाओ, थाने में मुकदमा दर्ज कराओ या पंचनामा कराओ फिर आर आई के पास जाओ, सरपंच साहब के पास जाओ, पटवारीजी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ और उप खण्ड अधिकारीजी के पास जाओ फिर वह कम से कम दस जगह फाइल घुमाकर फिर कृषि उपज मण्डी के सैक्रेटरी के पास फाइल आती है। तब तक वह विधवा औरत कहां-कहां भटकेगी, वह गांव का किसान कहां-कहां भटकेगा।

(श्री राकेश मेघवाल)

तो मैं यह चाहता हूं कि इसका सरलीकरण जब अपने विभाग से अपन पैसा दे रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह मानना है और उनका आशीर्वाद है कि किसान को लाभ उस गरीब को मिलना चाहिए व उस मृतक के परिवार को लाभ मिलना चाहिए तो मैं आपसे नया कदम उठाते हुए यह चाहूंगा कि इसका सरलीकरण किया जाए। आप किसान वर्ग से हैं। आपको मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे हार्ड, ओनेस्ट और अच्छे किसान को मंत्री बनाया है और आपको पूरी इस बारे में जानकारी है कि इस प्रक्रिया में कई बार तो छह-छह महीने लग जाते हैं और छह महीने लगने के बाद वापस सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, दुबारा तो सचिवालय में फाइल पड़ी रहती है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप किसान हो और किसान की मदद करना चाह रहे हैं तो मैं यह चाहता हूं कि जो किसान वार्ड में जीतकर आया है....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय संसदीय मंत्रीजी अगर इन पाँच मंत्रियों को निकाल दो तो नौ रहते हैं । आप पांच मंत्रियों को अगर निकाल दो सदन में से तो केवल नौ सदस्य बचते हैं आपके । किसानों के मामले में राज कर रहे हो, 120 आपके पास सीटें हैं और कितनी लज्जाजनक ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अपने पीछे घूमकर देख लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपसे तो फिर भी हम सम्मानजनक हैं, हमारी संख्या को देखते हुए हम आपसे ज्यादा सम्मानजनक हैं। किसानों के हित की बात करने वाली सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो सोकर आ गये ना?

श्री सुरेश मीणा (करौली): सम्मानजनक तो हम लोग हैं जो बीच में बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नींद पूरी करके आ गये ना ? आपकी नींद में खलल तो नहीं हुआ ना ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आज पहली बार आपने कोई सही बात कही है बहुत पते की, समर्थन करते हैं आपकी बात का ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो निष्पक्ष बने रहते हो, कभी किधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो, आपकी कोई पैठ है क्या ?

श्री सुरेश मीणा (करौली): हमको बोलने नहीं दिया जाता है जब कि यहां बैठे रहते हैं हम।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपन सबके लिए चिन्ता का विषय तो है यह तो आप मानते हो ना कि इस गम्भीर विषय में सरकार की यह स्थिति है ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सदस्य हरिमोहनजी, इस सदन में नवरत्न काफी होते हैं, नवरत्न कोई कम नहीं होते हैं, नवरत्न तो बहुत बड़ा रत्न है इसलिए नवरत्न तो काफी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सबको नवरत्न ही डुबोते हैं ...(व्यवधान) जहां-जहां नवरत्न हुए वहां ही डूबे।

श्री हीरालाल (निवाई): अकबर के भी नवरत्न थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह भी डूबे बाद में।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): डूबने के लिए आपके तो पानी है नहीं, डूबेंगे काहे में ? डूबने के लिए पानी बचा है क्या आपके लिए है ही नहीं। अब मेरे आप विघ्न क्यों डाल रहे हो जब मैं किसानों की बात कर रहा हूं तो। कोई हक की बात बताते कि माननीय संसदीय मंत्री महोदय आपको किसानों के हक के लिए भी इसमें सरलीकरण करना चाहिए, यह कहना चाहिए लेकिन आप तो किसान हो ही नहीं, आपको कहां जरुरत है। आप तो नींद निकालकर आ गये और आकर मेरे विघ्न डाल दिया, एक ही काम है बस नाम हरि और काम विघ्न ...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मृतक परिवार को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़े। जब राजस्थान में पैंतीस साल बाद में एक साहस करके राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि उपज मण्डी के चुनाव कराये हैं और उसी तरह कृषक वार्ड से किसान जो जीतकर आता है वह वोट देकर कृषि उपज मण्डी के चेयरमैन का चयन करता है तो क्यों नहीं वह कृषक वार्ड के सदस्य को इसमें शामिल किया जाए और कृषि उपज मण्डी का सैक्रेटरी, कृषि उपज मण्डी का चेयरमैन और एक कमेटी अलग से जो बनी हुई है वह तहसीलदार बना हुआ है यह चार या पाँच का बोर्ड बैठकर हाथों हाथ उस किसान को पचास हजार रुपये मृत्यु के तीसरे दिन दिया जाए तो राजस्थान में यह कृषक मृतक परिवार को बहुत बड़ा लाभ

(श्री राकेश मेघवाल)
मिलेगा नहीं तो वह जीप का किराया लगाकर चक्कर काटते-काटते पचास हजार रुपये में दस हजार किराये के लग जाते हैं। उप खण्ड अधिकारी के इतना काम है कि समय पर उप खण्ड अधिकारी के साइन होते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी तीन, चार, छह महीने लग जाते हैं । इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आपके आशीर्वाद से आप इसमें पूरा भाग लेकर इसका सरलीकरण करके एक नया इतिहास कायम करेंगे।

कृषि महोत्सव आपने एक नया अभियान चलाया जिससे पूरे अधिकारियों को, कृषि उपज मण्डी के सदस्यों को और हम सभी माननीय विधायकों को इसमें जाने का मौका मिला तो एक गांव के खेत तक गये, उस मिट्टी में कैसा बीज चाहिए, उस मिट्टी में कैसा खाद चाहिए, उसका पानी कैसा है, हर तरह से किसान को उसकी क्वालिटी का पता चला कि मेरे खेत में इस तरह की मिट्टी में इस तरह का खाद और बीज चाहिए। उन्नत बीज आपने दिये हैं।

कई लोगों ने आरोप लगाये कि बीज में घटिया क्वालिटी आती है। मैं नहीं मानता जब माननीय प्रभुलालजी कृषि मंत्री बने हैं, इन्होंने साउथ से बीज मंगाया, वहां की जो कृषि है वहां की प्रयोगशाला से बीज मंगाए और इजरायल से खुद जाकर नई टेक्नालॉजी लाए हैं। उस टैक्नोलोजी के आधार पर राजस्थान में मैं यह चाहता हूं कि अब के जो अभियान चले, आपकी इजरायल की पद्धति का लाभ पूरे राजस्थान को मिले और आपके साथ जो-जो लोग गये हैं, जिले वाइज गये हैं उनको आप इस कृषि महोत्सव में जब वापस चलाएं तो उसमें शामिल करें ताकि उन किसानों को यह पता चले कि इजरायल में फव्वारा पद्धति से बूंद-बूंद सिंचाई से यह लाभ होता है क्योंकि राजस्थान में घटते जल स्तर को, जिस गांव में मैं रहता हूं मकराना, बोरावड़ में, माननीय सभापति महोदय, मैं भी किसान हूं, वहां खेती करता था लेकिन 1100 फीट पर पानी नहीं है, मेरी कम्पनी में आर. के. मार्बल में मैंने ट्यूबवैल खोदा 1100 फीट पानी नहीं है। अब बताओ आप क्या करेंगे, खेती कैसे चलेगी, बीस रुपये किलो गेहूं पड़ा पानी बाहर से ला लाकर।

तो किसानों की इस हालत को मद्देनजर रखते हुए यह जो आप पद्धति लाए, सराहनीय है। मैं आपकी बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं जो आपके दिमाग में और आपके साथ माननीय जितने सदस्य गये, उनका लाभ राजस्थान के किसानों को मिले नहीं तो आपके दिल में और जो गये उन

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय सदस्यों के दिल में रह जाएगी तो फिर किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वापस कृषि महोत्सव अभियान जो चलाया वह किसानों और किसान महिलाओं के लिए बहुत बड़ा लाभ का होगा। उसको आप लागू करें।

राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत और महामहिम उप राष्ट्रपतिजी भैरोंसिंह शेखावत ने उस समय बारानीं लगान माफ किया था और किसानों को दस हजार रुपये का, माननीय सभापति महोदय, उस समय मैं उस सदन का सदस्य था, राजस्थान के शेरे मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी मैं किसानों का बारानीं लगान माफ करता हूं। इसलिए मैं भी यह चाहता हूं कि जो इस ओलावृष्टि में किसानों को नुकसान हुआ है और उनका जो कर्जा हुआ है तो उसको भी आप माफ करने की घोषणा करें तो किसानों को फायदा मिलेगा।

पंचायत राज संस्थाओं का जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया, पंचायत राज की शुरुआत नागौर जिले से हुई, नागौर जिले में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जवाहर लाल नेहरू ने पंचायत राज की शुरुआत जिस जिले से मैं आता हूं वह जिला है नागौर, जिस पर किसी ने नहीं किया गौर, 1993 में पहली बार मैंने कहा, मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत, जिस जिले से मैं जीतकर आता हूं उस पर किसी ने आज तक नहीं किया गौर और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तुरंत कहा आज से होगा नागौर जिले पर गौर और 1993-94 में नागौर जिला राजस्थान में विकास की दृष्टि से प्रथम आया और उसके कलक्टर ललितजी मेहरा पूरे राजस्थान में प्रथम आये और सम्मानित किया। इसलिए मैं यह चाहता हूं आज भी माननीय सभी मंत्रीगणों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में विकास की गंगा सबसे ज्यादा आये ताकि फिर नागौर जिला प्रथम आये।

अभी वैसे चार 761 करोड़ की पेयजल योजना की माननीय मंत्री सांवरलालजी जाट ने घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, बजट दिया है, चालू हो गयी और इस पंचायत राज मैमोरियल हेतु पचास लाख रुपए नागौर को मिला है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को पूरे जिले की ओर से हम सभी माननीय सदस्य और जिले की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक हमारे नागौर जिले की बहुत बड़ी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। कनक्लूड करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): पहले हरिमोहनजी ने विघ्न डाल दिया इसलिये मैं आपसे ... (व्यवधान) प्लीज-प्लीज ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बीस मिनट आपने ले लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान में अगर कोई जिला है वह नागौर है। नागौरी बछड़े के नाम से प्रसिद्ध है। नागौरी बैल कहीं नहीं मिलते। नागौरी बछड़े सफेद दूध की तरह होते हैं। मारवाड़ी में कहावत है उनके थुथकी डालनी पड़ती है। नागौर में मेले भरते हैं। ऐतिहासिक विश्व विख्यात पशु मेला भरता है वह परबतसर विधान सभा क्षेत्र में भरता है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, यू पी, पूरे देश में यहां से बल्कि कई बार तो विदेशों में भी यह सैम्पल गया था नागौरी बछड़े का। जिसका एक-एक बछड़ा कभी 25,000, कभी 35,000 में आपस में कम्पीटीशन में बोली लगाकर बिकता था। आज माननीय सभापति महोदय, उस मेले की यह दुर्दशा हो गयी कि तीन साल के बछड़े के रोक लग गयी। अब आप सोचिये कटवाने के लिये 35,000 का बछड़ा कौन काटेगा ? कोई नहीं काटेगा। 25,000 का बछड़ा कौन काटेगा ? कोई नहीं काटेगा। अगर कोई काटने वाला है तो मरने वाला कोई होगा। पुराना नारा जिसको बोलते हैं मरने वाला होगा उसको सांठिया ले जाकर काटते हैं। यह रोक लगा दी। इसलिये माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को पूरे सदन की ओर से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें संकल्प लाकर तीन साल के बछड़ों की जो रोक है उसको हटाने का पूरे सदन के चरणों में सादर निवेदन है।

राजस्थान में जो प्राकृतिक जैसे वास्तु शास्त्र से वापस कृषि हो और वापस जमीन का जल स्तर बढ़े। गौ माता बिना कुछ नहीं है। अंग्रेजी पद्धति से किसान काम करने लग गये और बछड़ों के माध्यम से जो किसान खेती में काम करते थे उसका लाभ ज्यादा मिलता था। माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा जिस घर में संगमरमर की मूर्ति नहीं हो, जिस घर में संगमरमर, मार्बल नहीं होगा उस घर में सुख, शांति, अमन, चैन नहीं रहता। जिस घर में गाय और बछड़ा नहीं होगा उस घर में सुख, शांति, अमन और चैन नहीं रहता है। अपन सोने की अंगूठी पहनते हैं। किसलिये पहनते हैं ? यह भी स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होती है। इसी तर्ज पर गाय, बछड़ा घर में होना चाहिये। संगमरमर, मार्बल भी उस घर में लगा हो। वास्तु शास्त्र से बने हुए जिस सदन में अपन बैठे हैं यह राजस्थान का पवित्र सदन विधान सभाओं

(श्री राकेश मेघवाल)

में पूरे देश में प्रथम आया है। मैं इटली गया था। 15 दिन इटली रहा। वेनिस गया, जर्मनी गया, कलकत्ता गया, मुम्बई गया, चैन्नई गया लेकिन राजस्थान के पवित्र सदन जैसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों ? यह वास्तु शास्त्र से परिपूर्ण है।

माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा एक दुग्ध डेयरी परबतसर में खोलने की आपसे अनुमति, आज्ञा चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी डेयरी नहीं है। हमें अजमेर जाना पड़ता है। अजमेर से लगा हुआ पुष्कर राज तीर्थ। अजमेर, पुष्कर का पूरा एरिया मेरी बार्डर से लगता है। परबतसर में भी आप दुग्ध डेयरी खोलने की मेहरबानी करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, मैं आपका चेला हूं, आप घण्टी की तरफ क्यों कहते हो ? इधर कांग्रेस वाले बोलें तो किया करो। मैं आपका चेला हूं। आप मेरे साथ ही अन्याय कर रहे हो। इनका नाम नहीं लिया इसलिये यह घण्टी बजाने की कह रहे हैं।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मुझे वह तोहफा दिया है कि पूरे देश में सड़कों के मामले में मेरा परबतसर विधान सभा क्षेत्र नागौर जिले में प्रथम और पूरे राजस्थान में ग्यारहवें नम्बर पर आया है। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह घण्टी बजाने के लिये नहीं कहें।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड कर दें क्योंकि आधा घण्टा आपने ले लिया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, पशुपालन में पशु चिकित्सालय खोलने के लिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बस्सी बहुत बड़ा एरिया है। बस्सी ग्राम पंचायत पुष्कर से 7 किलोमीटर है। अब 7 किलोमीटर बाद में पुष्कर जाना पड़ता है तो हमारे नागौर जिले और मेरी परबतसर तहसील की नाक कटती है कि वहां पशु चिकित्सालय नहीं है इसलिये पुष्कर आना पड़ेगा। पुष्कर जाने के लिये क्या है विदेशी सैलानी, तीर्थ यात्रा करने वाले और बहुत भीड़ रहती है इसलिये बहुत दिक्कत आती है। मैं यह चाहूंगा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में बस्सी कुंडरी ग्राम पंचायत और बाड़, यहां पशु चिकित्सालय खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास में रेवदर विधान सभा क्षेत्र, सिरोही जिले में ग्रामीण विकास के तहत विगत तीन वर्षों में सरकार आने और वसुन्धराजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में पूरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में विकास के तौर पर गांवों में पहले की तुलना में काफी अन्तर नजर आ रहा है। वैसे गांवों के सुदृढ़ीकरण हेतु छोटी-छोटी जो ढाणियां है उसमें भी परिवर्तन आया है। विशेष तौर से अभी मुख्य मंत्रीजी द्वारा पंचायत मुख्यालयों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग करवायी गयी उसमें ग्रामीण जनता से सीधा सम्पर्क किया। ग्रामीण और गरीब जो कभी छोटे व्यक्तियों से बात नहीं कर सकते थे मुख्य मंत्रीजी की सीधी बात से ग्रामीण जनता ने महसूस किया कि हमारी सरकार में हमने जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, अपने वोट दिये और उनसे सीधी जानकारी मिली तो इससे बड़ी उपलब्धि कौनसी है। ग्रामीण विकास में काफी अन्तर आया है। मुख्यमंत्री जल चेतना के माध्यम से गांवों में काफी अन्तर हुआ है।

कृषि के क्षेत्र में किसानों को उन्नत बीज उन्नत खेती के लिये काफी कृषि यंत्र उपलब्ध कराये। बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा, पाइप लाइन और ट्रैक्टर उपलब्ध करवाये हैं । किसानों को कृषि क्षेत्र में सरकार के माध्यम से भ्रमण के लिये गुजरात और आस-पास के राज्यों में भेजा। मैं मंत्रीजी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिरोही और रेवदर विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को कृषि हेतु भ्रमण करने का जो अवसर मिला इससे कृषि की जानकारी मिली कि कैसे खेती करें और फायदा मिले।

कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है। पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र है। वहां विशेष तौर से मूंगफली, रायड़ा, गेहूं, अरण्डी की अच्छी फसल पूरे सिरोही जिले और रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हो रही है। वहां के किसान बंधु वह माल बाहर गुजरात बेचने जा रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर में कृषि उपज मंडी खोलें ताकि किसानों को काफी फायदा हो रेवदर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को और राजस्थान में ही अपना माल रहे। जो भी फायदा होना है वह राजस्थान को ही हो।

(श्री जगसीराम कोली)

मैं कृषि मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि अभी पशु पालन एवं चिकित्सा के बारे में कि रेवदर क्षेत्र में काफी गाय, भैंस हैं और दूध उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है। आप वहां के आंकड़े मंगाकर के देख लीजिये कि पूरे सिरोही जिले में रेवदर से जितना दूध गुजरात में जाता है उतना अन्य कहीं से नहीं जाता है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से शार्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि दूध की डेयरी रेवदर में पुन: चालू करें ताकि वहां के किसानों को फायदा हो। रेवदर विधान सभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है और वहां पर हम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैंने यह जो बातें बतायी हैं यह गम्भीर बातें हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इन पर गौर करते हुए कृषि मंडी और दूध की डेयरी को चालू करें ताकि वहां के किसानों को और वहां की जनता को लाभ मिले, धन्यवाद। जय हिन्द।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: There is one more left. श्री खुशवीर सिंहजी, दो और हैं, इनको भी करवा देते हैं There are two more left.

मांग संख्या 28, 37 व 39 पर विचार

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, आज कृषि, पशु पालन और ग्रामीण विकास इन तीन विषयों पर जो चर्चा चल रही है, मैं भी अपने आपको इस चर्चा में सम्मिलित करते हुए इन बातों पर सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को।

सभापति महोदय, आज भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। हमारे प्रदेश की भी लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और पूरी की पूरी राजस्थान की आर्थिक स्थिति हम देखें तो कृषि पर निर्भर है। किसी भी राष्ट्र में जहां कृषि की बात हो, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप जरा सोचें, यू.एस.एस.आर. इतना बड़ा देश था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह भी एकदम बिखर गया, इसके पीछे कारण क्या रहे।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

कई कारण रहे होंगे लेकिन एक कारण यह भी रहा कि राष्ट्र की भारी-भरकम इन अधिकारियों की फौज, मैं इसी संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपके विभाग में इतने अधिकारी हैं, पिरामिड तो बन गया लेकिन उलटा बन गया।

श्री हीरालाल (निवाई): डिस्टर्ब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, आज आपकी पोस्टों की मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। डायरेक्टर, वह जो कृषि से संबंधित नहीं है, आई.ए.एस. अधिकारी है शायद, एडिशनल डायरेक्टर 3 हैं और तीनों ही जयपुर में पोस्टेड हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर 7 हैं और 7 में से 3, डिप्टी डायरेक्टर 33 में से 6 और असिस्टेंट डायरेक्टर 72 में से 10 जयपुर में, एग्रीकल्चर ऑफिसर 119 में से 29 जयपुर में, ए.ए.ओ. 352 में से 44 जयपुर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 3900 में से 238 जयपुर में हैं। एडीशनल डायरेक्टर रिसर्च, क्या रिसर्च कर रहे हैं यह मालूम नहीं, मंत्रीजी अपने प्रत्युत्तर में बतायेंगे हमें, ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च 4 और 4 ही जयपुर में, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च 24 में से 10 जयपुर में, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 65 में से 14 और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 73 में से 19 जयपुर में हैं। मंत्री महोदय, इनको आप अगर पूछें, आपके जो यह कृषि सुपरवाइजर हैं वह जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन उनके द्वारा ही होता है और उनको आप एसीडीपीओ बनाकर के भेज रहे हैं, दूसरे विभागों में भेज रहे हैं। कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताऊं जयपुर में 238 और जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला हैं हमारे वहां मात्र 6 कृषि सुपरवाइजर हैं और राजसमंद में 111 हैं। जहां राजसमंद का 2004-05 का उत्पादन देखें तो 50 हजार टन, वहां 111 कृषि सुपरवाइजर हैं और जैसलमेर का अगर हम देखते हैं तो 50 हजार टन और मात्र 6 कृषि सुपरवाइजर हैं तो आपके कृषि सुपरवाइजर होने का और नहीं होने का इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसान की उत्पादकता में किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वर्ष 2004-05 में कृषि का बजट था 1 करोड़ 62 लाख रुपये और इसको बढ़ाकर आपने 2006-07 में 2 करोड़ 81 लाख किया, बहुत अच्छा किया, खुशी है। लेकिन यह जो बजट रखा है वह बजट प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं रखा है, उत्पादकता के लिए नहीं बढ़ाया गया है। जो बजट बढ़ाकर के बताया गया है

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वह पिछली बार जब ओलावृष्टि हुई तो वह किसानों को सहायता के रूप में दिया गया तो यह सहायता देना ही हमारा अंतिम सोल्युशन नहीं होना चाहिए। हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, उसके बारे में मंत्री महोदय कुछ हमको दलगत राजनीति के ऊपर उठकर सोचना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपका एक और ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, नॉन प्लान में वर्ष 2004-05 में आपका 107 करोड़ और 2007-08 में 177 करोड़, आपकी कोई नई भर्ती नहीं हुई है, बावजूद उसका इतना पैसा बढ़ना यह भी एक सोचनीय विषय है।

सभापति महोदय, अंत में कृषि मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 2003-04 में सेलेरी का जो आपका पैसा था वह 65 प्रतिशत था, उस वक्त ग्रांट 30 प्रतिशत और अब आपने सेलेरी का पैसा घटाया, बहुत अच्छी बात है। पिछली सरकार में सेलेरी का पैसा ज्यादा था लेकिन आपके आने के बाद सेलेरी का पैसा घटा है, अच्छी बात है और ग्रांट आपने की है 40 प्रतिशत। इस ग्रांट में अगर बजट वोल्यूम हम देखते हैं तो कहीं भी यह मालूम नहीं हो रहा है कि आपने किसानों को इसमें से कितना पैसा दिया। पूरी की पूरी ग्रांट भी आपके सेलेरी में जा रही है। हमारा 80 प्रतिशत पैसा आपकी सेलेरी में खर्च हो रहा है। मंत्री महोदय, इसके बारे में हमें सोचना होगा। अभी जो सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें बतायी कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। इन 37 माह में आपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, एक लाख नये कृषि कनेक्शन, सात से आठ घंटा विद्युत की आपूर्ति, 2 हजार करोड़ खर्च करके वर्तमान सरकार ने 34 माह में, पूर्व सरकार ने 5 वर्षों में 2000 और वर्तमान सरकार ने 34 माह में 27 हजार करोड़ खर्च किये हैं।

वर्तमान सरकार ने 99 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली हैं। 34 माह में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 481 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1 लाख 95 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की गई, सिंचाई के प्रथम चरण में 42 लाख हैक्टेयर एवं दूसरे चरण में काश्तकारों के 61 हजार 230 हैक्टेयर खालों का निर्माण हुआ। पिछले पांच वर्षों में औसत फव्वारा वितरण 11700 और उसकी तुलना में आपने किया है 36300, इतना कुछ करने के बाद भी माननीय सभापति महोदय, अगर हम 1994-1995 के आंकड़े देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा मंत्री महोदय कि उस वक्त हमारा प्रोडक्शन था 19.12 मिलियन टन और आज हम अगर आंकड़े देखते हैं, इतना कुछ करने के बाद

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

भी 37 माह में पिछली सरकार भी रही होगी, उस सरकार ने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज आप यह आंकड़े देखें तो 2004-2005 में हमारा उत्पादन हुआ है 19.02 मिलियन टन। मतलब इतना कुछ खर्च करने के बाद भी माननीय सभापति महोदय, वहीं के वहीं रह गए बारह साल में। आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए खर्च किए, हमने उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण दिया, वह दिया, लेकिन यह कोई सार्थक नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा। हाल ही में बजट में यह घोषणा हुई कि जो छात्रा कृषि में पी एच डी करती है उसको अनुदान दिया जाएगा। मैं आपसे जानकारी चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि आपके यहां कृषि महाविद्यालय कितने हैं, उसके बारे में हमें सोचना होगा। उसमें जरूर आपने अभी एक लालसोट में खोल दिया, एक जोबनेर में है, एक जयपुर में है, अगर लालसोट की जगह आप पश्चिमी राजस्थान में कहीं खोलते, प्रत्येक जिले के ऊपर एक महाविद्यालय खोलते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता और राजस्थान के प्रत्येक जिले में जितने भी ब्लाक हैं उन हर ब्लाक्स में एक सीनियर सैकण्डरी में एग्रीकल्चर सब्जैक्ट होना चाहिए। इस बारे में आप विचार करें ताकि हम कृषि प्रधान की बात तो करते हैं लेकिन उसके बारे में आगे कैसे बढ़ेंगे। जब तक हमारे किसानों में इसके प्रति जागृति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बीज के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आपने बताया कि बीज अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और इसका वितरण अगस्त में नहीं होना चाहिए, जून में हो जाना चाहिए। अधिकांश समय चाहे किसी की भी सरकार रही हो वितरण जुलाई और अगस्त में होता है जब कि बुवाई जुलाई के फस्ट वीक में हो जाती है इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसका भी आप ध्यान रखें।

अभी हाल ही में आप इजरायल यात्रा करके आए हैं। इससे पूर्व मैं भी गया था। हमें सोचना होगा कि हम जो फ्लो इर्रिगेशन से खेती कर रहे हैं, कितने समय तक हम ऐसा और कर पाएंगे, इसके लिए किसानों को ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर इर्रिगेशन की तरफ प्रेरित किया जाए, इसके बारे में आप विचार करके एक योजना बनाएं ताकि किसानों को लाभ हो और किसान प्रेरित होकर उस योजना के तहत इसके द्वारा अपनी सिंचाई करे।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वाटर मैनेजमेंट के बारे में आज बहुत लोग चिंता करने लगे हैं। कई माननीय सदस्य भी वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में चिंतित हैं लेकिन इसकी जानकारी आम किसान तक हम कैसे पहुंचा सकें उसके बारे में सोचना होगा।

बात चली नदियों को जोड़ने की, इसमें निश्चित रूप से ...(व्यवधान) मैं तो पहली बार बोल रहा हूं इस सेशन में।

श्री सभापति: आप बोलें। They are not saying anything that is connected with you.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने तो यह कहा कि हमारे सुन्दरलालजी को भी पांच मिनट का टाइम आप दे देना।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नदियों को जोड़ने की बात के बारे में माननीय मंत्रीजी हमें सोचना होगा। हम प्रतिवर्ष कहते हैं कि इतने हजार हैक्टेयर नई सिंचित भूमि ले रहे हैं लेकिन उससे पहले यह सोचें कि पिछले वर्ष कितने हजार हैक्टेयर में सिंचित भूमि थी उसमें पानी सूख गया और नई जमीन पर पिलाई की बात हम कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां का वाटर लेवल लगभग समाप्त हो गया है। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले पाँच साल में हम वहां खेती कैसे करेंगे।

आप हाल ही में इजरायल यात्रा करके आए हैं और आप अपने प्रत्युत्तर में बताएं कि आपने वहां जोजोबा के प्रोजेक्ट लगे हुए देखे होंगे। हमारे यहां किसान जोजोबा नाम से खूब फलौदी और दो-चार जगह का तो मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की लेकिन आज दिन तक दुनिया में ऐसा कौनसा देश है जो जोजोबा का प्रोडक्शन कर रहा है और उनको क्या लाभ हो रहा है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। सिर्फ हम दूसरे देशों में जाकर देखकर उनको यहां करें बिना सोचे समझे तो उसके बारे में हमें सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं हार्टीकल्चर की बात करना चाहता हूं। मैं इजरायल जाकर आया, मैंने स्वयं ने वहां के काश्तकारों को इकट्ठा करके प्रेरित किया कि आप ड्रिप इर्रिगेशन से उद्यान लगाएं और उद्यान में अधिकांश लोगों ने आंवले लगा दिए। आज वहां स्थिति यह है कि उनमें से चार किसानों ने अपने खेत से आंवले काट कर फैंकने पड़े। डेढ़ दो रुपए किलो, जब बात

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

करते हैं तो कहते हैं साहब आप आचार और मुरब्बा बना लो, इतने हजारों एकड़ जमीन में आप आंवले के पेड़-पौधे लगवा रहे हैं तो आचार और मुरब्बा से काम चलने वाला नहीं है, अगर उन किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है तो आपको ठोस कदम उठाने होंगे और उसके बारे में आपको गहनता से चिंतन करना होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा एक किसान जो नहर से खेती कर रहा है और दूसरा किसान जो स्वयं का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करके कुआं तैयार करवाता है, ट्यूबवैल तैयार करवाता है, कुआं नया खोदकर वह खेती करता है तो उसके कम से कम दो लाख रुपए लगते हैं और एक बीघा में पिलाई के उसके दो सौ रुपए खर्च होते हैं जबकि नहरी क्षेत्र में पिलाई के लिए पूरे गेहूं की फसल के लिए एक बीघा के 50 हजार रुपए मात्र लगते हैं लगभग 20 से 40 गुना अधिक खर्च पिलाई पर आता है। हमें उसके बारे में सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेहन्दी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में किसानों ने बहुत अधिक मेहन्दी कर ली है लेकिन आज स्थिति यह है कि मेहन्दी भी निकल रही है, उसके दो कारण हैं, एक कारण तो यह है कि खुले आम उस मेहन्दी के अन्दर मिलावट हो रही है, जो व्यापारी खरीद रहे हैं वह व्यापारी मेहन्दी के अंदर मिट्टी मिला रहे हैं और मेहन्दी के जो कोन बन रहे हैं उनमें अनधिकृत रूप से ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिनसे स्किन डिजीज और कैंसर तक होने की संभावना है। आज आंवली का पत्ता मिलाया जा रहा है, मिट्टी मिलाई जा रही है और इस मिलावट की वजह से विदेशों में हमारे देश की साख घट गई है। खुले आम मिलावट हो रही है, अगर आप आज भी चैक करवा लें, सोजत चले जाएं, वहां हजारों टन मिट्टी के ट्रक आते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। मेरा सुझाव है कि मेहन्दी का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करें जो एक सुहाग का प्रतीक भी है।

(समय : 18.08 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पशु पालन के बारे में मेरा पशु पालन मंत्रीजी से अनुरोध है कि जिन पशुपालकों को अपनी भेड़ों को लेकर अकाल की

वजह से प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है तो रास्ते में कई बार ऐसी वनस्पति खाने से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया कुछ रोज पूर्व सदन में कि सौ-सौ भेड़ें एक साथ मर जाती हैं। अब वह वहां कहां बीमा कम्पनी वालों को बुलाने जाए, कहां डाक्टर को ढूंढेगा, कहां से वह अपना सबूत पेश करेगा ताकि उसको बीमा क्लेम मिल सके। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे चाहूंगा कि उन पशु पालकों को रास्ते में कुछ ऐसी वनस्पति खाने से या अन्य कारण से अगर उनका पूरा का पूरा रेवड़ जिसको कहते है, अगर मर जाता है तो उनको किस तरह का लाभ दिया जाए, बीमा का लाभ कैसे मिले उसके बारे में सोचना है।

सभापति महोदय, मैं एक बात इसके लिए कहूंगा जो दवाई उपयोग की जा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में डाइक्लोफेनिक, इससे गिद्ध तो पूरे समाप्त हो गये, जिस गिद्ध के लिए आज इतना आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए कि जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं इन पशुओं के मरने की वजह से, इनका निस्तारण नहीं होने की वजह से फैल रही हैं। इससे पूरे के पूरे गिद्ध मर गये और उसके पीछे कारण यह दवाई रहा।

मैं इनके डाइरेक्टर का एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं। डाइक्लोफेनिक पर रोक लगा रखी है, छोटे पशु चिकित्सालय सीधे दुकानदारों से खरीदकर इस दवा का इंजेक्शन लगा देते हैं तो यह उनकी रिस्क पर है। यह आपके उप निदेशक, पशुपालन, जयपुर का स्टेटमेंट है। आप क्यों नहीं ऐसा सख्त कानून बनाते हैं जो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो एक मानव सृष्टि के लिए, एक चराचर जीव के लिए घातक है। उस दवाई के लिए वे इस तरह का स्टेटमेंट देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

मैं एक बात जब बरसात, पशुपालन की बात आती है, कृषि की बात आती है, होर्टीकल्चर की बात आती है तो इसके साथ में ...

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें प्लीज।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है। एक नई चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ में जब तक हम वेदर फोरकास्ट की बात नहीं करेंगे, मानसून पर हमारी पूरी कृषि आधारित है और हमारा वेदर फोरकास्ट कैसा है, हमारा सुपर कंप्यूटर कैसा है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज वेदर फोरकास्ट हुआ, कई बार हुआ और सभी

माननीय सदस्य जानते हैं कि 24 घंटे में, 48 घंटे में भारी बारिश और देखें तो बादल गायब। कई बार आता है कि बादल अलविदा और दूसरे दिन बारिश हो जाती है। यह हमारे सुपर कंप्यूटर की रिपोर्ट है।

इसके लिए मैं एक जानकारी देना चाहूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मंत्री महोदय, आपके रिसर्च आफिसर क्या रिसर्च कर रहे हैं इसकी जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि आज दिन तक क्या रिसर्च की। इनके लिए मेरा सुझाव है, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा उसमें आप लगा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा जो ज्ञान था, मैं आपको कुछ समय के लिए अतीत में ले जाना चाहूंगा। महाभारत काल में जितना भी हमारा विज्ञान था वह पूरा का पूरा लगभग समाप्त हो गया। उस वक्त लिपिबद्ध नहीं था। उसके बाद में जो कुछ भी हमारा ज्ञान बचा वह नालन्दा और तक्षशिला में जला दिया गया, उन पुस्तकों को और फिर भी मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि कई ऐसी चीजें हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण कहावतों में, दोहों में, गीतों में आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान और गणित आधारित हैं, उस ज्ञान को हमें जीवित करना होगा। उसके लिए मैं पांच मिनट का समय जरूर लूंगा।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, इसके पूर्व अगर कोई जानकारी दे दी हो तो आप मुझे मत बोलने देना। मैं कनक्लूड कर रहा हूं। सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है सदन के लिए, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप एक मिनट में कनक्लूड करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं। सभापति महोदय, आज हमारे गांवों के अंदर पक्षियों के एटीट्यूड से, पशुओं की आवाज से, पशुओं के व्यवहार से लोग अंदाजा लगाते हैं और वह सटीक होता है। उसके बारे में पांच मिनट का मुझे समय दें मैं अल्प समय में नहीं बता पाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठा किया है, इसके लिए मैं समय लूंगा।

टिटहरी जब तालाब के अंदर अण्डे देती है तो कहते हैं इस बार सूखा रहेगा। तालाब के ऊपर देती है पाल पर तब यह अंदाजा लगाया जाता है कि निश्चित रूप से अच्छी बारिश होगी। इसी तरह से पपीहा की आवाज पहचानने

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वाले पहचान कर बता सकते हैं कि इस बार जो पपीहा बोल रहा है उससे बारिश का अंदाज लगाया जा सकता है। इसी तरह भेड़ें रात को उठकर उत्तर दिशा की तरफ जाने का बार-बार प्रयास करे अपने रेवड़ में से, समूह में से तो निश्चित रूप से या गायें अपने कान फड़फड़ाती हैं, या ऊंट को चलते वक्त रात को नींद आने लगे तो निश्चित रूप से बारिश 48 घण्टे के अंदर होती है। यह शोध करके बताया गया है।

मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि नीम के पेड़ के अच्छी मंजरी आये, खेजड़ी के अच्छी फलियां आये और बड़ की जटाएं निकलने लगें तो निश्चित रूप से बरसात की संभावना बढ़ती है। मैं जल्दी में हूं, चन्द्रमा की कलाओं से भी अंदाज लगाया जा सकता है कि ज्येष्ठ माह की दूज के दिन अगर चन्द्रमा तिरछे हल की तरह निकलता है तब निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए बारिश की अच्छी संभावना है। खड़ा होता है तो बारिश नहीं होती है और बिलकुल झुका हुआ निकलता है तो कई बीमारियों का अंदेशा रहता है। मैं जल्दी में हूं, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। मैं इजरायल के अनुभव बताऊंगा, मंत्री महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक-दो दोहे बताना चाहूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, अब समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ''बिगड़े बासन चाक पर माटी अधिक उबार। आडंग आगम समझ ले मेहा कहै कुम्हार।''

मैं आषाढ की नवमी का कहूंगा, सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय कुछ भी कह सकते हैं आषाढ़ की नवमी का कितना महत्व है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप आसन को संबोधित करके ही तो कह रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): बिलकुल। सभापति महोदय, आषाढ़ की नवमी का बारिश के लिए कितना महत्व है, छह माह पूर्व भी बिलकुल सही अनुमान लोग लगाते हैं और वह भी सटीक, विज्ञान और गणित आधारित है, हवा में बातें नहीं होती हैं जो गर्व की बात है। किस तरह से देखा जाता है, कई चीजें हैं।

मैं आषाढ़ के बारे में कहना चाहूंगा- ''आसढै सुद नवमी, घन बादल, घन बीज, बीज का मतलब है बिजली। कोठा खेख खंखेड़ दो राखो, बलद ने

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

बीज ।'' अगर आषाढ में नवमी के दिन बादल और बिजली निश्चित रूप से है तो आप समझ लो बैलों की जोड़ी और बीज को तैयार कर लो। उसके बारे में अकाल के ऊपर कहा हुआ है- ''आसढ़ सुद नवमी न घन बादल, न घन बीज तो हल फाड़ो ईंधन करो और बैठा चाबो बीज।''

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें। माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह हमारा विज्ञान है, विज्ञान समाप्त होता जा रहा है। इनके शोध अधिकारी हैं उनके लिए मैं अंत में एक अनुरोध करना चाहूंगा, मुझे दो मिनट का समय और दें।

श्री सभापति: आधा घंटा हो गया आपको।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 18 मिनट हुए हैं सभापति महोदय। 18 मिनट हुए हैं मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूं।

श्री सभापति: 5 बजकर 50 मिनट पर आप बोलने लग गये और अब कितना टाइम हो गया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दें। इसी प्रकार नक्षत्र के ऊपर कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपको उसके बारे में अनुभव होगा हमारे नक्षत्र पूरी तरह गणित पर आधारित है और नक्षत्र देखकर निश्चित रूप से इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है उसमें सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कहूंगा, जल्दी बोल नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा .. (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): संसदीय कार्य मंत्रीजी पान चबा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, इनको सदन की गरिमा का कोई ज्ञान नहीं है, आप इनको प्रताड़ना दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देख लो ना आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मुंह चला रहे हैं हाउस के अंदर।

श्री सभापति: ऐसा है माननीय सदस्य, आसन को सब पता है कि कौन कहां है और क्या कर रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैं नक्षत्र के बारे में कहना चाहता हूं। जो हमारे नक्षत्र हैं भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगसिरा, आर्दा, पुष्य, अश्लेषा, इन नक्षत्रों के बारे में भी जो बातें कही गई हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। भरनी नक्षत्र में वर्षा की बूंदें पड़ें तो भीषण अकाल का अंदेशा। एक कहावत भी है- ''बरसे भरनी छोड़े परनी।'' मैं पूरा नहीं कह पाऊंगा। रोहिणी नक्षत्र में वर्षा होने पर महंगाई बढ़ती है। ''पेली रोहण जल हरे।''

हरेक नक्षत्र को चार भागों में विभक्त किया गया है। इसमें कहा गया है, ''पेली रोहण जल हरे, बीजी बोवोत्तर दिन खाये, तीजी रोहण तीण हरे, घास और चौथी रोहण समंदर जाये।'' अगर चौथे नक्षत्र के चौथे हिस्से में इस रोहिणी में बारिश होती है, साढ़े दिन का हिस्सा कहलाता है, पाया कहलाता है, अगर बारिश होती है चौथे में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुकाल होता है और नदियों का पानी समुद्र में जाता है। अंत में मेरी बात इस बात से समाप्त करूंगा। यह जो सात नक्षत्र के 14 दिन हैं और उसका अगर मंत्रीजी, आप ध्यान रखवाएं, इन रिसर्च आफिसर्स से, इसके बारे में भी शोध करें आप। नक्षत्र के शुरू के दो दिन

दोय मूसा, दोय कातरा, दोय टीबी, दोय ताव, दोयरा बाजी जल रहे, दोय दिशा, दोय बाव।

उचित दिन पहले दो दिन हवा न चले, पहले नक्षत्र में, पहले दो दिन हवा न चले तो चूहे अधिक होते हैं, दूसरे दो दिन में हवा न चले तो कातरा का प्रकोप होता है, सभापति महोदय, तीसरे दो दिन में हवा न चले तो टीबी का अंदेशा रहता है, चौथे में दो दिन हवा न चले शुरू के तो नजला, बुखार, मौसमी बीमारी का प्रकोप रहता है, 5वें दो दिन हवा न चले तो वर्षा का अभाव, 6वें दो दिन हवा न चले तो जहरीले जन्तु अधिक होते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह और 7वें दो दिन हवा न चले तो आंधी चलने का अंदेशा रहता है।

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मेरी अधूरी बात रह गई है लेकिन फिर भी आपने मुझे समय दिया है इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) सही, सही है, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप शुरू करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन, मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास मंत्रालय। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ग्रामीण विकास मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और इससे आगे क्या, जो सच्चाई है वह तो कहनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय और कृषि मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से शासन संभाला है तब से प्रथम तो ग्रामीण विकास के ऊपर आपने हर मद में जो पैसा बढ़ाया है, उसके मैं आंकड़े, सभापति महोदय, आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम करना, आज सभी कह रहे हैं अनपढ़ है, मैं थोड़ा पढ़ कर भी बता दूं आंकड़े।

श्री सभापति: 10 मिनट में आप समाप्त कर देना बस।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): 10 मिनट में तो बात नहीं होगी।

श्री सभापति: तो आप मुद्दे की बात करो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इतना तो फिर आंकड़े छोड़ता हूं मैं।

श्री सभापति: आप आंकड़ों के चक्कर में पड़ो ही मत।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मोटे रूप में तुलनात्मक दृष्टि से इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पर फिर भी इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास के अन्दर पंचायत के माध्यम से जो कार्य करवाये जाते हैं उसमें सबसे जो बड़ी कमी है, वह कमी यह है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के ऊपर जिम्मेवारी होती है, अगर कोई घटिया निर्माण होता है, कोई गलत कार्य होता है तो एक तो मैं यह चाहूंगा, मंत्री महोदय से कि आप उसमें जे·ईएन· और बी.डी.ओ. की लाइबिलिटी फिक्स कीजिए ताकि कार्य में गुणवत्ता आए नहीं तो, सभापति महोदय, होता क्या है कि जब जे·ईएन· यूसी जारी करता है, यूसी जारी करने का मतलब मैं यहां वर्षों से जो ढर्रा चल रहा है उसकी चर्चा नहीं करूं तो उचित होगा, वह यूसी तभी जारी होती है जब सुविधा शुल्क मिलता है तो सुविधा शुल्क तो जे· ईएन· लेता है और हमारे एक बागड़ी में कहावत है, घर नानी करे और दोयता चट्टी भरे। यानी मेरे कहने का भावार्थ यह है कि जे·ईएन· जब सीसी जारी करता है।

श्री सभापति: यूसी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यूसी, पढ़ा लिखा नहीं हूं न, जो भी है, यूसी जारी करता है तो उसकी जिम्मेवारी है। मोटे रूप में सरपंच से, ग्राम सेवक से आप वसूली तो कर सकते हैं पर सभापति महोदय, गुणवत्ताजो है वह तो वापस लौट कर नहीं आ सकती। स्कूल का भवन हो, पंचायत घर हो, चाहे कोई आवास हो, किसी भी तरह का निर्माण कार्य है, आप सरपंच को चाहे फांसी दे दो, जेल दे दो, पहली बात तो वसूली होती नहीं, वर्षों तक वह पैसा लटकता रहता है तो मेरे कहने का यह भावार्थ है कि जे·ईएन· और विकास अधिकारी को इसमें सम्मिलित किया जाए। अगर कोई भी गलत कार्य होगा तो जे·ईएन· मानीटरिंग का कार्य करता है तो उसकी देखरेख में जो गलत कार्य होता है उसकी जिम्मेवारी जे·ईएन· और विकास अधिकारी की तो शायद इतनी नहीं कर पाओगे तो पर जे·ईएन· की तो आराम से की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। अकाल राहत के कार्य चल रहे थे, सूरतगढ़ पंचायत समिति का मामला है, अकाल राहत के पेमेंट हो गये और हाजिरी वगैरह सब कम्पलीट कर दी और जे·ईएन· ने सारा कुछ दिखा कर और पेमेंट उठा लिया और लोगों को रोजगार के नाम से मजदूरी भी दे दी। कितना बड़ा अन्याय है ? 6 महीने बाद जब शिकायत हुई तो अकाल राहत के कार्य चालू हुए, 6 महीने बाद उससे पहले भुगतान कर दिया, टोटल रिकार्ड में पैसे उठा लिये और इस तरह के कार्य करने के बाद जांच हुई, एस.डी.एम. मौके पर गया और जांच में जो आरोप लगाये, वह सिद्ध हो गये और मौके पर निर्माण होते हुए एस.डी.एम. ने देख लिया, जांच भी हो गई पर आज दिन तक सभापति महोदय, कुछ नहीं हुआ और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस पंचायत समिति की मैं चर्चा कर रहा हूं, जे·ईएन· का स्थानान्तरण होने के बाद में उसने 60 प्रतिशत यूसी बैक-डेट में 2-2, 3-3 वर्षों की जो पैंडिंग थी, वह जारी कर दी तो सभापति महोदय, मेरे कहने का भावार्थ है कि इस तरह के कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और यह सरपंच वगैरह जो हैं इनके खिलाफ आप बकाया निकालें, वह मेरे पास आ जाएंगे, वह किसी मंत्री के पास आ जाएंगे, इससे न तो कोई गांव का भला होने वाला है ओर न कोई कार्य की गुणवत्ता आने वाली है, जब तक आप सरकारी इंजिनियरों को इसमें इन्वाल्व नहीं करोगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गुणवत्ता नहीं आ सकती। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, और भी जैसे पंचायत समिति को

(श्री रामप्रताप कासनिया)

वर्तमान में शायद 25 हजार रुपये प्रधान अपनी निजी आय से खर्च कर सकता है, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पंचायत समिति के अन्दर निजी आय है, उस पंचायत समिति के प्रधान को बोर्ड को कम से कम इतना पावर तो होना चाहिए कि वह एक 18 बाई 20 का कमरा तो बना सके, 25 हजार से क्या होता है तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ढाई और तीन लाख निजी आय से खर्च करने की पावर अकेले प्रधान को मत दो आप, बोर्ड को दे दो तो यह पावर होने चाहिए। दूसरे सभापति महोदय, पंचायत समिति में खटारा गाड़ियां और बाई-द-वे किसी पंचायत समिति में कोई नई गाड़ी होती है तो हर विभाग उसको यूज करता है तो मैं यह कहना चाहता हूं, यहां जिस पंचायत समिति के अन्दर निजी आय से अगर उसकी गाड़ी कंडम है, जितनी आपने सीमा निर्धारित कर रखी है, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख उससे भी लाख ऊपर कर दो, अगर कोई पंचायत समिति अपनी निजी आय से गाड़ी खरीदना चाहे तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, पंचायत के मामले में जैसे जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं कि इनका काम चुनाव तक है या अविश्वास में। दो जगह वो लोग काम में आ सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इन जन-प्रतिनिधियों को किसी न किसी रूप में, और तो क्या हो सकती है, ज्यादा मांग जो उभर कर के आ सकती है कि वो जैसे एम. एल. ए. को इतने पैसे खर्च करने की पावर है, प्रधान को है, जिला प्रमुख को है उसी तरह से अगर उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो जाए तो यह ज्यादा न्यायसंगत बात होगी नहीं तो वो जन-प्रतिनिधि अपने आपको अपमानित महसूस करते हैं। सभापति महोदय, पंचायत समितियों के अन्दर विकास अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं और विकास अधिकारी ज्यादातर दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर आते हैं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि डेपुटेशन पर आने वाला अधिकारी साल-दो साल में चारा चरकर अपने मूल विभाग में वापस चला जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके कार्यकाल में जो गलत कार्य हो उसमें उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और यह डेपुटेशन पर जब तक आप विकास अधिकारी लगाओगे तब तक पंचायत समितियों में कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। सुझाव मेरा सीधा-सीधा वित्त पर है, नई पोस्टें निकालो और बी डी ओ की भर्ती करो। सुझाव कोई विदेश से लाना है क्या?

(श्री रामप्रताप कासनिया)

यह कोई कहने की बात ही नहीं, खुद समझती है सरकार। कैडर, जो बड़ी पंचायत समिति हो वहाँ आर ए एस कैडर का लगना चाहिए और छोटी पंचायत समिति हो तो विकास अधिकारी तहसीलदार, आर. टी. एस. रैंक का होना चाहिए। क्या डेपुटेशन, मैं आर टी एस रैंक बोल रहा हूं, विकास अधिकारी/

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): कैडर ही क्यों नहीं बनाना चाहिए यह। आर टी एस डेपुटेशन, आर ए एस डेपुटेशन...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कैडर, मैं अनपढ़ आदमी हूं न समझता नहीं। सभापति महोदय, यह अन्याय मत करो। ये कागज तो मेरे धरे ही रह जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं कृषि के मामले में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता, माननीय सदस्य ने मुझे डांट भी पिलाई पर बात उन्होंने बड़ी पते की कही थी, बड़े पते की बातें कही थीं बाद में उनको गुस्सा आ गया, खैर कोई बात नहीं। मैं भी गलत था, बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सभापति महोदय, कृषि के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने हर मद में पैसा बढ़ाया है। चाहे सब्सिडी हो चाहे और किसी तरह की सहायता हो, कोई कमी नहीं छोड़ी और इस सरकार ने पहली बार काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया है। 100 करोड़ रुपये अपने बजट में काश्तकारों को ओलों का जो मुआवजा दिया है इसमें यह कह सकता हूं कि काश्तकारों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। कृषि में जो काश्तकारों का घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात दायीं साइड में बैठे माननीय सदस्य हैं उनको नहीं लगती है, मुझे तो यह बहुत बड़ी बात लगती है कि आज यह 100 करोड़ हुए हैं, कल ये हर हालत में 200 करोड़ भी होंगे और 500 करोड़ भी होगी। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ओले भगवान नहीं गिराये तो अच्छा है। अगर आपकी ऐसी मांग है तो हमारे तो नहीं गिरे कम से कम यह मैं ईश्वर से फरियाद करता हूं बाकी आप जाने। सभापति महोदय, आप घंटी तो बजा रहे हैं, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, शायद इस सदन को अटपटी लगे, अब वह दिन दूर नहीं है कि खेती को प्रोफिट में लाना पड़ेगा, लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ज्यादा समय अब निकलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, यह समय इसलिए निकल रहा है कि काश्तकारों का कोई गैर राजनीतिक संगठन नहीं है। इस कारण से यह

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कठिनाई जो आये दिन हमारे सामने आ रही है, इन कठिनाइयों से छुटकारा तभी मिलेगा जब काश्तकार कोई कांग्रेस, बी जे पी, किसी भी पार्टी को आगे नहीं लेकर के गैर राजनीतिक संगठन बनाकर के अपनी मांग जिस दिन उठायेंगे उस दिन काश्तकारों का हर हालत में भला होगा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप और हम तो राजनीतिक हैं सबसे ज्यादा, क्या भला कर देंगे। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग के अन्दर जो सब्सिडी आती है वो वर्षों से, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह बहुत पुरानी है, मैं यह कह रहा हूं कि वर्षों से जो परम्परा बनी हुई है उसको कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई सरकार, कोई न कोई मंत्री आगे आकर के रोकने का काम करे। मैं उदाहरण देना चाहूंगा और शायद मेरी बात अखरेगी भी, अखरेगी इसलिए कि यह मामला मैंने सदन में उठाया था। सन् 2003-04, फल सब्जी, मसाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये समस्त कीटनाशक- डाइथीन 255, एण्डोसल्फान 356 लीटर, कैराबीन 11 लीटर, मोनोप्रोटोकोर्स 110 लीटर, मैलाथियोन 131 लीटर, मैट्रिलेक्स 35 लीटर में से एक ग्राम भी कृषि पर्यवेक्षकों को नहीं दी गई। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं। हुआ क्या कि तत्कालीन सहायक निदेशक, उद्यान हनुमानगढ़ ने फील्ड स्टाफ को विश्वास में लेकर के मीटिंग वाले दिन यह कहकर के आपको एक-दो रोज में समस्त दवाइयां जीप द्वारा भेज दी जाएंगी अत: आप आज ही स्टाक रजिस्टर में हस्ताक्षर करके जाना। यह कहकर कृषि पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करवा लिये व सारा कीटनाशक, सारा नहीं तो 80 प्रतिशत बाजार में बेच दिया। उप निदेशक कृषि हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट क्रमांक 2210/11 दिनांक 15.6.05 को बिन्दु संख्या 2 में 20 कृषकों व कृषि पर्यवेक्षकों को स्टोर कीपर के बयान तथा सहायक निदेशक उद्यान हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट क्रमांक 1025/26 दिनांक 22.2.06 में संलग्न 35 कृषकों और कृषि पर्यवेक्षकों और स्टोर कीपर के बयान तथा हीरालाल के बयान से स्पष्ट होता है कि उक्त कीटनाशक न ही तो कृषि पर्यवेक्षकों को दिया गया और न ही काश्तकारों को।

श्री सभापति: माननीय श्री जयराम जाटव।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, कृषि पर्यवेक्षकों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि आप एफिडेविट दो। अभी एक प्रश्न लगा है विधान सभा में। उस प्रश्न की मैं आपको बात बताऊं जो सम्बन्धित अधिकारी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

है उसने जो फाइल में है वही जबाव बनाकर भेजा तो डायरेक्टर, हार्टिकल्चर ने एक तारांकित प्रश्न लगा है जिसका जवाब सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने भेजा है। सक्सैनाजी ने दूरभाष पर 17.3.07 को रात्रि के 11.28 बजे 35-40 मिनट तक सहायक निदेशक उद्यान को धमकाया और कहा कि आपने जो जवाब भेजा है वह बहुत ही गलत है। इसी केस के सम्बन्ध। और यदि आपको नौकरी करनी है तो जैसे मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा नहीं तो, और कहा कि मैं आपको देख लूंगा। मैं बहुत लम्बी बात करूंगा तो उचित नहीं लगेगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मुझे आपकी ईमानदारी पर कतई कोई शक नहीं है पर जब दो-दो बार जांच हो गई तो यह मामला पैंडिंग क्यों है। हर दृष्टि से यह साबित हो गया कि घोटाला हुआ है और महंत चांदनाथजी के फर्जी हस्ताक्षर करके सब्सिडी उठाई है। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दूं। पूर्व की जांच में जो इंगित किया है, जांच में यह भी सही पाया कि श्री चांदनाथ, माननीय विधायक के नाम से कीटनाशक अनुदान वितरित किया गया है जिस पर श्री चांदनाथ जी फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, हो सकता है उस अधिकारी का बुरा भी हो जाए क्योंकि एक बार पहले भी यह मामला आया है और अगर वह अधिकारी कहीं दोषी है तो आपने पिछली बार यह कह कर के यह बात उड़ा दी कि यह दो अधिकारियों के ग्रुपों की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं उसके खिलाफ अगर कोई आरोप हो, अगर भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो तो मैं पहला आदमी होऊंगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मांग करुंगा, पर यह नहीं होना चाहिए कि जिस अधिकारी की मैंने यहां बात कर दी उसको आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी कहीं निवाला नहीं बना लें, किड़ी नहीं छिड़क दें, यह ध्यान रखने की बात है। सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पीलीबंगा मंडी के अंदर सरकार ने नया यार्ड बनाने की घोषणा की कर दी और माननीय मंत्री महोदय खुद पधारे थे उदघाटन करने के लिए चारदीवारी का, वहां आपने घोषणा की कि आपको 6 करोड़ रुपए दे दिये, 5 करोड़ रुपए दे दिये, आज दिन तक उस चारदीवारी के अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक छत के नीचे आपने पता नहीं कि वो मेरे माननीय सदस्य डीसीएम....

श्री सभापति: अब आप वाइंड-अप करें प्लीज। माननीय सदस्य श्री जयराम जाटव।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पता नहीं कौन सी कंपनी को.....

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उस कंपनी को आपने जो भूमि देने का काम किया है वह सही नहीं है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री सभापति: माननीय श्री जयराम जाटव। अब आप किससे कह रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, वो सारे टेबल कर देना आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री सभापति: थैंक्यू, थैंक्यू।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि, 39 पशुपालन एवं चिकित्सा, 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम। मुझसे पहले इन तीनों माँगों के ऊपर जिन माननीय सदस्यों

(समय : 18.42 बजे)

(श्री रामनारायण बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ने भाग लिया उन्होंने आंकड़ों के मुताबिक अपनी बात कहीं हैं। लास्ट में जो माननीय सदस्य बचते हैं जैसे अभी माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे, उनके आंकड़े रखे के रखे रह गये लेकिन मैं अपनी इन तीनों मांगों के ऊपर जो बात कहूंगा। मैं इन तीनों मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन, ये तीनों मांगें गांव से जुड़ी हुई मांगें हैं। राजस्थान के हर गांव में किसान रहता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण मांग है और माननीय सदस्यों ने इस कृषि के ऊपर चिंता भी की है कि राजस्थान का जो प्रदेश है, कुछ प्रदेश का हिस्सा पहाड़ी है, कुछ रेगिस्तान है इसलिए इस प्रदेश का किसान के द्वारा उपज के द्वारा कैसे भला हो? ग्रामीण विकास की बात मैं यहां से चालू करना चाहता हूं कि तीन साल से जो हमारी सरकार है ग्रामीण विकास में सड़कें, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण का जो विकास है इन तीन साल में सड़कों के माध्यम से जितना अब हुआ है उससे पहले इतनी सड़कें नहीं बनी थीं। शिक्षा जो ग्रामीण को अब मिली है

(श्री जयराम जाटव)

चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक या सैकण्डरी माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा हो, गांव का किसान, मजदूर का जो बैटा है वह कैसे पढ़े और कैसे कृषि की जानकारी ले, जहां शिक्षा का सवाल है ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा की व्यवस्था भी हुई है और यह कृषि प्रधान देश के साथ-साथ हमारा जो कृषि प्रधान प्रदेश है आजादी के 59 साल के बाद जब भी विधान सभा चलती है तो यहां चिंता में भरा रहता है कि अकाल न पड़े, अभी जैसे ओलावृष्टि हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी किसान के लिए लेकिन प्रकृति की जो आपदा आई, जो मार पड़ी किसान के ऊपर, उसमें इस सरकार ने निश्चित रूप से किसान के पक्ष में सोचा कि किसान का कितना बीच लगा, किसानों का कितना बिजली खर्च हुआ या उसकी जुताई पर खर्च हुआ लेकिन जो उनकी मदद के लिए राज्य सरकार ने, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो पैकेज दिया उससे आज राजस्थान में किसानों के जो जख्म थे उन ज़ख्मों के ऊपर निश्चित रूप से मलहम के रूप में काम हुआ है। आज कृषि की बात सब लोगों ने बड़े जोर-शोर से कही थी लेकिन एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई भी हिन्दुस्तान का प्रदेश है वह प्रदेश केन्द्र की नीतियों के ऊपर निर्धारित नीतियों के ऊपर आधारित है, योजनाओं के ऊपर आधारित है आज केन्द्र में कृषि नीति चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश का भला जब तक नहीं होगा तब तक केन्द्र की सरकारें चाहे वह सब नदियों को जोड़ने की बात कहे या किसान के पक्ष में, अभी तक किसान के पक्ष में जब अनाज पैदा करता है किसान और जब मण्डी में बेचने जाता है तब 200-300 रुपए क्विंटल, 500 रुपए क्विंटल उन जिंसों का दाम घट जाता है, चूंकि व्यापारी का दोष भी नहीं होता है, उसकी आवश्यकता 500 क्विंटल की होकर 1000 क्विंटल में पहुंचता है तो मंदे भाव में बिकता है, सस्ते भाव में बिकता है। उन किसानों के लिए उनके जिंसों के भंडारण के लिए जब तक व्यवस्था नहीं हो पायेगी तब तक किसान का भला नहीं होगा। हर बार जैसे केन्द्र ने अभी कुछ गेहूँ या तिलहन के भावों का कितना मूल्य बढ़ाया? मेरे ख्याल में उसका गेहूं का तो 10 रुपए क्विंटल दाम बढ़ाया है। यह इस तरह की योजना जो कृषि के ऊपर आधारित है इसमें केन्द्र को चिंता करने की आवश्यकता है। हम आपस में जो चर्चा करते हैं, मैं आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आगे आना वाला टाइम कहां जाएंगे? हम क्या करना चाहते हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं? पहली

(श्री जयराम जाटव)
बार राजस्थान की सरकार ने यह चिंता व्यक्त की है कि राजस्थान प्रदेश का किसान किस तरह से खेती करे क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यहां का शिष्ट मण्डल माननीय विधायक व कुछ कृषक और जिसमें माननीय कृषि मंत्रीजी भी इजरायल गये और वो क्यों गये? उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि राजस्थान का जो किसान है जहां भारी मात्रा में पानी नहीं है किस तरह की खेती करे, किस तरह की सब्जी उगाये और वह खेती के माध्यम से चाहे किसान गेहूँ, जौ, चना या जो सब्जी पैदा करता है वह ज्यादा उपलब्ध हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: सिर्फ दो मिनट और रही हैं आपकी।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जब से राजस्थान में हम लोगों की आदत पड़ गई, किसान को खेती में जब तक डीएपी या जो यूरिया डालते हैं उससे जमीन बहुत खराब हो चुकी है जब तक हमारे यहां जो उर्वरक जितने खाद है इनमें थोड़ा ब्रेक हो और दूसरा जो खाद चला है जैविक जो खाद चला है उसका प्रचार-प्रसार ज्यादा हो। माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि इसमें इस तरह की संगोष्ठियां हो या बाहर जो अपने जो कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं और जितने माननीय अधिकारी बैठे हैं इस पर जरूर चर्चा करें कोई-न-कोई जब तक हमारी यह चिंता नहीं होगी राजस्थान प्रदेश के किसान के पक्ष में, जब तक हम यहां विधान सभा में कानून बनाकर के अपनी बात कह कर के वापिस घर चले जाएंगे लेकिन इससे भला होने वाला नहीं है। अभी किसान की सब लोगों ने चिंता की, तीन महीने पहले जो किसान को खाद की जरूरत थी, आवश्यकता थी, क्या हुआ? बीच में शोर्टेज आ गई, किसान को जितनी आवश्यकता थी, उसको नहीं मिल पाया किसान को खाद, अगर हमारे यहां किसानों को खाद के लिए स्टोरेज के लिए अगर मान लो गोदाम होते तो गोदामों की व्यवस्था में खाद पर्याप्त मात्रा में मिल पाता फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने उस खाद के वितरण के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर, जिला हैड क्वार्टरों पर खाद की व्यवस्था के लिए व्यवस्था की। चाहे वहां पुलिस की व्यवस्था करानी पड़ी या तहसीलदारजी को भेजना पड़ा लेकिन फिर भी व्यवस्था की लेकिन हम देखते रहे केन्द्र की तरफ। पर्याप्त मात्रा में हमको खाद नहीं मिल रहा था और दोष हमारे ऊपर मढ़ा जा रहा था इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी कृषि उपज मंडी

(श्री जयराम जाटव)

समितियों के चुनाव की बात आयी थी । चुनाव हो गये। हमारे चेयरमैन बन गये । वाहवाही हम सब लोगों ने ले ली लेकिन किसान जब अपनी जिंस को बेचने जाता है अनाज मंडी में और जब उसको रात को 10-11 बज जाते हैं और उसको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती तो वहां कृषि उपज मंडी की जो आय है उस आमद से, कृषि उपज मंडी का जो मंडी शुल्क आता है उससे हम लोग रोड बना लेते हैं, अनाज मंडी स्थापित कर लेते हैं और किसान के लिए वहां विश्राम गृह नहीं होता । मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां हर कृषि उपज मंडी में चाहे गौण मंडी यार्ड हो, चाहे 'ए' क्लास मंडी हो, किसानो के लिए वहां रात में विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए उनके जो ट्रेक्टर या साधन जाते हैं उनको खड़ा करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री के. डी. बाबर।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गयी अब।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक सेकिंड। के. डी. बाबरजी, रुक जाओ। मैंने ज्यादा लंबी बात कही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं। अभी कृषि के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि कई साल के बाद चुनाव हुए तीस साल के बाद में। यह बात सत्य है लेकिन मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि खैरथल विधान सभा क्षेत्र में कृषि मंडी खैरथल है जब से चुनाव हुए हैं हमारी कृषि उपज मंडी का जो मंडी शुल्क आता है उसमें दस गुना वृद्धि हुई है और वो दस गुना वृद्धि होने के कारण हमको लाभ मिलेगा। किसान को सड़कों के माध्यम से, गांव को सड़कों के माध्यम से और इस तरह की जो व्यवस्था हुई है इसलिए सरकार इसमें ये कहते हैं कि वाहवाही लूट रही है यह सबसे बड़ी उपलब्धि आज प्रजातंत्र की प्रणाली को सही जिन्दा रखने के लिए अगर किसान को इस तरह की जो व्यवस्था करा के दी चुनाव के माध्यम से तो सही वस्तुस्थिति सामने आयी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री के. डी. बाबर। माननीय सदस्य, कह दिया आपने। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक सेकिंड। मैं पंचायत राज के बारे में दो बात कहना चाहता हूं। प्लीज एक सेकिंड ...(व्यवधान) मैं जिला परिषद की और पंचायत समिति की दो बात कहूंगा, लंबी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा। चूंकि पंचायत राज में ये दो बड़ी संस्थाएं जिला परिषद और पंचायत सिमतियां हैं। योजनाओं का पैसा डीआरडीए में जाता है और वहां जिला परिषद की साधारण सभा जब होती है तो जितना पैसा आता है चाहे एसजीआरवाई का हो चाहे किसी भी योजना का हो किसी जिला परिषद में जो पैसा जाता है विकास का वो पैसा किसी जिला प्रमुख को या प्रधान को नहीं जाता है वहां साधारण सभा में अपने जो जिला परिषद के सदस्य प्रस्ताव रखते हैं मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने जिला परिषद के सदस्य अपने प्रस्ताव दें, जितनी योजनाओं के माध्यम से जो मीटिंग होती है उनके प्रस्ताव पास होने चाहिए। ऐसा होता है कि जिला प्रमुख अपनी मर्जी से जिसको उसकी इच्छा होती है उस पंचायत में कहीं बीस लाख रुपये देता है और कहीं एक पैसा नहीं देता इसलिए ऐसा ही पंचायत समिति में होना चाहिए।

दूसरा एक निवेदन और करना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: कर दिया आपने अब बाकी ...

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सन् 1995 से पंचायत राज के चुनाव हुआ पहचान की बात ...

श्री उपाध्यक्ष: बाकी लिख कर दे देना माननीय सदस्य, आ गयी बात अब। ये सारे सुझाव आप दे देना मंत्रीजी को लिख कर। मिल लेना आप।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक सेकिंड माननीय, जिला परिषद सदस्य बड़ा महसूस करते हैं, पंचायत समिति सदस्य महसूस करते हैं कि उनको पहचान का पावर भी नहीं है। ग्राम पंचायत का सरपंच जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण पत्र पर पहचान की मोहर लगा कर कहते हैं प्रमाणित करते हैं लेकिन जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को भी पॉवर देने चाहिए इसमें हम सबका और गांव के लोगों का भला होगा। आपने टाइम दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, श्री के. डी. बाबर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, 37 व 39 में माननीय मंत्रीगणों की रिप्लाई व तीनों मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: क्या इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय तीनों मांगें पास होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 28, 37 व 39 पर विचार

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने यह गलत कानून बनाया है कृषि उपज मंडियों पर इन्कम टैक्स लगाने का। ये कोई व्यापारी की दुकान नहीं है तो हमें एक संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए । यह हम जिस तरह से लाबियों में सोये रहते हैं उसी तरह से आँख मींच कर कानून बना दिया ये कोई घाटे का काम नहीं है यह तो सार्वजनिक काम करती हैं कृषि उपज मंडी न कि कोई मुनाफ़े का। ये कोई व्यापारी की दुकान नहीं है जिस पर इन्कम टैक्स लगाये और खाते ही सीज कर दिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास, मांग संख्या 37, 39 पशुपालन और कृषि पर चर्चा हो रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले ग्रामीण विकास। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण विकास की बात है सुबह से माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं जोर-जोर से कह रहे थे कि हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं और उनमें पन्द्रह हजार स्कूलें खोलीं और पैंतीस हजार को हमने रोजगार दिया और अभी जो आप कर रहे हैं उनमें एससी/एसटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ओबीसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या इन लोगों ने राजीव गांधी स्कूल खोलते समय एससी/एसटी का ध्यान रखा? उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत सोचनीय बिन्दु है। कांग्रेस जो इधर बैठी है ये गांवों में कहते हैं कि एससी/एसटी के हम रखवाले हैं और हम ही रखवाले हैं यदि हमारा

(श्री केसरदेव बाबर)

शासन होगा तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा और हम नहीं रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उस समय नुकसान हुआ तो सीधा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ। इन्होंने स्कूलें खोलीं ढाणियों में और उन ढाणियों में एससी/एसटी के लोग नहीं रहते थे। राजीव गांधी स्कूल पंचायती राज के द्वारा खोलीं और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में चयन किया गया और उस वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए, उस वार्ड में एससी के लोग हैं ही नहीं कहां से चयन होगा उसका। इसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं था। आप लोगों ने अपने जो कार्यकर्ता थे कांग्रेसी उनका चयन किया। उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से एक बात चल रही है कि ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण रोजगार में जो मजूदर हैं वो अधिकतर दलित वर्ग के होते हैं और उनके साथ जैसे उनकी टास्क सही होनी चाहिए तो उपाध्यक्ष महोदय, उनकी टास्क सही बैठ नहीं सकती। एक आदमी तीन क्यूबिक मीटर मिट्‌टी नहीं खोद सकता है और जेईएन जब उसको प्रमाणित करता है तो कभी तो उसके 19 रुपये बनते हैं और कभी बीस रुपये बनते हैं। सुबह से शाम तक काम करे और भुगतान मिले बीस रुपये उसको। मापदंड चाहे केन्द्र सरकार का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का उसको मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास में टंकियां बनती हैं । मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि टंकियां जो बनती हैं वो आयताकार बनती हैं तो पानी की जो टंकी बने वो वृत्ताकार में बने। अगर वो चौकोर बनेगी तो पानी का जो वज़न है जो डेंसिटी है वो उस कोने में जाएगी और वो कोना फटेगा अगर वृत्ताकर होगा तो उसका चारों ओर हर कोने पर वज़न होगा तो वो टंकी फटेगी नहीं। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, जो टंकी बनती हैं तो कहीं तो उसकी दीवार की मोटाई दो फीट, कहीं तीन फीट और कहीं चार फीट। कोई नक्शा नहीं कोई मापदंड नहीं इनका। एक निर्धारित मापदंड होना चाहिए टंकी की दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, जो जीएलआर इनके बनते हैं ग्रामीण विकास में उसका नाप तौल भी सही नहीं । यदि 50 हजार लीटर की टंकी है तो उसकी कैपेसिटी 50 हजार लीटर पानी की नहीं होगी उसमें 30 हजार लीटर पानी आयेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य जो बात है यदि ग्रामीण विकास में 10 लाख रुपये की स्वीकृति है, 5 लाख रुपये की स्वीकृति है तो पूरा पैसा खपत होगा । 10 लाख रुपये की स्वीकृति है तो 99 लाख, 99 हजार 999 रुपये की यूसी ही बनेगी । उसकी पूरी यूसी बनेगी 10 रुपये ऊपर नहीं हो

(श्री केसरदेव बाबर)

सकती और हजार रुपये कम नहीं हो सकती । इसका मतलब पंचायती राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । कोई भी हो, इसकी रोकथाम होनी चाहिये इसलिए मैं पंचायती राज में चाहे आपका शासन रहा होगा और चाहे हमारा शासन चल रहा है, आज भी है । उपाध्यक्ष महोदय, इसका उपाय होना चाहिये । जे.ईएन और ए.ईएन को पाबंद करें कि जिम्मेदारी आपकी भी होगी । उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच अनपढ़ है उसको पता ही नहीं.. (व्यवधान) जिला प्रमुख और प्रधान के पास भी पावर है लेकिन वह अनपढ़ लोग हैं, जरूरी नहीं कि वह पढ़ा लिखा हो लेकिन जो अपना सीईओ बैठा है, बीडीओ बैठा है, ए.ईएन बैठा है और जे.ईएन बैठा है वह क्या कर रहे हैं । इसलिए इसमें भ्रष्टाचार कम हो और जो ग्रामीण जनता का पैसा है उसका सही उपयोग हो ।

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे पांच मिनट हुए हैं । मैंने 6 बज कर 55 मिनट और 6 सैकंड पर बोलना शुरू किया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समय लिखा है इसलिए कम से कम मेरे को 15 मिनट तो बोलने दें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि शिड्यूल्ड कास्ट का हूं इसलिए मुझे अनुमति कम से कम इनसे ज्यादा मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप जल्दी अपनी बात कहो ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि महंगाई बढ़ गई । मैं सीकर जिले की बात कर रहा हूं, सीकर जिले में बीएसआर 2004 में बनी और 2004 में बनने के बाद 2006 में बनी लेकिन 2006 में बनी उसमें वर्क रेट 43 रुपये से 18 रुपये हो गई । रेट बढ़नी चाहिये लेकिन रेट घटा दी । दूसरा जो बीएसआर बनती है वह जिला स्तरीय बीएसआर बनती है ग्रामीण निदेशक के अनुसार और वह हर महीने में बननी चाहिये । लेकिन सीकर जिले में जिला परिषद ने अभी तक 13-14 महीने हो गये वह की वह बीएसआर चल रही है और जब सब मान रहे हैं कि भाव आसमान छू रहे हैं, केन्द्र सरकार मान रही है, स्टेट गवर्नमेंट मान रही है कि सीमेंट के भाव 210-215 रुपये हो गये जो कहां 100 रुपये में मिलती थी इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बीएसआर बनने की जो प्रक्रिया है वह हर 6 महीने में हो यह सुनिश्चित किया जाये और इसके लिये किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिये । कोई बनाये, कोई नहीं बनाये यह क्या मतलब हो

(श्री केसरदेव बाबर)

गया। इसमें जिला कार्यकारी जो अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि प्रत्येक 6 महीने में बीएसआर बने । अगर भाव घट रहे हैं तो घटे और बढ़े तो बढ़े, इससे भ्रष्टाचार होता है । उपाध्यक्ष महोदय, आज 230 रुपये का कट्टा हो गया और सरकार दे रही है 170 रुपये, कैसे लगेगा और फिर भी काम हो रहे हैं इसलिए बीएसआर बने । उपाध्यक्ष महोदय, एमपी कोटा और एमएलए कोटा में फर्क है । एमएलए कोटा का पैसा अगर किसी संस्था को दे तो 30 प्रतिशत जमा कराना पड़ेगा, एमपी कोटा का पैसा उसी जगह लगता है तो उसको पैसा जमा कराना नहीं पड़ता है । दोनों में कम से कम समानता होनी चाहिये, यह मेरी मंत्री महोदय से मांग है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैं कृषि पर आ जाता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, किसान के बारे में सब चिंता करते हैं कि किसान का भला हो और यदि अपना किसान खुशहाल होगा तो अपना प्रदेश खुशहाल होगा, अपना देश खुशहाल होगा । लेकिन आज की तारीख में किसान खुशहाल है नहीं । हालांकि तीन साल से जब से अपनी सरकार आई है माननीय वसुंधरा जी ने किसानों के लिये सोचा है, किसानों को राहत दी है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि आज यूरिया में सब्सिडी, गोबर खाद में सब्सिडी क्यों नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अपन मांग करते हैं कि जैविक खेती हो, बिना रसायन के खेती हो और एक तरफ अपन यूरिया पर सब्सिडी दें। कृषि मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा कि चाहे गोबर खाद हो, चाहे केचुआ खाद हो जो भी रसायन के अलावा खाद है उस पर किसी न किसी रूप में किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिये ताकि यूरिया कम से कम काम में लें । उपाध्यक्ष महोदय, अपना जो प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति विचित्र है । गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी 10 फीट नीचे और हमारे सीकर जिले में ढाई सौ फीट नीचे । हम मोटर लगायेंगे 20 एचपी की और नल आयेगा 2 इंच का । गंगानगर वाले मोटर लगायेंगे 5 एचपी की और नल आयेगा 5 इंच का । इनके महीने का बिल आयेगा 500 रुपये का हमारा आयेगा 5000 रुपये का । उपाध्यक्ष महोदय, हम ट्यूबवैल बनायेंगे तो हमारा बनेगा 3 लाख रुपये का और गंगानगर वाले ट्यूबवैल बनायेंगे तो उनके बनेगा 30 हजार रुपये का । जब मंडी में हम गेहूं बेचने जायेंगे तो हमारे वाला गेहूं इनसे 100 रुपये कम में बिकेगा क्योंकि हमको पानी कम मिल रहा है । इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जहां पर गहरा पानी हो उस किसान को कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी मिले

(श्री केसरदेव बाबर)

और उसको भी उस किसान के बराबर आमदनी हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि यह जो किसान है यह भी जीवित रह सके ।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी एस बैद । माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए । माननीय सदस्य, मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है बाकी आप लिख कर दे देना ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिए, आप बैठ जाइए ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान की बात कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: बाकी लिखित में दे देना आपकी सुनवाई हो जायेगी ।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि, ग्रामीण विकास और पशु पालन की डिमांड पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । पिछले सत्र में और इस सत्र में एक बार नहीं अनेक बार कई बार दलीलें देकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि बीपीएल की संख्या 17 लाख से बढाकर वापस 20 लाख कर दो । इस बार पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस तर्क को ध्यान में रख कर कि अपने पड़ौसी राज्यों में प्लानिंग कमीशन द्वारा निर्धारित की गई बीपीएल परिवारों की संख्या से बढ़ाकर संख्या निर्धारित की है। जैसे कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में तो क्यों नहीं राजस्थान में भी इनकी संख्या उतनी ही रखी जाये और बजट भाषण में बहुत खुशी है कि हमारी इस मांग को मानते हुए मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में यह कहा कि जितनी बीपीएल परिवारों की संख्या वर्तमान आंकलन से पहले थी उतनी ही संख्या रखी जायेगी और जो परिवार घटाये गये हैं उन परिवारों को भी मेडिकल सहायता और राशन घटी दरों पर सब्सिडाइज्ड राशन उपलब्ध कराया जाता रहेगा । अब इस मोड के ऊपर मैं आपके माध्यम से ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया 31 अगस्त को,

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सूची का नोटिफिकेशन निकला 15 सितम्बर को, 6 महीने से ज्यादा हो गये आज भी इन 17 लाख परिवारों के नये राशन कार्ड ग्रामीण इलाके में नहीं बने हैं क्योंकि इसमें दो-तीन डिपार्टमेंट का इन्वाल्वमेंट होता है यह जो राशन देता है वह तो कहता है कि मेरा काम तो राशन बांटना है राशन कार्ड बनाने का काम ग्रामीण विकास विभाग का है । आपके माध्यम से मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 17 लाख परिवार जो आज भी अपने राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं कृपया करके शीघ्र ही इनका राशन कार्ड बनवा दें जिससे कि यह करीब एक करोड़ जनसंख्या और जो बढ़ी हुई जनसंख्या की अभी घोषणा की है उनके राशन कार्ड तो उनको उपलब्ध हों और साथ ही मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेडिकल रिलीफ कार्ड भी आज तक इनके नहीं बनाये गये हैं । नगर पालिका क्षेत्र में मेडिकल रिलीफ कार्ड बन गये लेकिन इन परिवारों के मेडिकल कार्ड अभी तक नहीं बनाये गये हैं तो यह भी अगर बना दिये जायें तो इन लाखों परिवारों को लाभान्वित किया जा सकता है । फर्क सिर्फ इतना है कि नीयत साफ हो और जल्दी ही यह राशन कार्ड और मेडिकल रिलीफ कार्ड बन जाये । अभी 10 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने कृषि मंत्रीजी के समक्ष एक समस्या उठाई थी कि 2005-06 रबी की फसल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम राशि कर दी जमा। 6 लाख 70 हजार थे किसान, इन किसानों में अधिकांश किसान सीमान्त किसान या लघु कृषक थे, इनको आज तक, करीब-करीब डेढं साल हो गया, आज दिन तक इनको, जिनका खराबा डिक्लेयर होने के बावजूद, जिनका 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत खराबा डिक्लेयर हो गया लेकिन इनको आज तक मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया। उसका मुख्य कारण यह रहा कि जो मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेडिंग के अंदर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का जो समझौता हुआ था उसके अनुरूप फसल का आकलन नहीं किया गया। क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो सिंगल सीरिज में किया जाना चाहिये वह मल्टीपल सीरिज में किया गया, नतीजा यह निकला कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद की स्थिति बन गई। आप हमेशा यह कहते रहे कि हमको ज्यादा धन उपलब्ध कराओ हमारा हिस्सा ज्यादा है, केन्द्र सरकार ने कहा कि आपने आकलन सही नहीं किया इसलिए आपको कम धन उपलब्ध कराया जाएगा और जिस गरीब किसान को यह मुआवजा उपलब्ध कराया जाना था और यह जो मैमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

में क्लियर कट इंडीकेट कर रखा है कि तीन महीने के अंदर उनको उनका मुआवजा खराबा डिक्लेयर होने के बाद उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि वह उस राशि का प्रयोग अपनी अगली फसल की बुवाई में कर सके, वह आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

माननीय कृषि मंत्रीजी ने यह भी कहा था कि शीघ्र ही, सप्ताह भर के अंदर चैक उपलब्ध करा दिये जाएंगे लेकिन आज 15 दिन हो गए इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जल्दी ही उपलब्ध कराये जाएं जिससे कि इन किसानों को लाभ मिल सके।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या आज भी है। भवन निर्माण के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने जब यह निर्णय लिया कि आज से पांच साल तक के अंदर लाखों मकान गरीब परिवारों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आप देखिये इन्होंने क्या किया, 2006-7 के अंदर 34094 इंदिरा आवास आपको उपलब्ध कराने थे, आपने 11580 उपलब्ध कराये, आपने सिर्फ 34 प्रतिशत टारगेट अचीव किया। सार्वजनिक मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, आपसे पता नहीं मंत्रीजी का विशेष प्रेम है कि चूरू के अंदर लक्ष्य निर्धारित किया 1914, लक्ष्य को हासिल किया 56, तो लक्ष्य का हासिल 3 प्रतिशत। वैसे ही और तो और धौलपुर के अंदर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है 594 इनको आवास आबंटित करने थे, आबंटित किये सिर्फ 18, 3 प्रतिशत। इसी प्रकार से दौसा और हनुमानगढ़ के अंदर 3 और 5 प्रतिशत इंदिरा आवास आबंटित किए। 2006-7 के अंदर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जब केन्द्र सरकार ने ठीक समय पर आपको 32 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपने सिर्फ 1.56 करोड रुपये ही खर्च किये जिससे इन इंदिरा आवासों का आबंटन अलग-अलग जिलों में सही समय पर नहीं हो पाया।

ऋण अनुदान की मांग तो और भी विचित्र है। ऋण अनुदान जो एक गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, आप यह देखिये, पहले साल में 320 लोगों को कराया, दूसरे साल में 330 और तीसरे साल में पूरे राज्य में जहां 32 जिले हैं सिर्फ 21 लोगों को ऋण अनुदान प्रदान किया गया जब कि यह ऋण अनुदान सरकार को नहीं प्रदान करना पड़ता, यह ऋण अनुदान तो सरकार के कहने से विभिन्न बैंकें उपलब्ध कराती हैं गरीब आदमी को। तो इस ऋण अनुदान की राशि भी बढ़ाये । इस ऋण अनुदान में

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जितने लोगों को देना चाहिये उतने लोगों को भी दे जिससे ज्यादा गरीब आदमी अपने सिर ढ़कने को मकान बनवा सके।

यह एक रिपोर्ट आई है, विकलांगों के बारे में तो आपने कुछ किया ही नहीं, बहुत कम किया है। यह रिपोर्ट जो सारे हिन्दुस्तान के अंदर वेबसाइट पर दिखाई गई उस रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल प्रोगेस है इंदिरा आवास की उसमें राजस्थान का नम्बर आता है तीसरी कैटेगिरी में, इसमें लिखा हुआ है- 'States which have achieved less than 40 per cent targets', उसमें राजस्थान का नाम है। दूसरी रिपोर्ट जिसमें लिखा है - 'Proposal for release of second installment', इसके अंदर भी राजस्थान का चौथा नम्बर है। 'States which have sent lesser number of proposals', उसमें राजस्थान का नम्बर है। इसी प्रकार 'percentage of targets achieved', नीचे से चौथा नम्बर आता है राजस्थान का, बड़ी दयनीय स्थिति है। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना जो कि भारत निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है केन्द्र सरकार द्वारा सही समय पर समुचित धन उपलब्ध कराने के बावजूद राज्य सरकार समय पर अपना हिस्सा नहीं देती जिसके कारण इन गरीबों को इंदिरा आवास के लिए पैसा आबंटित नहीं किया जा रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक तो मास्टरों की कमी और दूसरा ग्रामीण विकास के अन्तर्गत अब यह निर्धारित कर दिया गया है कि स्कूल में यदि कोई निर्माण कार्य होगा तो उसकी अध्यक्षता मास्टर ही करेगा, वहां का सरपंच और वहां के दूसरे लोग कमेटी के अंदर हैं वह उसके सदस्य होंगे। मास्टर क्या-क्या करेगा, मास्टर पढ़ाएगा भी, मास्टर मिड डे मिल भी बनाएगा, मास्टर उसका कन्स्ट्रक्शन का काम भी देखेगा। कम से कम कन्स्ट्रक्शन का काम पंचायत समिति के माध्यम से कराया जाना चाहिये जिससे मास्टर के ऊपर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ न पड़े।

बीपीएल की सूची के बारे में अभी ग्राम, ये सारी कम्पलेंट्स ली गई पूरे राज्य के अंदर और उसके बाद अधिकारियों के माध्यम से जोड़ने और हटाने का नाम किया जा रहा है जबकि लोकतांत्रिक परम्परा यह है कि ग्राम सभा के अंदर नये नामों को जोडा या हटाया जाना चाहिये यह काम अधिकारियों के हाथ में देने की बजाए ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना चाहिये।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कुछ ये सीड्स के, फर्टिलाइजर के और आपके पेस्टिसाइड के बारे में मैं छोटा-सा निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी लेबोरेट्री इनके पास पहले थी उन लेबोरेट्री की संख्या इन्होंने बढ़ा दी। सोइल टेस्टिंग लेबोरेट्री की संख्या 10 से बढ़ाकर इन्होंने 12 और खोल दिए लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ाया, इक्विपमेंट नहीं बढ़ाए, इससे क्या हुआ कि जो एबिलिटी इन सब चीजों को टैस्ट करने की लेबोरेट्री में थी उसमें और गिरावट आ गई और साथ ही में इनको लोकेलाइज कर दिया कि जिस जगह यह लेबोरेट्री है, पहले उसकी जगह, दूसरी जगह वह भेजा जाता था जिससे उसकी प्रमाणिकता बनी रहे और उसमें करप्शन कम हो। अब आपने यह कर दिया कि जिस जगह की लेबोरेट्री है उस जगह के सैम्पल एकत्र किये जाएंगे इससे करप्शन भी बढ़ा और इनकी क्वालिटी कंट्रोल में भी दिक्कत आई। आज भी कई माननीय सदस्यों ने और पहले भी यह आवाज उठाई कि बीज नकली मिल रहा है, खाद नकली मिल रही है, पेस्टिसाइड नकली मिल रहा है इसका यही कारण है कि टेस्टिंग लेबोरेट्री में गिरावट आई है।

आपके माध्यम से यह एक महत्वपूर्ण सकुर्लर आया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सकुर्लर के अंदर राज्य सरकार हालांकि इसको मानने के लिए बाध्य है लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इसको शीघ्रताशीघ्र मान्यता दी जाए। इसके अन्तर्गत तीन योजनाएं इंदिरा आवास योजना, एस जी एस वाई और एस जी आर वाई, इन तीनों योजनाओं के अंदर माइनोरिटीज का परसेंटेज केन्द्र सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया है यह पूरे देश के अंदर 15 प्रतिशत फिक्स कर दिया जो राजस्थान के अंदर तकरीबन 10 प्रतिशत है। यह तीनों योजनाएं ऐसी है इंदिरा आवास में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है, इसी प्रकार इसमें बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार का होता है और छोटा हिस्सा राज्य सरकार का होता है इसलिए इन सब चीजों को, मैं यह चार लाइनें आपकी परमीशन से पढ़कर सुनाना चाहूंगा - "The Chief Economic Advisor has stated that as per the government's decision, physical and financial resources are to be embarked for the welfare of minorities. For this purpose, 15% of funds at the national level will be embarked which will be distributed amongst the States and Union Territories." और इसके अन्तर्गत यह तीन योजनाएं आती हैं एस जी एस वाई, एस जी आर वाई और इंदिरा आवास योजना। राज्य सरकार को इन मापदण्डों की और इन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

डायरेक्शन की शीघ्र ही पालना करते हुए डिफरेंट डीआरडीएज को यह इन्स्ट्रेक्शन देने चाहिये कि 10 प्रतिशत राशि आज के बाद जो आबंटित की जाएगी वह माइनोरिटी के लिए रिजर्व होगी

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आज सुबह भी चर्चा हुई और उसमें यह कहा गया कि कई लोगों को जो जन-प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा निर्वाचित हैं उनके साथ पक्षपात करके किसी को तो जान बूझकर हटा दिया, जिसको हटाना नहीं चाहिये था उसको भी हटा दिया और जिनको हटाना चाहिये था उनको किसी न किसी कारण से बचा लिया गया और इसी श्रृंखला में मैं यह, चूंकि यह मामला माननीय मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सारे मामले की एक बार नहीं अनेकों बार जांच हो चुकी है और यह हर तरीके से प्रमाणित किया जा चुका है कि वहां के प्रधान के दो की जगह चार बच्चे हैं तो जब लोकतांत्रिक परम्पराएं सैट हो गयीं, सारे नार्म्स बने हुए हैं। यह प्रमाणित कर दिया गया। अब आप जान-बूझकर उन दो बच्चों को पता नहीं कहां गायब करना चाहते हैं। जब आपने जांच करवा दी एडिशनल सी.ई.ओ. से, एडिशनल सी.ई.ओ. ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि विभिन्न जो एविडेंसेज दिये गये हैं, जिसके अन्दर आपकी मतदाता सूची भी है, स्कूल का प्रमाण है, पंचायत का प्रमाण है, हास्पिटल का प्रमाण है, बी.पी.एल. सूची का प्रमाण है। सारी रिपोर्टों को नजर में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि फलां व्यक्ति जो मिस्टर दिनकर प्रधान हमारे धौलपुर के, उनके 4 बच्चे हैं, उसके बाद सी.ई.ओ. ने कर ली। सी.ई.ओ. ने कह दिया कि इनके 4 बच्चे हैं। इनको हटाया जाना चाहिए। यह जो आदमी है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 19(6) के अन्तर्गत इनको बेदख़ल किया जाए। उसके बाद यह राजस्थान सरकार द्वारा डिप्टी सेक्रेटरी ने जांच कर ली। उसने भी प्रमाणित कर लिया। कई बार तारीखें दी गयीं। मामले को टाला जाता रहा। लेकिन उसके बाद यह प्रमाणित हो गया और उसके बाद जब आखिर में माननीय मंत्रीजी, आपकी नालेज में होगी यह बात कि आपने स्वयं ने नोटशीट में यह लिख दिया कि उसकी पुन: परीक्षा करवाकर और अगर यह सही पाया जाए तो इनको बेदखल किया जाए। लेकिन आप पता नहीं, मुख्य मंत्रीजी के दबाव में हैं या आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अब तक उसको बेदखल नहीं किया। अब लास्ट में जो यह

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नोटशीट की सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कापी मांगी गयी है, मैं चाहूंगा कि आप अपने जवाब में इस चीज का खुलासा करें कि जांच की रिपोर्ट के आधार पर 19(6) में निरर्हता की श्रेणी में प्रधान, पंचायत समिति धौलपुर आ जाते हैं, इसलिये इनके अगेंस्ट में कार्यवाही करना उचित होगा। तो आप यह खुलासा करें कि यह कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो कब तक करेंगे? और, इसको अब तक टाले जाने के क्या कारण रहे? क्योंकि यह इस चीज को दर्शाता है कि सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं को नजरंदाज करके आप राजनीतिक भेदभाव में आकर किसी व्यक्ति विशेष को सारे प्रमाण उपलब्ध हो जाने के बावजूद बचाने को आमादा हैं। तो हम यह भी चाहेंगे आप इसका भी खुलासा करें जिससे कि राजस्थान की जनता यह भी देख सके कि आप मंत्री पद पर रहते हुए सारे राजनीतिक दबावों के बावजूद स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करना चाहते हैं और जो एविडेंस आपको मिले हैं उन एविडेंस के आधार पर हम बेदखल करेंगे। बस इतनी ही बात कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करुंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, 37 व 39, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन पर इस सदन में बोलने का जो मौका दिया उसके लिये तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से हम यहां पर ग्रामीण विकास के बारे में सुन रहे हैं। गांवों का विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। गांवों में सड़क भी बनी है। पानी की भी व्यवस्था हुई है। बिजली की व्यवस्था भी हुई है। अधिकतर गांव सड़क से जुडे हैं। यह दो-तीन चीजें ऐसी हैं कि यदि यह गांव में होती हैं तो उसका करीब-करीब विकास हो जाता है। लेकिन जितना विकास गांवों का इस 50-55-60 साल के आसपास, जब से यह व्यवस्था चल रही है, मैं मानता हूं कि विकास तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था लेकिन अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो विकास का पैसा आता है, वह सही तरीके से नहीं लग पाता है। मेन कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि कुछ जो पंचायती राज में जो व्यवस्था की गई है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो व्यवस्था की गई, पहले जो प्रधान चुना जाता था उसमें सरपंच और पंच उसको वोट देते थे। बहुत बड़ी तादाद में वह लोग इक्ट्ठा होकर देते थे। उसी प्रकार जिला प्रमुख को वोट देते थे। लेकिन अब यह कम संख्या के

लोग उस प्रधान को चुनते हैं, उस जिला प्रमुख को चुनते हैं। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि जो प्रधान 50 लाख रुपये लेकर प्रधान बनता है, वह जनता का कितना भला कर सकता है। वह जिला प्रमुख एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च करके जिला प्रमुख बनता है, वह कितना ग्रामीण जनता का भला कर सकता है। यह तो हम सारे लोग जानते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह इतनी फीस थोड़ी नियुक्त की हुई है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): बिलकुल, इसमें असत्य नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप यह फिगर कहां से लाये हो।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय सदस्य, ग्रामीण एरिया के बारे में जानते नहीं हो ना, आपने शहर देखा है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह एक लाख 70 हजार का फिगर कहां से लाये, बाकी तो सही है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आप जौहरी बाजार से आते हैं, आपको पता नहीं है कि गांवों में क्या है। आपके यहां पांच मिनट, यहां पर बिजली चली जाती है तो पांच सौ टेलीफोन चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। गांव में हम इंतजार करते हैं कि दो घण्टे यदि बिजली आ जाए तो बहुत बड़ा भाग्य मानते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सदस्य, इनको तो आपसे भी ज्यादा जानकारी है। इन्होंने इसी जोड़-तोड़ से पैसा खर्च करके कई प्रधान और प्रमुख बनाये हैं।

श्री सुरेश मीणा (करौली): अभी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चुनाव हुए, कृषि मण्डियों के, उनमें भी इतना ही पैसा दिया गया। इतना पैसा खर्च करके वह अध्यक्ष बने। अब अपन चाहते हैं कि जो पैसा आता है विकास का, उस सारे पैसे को वह विकास में लगा देंगे। यदि वह सारे पैसे को विकास में लगा देंगे तो फिर उनको या तो खेत बेचने पड़ेंगे या बच्चे को बेचें। तो हमको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे कुओं में भांग घुली हुई है। जो पियेगा उसी को नशा होगा। जब तक यह भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, गांव का विकास नहीं हो सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब भांग वाला टाइम नहीं, और कोई चीज घुली होगी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि गांव को सड़कों से जोड़ दिया, 500 की जनसंख्या तक। पानी की व्यवस्था भी है और स्कूल भी बने। लेकिन हम यह देखते हैं कि एक गांव में उच्च जाति के लोग भी रहते हैं, दलित समाज के लोग भी रहते हैं, एस.सी., एस.टी. के लोग। उनकी जो कालोनी है, वह आज भी रोड से नहीं जुडी। यह सबसे बड़ा उनके साथ भेदभाव है। यह गांव से सड़क तो जुडी है लेकिन उनकी कालोनी नहीं जुड पाई। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। उनकी कालोनियों को भी सड़क से जोड़ा जाए। इस देश को आजाद हुए तो कोई 60 साल हो गये लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हर सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार हो, वह कहती है कि हमने गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी को सड़कों से जोड़ दिया, हमने बिजली से जोड़ दिया। लेकिन मेरा क्षेत्र है, मासलपुर का जो बेल्ट है उसके ऊपर जितनी भी पंचायतें हैं, 4-5 पंचायतें हैं, उनमें यह नहीं देखा कि बिजली का खम्भा कैसा होता है। उनमें आज तक बिजली नहीं देखी कि लट्टू कैसे जलता है। वह कहते हैं हम से कि हमारे यहां बिजली, मैंने कहा कि लाएंगे, हमारी राजस्थान सरकार से अब की बार निवेदन करेंगे। तो मैं, हमारे बिजली मंत्रीजी विराजे हुए हैं। यह विकास में आते हैं सारे। जिस क्षेत्र में बिजली नहीं हो, जिस क्षेत्र में सड़क नहीं हो, जिस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं हो, जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं हो, वह क्षेत्र कभी विकास नहीं कर सकता है। वह आजादी है ही नहीं। मंत्री महोदय, आप कभी हमारे क्षेत्र में आएं तो देखेंगे कि अभी स्थिति खराब है।

श्री उपाध्यक्ष: लग रही है बिजली। इन्होंने आदेश दे दिया है, बिजली लगेगी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): अभी डेढ़ साल बाद आप चले ही जाओगे वैसे ही। डेढ साल बाद आपको आना पड़ेगा क्योंकि चुनावों में आना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले सारी व्यवस्था हो जाए ताकि आपको आने की जरूरत नहीं पड़े।

इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हमारी सरकार से निवेदन है कि जो बिजली, पानी और सड़क की जो व्यवस्था है वह हो तो ग्राम का विकास हो सकता है।

(श्री सुरेश मीणा)

आज जहां तक कृषि का सवाल है, हम भी किसान हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि कड़ाके की सर्दी पड़ती है। हमारा शहर का आदमी रज़ाई में बैठता है। रज़ाई में भी जाड़ा नहीं रुकता है तो हीटर लगा लेता है और जब आराम से सोता है। गांव का एक किसान उस भरी सर्दी में दस बजे रात को लाइट आती है, सुबह चार बजे तक लाइट आती है वह अपना काम करता है खेत में। एक फीडर चार बजे से दस बजे तक आता है। सारी रात किसान काम करता है। वह किसान इतनी सर्दी में कभी-कभी मर भी जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह सबसे बड़ी परेशानी है किसान के लिए कि रात को जो लाइट देते हैं किसानों को वह रात को नहीं देकर उसको दिन में दी जाए, यह मेरा आपसे, सरकार से निवेदन है।

आज जब किसान खेत में काम करता हुआ मारा जाता है वह अभी सरकार ने उसके लिए पचास हजार रुपये देने का प्रावधान रखा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मारा जाता है या मर जाता है?

श्री सुरेश मीणा (करौली): वह तो एक ही बात है। मारा जाता है या मर जाता है, एक ही बात है। फर्क नहीं है। लेकिन पचास हजार रुपये का प्रावधान रखा है। पचास हजार रुपये से उसके बाल-बच्चों का कभी पालन-पोषण नहीं हो सकता। मृत्यु होने पर, एक किसान की मृत्यु होने पर उसको ज्यादा से ज्यादा, पांच लाख रुपये का प्रावधान सरकार को करना चाहिए किसान के लिए। किसान को क्योंकि किसान के बच्चे भी होते हैं उनका लालन-पालन भी करना पड़ता है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्या है, किसानों को बिजली दी जाए और वह भी दिन में दी जाए।

आज शहर है। शहरों में जितनी भी बिजली दी जाती है, हर जो भी बड़ी-बड़ी आफिस है, उन पर कितनी बिजली खर्च हो रही है? उस बिजली को गांव में दिया जाए। 12 बजने के बाद पूरे शहरों में रोड लाइट्स जलती रहती हैं। मैं कहता हूं कि जब आदमी, जब सारे लोग सो जाएं तो बिजली का क्या काम है? रोड-लाइट्स बंद कर दीजिए। उस बिजली का लोड आप गांवों में दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: लोग घर में आसानी से जोड़ लेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): सबके ए.सी. बंद कर दिये जाएं?

श्री सुरेश मीणा (करौली): बिलकुल बंद कर दिये जाएं। जब हम ए.सी. में नहीं, जब इस राजस्थान का 80 परसेंट किसान बगैर ए.सी. के, बगैर कूलर और बगैर पंखा के सोता है तो शहर के भी बिना पंखा और बिना कूलर के सोएं। ...(व्यवधान) यह करना चाहिए। समानता तो जब है लेकिन हमारे माननीय मंत्रीजी, आप तो यह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप भी हो शहर में यहां पर।

श्री सुरेश मीणा (करौली): नहीं-नहीं, मैं बराबर का, सबको बराबर का वह है न ... (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आप चैक कर लेना, आपके घर में ए.सी. हो तो ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): नहीं-नहीं, अपन लगाते ही नहीं हैं ए.सी.। बाहर सोते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार लगा देती है तो यह मना नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे क्षेत्र के बारे में मैं कुछ थोड़ी-सी बात बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों का विकास, मेन चीज, हमारे यहां पर हमारे साथ, एक सबसे बड़ी हमारे साथ परेशानी है कि हमारे एक ही जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए पांचना बाँध है। पांचना बाँध है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह सिंचाई पर हो चुकी बात पहले। यह हो चुकी। यह पंचायत की है। एकाध बात पंचायत की, एकाध बात कहो पंचायत के बारे में, कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात है। किसानों के बारे में ही बात बता रहा हूं। हमारे जो समस्या है वह समस्या बता रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बता रहा हूं कि हमारे चार-पांच जिले यह इन जिलों को यदि यही स्थिति बनी रही तो यह सारे चार-पांच जिले जिस तरह पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ इलाका है, वह बन जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे किसानों का भला जब हो सकता है जब हमारे

(श्री सुरेश मीणा)

चम्बल से लिफ्ट द्वारा पानी पांचना में डाल दिया जाए और वहां से हमारे भरतपुर का भी भला हो सकता है, करौली का भला हो सकता है, सवाईमाधोपुर का भला हो सकता है इसलिए इन किसानों का भला करना है तो हमारे यहां पर यह लिफ्ट द्वारा पानी डालने का निवेदन करता हूं मैं राजस्थान सरकार से, आपने मुझे समय दिया, थोड़ा-सा और है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद, बस ठीक है। आपकी बात आ गयी। फिर इनको कहने से नहीं, इनको कहने से नहीं, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा-सा और है जो मेरा मेन मुद्दा है, वह रह गया, साहब।

मैं बार-बार कहता रहता हूं, हमारे मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, कृषि विभाग में हमारा जो बैकलाग पडा हुआ है उसको भरने का भी निवेदन करता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है बिलकुल।

श्री सुरेश मीणा (करौली): उसको, बैकलाग को पूरा करके और हमें, हमारे लोगों को रोजगार दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा एवं ग्रामीण विकास, तीन डिमांड्स के ऊपर सदन में चर्चा चल रही है और तीनों डिमांड्स विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह ज्यादा नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): लगभग 95 परसेंट लोग किसान और खेतीहर मजदूर होते हैं जिनकी जीविका विशुद्ध रूप से कृषि के ऊपर आधारित होती है। आज प्रकृति की रुसवाई, कम वर्षा का होना और लगातार भूजल दोहन की वजह से भूजल स्तर काफी कम हो गया है और परिणामस्वरूप कितने ही ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में आ गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने जल चेतना यात्रा, किसान महोत्सव हमारे प्रदेश में

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

प्रारम्भ कराया। हमारी पहली सरकार थी जिसने जल चेतना का संदेश प्रदेश में दिया। जिसके माध्यम से किसानों को प्रेरित किया गया कि आप अपनी खेती में मितव्ययता से पानी का प्रयोग करें और उसके लिए उन्होंने दो पद्धतियां विशेष रूप से अपनाने का आग्रह किसानों से किया। फव्वारा सिंचाई योजना और ड्रिप सिंचाई योजना। इसके लिए सरकार ने अनुदान भी घोषित किया। साथ ही पुनर्भरण हेतु भी किसानों को सावचेत किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि किसानों को ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की तरफ आकर्षित करना है, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन दोनों पद्धतियों से जोड़ना है तो इसके लिए अधिक सब्सिडी की व्यवस्था सरकार करे। उसमें किसान इन दोनों पद्धतियों से जुड़कर उससे अच्छी उपज भी लेगा साथ ही साथ पानी का बचाव भी होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की इतनी माली हालत डाउन हो चुकी है कि अधिकांश किसान कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। मैं जागीरदारों की बात नहीं करता। एक आम किसान, जिसके पास दस-पन्द्रह-बीस बीघा जमीन होती है और जिसके माध्यम से वह अपने परिवार का भरण-पोषण करता है, निरन्तर वर्षा की कमी से अपनी खेती की कम पैदावार की वजह से उसे कर्ज लेना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यक है किसान की इस माली हालत को सुधारने की और यदि हम ईमानदारी से किसान की हालत सुधारना चाहते हैं क्योंकि हम किसान के पक्ष में, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब किसान के पक्ष की बातें करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। यदि किसान की माली हालत ईमानदारी से कोई सुधारना चाहता है तो उसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा। चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, किसान की लागत का आकलन करवाइये। किसान अपनी खेती में पैदा करने के लिए जितनी लागत लगाता है, जितना खर्च करता है उसका आकलन करवाइये और फिर जब किसान की पैदा घर में आती है तो उसका भी आकलन करवाइये। तो किसान के पास क्या बचता है, इस बात को देखने की आवश्यकता है और उसके बाद किसान की सहायता करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की पैदावार अनिश्चितता से भरी हुई होती है। जब तक किसान के घर में फसल नहीं आ जाये, किसान को कोई भरोसा नहीं कि वह फसल ले ही लेगा। पूरी फसल खेत

में पककर खड़ी हो जाती है लेकिन कभी ओलावृष्टि हो जाती है सारी फसल चौपट हो जाती है, कभी पाला गिर जाता है सारी फसल चौपट हो जाती है, कभी अनावृष्टि से कभी अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान इतनी मेहनत करता है। किसान का पूरा परिवार, बच्चे, औरत, युवा, बूढ़ा सब रात-दिन खेती में लगे रहते हैं, रात-दिन खेतों में काम करते हैं और जब परिणाम सामने आता है तो ओले गिर गये। किसान के पास रोने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। अधिकांश हम सुनते रहते हैं कि फलां किसान ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में कितने ही किसानों ने आत्महत्या की है और उसका कारण यही है कि वह निरन्तर कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसान के पक्ष में सकारात्मक सोच रखते हुए उसकी लागत का और उसकी उपज का आकलन करवायें और उसके बाद किसान को जो भी सहायता हो, निश्चित रूप से उपलब्ध करवाई जाये तो किसानों की माली हालत सुधर सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): बस, मैं दो मिनट में मेरे क्षेत्र के बारे में माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो गौण कृषि उपज मंडियां आपने स्वीकृत की हैं रायपुर और पिड़ावा। पिड़ावा में आपने पिछले साल कुछ बजट दिया था उसकी वजह से ..(व्यवधान) यह झालावाड़ के प्रभारी भी हैं, पिड़ावा में आपने बजट दिया था जिसकी वजह से बाउण्ड्री बन गयी है, लेकिन उसके मैदान का समतलीकरण बाकी है। रायपुर में इस बार बजट दें, बाउण्ड्री बनायें ताकि दोनों मंडियों में कृषि जिन्स का बेचान शुरू हो सके। पशु मंत्रालय भी आपके पास है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो सब सेंटर दें क्योंकि वहां 15-15, 20-20 कि.मी. तक कोई पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला है गोविन्दपुरा और दूसरा है थरोन्या। यह दोनों सेंटर मुझे देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी रहूंगा। चूंकि आप प्रभारी भी हैं इसलिए निश्चित रूप से आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी बनती है। कृपया निश्चित रूप से ध्यान दें । धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बत्तीलाल मीणा ।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28, 37 एवं 39 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून का जुआ है। किसान का भाग्य प्रकृति पर निर्भर है। (व्यवधान) आप बैठिये, आप सुनिये, किसान के बारे में बोलने दीजिये। एम.एल.ए. भी रहा हूं, प्रधान भी रहा हूं आप सुनिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): रामस्वरूपजी की याद आ जानी चाहिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): रामस्वरूपजी भी सरकार की बहुत तारीफ करते थे। (व्यवधान) सरकार की बहुत तारीफ करते थे। आप उसी पैटर्न पर चल रहे हो, बिलकुल हूबहू।

श्री हीरालाल (निवाई): आपका जन्म नहीं हुआ तब से ये एम.एल.ए. थे, आप डिस्टर्ब करते हो।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मैं आपकी बताता हूं हम जानते ही नहीं गरीब..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): रामस्वरूपजी भी इसी भाषा में बोलते थे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): रामस्वरूपजी की याद आ जानी चाहिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): आप सुनिये। मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि मानसून के हाथ का जुआ है और भारतीय किसान का भाग्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है। यदि कृषि पर संकट आ गया तो सारे देश पर संकट आ गया। किसान का खजाना यदि खाली है तो सरकार का खजाना खाली है, बणिये की दुकान खाली है और व्यापारी का भण्डार खाली है। सारा जो कुछ है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि, गरीब, किसान और गांव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मान्यवर, हमारा देश एक सोची समझी नीति के तहत, आप तो बहुत विद्वान हैं, मैं पांच मिनट में अपनी बात कहूंगा, लेकिन वह बात कहूंगा कि इन्होंने क्या किया ? हमारे देश का किसान कहीं इन लोगों के खिलाफ बगावत नहीं कर दे इसलिए इसको जान बूझकर गरीब रखा गया। मैं आपको मान्यवर, बताऊंगा कि अनार्थिक इन्होंने शहरों में कोई सीलिंग लागू नहीं की, किसान पर लागू कर दी ताकि वह

(श्री बत्तीलाल मीणा)

किसान भूखा रहे, नंगा रहे, उसको राजनीति के बारे में सोचने को नहीं मिले। मान्यवर, वह शहरों में न आ जाये इसलिए इन्होंने सड़क नहीं बनाई। वह नीतियों में न समझ जाये इसलिए उनको अनपढ़ रखा । किस तरह वह गरीब रहे, इन्होंने क्या किया मान्यवर, भूमि का बंटवारा शुरू कर दिया और आप जानते हो कि किस तरह इन्होंने सीलिंग लागू की ? अनार्थिक जोतों को जन्म दिया और आप सोच सकते हो कि इन्होंने वोटों की खातिर जो हमारे गांव के बड़े-बड़े चरागाह हुआ करते थे, सब बांट दिये पांच-पांच बीघे में, अब अदांज लगा सकते हो हमारा किसान क्या उन आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकता है खेती के अंदर, नहीं कर सकता। क्या वह अमेरिका के किसान की तुलना कर सकता है ? इन्होंने आगे चलकर एक सोचा कि बड़े उद्योगपतियों को जन्म देने के लिये कृषि के बगैर काम नहीं चल सकता था, आप अंदाजा लगा सकते हो कृषि के लिये इन्होंने उस किसान को गरीब रखा। वह उद्योगपतियों के लिये इनकी नीति थी कि लिमिटेड उद्योगपतियों को पैदा किया जाये देश के अंदर और चलाकर किसानों को देश के अंदर गरीब रखा जाये। किसान का नाम लेने वाले व्यक्ति को, जिनका मैं नाम लूंगा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंहजी, जिन्होंने खेती की बात की, उनको इन्होंने अपनी पार्टी से ऐसे निकाल दिया जैसे कि घी के अंदर से मक्खी फैंक दी जाती है। यह था इनका नमूना । मान्यवर, अब देश को इन्होंने किस तरह के लोगों के हाथ में सौंपा। ऐसे लोगों के हाथ में सौंपा कि एक बार प्रचार के लिये स्व. मुख्य मंत्रीजी राजीव गांधीजी को ले आये और लाकर प्रचार किया और एक बाहर से खेत के पास ले गये। राजीवजी ने भी लोगों से कहा, जैसे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, हैं तो वैद्य, लेकिन बात कर रहे थे किसानों की। वह कह रहे थे राजीव गांधीजी ने पूछा यह क्या है, बोले साहब यह गन्ने का खेत है। राजीव गांधीजी ने गुड़ को देखा पूछा यह क्या है ? बताया यह इसका फल है। राजीव गांधी जी कहने लगे भगवान की देखो मेहरबानी इतना सा टेहना, इतना बड़ा फल। फिर वह आगे बढ़े तो उन्होंने कहा हमारे प्रधान मंत्रीजी किसानों के शुभचिन्तक हैं इसलिए आपसे सम्पर्क करेंगे। वह आगे गये तो मिर्चियों का खेत आ गया। उन्होंने पूछा यह आगे क्या है ? लाल मिर्ची, हरी मिर्ची तो यह बताइये लाल मिर्ची ज्यादा भाव बिकती है या हरी मिर्ची ज्यादा भाव बिकती है ? बोले साहब लाल ज्यादा भाव बिकती है । तो वह बोले आप लाल ही बोओ, हरी क्यों बोते हो ? फिर लोगों ने सोचा, उनके

(श्री बत्तीलाल मीणा)

नुमाइंदों ने सोचा यह तो पोल खुलने वाली है किसानों के सामने तो उनको हैलीकाप्टर से उड़ाया और हैलीकाप्टर से नीचे देखा तो लाल मिर्ची सूख रही थी खेत के अंदर तो राजीव गांधीजी ने देखा और पूछा यह क्या है ? बोले कि साहब आप जल्दी उड़ गये वरना आपके स्वागत के लिये लाल कारपेट बिछाई गई है। ऐसे लोगों के हाथ में जब देश दे दिया गया तो देश का विकास कैसे हो मान्यवर ? जो हरी मिर्ची, लाल मिर्ची नहीं समझे, गुड़ का भेला भी नहीं समझे, यह चलाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। आज यह क्यों कहते हैं किसान भूखा मर गया, आत्महत्या कर रहा है। यह सोची समझी नीति के तहत किया है, यह एक दिन का परिणाम तो है नहीं, यह 60 साल का परिणाम है। (व्यवधान) यदि मेरी बात पर टोकोगे तो अन्याय करोगे। मैं भी वास्तव में पढ़ा-लिखा हूं, पहले भी एम एल ए था। इकोनोमिक्स से एम.ए. किया है। मैं सारी चीजों को समझता हूं । किसान के साथ, हमारे साथ में जो चलाकर कुठाराघात किया है आज किसानों को छोटी जोतों में बंटवारा करके उसके हाथ में एक भीख का कटोरा दे दिया। आज किसान गरीब है तो इनकी नीतियों की बदौलत है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अमेरिका में एक निश्चित सीमा पर जोत के बाद में पाबन्दी है कि 300 एकड़ से नीचे कोई किसान ज्यादा बंटवारा नहीं कर सकता। नहीं तो बांटते चले जाइये, बांटते चले जाइये, किसान कैसे विकास करेगा ? किसान पर तो इनका ध्यान ही नहीं है। किसान को जैसे मुगल काल में देखिये, अंग्रेजों के टाइम में देखिये किसानों ने बगावत की। यदि किसान पेट भरकर खाने लग गया, किसानों की माली हालत सुधर गयी तो राज की तरफ नजर चली जायेगी और राज की तरफ नजर नहीं जाये यह सोची-समझी नीति के अंदर इन्होंने बिलकुल किसानों को बैक पर रखा। गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने तो यह सोचा गरीब ही रहे। हमारी सरकार ने आप देखिये, मान्यवर, कि किस तरह सड़कें बनाईं और हर गांव को जोड़ दिया। यह किसका कांसेप्ट था, यह हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी का था कि गांव-गांव को सड़क से जोड़ दिया जाये ताकि किसानों का पहला आधार आवागमन का सुलभ हो। जो आदमी जैसी संगत करेगा, वैसा ही होगा। मान्यवर, हमारे साथ में कितना अन्याय किया गया कि दो रुपये का टमाटर फैक्टरी में पहुंच गया तो उसका नाम रख दिया टमाटर कैच-अप और वह दो रुपये का टमाटर हम खरीद रहे हैं 25 रुपये के भाव से। जो रूई हमसे खरीदी गयी 15-20 रुपये प्रति किलो उसको ही हमें

(श्री बत्तीलाल मीणा)

हजारों रुपये लेकर दी जा रही है। हमारे साथ काफी अन्याय हो रहा है। मान्यवर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे साथ में देखिये, कितना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। नमक भी बेचता है तो खुद तौलता है। हमारा जो माल है उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्ट कहीं नहीं जोड़ा जाता। इनका यह है कि हर चीज की लागत फैक्टरी में निर्मित हुआ तो लागत मूल्य के साथ उसका प्रोफिट भी जोड़ दिया जाता है लेकिन हमारे साथ कभी प्रोफिट नहीं जोड़ा, उसको नहीं रखा कि चलाकर गरीब कैसे हो । यह तो भला हो देश की जनता का, जो इन्होंने अटल बिहारीजी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने कान्सेप्ट तैयार किया कि सड़कों को गांव से जोड़ दिया जाये। नदी से नदी को जोड़ दिया जाये ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाये। मैं उस जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे सुयोग्य मुख्य मंत्रीजी को चुना राजस्थान के अंदर और हमारे मंत्रियों को चुना। पहले आप देखिये किसान के लड़के कहां पढ़ते थे झोंपड़ियों के अंदर तो इनमें इनफियरिटी की भावना तो पहले ही क्रियेट हो जाती थी। मैं तिवाड़ीजी को धन्यवाद दूंगा कि जहां झोंपड़ी थी, वहां महल खड़ा कर दिया ।

वास्तव में यह वसुंधरा राजेजी की सरकार में शिक्षा मंत्रीजी, घनश्यामजी हैं जो महाभारत में कृष्ण का रथ हांका था वो हैं यह। यह गरीब के लिए वास्तव में यह सोचा ही नहीं। इनके दो तरह की स्कूलें थीं, मान्यवर, एक तो बड़े लोगों को पढ़ने के लिए अलग स्कूल, सेंट जेवियर, सेंट पाल, एक गरीब वाली जो पेड़ के नीचे पढ़ता था और जब आदमी में इन्फीरियरिटी काम्प्लेक्स पहले ही हो गया तो वो क्या विकास करेगा। इन्होंने सुपरियरिटी की कि हमारे गरीब के लड़कों को यह पता नहीं पड़े कि मैं गरीब के घर में जन्मा हूं इसलिए उसके लिए उसका शरीर पुष्ट हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इनके पास कोई नीति तो है ही नहीं, इनके पास एक ही नीति है कि अभी यह उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं। रोड शो करवा रहे हैं कि वोट दीजिए। कि किस बात का दें, विकास तो आपने किया ही नहीं। कि, विकास की बात छोड़ो, वो तो बात गयी, अब तो हमारे कुर्ते की क्रीज देखिये, हमारे चिकने चेहरे देखिये। यह हो रहा है वहां उत्तर प्रदेश में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े तो सारे किताब में पूरे लिखे हुए हैं, सब लोग पढ़े-लिखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बस, हो गया अब।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): यहां एक से एक विद्वान दो-दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं पर, मान्यवर, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गरीब पर सबसे पहले ध्यान गया तो किस का गया, यह वसुंधराजी राजेजी की सरकार का गया, हमारे मंत्रियों का गया। सड़कों के क्षेत्र में देख लीजिए, सिंचाई के अन्दर देख लीजिए। अब यह पशुपालन की बात करते हैं, करौली जिले के अन्दर, मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान का भार वहन करता है पशुपालकों का। यह पहले किस का विचार आया, यह माननीय सांवर मलजी का विचार गया कि इतनी बड़ी चम्बल नदी पास होकर जा रही है, सैंकड़ों किलोमीटर है, यहां का इलाका है और वहां नदी को डाल दिया जाए तो किसान को सिंचाई मिलेगी, पशुओं को चारा मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): अब मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, कि यह चुनाव प्रणाली में तो बिलकुल विश्वास नहीं करते, इनका चुनाव से कुछ है ही नहीं। यह कहते हैं बड़े गौरव से कि दो अक्टूबर, 1957 को माननीय जवाहर लालजी नेहरू ने नींव, उन्होंने नींव डाली ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस समाप्त करें। बहुत हो गया।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मान्यवर, एक मिनट। हां, कनक्लूड कर रहा हूं। अब मैं इतना पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं, एक बार छूट गया तो कैसे कनक्लूड करूंगा, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): यह कहते हैं गर्व से कि हमने देखो नींव डाली, किसकी, पंचायती राज की लेकिन जैसे ही नेहरूजी की अंत्येष्टी हुई, उसके साथ में पंचायती राज दफना दिया इन्होंने 1964 के अन्दर। वो तो भला हो माननीय शेखावत साहब का जिन्होंने 1977 में चुनाव कराये नहीं तो 13 साल तक चुनाव इन्होंने नहीं कराये बिलकुल ही। (व्यवधान) हां, 19 साल तक चुनाव नहीं कराये। आंकड़ों में आप ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहले नहीं जानते थे कि गरीब क्या होता है लेकिन माननीय शेखावत साहब ने एक अन्त्योदय योजना चलायी। उसमें पांच आदमी छांटे गरीबों के अन्दर। यह पहले क्या होता था, यह अनाज योजना इनकी थोड़ी ही थी, यह तो शेखावत साहब गये दिल्ली और मोरारजी देसाई से कहा,

(श्री बत्तीलाल मीणा)

वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कि, मान्यवर, आपके गेहूं गोदाम में सड़ रहा है, इनको हम को दे दीजिए हम काम के बदले अनाज योजना चलायेंगे। वो काम के बदले अनाज योजना चलायी। इनको राज करना आता ही नहीं, मान्यवर, न इनको गरीब की सहायता करना आता है, न इनको और कोई तरीका आता है यह तो केवल देख कर हमारी नकल करने लग गये। यह कैसा करते हैं, यह कहते हैं कि पंचायती राज के अन्दर हमने रिजर्वेशन का वो करवाया। इनका रिजर्वेशन कैसा था, वो मरने से पहले आदमी दान करता है न कि यह गऊ का दान कर दें, यह आपको कहां ले जायेगी, वो बैतरणी से पार कर देगी। ऐसे गांव में होता है। हम देखते हैं गांवों में और यह गऊ है, इसके हाथ लगाइये।

मान्यवर, इन्होंने क्या किया, मैं भी उस वक्त प्रधान था, वहां बुलाया राजीव गांधीजी ने और कहा कि, भई, यह-यह व्यवस्था में सुधार करो। हम आज इस संसद के अन्दर, पवित्र सदन के अन्दर यह कानून बना दें कि सारी गरीबी मिट गयी लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, प्रेक्टिकल में उसका क्या लेना-देना है। माननीय शेखावत साहब थे जिन्होंने गरीब के लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था करी, गरीब के लिए सारा कुछ किया और जब जाकर के वो एस.सी. के लोग, यह कहते हैं हमने किया। यह 40-45 साल तक ऐसा झासा दिया इन्होंने। जब मैं प्रधान था जब घसिना नाम का एक एस.सी. का था जो नोमिनेट किया था ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मान्यवर, उनका इतना अपमान किया कि उनको जाजम से भगा दिया। (व्यवधान) उनको कानूनी अधिकार दिया तो माननीय शेखावत साहब ने दिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए, बाकी परसों के लिए।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मैं बिलकुल कनक्लूड कर रहा हूं। पर, मान्यवर, आप एक मिनट मुझे और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: बस, अब समाप्त करें, बाकी अब परसों समय देंगे आपको, अब आप समाप्त कीजिए। बहुत कह दिया। श्री हेमारामजी।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): आप तो खाली बत्तीलालजी का जवाब दे देना।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बत्तीलालजी दो माइकों से बोले हैं, बत्तीलालजी का मैं जवाब नहीं दे सकता। उनके दो माइक ओन थे, मैं तो एक माइक से ही बोलूंगा। (व्यवधान) मैं जवाब नहीं दे सकता न, उनके दो माइक ओन थे, मैं तो एक माइक से बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2006-07 में दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गांवों के चयन की बात कही। पिछले वर्ष के बजट में 50 गांवों का चयन किया। दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम, इसमें पैसा कितना खर्च किया? अब 31 मार्च को वर्ष तो खतम हो जायेगा 2006-07 का, एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। अगर की हो तो जवाब में बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह फूटी कौड़ी हमारे थी, आप कहां से ले गये ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): फूटी कौड़ी, वो रामप्रतापजी कासनिया ने कहा, उनकी भाषा में बोल दूं। कोई बात नहीं। एक पैसा खर्च नहीं किया।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): यह तीन लाख नौकरी कैसे लग गये? यह तीन लाख नौकरियों का हमने पैसा खर्च नहीं किया तो यह तीन लाख कैसे हमने नौकरी दी दी? इतनी सड़कें बन गयीं, यह जवाब दें आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 50 गांवों का चयन किया, इस वर्ष के बजट में 100 गांव और चयन करने की बात है। अब गांव के नाम दीनदयाल आदर्श ग्राम का नाम देने से ही उस गांव का अगर कल्याण हो जाता है तो फिर ठीक है। तो पिछले वर्ष, इस बजट भाषण में नहीं, पिछले बजट में यह दीनदयान आदर्श ग्राम योजना आ गयी लेकिन बजट में इसके लिए एक रुपये का प्रावधान नहीं किया, बिना बजट के प्रावधान के यदि आदर्श ग्राम हो जाता है केवल बजट में नाम लेने से और उस गांव का चयन हो जाने से तो मुझे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि गुरु गोलवलकर योजना जो आपने चलायी उसमें आपने बजट का प्रावधान किया। ज्यादा, कम है, वो अलग बात है लेकिन फिर भी कुछ किया तो सही, उससे थोड़ा-बहुत कुछ काम हुआ तो सही। इस साल आपकी गुरु गोलवलकर योजना के लिए तो 60 करोड़ का प्रावधान किया है, उसको भी आपके सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बढ़ाकर के और 100 करोड़ का

निवेदन किया है, मैंने नहीं किया आपके सत्तापक्ष के सदस्यों ने किया। आप उनकी भी नहीं मानें, मुझे मालूम नहीं इसलिए मुझे तो कहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है लेकिन 100 करोड़ की बात की, 60 करोड़ दिया आपने ... (व्यवधान)

यह कौनसा तरीका है? क्या है? थोड़ा आप माननीय सदस्यों को रोकें न। मैं तो नहीं बोला एक भी सेकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, टोका-टाकी नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं आपके हित में बोल रहा हूं, आपको सुझाव देने की बात कर रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं।

आपने दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना क्यों, विजया राजे सिंधिया आदर्श ग्राम योजना नाम रख देते, दीनदयालजी का नाम बदनाम क्यों करते हो आप? दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना के तहत आप एक पैसे का बजट का प्रावधान नहीं रखते, खाली दीनदयालजी को आप बेवकूफ बनाते हो स्वर्ग में बैठे हुए उनको। उनके नाम से आपने योजना चलायी। इसलिए मेरा यह कहना है कि अगर आपको यह पसंद हो तो मत रखिये बजट। मैं तो मांग कर रहा हूं। आपने गुरु गोलवलकर के नाम से योजना चलायी, दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, इतने गुस्से में नहीं हों, हम जवाब दे देंगे, आप आपकी बात कह दो। इतना गुस्सा क्यों करते हो?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तो मैं कह रहा हूं तो बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप गुस्सा क्यों करते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): गुस्सा, तो बीच में क्यों खड़े होते हैं, गुस्से की बात हो गयी। यह तरीका नहीं है। गुस्से की बात नहीं है, मैं तो आपका ध्यान दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान दिला रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): दीनदयाल की तरफ ध्यान दिला रहा हूं, गुरु गोलवलकर की तरफ ध्यान दिला रहा हूं। हमारे समय में जो

(श्री हेमाराम चौधरी)

पंचायतें निर्विरोध चुनी गयीं उन सभी पंचायतों में दो-दो लाख के विकास कार्य अकाल राहत के तहत करवाये गये। यह कहें अकाल राहत, लेकिन श्रम और सामग्री दोनों का पैसा सरकार की तरफ से दिया गया। इन्होंने पिछले साल अकाल राहत में एक आदेश भेजा कलक्टर्स को कि आप श्रम मद का पैसा अकाल राहत में दे दें और सामग्री मद का अगर पंचायत पैसा देती भी है तो आप करवा दें। अब सामग्री का पैसा पंचायत के पास कहां है? सामग्री मद का पैसा ही आप दो, श्रम मद का ही आप दो तब तो काम हो सकता है। दो-दो लाख कराये, आज वो सात-आठ साल पहले की बात है। कौन से साल में करायी, रिकार्ड है आपके पास तो उसकी जगह पांच लाख ही करवाते। श्रम और सामग्री दोनों देते जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गयी हैं लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस समय जो निर्विरोध पंचायतें चुनी गयीं थीं सभी 236 ब्लाकों में एक-एक गांधी ग्राम योजना के तहत एक-एक ग्राम का चयन किया गया, एक-एक ब्लाक में एक-एक गांधी ग्राम योजना उस गांधी ग्राम में एक-एक क्लस्टर। 30 लाख रुपये का यहां राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। 30 लाख रुपये का काम दिया गया गांधी ग्राम योजना में और आपके इस दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना में एक पैसा नहीं। फूटी कौड़ी, आप कह रहे हो नहीं कहूं, एक पैसा नहीं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि 2006-07 के बजट में कुछ नहीं। यह योजना 2006-07 में आ गयी और 2007-08 के बजट में भी आपने इसका जिक्र कर दिया। 100 गांवों के और चयन की बात आपने कह दी लेकिन पैसे कहीं नहीं, तो आप जवाब दे दें पैसा कितना है, क्या है। आप बता दें, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा गांधी ग्राम में क्लस्टर दिया, कम से कम इन ग्रामों को आप एक-एक क्लस्टर तो सेंक्शन कर दें यहां से गवर्नमेंट के स्तर पर। जहां कि एक-एक क्लस्टर का मिल जायेगा, कुछ तो कहने का होगा कि, भाई, आपने क्या दिया दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना में? ना दें तो आपकी मर्जी, मेरा उससे क्या लेना-देना। मेरा तो आपको ध्यान दिलाने का काम है तो निर्विरोध पंचायतों को आपने दिया क्योंकि आप उसमें विश्वास नहीं करते और दीनदयालजी के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, खाली बजट में नाम कर रहे हो।

ग्रामीण विकास पर मेरा एक और निवेदन है कि जन-प्रतिनिधियों के ऊपर दो संतान वाला किया, अच्छा कानून है यह अच्छा कानून पंचायत राज

में चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के लिए ही है, एम एल ए, एम पी के लिए अच्छा कानून नहीं हो सकता क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केन्द्र से कहो बना देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): केन्द्र से कहो तो मैं तो हमेशा कहता हूं। यह हमेशा पहले खुद के लिए बनाओ ऐसा कानून फिर दूसरों के लिए बनाओ नहीं तो जब तक अपने लिए केन्द्र कानून नहीं बनाए, हटा दो इस कानून को, क्या जरुरत है इस कानून की।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हेमारामजी, दीनदयाल उपाध्याय का इन्होंने एक बहुत बेहतर उपयोग किया, लोकसभा में इनके सदस्यों ने जब सवाल लगाने के पैसे लिये ना और नोट गिन रहे थे, पीछे दीनदयाल उपाध्याय की फोटो थी ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके इन्दिरा गांधी की थी क्या ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): एम.पी, एम एल एज के लिए यह योग्यता आप निर्धारित नहीं कर सकते दो सन्तान वाली तो आप पंचायती राज में और नगरपालिकाओं में करते हो क्योंकि वह तो कानून बनाने वाले नहीं हैं, कानून तो बनाने वाले अपन हैं। अपन दूसरों के लिए मर्जी आए जैसा कानून बना सकते हैं लेकिन अपने खुद के लिए नहीं बनायेंगे। केन्द्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, आप हटा दीजिए, लिखिये केन्द्र सरकार को आप कानून बनाएं हमारे लिए, एम पी, एम एल ए के लिए भी यह लागू रहे नहीं तो हम भी इसको हटाते हैं। हरियाणा में हटाया है इस कानून को। इसका दुरूपयोग हो रहा है, हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार दुरूपयोग करती, किया है, अब आपकी सरकार इसका दुरूपयोग कर रही है। दो सन्तानें हैं कि नहीं है इसका कौन तय करेगा, इसका क्या आपके पास प्रमाण है? जैसे अभी हुआ नुकसान हुआ फसल का, ओले गिरे, किसने देखे, होशियार आदमी उसने कहा ओले गिरे, मेरे जैसा बेवकूफ था उसने कहा बरसात हुई, बरसात से नुकसान भले ही कितना भी हुआ हो कुछ नहीं देंगे, ओले गिरे तो मिलेगा।

तो इस तरह से दो सन्तान, होशियार आदमी तो तीसरी सन्तान कहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

डिस्क्लोज ही नहीं करता, जन्म मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाता नहीं है कहीं उसका टेवा बनवाता नहीं है, उसका कहीं रिकार्ड नहीं है, कुछ नहीं है और जांच करने वाले कौन हैं अधिकारी तो ऊपर से जिसकी सत्ता होती है उसके हिसाब से जांच होती है। आज आपके विरोधी हैं उनको आप निशाना बना सकते हो। हम सत्ता में होते हैं तो हम हमारे विरोधियों को निशाना बनाते हैं। यही होता आया है यही पहले और यही अब हो रहा है और यही आज होगा। इसलिए इसका दुरूपयोग हो रहा है, आप इसको मानें या न मानें। इसलिए इसको खतम कर दीजिए।

चैरिटी बिगेन्स एट होम, शुरू करो तो पहले घर से करो नहीं तो इसकी जरुरत नहीं समझता हूं मैं, इसलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया बाकी एक बार आपने क्योंकि कर दिया ऐसा कानून अब आप पीछे कैसे हटें, पीछे हटना तो फिर नाक कट जाएगा, नाक कटने मत देना, कोई बात नहीं, चलने दो बाकी पीछे हटने में कोई अच्छी बात है, अगर ध्यान में आ जाए, समझ में आ जाए तो उस समय ठीक किया जा सकता है।

अब मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान थोड़ा आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी बहुत किसानों की बात थी, अच्छी बात है। एक बात मैं फिर आपको याद दिला दूं, दीनदयालजी की बात याद दिलाई, विधान सभा के चुनाव हुए, जनता ने आपको सत्ता सौंपी, आपको याद है आपने जनता को क्या कहा, चुनावों के समय आपने जनता से यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो आपके दस हजार तक के कर्जे माफ कर देंगे। याद दिलाना चाहता हूं कहा या नहीं कहा, अगर आपने कहा ..

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं कहा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं कहा तो आप कह देना नहीं कहा है। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, आप मैनिफेस्टो को देखें, पढ़ें आप फिर मैनिफेस्टो अगले चुनावों में और लायेंगे। हम उस मैनिफेस्टो के साथ पहले वाला भी लेकर के दुबारा उसमें आप जनता के सामने रखेंगे। आपके कहने से कनकमलजी नहीं चलेगा और आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है, आपने पढ़ा नहीं है, कोई न कोई तो पढ़ता होगा, राठौड़ साहब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, हम दस हजार के कर्जे माफ करेंगे, क्या हुआ उनका ? यह सोचकर के जनता ने आपको शासन दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं लिखा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बिलकुल लिखा है। मैं मैनिफेस्टो की कापी नहीं लाया, ले आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, नहीं लिखा है फिर तो इसकी चर्चा ही छोड़ दो। आपको याद दिलाना ही छोड़ दें क्योंकि अब आपकी मंशा स्पष्ट हो गयी कि इसको आप माफ करने वाले नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं, दस हजार के कर्जे माफ मत करो, कोई बात नहीं लेकिन अभी किसानों का जो नुकसान हुआ, बेमौसम बरसात हुई, ओले गिरे उससे आप ओलों से जो नुकसान हुआ है उसको तो आप मुआवजा देंगे, मैं यह पूछना चाहता था उस समय जब मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया किसानों को मदद की बात कहकर लेकिन बिना ओलों के खाली बारिश से नुकसान हुआ है किसानों को, ओले नहीं गिरे हैं और उनकी फसल पूरी चौपट हो चुकी है ईसबगोल और जीरे की, ईसबगोल और जीरा यह दो ऐसी फसलें हैं कि मामूली सी बारिश हो अगर कहीं दो-दो अंगुल ही बारिश हो तो भी वह खतम हो जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान वाले जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान में ही पैदा होता है ईसबगोल और जीरा यह फसल पूरे हिन्दुस्तान में तो नहीं होती क्योंकि वहां नमी है, जहां नमी है वहां यह हो नहीं सकती, थोड़ी बहुत ओस भी गिरेगी तो यह खतम हो जाएगा ओस से ही, इसको बरसात की जरुरत ही नहीं है। बारिश हुई उससे ईसबगोल साफ हो गया, जीरा पूरी तरह से नष्ट हो गया लेकिन उनको आप मुआवजा नहीं देंगे, मैं जैसा समझता हूं अगर देंगे तो मुझे स्पष्ट कर दें। ओले नहीं गिरे, मामूली खाली बारिश हुई।

सवाल रहा ओले गिरे या बारिश हुई यह कौन तय करेगा, यह तो पटवारी लिखेगा कि ओले गिरे या बारिश हुई। हम लिखकर दे दें आपको ओले गिरे हैं, आप कोई मानने वाले हो क्या, पटवारी है, पटवारी तो वही लिखेगा जो ऊपर से निर्देश हैं कि ओले लिखने हैं कि बरसात लिखनी है। ओले लिखने हैं तो ओले लिखेंगे। खरीफ की फसल की गिरदावरी के समय में क्या हुआ, जहां आपको निर्देश थे कि जहां अकाल लिखना वहां अकाल लिख दिया, जहां सुकाल लिखना था वहां सुकाल लिख दिया। बाड़मेर की आठ तहसीलों में गुढा तहसील में सुकाल बताना पूरी तहसील सुकाल में आ गयी, एक भी गांव अकाल में नहीं आया बाकी सभी तहसीलों में कम ज्यादा अकाल है। ऐसी कोई तहसील नहीं है सिवाय गुढा के जिसमें पूरी तहसील में एक गांव में पता नहीं सुकाल कैसे हो गया। तो यह तो खैर करते हो आप, सत्ता में हो इसलिए आप करोगे वही होगा। आपके ही हाथ में है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं है, कहने के सिवाय कुछ नहीं है, आप कहते हो आप तो धापे हुए चिल्लाते हो। सांवरलालजी जाट साहब कह रहे थे ऊंट को फिटकड़ी दो तो भी चिल्लावे और घी दो तो भी चिल्लावे। जब आपका दृष्टिकोण, मानस ही ऐसा बन गया है कि हम चाहे कैसे ही कितनी अच्छी बात आपको कहेंगे तो आपके दिमाग में यह है कि ये तो चिल्लाते हैं बस। अगर ऐसा सोचकर चलोगे तो मात खाओगे, धोखा खाओगे आप ध्यान रखना, ऐसा ही धोखा हमने खाया था इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि गलतफहमी हो जाती है कई बार।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके लिए नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष: ऊंट के लिए कहा होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपको सही बात कोई नहीं बताएगा, कौन बताए, कौन आपसे दुश्मनी मौल ले, कौन नाराजगी मौल ले, किसी की गलती, कमी निकालोगे तो दुश्मनी होगी। सीधा सा अब हम तो कह देते हैं अब हमसे नाराज होकर क्या, वैसे ही हमारी ठीक है जितनी सुनते हो उतनी है उससे ज्यादा अब क्या होगा।

तो इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता था कि आप किसानों की सुनवाई करो, इनको मुआवजा देना है, किसानों को मुआवजा नहीं दोगे तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ है ईसबगोल और जीरे का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान जीवन कल्याण योजना, पहले कृषक साथी योजना थी इसका नाम बदला है। अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि पांच लाख रुपये होने चाहिए, पचास हजार रुपये दे रहे हो, इसके पहले तीस थे, तीस के आपने पचास किये, ठीक है, सही बात है वह सही रहेगी पर इसमें आपने कहा, खेजड़ी से गिरने से अगर मौत हो जाती है, खेजड़ी पर लूंग ले रहा है, किसान ही तो लूंग लेता है और कौन लेता है, कोई महाजन चढ़ता है क्या खेजड़ी पर, मवेशी को चराता है लूंग तो चाहिए लूंग के बिना कैसे किसान का काम चलेगा तो आपने जोड़ा, अच्छा काम किया कि तीस के पचास किये, अच्छा किया लेकिन आप देओ तो सही । वह कह रहे थे राकेशजी कि इतनी जटिल प्रक्रिया है, इसको सरल कर दो, सरल क्या जिन लोगों को दे दिया आपने मुआवजा आप तो उनसे ही वापस मांग रहे हो, आप कह रहे हो वापस लाओ पैसा, हमने आपको गलती से दे दिया तो इस तरह से

(श्री हेमाराम चौधरी)

ऐसा लगता है जिन लोगों को सबको दिया है, उन सबसे आप वापस मांगने वाले हो मेरे को ऐसा लगता है।

यह दो काश्तकारों के मैं लाया हूं जिनको नोटिस दिया आपने वापस पैसे पचास हजार रुपये दे दिये, चैक दे दिया अब आप उनसे कह रहे हो हमने आपको इस चैक के जरिये पचास पचास हजार रुपये दिये, यह आप वापस हमको दे दें, वापस तो अब हम ही दे देंगे, खैरात ले लेना। आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब देने के बाद वापस लेना तो इसलिए देने वाले तो आप हो ही नहीं तो मेहरबानी करके अब आप कह रहे हो, हमारी योजना के बिंदु संख्या-2 में वर्णित 1 से 14 परिस्थितियों में कवर नहीं माना गया, अब 1 से 14 कौनसी ? यह आदमी दोनों मरे कैसे, कुए पर बिजली का कनेक्शन कर रहे थे, तार खेंच रहे थे, पोल के ऊपर तार खींच रहे थे, स्पष्ट लिखा है आप कहो तो मैं पूरी पढ़कर सुना दूं। तार खींच रहे थे पीछे से लाइट जोड़ दी जी एस एस वालों ने, लाइट काट लाए, बिजली वाला भी आदमी साथ में था, पीछे से लाइट जोड़ दी, करण्ट आ गया, दो आदमी दोनों बिजली के करंट से खतम हो गये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): शट डाउन नहीं किया ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): शट डाउन तो लिया लेकिन बाद में जोड़ दी । बिजली का कर्मचारी साथ में था तो सारी जांच हुई है, बिजली विभाग के पास पड़ी है, कोई ऐसे ही उनकी गलती कोई उसमें है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: वह आपने पिछली बार ध्यान दिला दिया था।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पिछली बार भी ध्यान दिलाया लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। उस समय मंत्रीजी हाजिर नहीं थे, आज कृषि की है ना इसलिए मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं तो अब आप इनसे पचास हजार रुपये तो बिजली के करंट से मर जाए, किसान कुएं पर बिजली का कनेक्शन जोड़ रहा है और करंट आ गया। वह बिजली का करन्ट खुद किसान ने उसमें तार में पैदा किया नहीं। आया तो पीछे से है। बिजली विभाग वालों ने पीछे से जोड़ दिया इसलिये आ गया। अब इसमें भी किसान को आप किसान जीवन कल्याण सहायता के पैसे दो और फिर वापस मांगों को कृषि मंत्रीजी, फिर यह आपकी योजना कैसी है ? मेरी समझ में नहीं आयी इसलिये कम से कम आप मेहरबानी करके गौर करें। यह दो विधवाएं हैं। इनके दोनों के पति

(श्री हेमाराम चौधरी)

चले गये। इन दोनों विडोज को दिये 50,000 रुपये। उनको वापस पैसे मांगने के नोटिस थमाये हैं। मेहरबानी करके आप अधिकारियों को कह दें कि इनका पीछा छोड़ो। वापस तो हम देने वाले वैसे ही नहीं है लेकिन आप परेशान करोगे इसलिये मेहरबानी करके आप इनको परेशान नहीं करें। ऐसे बहुत मामले होंगे, यह तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। यह बाड़मेर जिले के हैं। आप कहो तो मैं नाम बता दूं जो खतम हुए हैं। कमला देवी पत्नी राऊराम, धन्नी देवी पत्नी जय राम, जय राम और राऊ राम यह दोनों जी.एस.एस. से खतम हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नोट कर लिया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंडियों की बात चली। मंत्री महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गौण मंडी हैं, धोरी मन्ना और गुढामालानी। गुढामालानी सब-डिवीजन हैड क्वार्टर है। धोरी मन्ना पंचायत समिति है। दोनों गौण मंडियों में कई वर्षों से उनकी बाउण्ड्री बन गयी, उनके अन्दर कंस्ट्रक्शन भी हो गया लेकिन आज दिन तक वहां पर मंडी शिफ्ट नहीं हुई। मंडी का काम नहीं फिर आपने करोड़ों रुपये वहां पर खर्च कर दिया। आपके जमीन है इतनी सारी और मंडी का काम चालू करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो कब तक करोगे? कुछ तो आप बता तो मेहरबानी करके। दो गौण मंडी हैं। दोनों में ही वहां देखो तो आप इतना खराब लगता है कि पैसा आपका खर्च हो गया और मंडियां शिफ्ट नहीं कर रहे हो, इसके पीछे आपका क्या कारण है?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): 1980 से एम.एल.ए. तो आप हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हां, 1980 से एम.ए.एल. हूं न अभी भी ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): और बार-बार यह कहते हो, आज तक पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप शुरू तो करो मेहरबानी करके। आप शुरू ही नहीं करते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: करने ही नहीं देते हो। अपने ही लोग ... (व्यवधान) कुछ काश्तकार का भी पैसा आ गया। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आप स्वयं मंत्री रहे हो पिछली बार।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं मंत्री रहा हूं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान) एक मिनट कह दूं। एक फसल बीमा है। यह योजना जो लागू की गयी है भारत सरकार, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी और राजस्थान गवर्नमेंट। क्या यह सही है? यह सही नहीं है। विधान सभा में हमेशा चर्चा होती है। हर सदस्य अपने सुझाव देता है। इसको आप यूनिट गांव मानो। आपने जो तहसील यूनिट बनायी यह कतई व्यावहारिक नहीं है। काश्तकार प्रीमियम अपना इंडिविजुअल देता है और नुकसान पूरी तहसील में सब काश्तकारों को होता है। आज भले ही मैं मेरा बीमा करवाऊं सभी 200 सदस्य हैं, 200 में आधे मरे तो मेरे को बीमा का पैसा मिले। मैं भले ही मर जाऊं उससे कोई मतलब नहीं है। आधे मरे तो, आधे कोई से मरे, मैं मर गया तो मेरा पैसा तो दो मेरे परिवार वालों को मैंने प्रीमियम दिया है, बीमा करवाया है। इसलिए मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस काश्तकार ने प्रीमियम दिया है उसकी फसल नष्ट हो गयी है तो उसको बिलकुल मुआवजा मिलना चाहिए। यही तो होता है बीमा, बाकी काहे का बीमा, काहे का प्रीमियम? और यह ठीक नहीं पालिसी लागू की है इसमें कमियां खामियां है तो उस कमी-खामी को सुधारने के लिए ही तो आप बैठे हो, उस कमी-खामी को सुधारो तो सही। तीन साल तो हमारे को रोते-रोते हो गये और आप कोई सुन ही नहीं रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: कोशिश कर रहे हैं1

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): कोई सुधार की तरफ ध्यान दे रहे हैं? आपकी आखिर मंशा क्या है? आपके पास एक फिक्स शब्द है बस पांच साल आपने क्या किया? यह रटा रटाया शब्द है कि पांच साल आपने क्या किया? पांच साल हमने तो क्या किया और आपके भी पांच साल नजदीक जा रहे हैं। घणी गयी और थोड़ी रही और थोड़ी भी छिन-छिन जाए। यह कहावत है कि एक घणी के कारण ... (व्यवधान) झकी वाली बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप छोड़ो बात को।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अब जालम सिंहजी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने आपका कुछ किया नहीं। आप जानो और आपका कर्म-धर्म जाने, मैं तो आपको सुझाव देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपको नहीं जंचे तो एक भी नहीं मानना। जंचे तो मानना। नहीं तो जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। हमारे भी चलाना और आपके भी चला। हमारे रामस्वरूपजी थे अब रामस्वरूपजी के भाई बत्तीलालजी आ गये। रामस्वरूपजी हमारे खूब बखान करते थे, हमारे को ले डूबे। अब यह बत्तीलालजी आपके बखान, अगर ज्यादा बखान करने वाले हैं न, प्रशंसा ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): प्रशंसा मीठा जहर है। यह प्रशंसा मीठा जहर है। यह प्रशंसा ही आदमी को ले डूबती है, और कोई नहीं। मुझे ध्यान है कि पिछली बार जब कभी भी मैं लोगों से पूछता तो कहते कि साहब कांग्रेस की हालत खराब है। मैंने कहा खराब है तो अपने छोड़ो चुनाव, नहीं लड़ता। कहा कि नहीं-नहीं, आप तो जीत जाओगे। मेरे को कैसे कह दिया? मैं कहां से जीत जाऊंगा? आप तो हालत ही खराब बता रहे हो तो मैं ... (व्यवधान) यह लोग सही नहीं बताते हैं। लोगों को पता नहीं, मुंह पर सभी बखान करते हैं। हमने तो कई मुख्य मंत्री देखे हैं। अब आज उनको जयरामजी की नहीं करते। ओह, जब मुख्य मंत्री थे उस टाइम क्या उनके +++ आगे पीछे लोग घूमते थे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आज नमस्कार करने से कतराते हैं। यह तो समय की बात है, भाई।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो गाली दी है उसको एक्सपंज की जाए। इसको एक्सपंज के लिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया। माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह तो समय की बात है। एक्सपंज तो भले ही सारा ही कर दो लेकिन यह समय आप ज्यादा इस मतलब अहंकार में मत रहो कि हमारी प्रशंसा खूब हो रही है इसलिए अब हमारे कोई चिंता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप छोड़ो इस बात को।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपकी प्रशंसा हो रही है उससे कुछ नहीं है, आप काम क्या कर रहे हो उसको देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपके विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। होली के दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में जाकर ओलावृष्टि के कारण होली नहीं की इनके सम्मान में। इतना हमारी सरकार ने इनका ध्यान रखा है क्योंकि इनका काम अच्छा है और मुख्य मंत्री पूरा सम्मान करती हैं इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सरदार गुरजंट सिंह।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने गाली नहीं दी है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैंने आपकी तारीफ की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे गांव में कहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने तो कहा, मैंने केवल समय की बात बताई। आपके और हमारे पीछे अभी घूमते हैं कल कोई नहीं घूमेगा। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देख लेंगे, देख लेंगे। उन्होंने गाली दी है तो ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैंने किसी को गाली नहीं दी ... (व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब बीच में टोका-टाकी नहीं, ज्यादा बोलते भी नहीं हैं सरदार साहब।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का आभारी हूं इस तीन साल में सबसे पहले आपने, सरकार ने हमें कृषि के लिए दूसरे देश भेजा जहां कृषि मंत्री, हमारे अध्यक्ष महोदय, कुछ मंत्रीगण, कुछ एम.एल.एज. कुछ किसान हमारे साथ गये।

हम वहां पर जो भी देखकर आये और हमारे से कुछ नहीं हो पाया और हमारे दिमाग में है कि जो वहां पर अच्छी खेती के औजार, खेती के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छे पशुपालन की व्यवस्था, चाहे उसमें भेड़ हो, चाहे बकरी हो, मुर्गी फार्म तक की व्यवस्था देखी। उसमें ऐसी व्यवस्था भी

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

देखी कि कई फार्म में हम गये। जहां हमारी गोबर की खाद नहीं मिली हो। उन लोगों ने दूसरी खाद के अलावा गोबर की खाद का ज्यादा इस्तेमाल करा। मेरे इस मामले में कुछ सुझाव मैं कृषि मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि हमारे भी दूसरी खाद को छोड़कर चाहे हम हरी खाद पैदा करें। जैसा हमने पहले ग्वार की खाद, उसको बो कर, एक जन्तर है, उसको लोग जन्तर कहते हैं। उसका लम्बा कद हो जाता है। डेढ़ महीने, दो महीने उसको बो कर उसके बाद काट कर उसकी तनियों से भी खाद बन जाती है। आज इस युग में बड़ा जरूरी है जिस तरह से आज इस सरकार ने हमारी गंगानगर शुगर मिल को बाहर किया है, मैं यह सुझाव भी दूंगा कि हमारे यहां पर सन् 1927 में गंग कैनाल आयी। उसमें ऐसे नियम बनाये कि खेती में आपको डेढ़ बीघा कपास बीजना पड़ेगा, तीन बीघा कणक बीजनी पड़ेगी, उसमें बाजरा बीजना पड़ेगा। दूसरी फसल में कणक बीजेंगे, चने बीजेंगे ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम एक ही तरफ लग जाते हैं। चाहे वह फसल में कणक बीज लें या सरसों बीज लें। मैं कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि अपने जो भी एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं चाहे उसमें बड़ा हो, चाहे छोटा हो वह गांव में जाकर अच्छा बीज और अच्छी व्यवस्था हो तो उसमें हमारे छोटे किसान को बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जिस तरह हमारा ड्रिप सिस्टम है उस पर इन्होंने जो सब्सिडी दी है। आप वहां जाएं गंगानगर को देखें। लोगों ने काफी इसको बनाया। कहीं भी आप दो, गंगानगर में दो, जैसलमेर में दो, चाहे वह बीकानेर में दो, चाहे वह कोटा और बूंदी जहां पर भी पानी आता है, जितना वहां पर दोगे हमारे पानी की अच्छी बचत हो जाएगी। कैसे बचत हो जाएगी? क्योंकि मार्च तो आ गया आज। मार्च महीने में उसका पानी जो हमारी खेती में नहीं लगाएंगे। हम पानी हमारा स्टॉक कर सकते हैं कि बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरा सुझाव है और इस पर ही आप बनायें। यह पहला मौका है जो हमारे उधर से कई माननीय सदस्य बोले कि मुआवजा कृषि के, जब भी पटवारी मौका देखने जाए उसका नुकसान या नफा देखने जाए।

उसमें हमारा कृषि के अधिकारी जरूर होने चाहिंए क्योंकि उनको यह पता है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है। पटवारी को यह पता नहीं है, वह चाहे तो 48 प्रतिशत लिख दे कि नुकसान 48 प्रतिशत हुआ है तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर वह 51 या 52 लिख दे तो उसको मुआवजा मिल जायेगा। वह भी कृषि का अंग है उनमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा बागवानी महकमा बनाया है, उसमें अच्छा काम चल रहा है। मैं आपको यह भी कहूंगा कि थोड़ी जगह से ज्यादा आमदनी ले रहे हैं। वह चाहे आपके ग्रीन फार्म्स बनते हैं, चाहे वहां पानी लगता है उस पर भी आप ध्यान रखें। उसमें बहुत पैसा आया है और पैसे को भी उसमें तरीके से लगाया जाये। चाहे वहां कोई प्रधान हो, चाहे एम.एल.ए. हो, चाहे कोई भी हो, आप एक कमेटी तय कर दें जो उन पर अंकुश रखें। यह बहुत जरूरी है। मेरा आपसे इस मामले में सुझाव है कि अगर आप इसको अच्छा समझें तो उसमें शामिल करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पंचायत मंत्रीजी से भी निवेदन है कि विकास पंचायतों में बहुत हुआ है। बहुत पैसा आया है माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे कि इन्होंने नाम ले लिया, पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर आप गिनती गिनना चाहें, मेरे ख्याल से उसके मुकाबले एक पंचायत में दस गुणा ज्यादा पैसा आ रहा है आज की डेट में। उस पैसे का उपयोग हम लोगों को करना है, अच्छा करें, चाहे बुरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने हमको ग्राम सेवक दे रखे हैं, पंचायत सेक्रेटरी दे रखे हैं, वह ऐसे दे रखे हैं जो महकमा टूट गया उनके चपरासी दे रखे हैं। अगर नहर वाला महकमा टूट गया है तो उसके बेलदार दे रखे हैं। हमारा विकास किस चीज से होवे, उनको इतना नहीं पता कि हमें क्या करना है। ऐसे ना देकर आप उसकी भी थोड़ी दुरूस्ती करें, तब्दीली करें। यह ना हो कि किसी महकमे का चपरासी है और उसको एक पंचायत का सेक्रेटरी लगा दें। जिसमें हम लाखों रूपयों के काम करवाते हैं। पंचायतों के पास पैसा आता है, उनको नहीं पता, नये-नये सरपंच बनते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता है और चालान सरपंच का होता है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। सरपंच अनियमितता नहीं करता। उसकी जिम्मेदारी बी.डी.ओ. पर होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आपके जे.ईएन. पर होनी चाहिए। यह भी मेरा सुझाव है कि आप इसको शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन मंत्रीजी से कहूंगा कि पशु छोटे से बड़े आदमी तक, बड़ा आदमी तो ना माने, जो आज पशु पालता है, एक बहुत बड़ा साधन है गरीब आदमी के लिए, काश्तकार के लिए। उसमें हमारे बैल भी आ जाते हैं, हमारी भैंसें, गायें भी आ जाती हैं, बकरी, भेड़ भी आ जाती हैं। उसके

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

लिए डाक्टर बहुत जरूरी हैं। आज कई जगह ऐसी हैं जहां हास्पिटल हैं वहां डाक्टर नहीं हैं। ऐसे गांवों की गिनती आप ले लें जहां मवेशी ज्यादा हैं, जहां ऐसे इंतजाम करने हैं। चाहे थोड़ी दूरी पर ही इंतजाम कर देते। हम नस्ल भी अच्छी चाहते हैं। आज ऐसे लोग गांव में घूम रहे हैं, अगर किसी को वहां डाक्टर नहीं मिलता है उसको अगर टीका लगवाना है तो वहां घरों में इस तरह के हालात हो गये हैं कि हमारी नस्ल उलटी खराब होती जा रही है। मैं यह आशा करता हूं कि आप इस पर अच्छी तरह से गौर करके इसको शामिल करेंगे, यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक तीन साल में विकास चाहे आपकी कृषि की आय हो, कृषि में तो बहुत ही ज्यादा आपने दिया है। पंचायत राज में पैसा भी खूब दिया है। चाहे हमारे को अकाल राहत में, चाहे जो इतना नुकसान हुआ है और जैसा उधर से बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे यह भी होना चाहिए क्योंकि चाहे वह किसान कहीं का भी हो, किसान की कोई जाति नहीं है, किसान की कोई दूसरी बात नहीं है। चाहे ओलों से नुकसान हुआ हो उसको भी शामिल करें, या जीरा या ईसबगोल जो है, वह पानी से मर जाता है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाये, क्योंकि वह भी किसान है, चाहे जैसलमेर में बैठा हुआ है वह भी किसान है और चाहे गंगानगर में बैठा है वह भी किसान है। मेरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के साथ लगता है। हम जब बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब की करते हैं कि वहां डाक्टर हर गांव में हैं। वहां जो मुआवजा देते हैं वह 5-10 हजार रुपये प्रति बीघा दे देते हैं। उनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आज फिर भी हमारा जो काश्तकार है वह उनसे अच्छा मुकाबला करता है। आज गंगानगर का उदाहरण दे दूं कि चाहे आज बगीचों में देखा जाये, बागों में देखा जाये, फव्वारा सिस्टम में देखा जाये तो हम पंजाब की तुलना में कम नहीं हैं। उसके माफिक ही हमारा काम चल रहा है तो हर किसान को चाहे वह जैसलमेर में हो, अगर हम उसको सब्सिडी देंगे, वहां भी अगर यह बढ़ेगी तो हमें आगे लाभ होगा। उसका लाभ हमें हर बड़े से छोटे तक मिलेगा, इतना ही कहना है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): एक-दो पाइंट हैं, प्लीज ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मेरे स्थगन पर व्यवस्था दी थी, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया जाये। यह बहुत बड़ा मसला है। राजस्थान के हजारों व्यापारियों का है। छोटे व्यापारियों का मसला है, दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आपने सुबह व्यवस्था फरमायी थी ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, कृषि विपणन बोर्ड में आपने जो जे.ईएन. के प्रमोशन दिये हैं डिग्री होल्डर्स के और डिप्लोमा होल्डर्स को आपने वंचित कर दिया तो मैं चाहूंगा कि उनको भी प्रमोशन देकर के उनका भी भला करें ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह गलत तरीके से हुआ है जब कि यह न्यायोचित नहीं है, 60 प्रतिशत डिप्लोमा होल्डर्स के प्रमोशन होने चाहिंए ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): राज्य की मंडियों में लाखों व्यापारी ऐसे हैं ...(व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत कम बोलने वाले हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाद में पूछ लेना माननीय सदस्य ...(व्यवधान) मंत्री जी से बाद में पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुबह व्यवस्था फरमायी थी इस स्थगन पर बोलने की ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के जवाब देने के बाद पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39, कृषि एवं पशु पालन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनके जवाब के बाद पूछ लेना माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप वैसे ही बता देना ...(व्यवधान) व्यक्तिश: मिलकर के आपकी समस्या का समाधान करेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी के जवाब देने के बाद पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): आपकी बात का मैं जवाब दे दूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ें, समय हो गया अब ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं जवाब दे दूंगा, मेरे पास आ गया है विषय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाद में बता देना ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): विषय आ गया ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इनसे ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ...(व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की ही चर्चा अगर यहां नहीं होगी तो कहां होगी ...(व्यवधान)

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): पांच मिनट का समय दिया जाये ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे रखी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: लिखकर के दे देना, आपका जवाब आ जायेगा ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मैंने स्थगन लिया था इस मामले में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब देने के बाद पूछ लेना प्रश्न माननीय सदस्य ...(व्यवधान) अब स्थान ग्रहण कीजिये आप ...(व्यवधान) अब व्यवस्था बदल दी है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य बता देना, इनको लिखकर के दे देना, इनके जवाब देने के बाद पूछ लेना, मंत्री महोदय के जवाब देने के बाद पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): दो मिनट में कह दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशु पालन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन की बात मानने वाले हो, आप कह देना बाद में ...(व्यवधान) ऐसी कौन सी गम्भीर बात हो गयी, आप बता देना ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): बहुत गम्भीर बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनका जवाब देने के बाद कह देना, आप जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान) यह उसके जवाब में कह देना।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह उसके जवाब में कह देंगे, यह जवाब में वही बात कह रहे हैं जो आप पूछ रहें हैं ...(व्यवधान) जवाब आने दीजिये आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मैं दो मिनट में अपनी बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा आपको माननीय सदस्य ...(व्यवधान) रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): दो मिनट में अपनी बात कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं मिलेगा समय, आज नहीं दूंगा ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): यह सरकार के लिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत जरूरी है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं जवाब दे दूंगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब देने के बाद अगर कोई बात रह गयी हो तो पूछ लेना ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, अगर फरहा खान का डांस पांच मिनट लेट देखने चले जायेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री महोदय अगर फरहा खान का डांस पांच मिनट देर से देखने चले जायेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बोलने दें आप इनको ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि मंडियों की आढ़त को 6 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जायेगा और मंडी शुल्क को 1.6 प्रतिशत से घटाकर के 0.5 प्रतिशत कर दिया जाये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों में व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी किसान से कोई टैक्स नहीं लेते हैं और किसान के ऊपर कोई मंडी शुल्क नहीं लेते हैं और किसान के ऊपर कोई आढ़त नहीं लेते हैं। यह बड़े व्यापारियों को जो माल बेचा जाता है उनके ऊपर आढ़त लगती थी और उनसे मंडी शुल्क लिया जाता था।

बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के कारण छोटे व्यापारियों का गला घोंट दिया गया है। व्यापारियों की मांग थी कि मण्डी शुल्क और आढ़त बढ़ाई जाए। चार राज्यों में अन्य मण्डी शुल्क 8 प्रतिशत है और हमारे यहां महामहिम उपराष्ट्रपतिजी जब मुख्य मंत्री थे उनके समय में भी यह प्रस्ताव आया था कि आढ़त को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाए। छोटा व्यापारी उस पर प्रोफिट नहीं लेता है, अगर दस रुपये का टोकरा लेता है तो वह दस रुपए में सामने वाले को देता है, केवल 6 प्रतिशत आढ़त और 1.6 प्रतिशत उससे मण्डी शुल्क लेता था, अब उस पर 3 प्रतिशत टैक्स लगा दिया और मण्डी आढ़त कर दी 1.6 प्रतिशत, टैक्स 0.5 प्रतिशत कर दिया तो उन 50 पैसे प्रतिशत से न तो गांव का विकास होगा न किसानों का विकास होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो, माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): न किसानों की सड़कें बनेंगी और मण्डी में छोटे व्यापारियों को जो प्रोफिट था वह घटकर आधा हो गया, वह काम वैसे ही नहीं कर पाते। आज से 30 साल पहले से ही किसानों के ऊपर आढ़त और मण्डी शुल्क लेना बंद किया हुआ है इसलिए इससे किसान प्रभावित नहीं हो रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस आढ़त को 3 प्रतिशत जो किया है उसे वापस 6 के बजाय 8 प्रतिशत किया जाए और मण्डी शुल्क को 0.5 प्रतिशत से वापस 1.6 प्रतिशत किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए। आ गई बात आपकी, पूरी डिटेल में आ गई। माननीय मंत्रीजी, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है, आपके ग्रामीण विकास में राजस्थान में सी. सी. सड़कों के निर्माण पर पाबन्दी लगाई है, यह पंचायती राज को दिए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको वापस लेने का तरीका है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को स्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए, एईएन और जेईएन इसमें आपके वहां बैठते हैं तो जो पी डब्ल्यू डी के पास स्ट्रक्चर है वह उनको दिया जा सकता है और उसके निर्माण को सही तरीके से कराया जा सकता है। हम भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब न हों और केवल उनके अधिकार छीन लें पंचायतों के तो यह एक तरह से उन पर कुठाराघात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और गांवों की गलियों में, शहरों में जहां हर जगह सड़कें बन सकती है तो गांव का आदमी भी सड़क चाहता है, गांव का आदमी भी स्वच्छता चाहता है, गांव का आदमी भी सफाई चाहता है, वहां पर भी सी.सी. सड़कें गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। वर्ष 2004 में मैंने पी डब्ल्यू डी के माध्यम से मेरे विधायक कोटे से 35 लाख रुपये दिए और 35 लाख उसका टेण्डर हुआ बिलो रेट पर वह 27 लाख पर बिलो किया। जब 27 लाख में गुणवत्तापूर्वक सी. सी. सड़कें कैसे बन सकती हैं तो पंचायती राज के माध्यम से कराए जाने वाली सड़कों को भी वापस स्ट्रक्चर उपलब्ध करवाकर उनको गांव में सी. सी. सड़क दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि पी डब्ल्यू डी से अगर हम कार्यक्रम को स्थानांतरित कर रहे हैं तो कम से कम 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये के काम तो विदाउट टेण्डर के गांव में दिए जाएं जिससे गांव के गली-मोहल्लों की सड़कों का सुधार इससे हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रार्थना करके यह समय लिया, मेरी दो बातें जरूरी थी, मण्डी शुल्क वाली और यह सी. सी. सड़कों वाली, मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे और आश्वासन देंगे। यह हजारों व्यापारियों का मसला है, इस पर मंत्री महोदय, आपको जरूर कुछ न कुछ निर्णय करना पड़ेगा। बहुत सारे व्यापारी मण्डियों में बेकार हो गए हैं उनका व्यापार छूट गया है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक शिकायत बोलूंगा। माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा। कोटा सीड कारपोरेशन में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसको मैं आपके सामने मंत्रीजी के यहां उजागर करना चाहता हूं, उसकी जांच हो गई, एडीशनल डाइरेक्टर ने

(श्री हेमराज मीणा)

उसकी जांच की है, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, मैं जांच रिपोर्ट पांच मिनट में पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि मंत्रीजी उस पर काम करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप रिपोर्ट दे दीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ...शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाएं तथा जानकारियां लगभग सही पाई गई। जांच के दौरान निगम इकाई कोटा के आकाशवाणी गोदाम में अण्डर साइज मूंग के नीचे ... (व्यवधान) दबा कर रखी गई 39 बोरियां मिली।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप रिपोर्ट दे दीजिए।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): इनका वज़न 35.375 क्विंटल था। इन बोरियों में अच्छी गुणवत्ता का मूंग रखा पाया गया जो अण्डर साइज श्रेणी का नहीं है। उसको अण्डर साइज के साथ गोदाम में रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। (व्यवधान) इस अच्छी किस्म के बीज को अण्डर साइज का बताकर इसकी नीलामी 26 रुपये प्रति किलो की दर से निगम को घाटा पहुंचाने के लिए की गई। 60 रुपये प्रति किलो की दर से 1,20,275 रुपये होती है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): उपाध्यक्षजी की व्यवस्था को भी नहीं मान रहे हैं तो हाउस कैसे चलेगा? उपाध्यक्षजी की व्यवस्था को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जब आपने व्यवस्था देकर मंत्रीजी को रिप्लाई के लिए बोल दिया उसके बाद भी आप बोल रहे हैं तो फिर और भी बोलने लग जाएंगे, इस प्रकार तो व्यवस्था के सवाल पर अव्यवस्था हो जाएगी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ...(व्यवधान) नियमों की अनदेखी कर ...(व्यवधान) पी. पी. शर्मा को मैनेजर तथा विपणन सेवा का प्रभारी बनाया गया।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है और इसमें आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद इस प्रकार से ... (व्यवधान) यह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ...(व्यवधान) कार्यालय के 10 कर्मचारी ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अंकित न हो, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): यह जांच होने के बाद भी 9 महीने से मंत्रीजी के पास फाइल बस्ते में बंद है। मैं कहूंगा मंत्रीजी यह कौन बैठा है, वरिष्ठ अधिकारी है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें और सदन में उसकी घोषणा करें।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): आधा मिनट में एक लाइन बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में हाड़ेचा एक बहुत बड़ा कस्बा है, उसके चारों तरफ 40-45 किलोमीटर में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका भवन दानदाता बनाकर देने के लिए तैयार हैं, आप खाली स्वीकृति दे दें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे यहां कृषि उपज मण्डी की दो ही सड़कें हैं, सेवाड़ा से झाव जोधावास और देवड़ा से नीम्बव, ये दोनों ही सड़कें पिछले कई सालों से टूटी हुई पड़ी हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इनकी आप रिपेयरिंग करा दीजिए, रिकारपेट करा दीजिए ताकि व्यवस्था बनी रहे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या -37 व 39 का पारण

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि एवं पशु पालन, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पर माननीय सदस्यों ने 283 कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इन सभी कटौती प्रस्तावों का 48 घण्टे में जवाब माननीय सदस्यों तक व्यक्तिगत स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन की मांग पर चर्चा के दौरान 27 माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव दिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब ने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के किसानों का भला किस प्रकार से हो सकता है, यह सुझाव दिए हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप लोगों के दिए हुए सुझाव हम सब का मार्ग प्रदर्शक बनकर हम विकास और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि कृषकों के हित में, पशु पालकों के हित में जो भी सरकार के स्तर पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर जितना जो भी हम भला कर सकते हैं उसमें एक कदम आगे बढ़कर आपकी मांग के अनुसार काम करेंगे।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान किसानों की भी चर्चा की और आप यह मानें या न माने, यह सच है कि कृषि राजस्थान ही नहीं समूचे भारत का आधार स्तम्भ है लेकिन यदि हम लाल बहादुर शास्त्री के उन शब्दों को देखें जिसमें उन्होंने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस पर चिंतन करें कि हमारे उस अन्नदाता की जय हो रही है या उसको बोध है कि नहीं कि उसका जयघोष किया जा रहा है। आज किसान की जो स्थिति है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भले ही हम लोगों ने 1966 की हरित क्रांति पैदा करके देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन किसान भाइयों को और उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी मेहनत करके कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। लेकिन हमें उस अन्नदाता की चिंता भी करनी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से बताया और यह सच है कि कई कहावतें हैं जो किसानों के प्रति चली हुई हैं। कहावतों में यह कहते हैं कि हमारा किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही वह मर जाता है, यह कहावत चली आ रही है। इसके अलावा दूसरी कहावत है उसमें भी यह कहा जाता है कि हमारा किसान कम उसकी बहुत अधिक पैदा हो जाती है तो वह मण्डी में जाकर चिंता व्यक्त करता है, यदि उसकी पैदा कम होती है तो वह खेत पर जाकर चिंता करता है और यदि उसकी अच्छी फसल होने लग जाती है तो प्रकृति की मार के आगे उसकी फसल ओलावृष्टि या प्राकृतिक आपदा के कारण खेत में समाप्त हो जाती है उस समय वह अपने घर में बैठ कर चिंता करता है।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी पिछली कई सरकारें, मैं किसी भी सरकार के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन सब ने अपने-अपने स्तर पर जितने प्रयास करने चाहिए, सब ने प्रयास किये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम यह देखें कि आज हमारा यदि सबसे बढ़िया वैज्ञानिक है तो हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है। यदि हम कृषि के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो वह है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है एग्री और कल्चर, यानी हमारी सभ्यता को हम स्वीकार करते हैं। यह

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किसी का दिया हुआ नारा नहीं है, हमारे उस किसान का है जो हमारी परम्परागत खेती करके हमारे पूरे देश को एक दिशा देने का काम किसान ने किया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर से कहना चाहता हूं, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि यदि कृषि के क्षेत्र में किसी को जानकारी नहीं हो तो उस किताब को बंद कर देना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मै उनकी बात से सहमत हूं, जिस विषय में जिसकी रुचि नहीं हो उसको नहीं करना चाहिए।

मैं कोट करना चाहूंगा जॉर्ज वाशिंगटन, जो यूएसए के फोर्मर प्रेसीडेंट थे उन्होंने बहुत जोरदार बात कही थी, आपकी बात को सम्मिलित करते हुए "No race can prosper till it learns that there is as much dignity in tilling field as in writing a poem." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि खेती में उतनी ही गरिमा है जितनी एक कविता लिखने में, क्योंकि कविता लिखने वाला कवि यह कल्पना करता है और उस कल्पना के शब्दों में उसको पिरोकर जिस प्रकार कविता लिखता है उसी प्रकार कृषि भी एक ऐसी चीज है। किसान खेत को जोतता है, किसान बीज को डालता है, एक कल्पना करता है और यह परिकल्पना करके वह सपना देखता है कि इसमें जो उत्पादन होगा वह मेरा और मेरे परिवार के हमारे आर्थिक जीवन को सुधारने के काम आएगा, यह कल्पना किसान करता है और वही कल्पना एक कवि करता है। इसलिए इसी बात को मेरे मन में समाहित करते हुए मैं एक बात और कहना चाहूंगा ग्रीक के एक इतिहासकार हैं उन्होंने एक जोरदार बात कही है सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए कृषि एक सर्वोत्तम धंधा है जिसके द्वारा वह आजीविका के साधन अर्जित करता है। यानी कृषि को इतना पवित्र धंधा पूरे विश्व में माना है, लेकिन कहीं प्राकृतिक विपदा है, कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज हमारा किसान गर्व से यह नहीं कह सकता मैं आत्मनिर्भर हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम आंकड़ों पर चर्चा करें तो हम यह देखेंगे हमारे 64 लाख परिवार कृषि पर आजीविका का जीवन जीते हैं। उनकी हालत को आज देखें तो उतनी ठीक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा पैदा करे किसान और भूखों मरे किसान, अब यह राजस्थान में हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने यह सोचा है, उन्होंने खेत से लेकर, मिट्टी से लेकर, पानी से लेकर, बीज से लेकर फसल की उत्पादकता से लेकर मार्केटिंग और

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मार्केटिंग के बाद प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग के बाद वेल्यू एडिशन तक का काम राजस्थान सरकार ने तीन वर्षो में करने का प्रयास किया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर आपसे इतना आग्रह करना चाहूंगा यदि हम राजस्थान के परिदृश्य पर नजर डालें 342 लाख हैक्टेयर का हमारा जो भूभाग है यदि इसको हम देखें, पूरे प्रदेश में मात्र देश का एक प्रतिशत पानी राजस्थान में उपलब्ध है। इतने कम पानी के बावजूद भी 80 प्रतिशत पानी सिंचाई के काम आता है और मात्र 20 प्रतिशत पानी पीने के काम आता है। इन विषम परिस्थितियों के बाद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि राजस्थान में इतने प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं कि आज हमारी जो स्थिति है, आज हम राज्यों के कंपीटिशन में हम खड़े हैं। मैं जानकारी देना चाहूंगा एक मल्टी स्टेट प्रतिस्पर्धात्मक प्रोजेक्ट बना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा विश्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिसने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन छह राज्यों को अग्रणी राज्यों में चुना जिन्होंने माडल एक्ट को अपनाया और कृषि के क्षेत्र में उदारीकरण के युग, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में जिस प्रकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में किस प्रकार हम काम करेंगे इसका 250 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से जब यह प्रोजेक्ट बनेगा उसकी स्वीकृति जब राजस्थान को मिलेगी तो इसमें आधारभूत संरचना, मण्डियों की रिसर्च, खेती की विविधता, क्वालिटी सुधार, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इजराइली तकनीकी, डेयरी सेक्टर, मूल्य संवर्धन और कोल्ड स्टोरेज, विशिष्ट मण्डियां, अनेक प्रकार की परियोजनाएं बनाकर राजस्थान के उस किसान को जो गांव में बैठा अंतिम पंक्ति पर गरीबी की रेखा पर जीवन जी रहा है उसको उठाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि कृषि जैसा कि मैं बात करूं तो आज उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है उसको हम देखें तो 61 प्रतिशत आज भी रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तानी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी कृषि सबने कहा है, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हमारे राजस्थान की खेती वर्षा आधारित जुआ है। यदि वर्षा होगी तो निश्चित रूप से फसल होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि शुष्क खेती में भी जब

(श्री प्रभुलाल सैनी)

तक हम लोग अनुसंधान नहीं करेंगे, जब तक शुष्क खेती में ऐसी तकनीक पैदा नहीं करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान में जहां इस प्रकार की जो सेमिनार हुई हम लोगों ने वहां प्रजेंटेशन दिया और हम लोगों ने कहा कि जहां कम पानी, कम लागत और अधिक उत्पादन हो उन फसलों को राजस्थान में बढ़ावा देना चाहिए, यह प्रयोग भी हम लोग कर लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आज हमारी जो स्थिति है उत्पादन के क्षेत्र में भारतवर्ष में कई ऐसी जिंसें हैं जिनमें नम्बर एक स्थान पर आज भी राजस्थान है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा ग्वार का उत्पादन 74 प्रतिशत पूरे देश का राजस्थान में हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार 71 परसेंट धनिया और 87 परसेंट मेथी, जीरा 52 परसेंट, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यहां पर अनेक बार अकाल पड़ता है उसके बावजूद भी आज हम इस स्थिति में हैं। इसके पीछे कौन है, हमारे वैज्ञानिक, किसान और हमारे सारे अधिकारी मिलकर हम सब मिलकर राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर हम लोग यह चाहते हैं राजस्थान में जब तक हम इनको नहीं अपनाएंगे, नई खेती को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा विजन होना चाहिए, हमारा एक सोच होना चाहिए, हमारा एक विचार होना चाहिए और चार चीजों को प्राथमिकता देते हुए हम लोगों ने राजस्थान के कृषि परिदृष्य को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहला कृषि आय में वृद्धि, यानी किसानों को नई तकनीक की जानकारी देकर कृषि आय में किस प्रकार से वृद्धि की जाए। दूसरा, जल जैसे दुर्लभ संसाधन का समुचित प्रयोग हमको किस प्रकार करना है इस बिन्दु पर हमने जोर दिया है। तीसरा, पर्याप्त विपणन श्रृंखलाएं सृजित करना, राजस्थान के किसान को पैसा नहीं मिलता, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि किसान लुटता है, किसान की कोई सुनता नहीं है, उसको पैसा नहीं मिलता, यह काम भी हम कर रहे हैं और चौथा बिन्दु है मूल्य संवर्धन के लिए भी आधारभूत संरचना हम बना रहे हैं। वेल्यू एडिशन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं बजट की बात करूंगा हम लोगों ने पिछले तीन वर्षों में चार गुना बजट की वृद्धि हम लोगों ने की है। होर्टीकल्चर में भी हम लोगों ने ढाई गुना वृद्धि की है और इसके पीछे यही एक उद्देश्य रहा है राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो दोनों सरकारें मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करके किस तरह से राजस्थान का किसान अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल स्तर पर राजस्थान में पहचान बनायी है, हम सब मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं।

इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों को उत्पादकता, उत्पादन और क्षेत्र में वृद्धि करने पर भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को एक करोड़ रुपये का इनाम और रजत पत्र राजस्थान सरकार को दिया गया। यह राजस्थान के लिए एक गर्व का विषय है और हम लोगों ने तय कर दिया कि जब तक हम लोग उन्नत बीज की उपलब्धता नहीं बढाएंगे, मृदा स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं करेंगे, विशिष्ट फसलों की विशिष्ट मण्डियां व प्रोजेक्ट तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा और यही सोचकर हम लोगों ने भरतपुर में ढाई लाख हैक्टेयर में गत वर्षों में टार्गेट ट्वेंथी प्लस कार्यक्रम करके सरसों उत्पादन हम लोगों ने बढ़ाया। ऑपरेशन 150 परसेंट करके नागौर में सरसों का हम लोगों ने बढ़ाया। ऑपरेशन 150 प्रतिशत करके जयपुर, झुंझुनूं, सीकर और गंगानगर में जौ की खेती को हम लोगों ने बढ़ाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 हजार किसानों को साझा खेती के रूप में, जौ की खेती को बढ़ावा देकर हम लोगों ने काम किया जिसका सीधा परिणाम काश्तकारों को इतना हुआ कि वहां उसको लाना, ले जाना, कई प्रकार के जो उसके खर्चे थे उसको भी उसका लाभ मिला है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा अब हमारी कोशिश है, अब हम यह प्रयास करना चाहते हैं कि जब तक हमारी परम्परागत खेती को बदलकर डाइवर्सिफिकेशन आफ क्रोप्स, यानी फसलों का विविधिकरण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे किसान की हालत नहीं सुधरेगी, क्योंकि अभी हमारा किसान एक परम्परागत तरीके से खेती करता है। एक आदमी ने बाजरा बोया, दूसरा बाजरा, तीसरा बाजरा, चौथा बाजरा। यदि हम उससे पूछे कि भैया, बाजरा क्यों बो रहे हो तो कहेगा कि मेरा पड़ोसी बो रहा है। आपका पड़ोसी क्यों बो रहा है उसका पड़ोसी बो रहा होगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चेतना शुरू की, हम

(श्री प्रभुलाल सैनी)

लोगों ने जागृति की है। हम लोगों ने कई प्रकार की पुस्तकें छापकर पूरे राजस्थान में हम लोगों ने किसान को जागृत करने का काम किया है और हम लोग भी चाहते हैं जब कि किसान को वेल्यू एडिशन और केश क्राप के द्वारा उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा 1947 में यह देश आजाद हुआ। इसके एक साल बाद 1948 में इजराइल आजाद हुआ लेकिन इजराइल आजाद होने के बाद इस जयपुर जिले की सीमा का जितना सा देश कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में स्थान रखता है। और उसने एक तकनीकी सोच बनाई, उनकी जो सोच थी वह राजस्थान में हम करेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोडक्टिविटी अनाउंसमेंट हम करेंगे, यानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हम लोग करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको बताया उसके अलावा सेल्फ लाइव सुधार भी हम लोग करेंगे जैसे फल सब्जी हमारे फ्रूट्स हैं, उनकी जो लाइफ सेविंग है, उनकी जो अवधि है खराब होने की, उसको बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे और इसके लिए सेप, साइज एण्ड क्वालिटी में भी सुधार करने का हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई हैं और आखिरी में न्यूट्रिशंस और प्रोटींस की मात्रा फल और सब्जी में कैसे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चारों के चारों काम हमने किये हैं और इजराइल का जो सपना था, उन्होंने एक लाइन दी, मोर क्राप पर ड्राप, एक बूंद पर बहुत अधिक फसल उगाओ इसीलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राजस्थान में कई प्रकार की पानी बचाने की योजनाएं चलाई हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और विश्व में जाने माने जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, डा. एम. एस. स्वामीनाथन, उनकी यह सोच है कि जैसा दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य भी उनकी चर्चा कर रहे थे, यह पूरा विश्व जानता है। उन्होंने कहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में– "We need knowledge-cum-management revolution in agriculture." यानी हमें ज्ञान के साथ साथ में प्रबंधन क्रांति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जो क्रांति चल रही थी हरित क्रांति, उसके बाद हम लोगों ने काम किया, पीत क्रांति, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया श्वेत क्रांति, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया नीली क्रांति और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम जो करना चाहते हैं वह प्रबंधन क्रांति को और अब यह हमारा जो पूरा साल है उसमें हम ध्यान देंगे क्योंकि जो प्रबंधन और

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हमारी व्यवस्थाएं हैं वह आम किसान तक कैसे पहुंचे इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा राजस्थान में भले ही हम लोगों ने तीन सालों में किया है, करने का प्रयास किया है लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, वह राजस्थान के किसान के लिए पार्टीबाजी से हटकर बहुत दूर का विषय है। और इसमें राजस्थान में हम लोगों ने एक टास्क-फोर्स का गठन किया है, जो एम. एम. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसमें 6 थीमेटिक ग्रुप्स हम लोगों ने बनाये हैं और उन 6 थीमेटिक् ग्रुप्स के आधार पर हम लोग पूरे देश के जो विशेषज्ञ हैं चाहे वह पशुपालन के हों, चाहे वह पानी के हों, चाहे वह सोइल के हों, चाहे वे ऋण, को-आपरेटिव सेक्टर के हों, हम लोगों ने 6 थीमेटिक ग्रुप्स बनाये हैं उसमें सबसे पहला ग्रुप है वह है हमारा मृदा स्वास्थ्य वृद्धि का हमारा पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जल प्रबंधन का है, तीसरा ग्रुप तकनीकी और आदान प्रबंधन का है और चौथा मूल्य संवर्द्धन, कृषि परिरक्षण और विपणन सहायता का है और पांचवां ग्रुप ऋण और बीमा सहायता का है और छठा जो ग्रुप है, वह पशुपालन और चारा उत्पादन का है। इस प्रकार हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञों की टीम बना कर प्रत्येक थीमेटिक उसमें करीब आठ-आठ और नौ-नौ व्यक्ति, पूरे देश में एक लीडिंग थ्योरी रखते हुए उनका एक हम लोगों ने यह बनाया है और इसके माध्यम से हम लोगों ने कल्पना की है। हमारा विजन है और हमारा विजन है जिसको हम साकार रूप देना चाहते हैं कि इन सब विशेषज्ञों के साथ में हम सब मिलकर इस विजन को आगे बढ़ाने में करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी देना चाहूंगा। हम लोगों ने, कृषि की योजनाओं के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि योजनाएं चलती हैं किसी को पता नहीं होता, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कृषि योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने लागू की हैं, किसान मोर्चा एवं जल चेतना यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की है और उस यात्रा में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में जाकर 16 मई से 16 जून तक का जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें सारे जन प्रतिनिधि, हम लोगों ने माननीय विधायकों को भी, सांसदों को भी, जिला प्रमुखों को भी, प्रमुखों को भी, सरपंचों को भी, सारे लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी पंचायत मुख्यालयों पर ये कैम्प खुलवा लें उसमें जल संरक्षण के बचत एवं कुशल उपयोग के बारे में जन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

जागरण करना था, उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी देनी थी, आदानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देनी थी। ये काम हम लोगों ने इसलिए किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान का किसान यदि उसको पता नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से पंचायत मुख्यालयों पर इस प्रकार के कैम्पों के आयोजन जब भी होंगे, निश्चित रूप से वहां आएगा, वहां के वार्ड मेम्बर, वहां के सरपंच, वहां के पंचायत समिति के सदस्य सारे लोग मिल कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाएंगे क्योंकि कई बार इस प्रकार का आरोप भी लगता है कि राजनीति में बड़े लोग लाभ लेते हैं, छोटे लोग नहीं लेते इसलिए हम लोगों ने इसको पारदर्शी किया, ट्रांसपरेंसी करके, हम लोगों ने इस योजना को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ाने का काम किया और इसमें 2 लाख 73 हजार मिनी किट भी हम लोगों ने वितरित किये, 2 लाख 11 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड हम लोगों ने जारी किये और इस प्रकार बीज रथ के माध्यम से हम लोगों ने 77644 क्विंटल प्रमाणित बीज हम लोगों ने पंचायत मुख्यालय पर जाकर वितरित करने का काम हम लोगों ने किया। यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और काम किया है हम लोगों ने, 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया, कृषि योजना आपके द्वार, यानी राजस्थान के कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य विभाग यानी कुल 16 विभाग मिल कर, हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि सारी योजनाएं किसान के द्वार आएंगी, वहीं पर हमारे सारे अधिकारी पहुंचेंगे और हम लोगों ने यह तय किया था कि वहीं आवेदन भरेंगे, वहीं उनका निस्तारण करेंगे, यदि पटवारी की रिपोर्ट लेनी है तो वहीं लेंगे, या जो भी हमको काम करने हैं वहीं करने के लिए दे दें और मुझे बहुत खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 31 हजार हम लोगों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये, और मिट्टी के 70 हजार नमूने हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर उसके टेस्टिंग कराये क्योंकि अभी हमारे गांव में जो किसान हैं, उनकी टेस्टिंग के प्रति रूचि नहीं बढ़ पा रही है, मिट्टी के बारे में इसलिए हम लोगों ने यह काम भी वहां किया है और 96 हजार मिनी किट भी बीज के उन महिलाओं को दिये हैं जो वहां गरीब परिवारों की महिलाएं थी, इससे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं जानकारी और देना चाहूंगा, हम लोगों ने यह तय किया है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी के नेतृत्व में, हम लोगों ने किया है कि जब तक पानी का मतलब हम लोग नहीं समझेंगे, हमारे किसान को जब तक इसकी जानकारी हम लोग नहीं देंगे, तब

(श्री प्रभुलाल सैनी)

तक पानी का बचाना बड़ा मुश्किल है और हम लोगों ने सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमूल्य नीर योजना, यानी जो पानी है उसको जब तक हमारा किसान नहीं समझेगा, हमारे गांव के लोग उसको नहीं समझेंगे, यह योजना प्रारंभ करके हम लोगों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा किसान का बेटा हूं, इसलिए कहना चाहूंगा, यदि हम फव्वारा से सिंचाई करेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक उससे पानी की बचत होगी, यदि हम ड्रीप इर्रिगेशन करेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 से लेकर 75 प्रतिशत पानी की बचत होगी, और यदि हम पाइप लाइन से पानी से खेती करेंगे, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 से 25 प्रतिशत तक पानी की बचत होगी इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब जितने भी किसान हैं, पानी जिनके कुओं में कम है, हम पानी का अधिक ओप्टीमम यूज करना चाहते हैं तो इस अमूल्य नीर योजना के अन्तर्गत हम लोगों ने पूरी एक व्यवस्था करके सारी ऋण देने का काम भी हम लोगों ने वहां पर किया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा, 2003 में जो 11024 फव्वारा संयत्र दिये गये थे, अब की बार 30 हजार लोगों को यानी 172 प्रतिशत हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाये, इन केन्द्रों के माध्यम से, पाइप लाइन जो 1805 किलोमीटर थी, उसको 5900 किलोमीटर, डिक्की फव्वारा सिंचाई 340 थी, उसको 550 और ड्रीप सिंचाई के लिए 668 थी, दो हजार हैक्टेयर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और एक आपको जानकारी देना चाहूंगा, काम बहुत हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ में दो-दो मिनट में बताना चाहूंगा। जहां तक मृदा स्वास्थ्य का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिक उत्पादन के चक्कर में, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य भी खेती के काश्तकार हैं, इसलिए आप सब समझते हैं क्योंकि अधिक पैदावार करने के चक्कर में हमारे किसानों ने पेस्टीसाइड्स का यानी उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन हमारी भूमि का स्वास्थ्य बिलकुल खराब हो गया और भूमि का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि हम उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो उसका उत्पादन भी नहीं होगा इसलिए हमारा जो भूमि का स्वास्थ्य खराब हुआ, हम लोगों ने कहा कि जब

(श्री प्रभुलाल सैनी)

तक मिट्टी के मुख्य जो पोषक तत्व पांच हैं, नाइट्रोजन, फासफोरस पोटास, एक सूक्षम पोषक तत्व जहां जस्ता, ताम्बा, लोहा और मेंग्नीज, इन सारी चीजों की जांच करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सोइल कार्ड जारी करने का काम किया और हर जिले में ये जो मिट्टी की परीक्षण प्रयोगशालाएं जैसा बात बता रहे थे, इसकी क्षमता बढ़ा कर 2.56 लाख नमूने की हम लोगों ने की है। इसके पीछे एक ही कारण था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब किसान को यह पता हो जाना चाहिए कि मेरी जमीन में, मेरी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम हो गये, जब वह जांच करेगा तो उसको पता लगेगा, हमें जरूरत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिप्सम की और हम डाल रहे हैं उसमें कोई दूसरा, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो उत्पादन बढ़ता है और न ही उस किसान को उसका फायदा होता है इसलिए ऋग्वेद में भी कहा है, भाई साहब आपके लिए है, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ अन्न, स्वस्थ, स्वस्थ समाज एवं विकासशील संस्कृति का आधार है। यह ऋग्वेद में कब कहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मिट्टी के महत्व के बारे में इतना वर्णन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां भी हुए, कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार से बीज पर प्रश्न चिन्ह लगाये और कई लोगों ने कहा, नकली बीज, नकली बीज, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, नकली बीज नाम की कोई चीज होती ही नहीं, बीज नकली होता ही नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन अब कह रहे हैं कौन रोके किसी को कोई ? उसमें मात्र अमानक बोला जा सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जो जर्मिनेशन की मात्रा है वह 79 परसेंट उसमें होना चाहिए, यदि उसमें कम मिलती है तो वह अमानक है, नकली चीज अलग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोयाबीन मांगे और अरण्डी दे दे वह है नकली चीज, वह नकली नहीं है, अमानक है। (व्यवधान) अभी बैठो मैं समझाता हूं आपको।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सच्चाई तो यह है कि बीजों की जांच करने का कोई आपके पास यंत्र ही नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हां, बैठिये, मैं बताता हूं। सारी चीज बतायेंगे आपको, बैठ जाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कृषि का मूल आधार बीज होता है और उत्पादकता और उत्पादन यदि हमें बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें किसानों को यह सलाह देनी पड़ेगी और हमारा सबका यह नैतिक दायित्व बनता है। जैसा कि

(श्री प्रभुलाल सैनी)

किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही कि कोटा में इस प्रकार का जो बीज का घोटाला हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर मूंग के बीज के बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत एक किसी ठेकेदार के द्वारा जिसको ठेका नहीं मिला इसलिए प्रायोजित शिकायत थी। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जांच हम लोगों ने कराई। एक नहीं, दो-दो विभागों से कराई। क्योंकि यह सीड कार्पोरेशन एक स्वतंत्र संस्था है और सीड कार्पोरेशन अपना काम स्वयं करती है। इसके बावजूद भी ज्यों ही माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी जांच कराओ तो मैंने मेरे कृषि अधिकारियों को जांच करने के लिए और लगाया। इसके अलावा सीड कार्पोरेशन ने अलग जांच की। दोनों जांच जब प्राप्त हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही रिपोर्ट मिली हमने उसको ए. पी. ओ. किया और जब उसकी जांच रिपोर्ट हमें मिली तो दोनों अधिकारियों को सस्पैंड हमने किया। दोनों व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित थे, दोनों को सस्पैंड हम लोगों ने किया और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा, किसी भी सूरत में नकली बीज, जिस प्रकार अमानक बीज और खाद की बात करते हैं, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चाहे वह जो भी व्यक्ति होगा। निश्चित रूप से हमारे विभाग के सारे अधिकारी और हम सब मिलकर के उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे, यह जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह भी चर्चा की, उर्वरक के बारे में कई चर्चाएं हुईं, लोगों ने कहा कि खाद नहीं मिलता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा, यदि खाद की हम बात करें, 2001 से 2005 की बात करें तो 15.98 लाख मैट्रिक टन खाद की व्यवस्था की यानि की औसतन खरीफ के मौसम में 6.46 लाख मैट्रिक टन, रबी में 9.52 लाख मैट्रिक टन। उसको बढ़ाकर 19.18 लाख मैट्रिक टन इस वर्ष हम लोगों ने राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2.35 लाख मैट्रिक टन जब हमको दिसम्बर के महीने में हमारी मांग थी लेकिन कृत्रिम कमी होकर, कारण जो भी रहा हो लेकिन हम लोगों ने केन्द्र सरकार पर दबाव डाला। खाद कम इसलिए मिला कि अक्टूबर में जो मात्रा हमको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, सितम्बर में जितनी मात्रा हमको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। जब खाद मिला तो रैक्स की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए भारत सरकार के शरद पंवारजी और उर्वरक मंत्री दोनों को

(श्री प्रभुलाल सैनी)
धन्यवाद देना चाहूंगा कि ज्यों ही मुख्य मंत्रीजी ने उनको कहा तो उन्होंने निश्चित रूप से हम लोगों को उपलब्ध कराया। लेकिन अब मैं इस सदन के माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि हम लोग खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था राजफैड के माध्यम से पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे ताकि इस प्रकार की कमी अचानक हमारे यहां नहीं हो पायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गुण नियंत्रण की बात करूंगा। गुण नियंत्रण में जो सबसे ज्यादा कमी आती है वो सिंगल सुपर फास्फेट में आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल सुपर फास्फेट की जितनी मात्रा होनी चाहिए, यानि 16 प्रतिशत मात्रा उसमें होनी चाहिए। उस अमानकता में कई प्रश्न चिन्ह लगे तो इस बार हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया। स्पेशल प्रोग्राम चलाकर हम लोगों ने 2005-06 में 6 लाइसेंस निरस्त किये और 2 कीटनाशी के। 2006-07 में 17 फर्मों के, यानि 23 फर्मों के लाइसेंस उन लोगों के या तो हमने सस्पैंड किये हैं या निरस्त किये हैं जिन्होंने अमानकता के हमारे राजस्थान के किसानों को उपलब्ध कराया। इसका परिणाम यह हुआ, इसमें आशातीत सफलता हमारे कृषि विभाग को मिली। जो 2004-05 में 1 लाख 59 हजार एसएसपी की मात्रा हुआ करती थी उसमें अमानक नमूनों का प्रतिशत 7.71 हुआ करता था वो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमानक नमूनों का p2 और o2 एक मात्रा होती है, 11.30 प्रतिशत हो गई। 2005 में 1 लाख 81 हजार में 8.33 थी वह बढ़कर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12.60 हो गई और 2006-07 में 1 लाख 83 हजार जो एसएसपी आया उसमें अमानक नमूनों का प्रतिशत 4.46 रहा और 14.99 पहुंचा यानि 16 होना चाहिए। उसको 14.99 पहुंचाया और हमारा यह प्रयास होगा कि अगले साल और प्रयास करेंगे और 16 में से 16 प्रतिशत किस प्रकार मात्रा हो सकती है इसके लिए भी हम कोई नई नीति और नियम बनाकर आगे और हम कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम भी हाथ में लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे सरकार की यही मन्शा रही कि हमारा जो उत्पादन है, भले ही उत्पादन की दृष्टि से तो काफी बढ़ा है लेकिन उसका स्वाद खत्म हो गया। जो स्वाद गेहूं का होना चाहिए, फल-सब्जी का होना चाहिए, जिस प्रकार का स्वाद उसमें होना चाहिए वो उसमें नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने विचार किया, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री प्रभुलाल सैनी)

विचार किया तो प्रत्येक ब्लॉक में 5 गांवों को जैविक गांव घोषित करके वहां जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए मैं सभी जन-प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें सब मिलकर संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में, हम लोग अपने प्रत्येक ब्लाक में इस प्रकार के गांवों का चिन्हीकरण करके उनको हम किस प्रकार से प्रेरित करें ताकि राजस्थान का किसान इसको आगे बढ़ाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेट्री नहीं है। क्योंकि हमारे यहां अवशेष कीटनाशकों की कितनी मात्रा फल, सब्जी और अन्न में है। वह हमारे यहां राजस्थान में नहीं थी और राजस्थान से बाहर हमको करानी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया और 2 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत की एक प्रयोगशाला जयपुर में दुर्गापुरा में स्थापित की है ताकि हमारे यहां जो अवशेष कीटनाशी का कई दिनों तक लग जाते थे अब यह राजस्थान में जयपुर में ही उपलब्ध हो पायेगा और इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और देना चाहूंगा। हम लोगों ने किसानों का हित साधा है और हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक वर्ष जब तक राजस्थान के महिला, एस सी, एस टी और अन्य किसान अन्तर्राज्यीय भ्रमण जब तक नहीं करेंगे, इसके पीछे लाजिक यह रहा कि हमारा किसान देखने से सीखता है, पढ़ाने से नहीं सीखता है इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की कि हमारा किसान खेती को जब देखेगा, नई तकनीक को देखेगा और वहां खेत में जाकर के खुद देखेगा तो निश्चित रूप से उसको प्रेरणा मिलेगी और हम लोगों ने 2005-06 में 4208 किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और जहां अच्छी खेती थी वहां भेजा। 2006-07 में 6160 किसानों को हम लोगों ने अन्तर्राज्यीय भ्रमण के लिए राजस्थान सरकार के खर्चे पर भेजकर उन राज्यों में खेती करने के तरीके, पेस्टिसाइड का यूज का काम हम लोगों ने किया।

इतना ही नहीं, एक और हम लोगों ने किया। कई चर्चा आ रही हैं कि इजरायल जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इजरायल की बात है, हम लोगों ने दल बनाये और दो दल बनाकर के 97 लोग जिसमें 13 महिलाएं सम्मिलित थीं, प्रतिपक्ष के भी तीन माननीय सदस्य हमारे दलों के साथ थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि वहां

(श्री प्रभुलाल सैनी)

देखने से ऐसा लगता है, जैसे खारची से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, वहां सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट, यानि पानी का जो समुचित उपयोग है वह वहां सीखना चाहिए। वहां नेशनलटी की इतनी भावना है कि एक भी व्यक्ति पूरे इजरायल में एक भी पानी के मीटर को टच नहीं करता। कोई नहीं तोड़ता चाहे किसान खेत में हो या न हो, अपने आप उसके खेत में जितना पानी उसको मिलना चाहिए अपने आप उसके खेत में जाएगा और उसके मीटर लगे हुए हैं। यह हमको सीखने की जरूरत है। यह राष्ट्रीयता की भावना हम लोगों में भी होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो सीखने का हम लोगों को वहां मिला कि जो वहां पर खारा पानी है उस खारे पानी को मीठा करके सिंचाई के लिए, पीने के लिए वो काम में लेते हैं। यह विधि भी राजस्थान में कई जिले हैं, एक जो इजरायल की कम्पनी है उससे हमारी बात चल रही है, वो यहां से पानी का सैम्पल लेकर के गये हैं। हमारे क्षेत्र में जहां फ्लोराइड या खारा पानी ज्यादा है उसको भी हम दिखा रहे हैं कि यदि वह कृषि योग्य और पीने के योग्य बन सकता हो तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसी कम्पनी का नॉलेज, टेक्नोलाजी लेकर राजस्थान में उसको स्थापित करेंगे ताकि वो जो खारा पानी है वो पीने के काम में भी आये और सिंचाई के काम में भी आये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जो हम लोग गये, वहां हम लोगों ने डेयरी, पशुपालन, मछली-पालन, केले, जैतून, खजूर, आम और हाइटेक एग्रीकल्चर जिसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहूंगा, आप कल्पना करेंगे, जो वहां ग्रीन हाउस स्थापित हुए हैं, उन ग्रीन हाउस में आप देखेंगे कि एक टमाटर के पेड़ की लम्बाई कम से कम 10 फीट या 15 फीट है और मिर्च की भी लगभग 7-8 फीट। 5 किलो से 10 किलो एक पेड़ से उत्पादन होता है उन ग्रीन हाउस में माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने भी राजस्थान में इस पहल को आगे करके अभी 18 ग्रीन हाउस सैंक्शन किये हैं और जयपुर में भी दुर्गापुरा में एक बनाया है। उसमें जो नई तकनीक है उसको हम लोग यहां करेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए एक पायलट कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है, यहां की जो जलवायु है, यहां का जो पानी का सिस्टम है यह राजस्थान और इजरायल में मिलता-जुलता है। वहां भी टेम्परेचर इतना ही होता है। वहां की जमीन में भी पानी नहीं है, हमारी में भी पानी नहीं है जो हमारा क्षेत्र है उसको सबसे पहले हम लोगों ने राजस्थान में 210 हैक्टेयर जैसा कि माननीय मुख्य

(श्री प्रभुलाल सैनी)

मंत्रीजी बजट में घोषणा की है 210 हैक्टेयर में ज़ैतून की खेती काम हम लोगों ने शीघ्र राजस्थान में कर रहे हैं उसका एमोई हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे जो कृषि फार्म हैं उसमें हम लोगों ने एक तीन कंपनियों को मिलाकर के एक कंपनी बनाई है राजस्थान पोल्युज कल्टीवेशन लिमिटेड। वह तीन की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। उसमें तीन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, दूसरा पी पी आई आई एन और तीसरा इंडो ओल्युज लिमिटेड, यह एक इजराइली कंपनी है। यह साढ़े चार करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे कृषि विभाग के लगभग 8-9 जो है कृषि फार्म हैं, प्रत्येक कृषि फार्म में यानी चारों तरफ हम लोगों ने कलाइमेडिकली उसको एक जगह तय नहीं किया, हम लोगों ने पूरे भरतपुर से लेकर के ट्रेड तक के वहां जो हमारे 8 या 9 जो कृषि फार्म हैं, उन पर हम लोग ज़ैतून की खेती इसी साल में प्रारंभ करेंगे और इसके अलावा यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि मार्केटिंग का क्या होगा? यदि ज़ैतून राजस्थान में पैदा होगा 700 रुपए किलो उसके तेल की कीमत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय लेकिन जब उसका मार्केटिंग नहीं होगा, यह भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। हम लोगों ने इंडो ओल्युज लिमिटेड है उस कंपनी से बैकवाइज एग्रीमेंट भी हम लोगों ने किया है जो जितना भी उत्पादन राजस्थान में होगा वह कंपनी उसको अंतर-राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर वह खरीदेगी यह भी हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो जो कृषि में जो सात है उनमें बहरोड़, अनूपगढ़, एक टिकाउडी (अलवर), किशनपुरा (जयपुर), एक सातू (जालौर), एक बारां, एक कृषि ग्राह्य केन्द्र लूणकरणसर और उद्यान नर्सरी बासविसना (झुन्झुनूं)। ये सात ऐसे फार्म हाउस हैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां पर हम लोग ओलिव का यानी ज़ैतून की खेती का काम यहां से हम शुरू करके हम चाहते हैं कि जब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो तब तक इस प्रकार की खेती हमारा पड़ोसी काश्तकार नहीं देखेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय तब तक हम नहीं (व्यवधान) इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने और हमारे साथी जो टीम में गये, उन्होंने यह तय किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोग आये हैं, हमको इजराइल की तकनीक को राजस्थान में कैसे लागू करना है? इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हम जयपुर के किशनपुरा जो ये

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बस्सी के पास है वहां पर एग्रो इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट सेंटर बस्सी स्थापित कर रहे हैं और यह लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत का होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन, सब्जियों एवं कट-फ्लावरर्स ग्रीन हाउस, सेटनेट, खुले फील्ड उत्पादन, बीज, पौधे और पौधारोपण सामग्री का उत्पादन, ज़ैतून, पीण्ड-खजूर और सब्जियां, पोस्ट हार्सवेस्टिंग मैनेजमेंट की तकनीक और राज्य में कृषकों हेतु आधुनिक प्रशिक्षण यानी हमारे जो किसान राजस्थान के हैं उनको ट्रेनिंग का काम अब इजराइल के बजाए अब यहां बस्सी में ही करेंगे, यह भी काम हम लोग शीघ्र करने वाले हैं। जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों ने वहां जलगांव में भी देखा और इजराइल में भी देखा, टिश्यू कल्चर आजकल एक महत्वपूर्ण एक कृषि युग है। टिश्यू कल्चर का तात्पर्य है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक टिश्यू से हजार पौधे तैयार करने की एक विधि है और इस विधि को हम लोगों ने इजराइल में भी देखा है, जलगांव में भी देखा है और वो जो टिश्यू कल्चर है, वह राजस्थान में भी हम लोग उसको लागू कर रहे हैं और दो जगह हम लोगों ने चिन्हित की है एक झालावाड़ में और एक श्रीगंगानगर में। हम झालावाड़ में नींबू प्रजाति के और बांस प्रजाति के जितने भी पौधे हैं लगभग एक लाख पौधे हम लोग उस टिश्यू कल्चर में तैयार करेंगे और 80 हजार के लगभग जो पौधे हैं हम लोग श्रीगंगानगर में इनको तैयार करेंगे और हमारा यह प्रयास होगा कि इस प्रकार की सुविधा जिस प्रकार मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, बांस है या जेट्रूपा है या इस प्रकार की जो कि गन्ना है इनमें टिश्यू कल्चर तैयार किया जा सकता है वो प्रोटोकाल अब हम राजस्थान में तैयार करेंगे, वो राजस्थान में करके राजस्थान को नवाचार की ओर बढ़ाएंगे, यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार स्क्वायर मीटर का जो भी काश्तकार ग्रीन हाउस लगाएगा, अपने खेत में जो भी यह करेगा उसके लिए भारत सरकार के नॉर्म्स से भी हटके माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां भारत सरकार 50 प्रतिशत छूट देती थी उसको बढ़ाकर के हम लोगों ने 75 प्रतिशत किया है और एक हजार स्क्वायर मीटर का जो ग्रीन हाउस लगाएगा, साढ़े 6 लाख रुपए उसकी यूनिट कोस्ट है और काश्तकार को 4 लाख 87 हजार रुपए के लघु सीमांत और ये सारे जो कृषक हैं उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि राजस्थान में हाईटेक एग्रीकल्चर में उत्पादन, उत्पादकता और

(श्री प्रभुलाल सैनी)

गुणवत्ता तीनों चीज बढ़ाकर के इसका लाभ हम यहां राजस्थान के किसान को मिलेगा। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको भी देंगे 50 प्रतिशत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से कह रहे थे कि (व्यवधान) कोई बात नहीं, मैं दूंगा, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य रबी 2005-06 फसल बीमा की बात कर रहे थे और उस फसल बीमा में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका यह कहना था कि राजस्थान सरकार आज तक भी किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं कर पा रही है। इसकी भी मैं जानकारी देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों के जो क्रोप कटिंग के जो हमारे परिणाम थे, जून, 2006 को राजस्थान सरकार ने कृषि बीमा कंपनी को हम लोगों ने भिजवा दिए और हमारा जो हिस्सा है माननीय उपाध्यक्ष जो बनता था उसमें हम लोगों ने 26 करोड़ 15 लाख रुपये जो बनता था वह हिस्सा भी राजस्थान सरकार ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने उनको दिया है लेकिन भारत सरकार ने जिस प्रकार से वो कहना चाह रहे थे कि राजस्थान सरकार ने इसमें हमारा दोष नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो दो प्रकार की एक सिंगल सीरीज और डबल सीरीज की माननीय सदस्य इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय सिंगल सीरीज एन एस एस ओ करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डबल सीरीज और सिंगल सीरीज का काम करता है कृषि मंत्रालय भारत सरकार, दोनों संस्था उनकी हैं, दोनों हाथ उनके हैं और हमको ओलमा देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार को, आपने सिंगल सीरीज नहीं किया, डबल सीरीज नहीं किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई पत्र हम लोगों ने भारत सरकार को भी लिखें हैं और शरद पवारजी ने यह भी कहा उसकी एक मीटिंग हम लोग रख रहे हैं शीघ्र, मेरे ख्याल से 4-5 मई या अप्रैल में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मीटिंग में निश्चित रूप से तय हो जाएगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहां का पैसा, एक भी पैसा जो हमारे प्रीमियम का बनता है और इसके अलावा जो हमारा राजस्थान का हिस्सा बनता है हम लोगों ने दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि खरीफ 2005-06 की बात करना चाहूंगा खरीफ 2005-06 में 6 लाख 8 हजार लोगों ने बीमा कराया माननीय उपाध्यक्ष महोदय और उसका बीमा की जो राशि बनी 216 करोड़, 216 करोड़ रुपये में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 85 करोड़ रुपए

(श्री प्रभुलाल सैनी)

राजस्थान सरकार को मिले और 85 करोड़ रुपये भारत सरकार को देने थे और 46 करोड़ रुपये जो प्रीमियम से जो राशि प्राप्त हुई, इस प्रकार 216 करोड़ रुपये का भुगतान माननीय उपाध्यक्ष महोदय करना था लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज भी हम लोगों ने हमारे जो 85 करोड़ थे, हम लोगों ने समय पर भिजवा दिये लेकिन आज भी अब तक भी मात्र 59 करोड़ रुपये ही मात्र भारत सरकार ने हमको यही सिंगल सीरीज और डबल सीरीज की बीमारी करके उन्होंने रोक दिये। इसलिए यह पैसा समय आया होता तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा 25.72 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मद से देकर के बाड़मेर के उन 48 हजार किसानों को जिनको बीमा एक साल से नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने उसको उपलब्ध कराया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि राजस्थान सरकार में कोई कमी है तो निश्चित रूप से हम सुधारेंगे लेकिन भारत के स्तर पर कमी होने वाले वह दोष इधर मढ़े यह हो नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक व्यवस्था और दी मौसम फसल बीमा में जो काश्तकार जिनका उनको बीमा नहीं मिलता, कई क्षेत्रों में जैसे गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार हर बार सदन में कहा है हमारी ऐसी क्रोप जीरा, ईसबगोल और धनिया है जो एक ही रात में सारी फसल नष्ट हो जाती है, दूसरे दिन काश्तकार को रात को बढ़िया रहता है और सवेरे सोचता है मेरा पूरा खेत साफ हो गया, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 2004-05 में एक वैदर इंश्योरेंस बीमा योजना प्रारंभ की, मौसम बीमा योजना प्रारंभ की और सबसे पहले जब हमने दो जिंसों में की थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संतरा और धनिया, 2005-06 में जीरा, मेथी और किन्नू को शामिल किया और 2006-07 में ईसबगोल को भी हम लोगों ने शामिल किया और अब तक 2005-06 में 2,576 किसान और 2006-07 में 3,840 किसानों को 19,268 पालिसी हम लोगों को देकर उनको लाभ पहुंचाया है। इसलिए माननीय गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि आपके यहां निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि अभी ओलावृष्टि में निश्चित रूप से किसानों का जीरा और धनिया की जो आपकी फसलें हैं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बिलकुल ईसबगोल की फसल नष्ट हुई है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पैकेज दिया है वह तो है ही, लेकिन आपका जीरा और उसमें सम्मिलित है यदि आपकी इन्डेमिनिटी का जो स्तर है, जोखिम क्षमता है उससे अधिक यदि नुकसान आयेगा तो मैं आपको सदन में आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा जिन लोगों को नुकसान उस परिधि में हुआ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की किसान जीवन कल्याण योजना की, उन किसानों की चिंता की है जो खेती का काम कर रहे हैं, खेती में कार्य करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए, सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, जहरीला कोई भी जानवर खा जाए, कोई कुएं में गिर जाए, करंट आ जाए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने खुले मन से इसको इतना सरलीकृत किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब-जब भी रिलेक्शेसन की जरूरत पड़ी है, जब-जब भी इनको रिलेक्शेसन की यानी छूट देने की जरूरत पड़ी है हम लोगों ने उसको दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। 12 वर्षों में ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बिच्छू आपको काट रहा है क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अगर मरेगा तो देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 वर्षों में अब तक 14 करोड़ 36 लाख रुपये का मुआवजा 7721 लोगों को दिया है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों में हम लोगों ने 18 करोड़ 31 लाख रुपये का 6202 लोगों को उसका लाभ दिया है और मैं इस सदन में आज यह कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के जहां भी जो कोई केस हैं हम लोग निश्चित रूप से सद्‌भावना पूर्वक उसको देखते हैं और गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से बताया निश्चित रूप से इन दोनों केसों का हम लोग परीक्षण करायेंगे और यदि कृषि कार्य करते वक्त उसकी मृत्यु हुई है तो हमारी योजना में उसको हम कवर करेंगे और इसके निरस्तीकरण के जो भी कारण होंगे उनका भी हम लोग परीक्षण करायेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा एक किसान कल्याण कोष की स्थापना की हम लोगों ने ...

श्री उपाध्यक्ष: बस, अब हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): बस समाप्त कर रहा हूं। किसान कल्याण कोष की स्थापना भी हम लोगों ने की उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसलोत्तर प्रबंधन के बारे में किसानों को जानकारी देना, अन्तरराज्यीय

(श्री प्रभुलाल सैनी)

भ्रमण कराना, उत्पादन, विपणन जैसे फसलोत्तर प्रबंधन, परिवहन, श्रेणीकरण, वैक्सिंग, प्रोसेसिंग, पेकिंग, विक्रय, निर्यात, सेमीनार अध्ययन जो भी खर्चा होगा इन सारी चीजों पर वो राजस्थान सरकार पूरा वहन करेगी इसलिए हम लोगों ने यह काम करके राजस्थान के किसानों को और अधिक आगे बढ़ाने का काम भी किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का जहां तक प्रश्न है हम लोगों ने पहले जो बच्चियां पढ़ती थीं टेन प्लस टू उसको हम लोग तीन हजार रुपये देते थे और जो ग्रेजुएशन तक बच्चियां पढ़ती थीं उसको पांच हजार रुपये देते थे वार्षिक। आज मैं सदन में घोषणा करता हूं कि ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कृषि में जो छात्रा करेगी उसको और आज से पांच हजार रुपये और दिये जाएंगे ताकि वो बच्चियां पढ़कर उसको आगे कर पाएंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में । मैं संक्षेप में कहूंगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान में सबसे पहले तेरह जिलों में लागू हुआ उसके बाद ये बढ़कर इस साल चार जिले और आ गये और सतरह जिलों में यह हो गया। अब हमारा प्रयास है कि राजस्थान के सारे जिले जो भी जहां बस गये हैं जहां जिस प्रकार की क्रोप हो सकती है हम लोगों ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है निश्चित रूप से वहां जब मीटिंग होगी, उसका लाभ मिलेगा। राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान जैसे प्रगतिशील प्रदेश के लिए खाद्य सुरक्षा से आगे निकलकर न्यूट्रिशन सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाने के लिए फल और सब्जी उत्पाद बढ़ाने की चुनौती किसानों को स्वीकार करनी होगी इसके बिना स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उद्यानिकी फसल है इनमें चाहे बाग़-बग़ीचा हो, चाहे मसाला खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे उसमें ग्रीन हाउसेज हो, चाहे उसमें कट फ्लावर्स की खेती हो, चाहे जो भी मामला रहा हो जो भी इसमें कवर होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट की कोई कमी नहीं है और हम लोगों ने इसमें, यह भारत सरकार ने व्यवस्था की है मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने जो योजना बनायी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों चीजों को देखा उत्पादन को भी देखा और प्रसंस्करण को भी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

देखा और प्रसंस्करण की इकाइयों के लिए जिस प्रकार छूट देने के प्रावधान इसमें किये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे निश्चित रूप से राजस्थान के कृषि विशेषज्ञ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं या जो इसमें इच्छाशक्ति रखते हैं वो प्रोसेसिंग के और इनके काम करके निश्चित रूप से इसका लाभ उनको मिल पाएगा। मैं एक नयी बात और बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तय किया था पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि जहां उत्पादन होगा वहां विपणन होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक साल में 19 विशिष्ट मंडियां बनाईं। हम लोगों ने जहां पर जो सब्जी ज्यादा पैदा होती है उसको वहीं पर दिया जैसे अलवर में प्याज, बस्सी में टमाटर, शाहपुरा में टिण्डा, चौमूं में आंवला, श्रीगंगानगर में किन्नू, टोंक में मिर्च, अजमेर में फूल, सोजत में मेहंदी, जोधपुर में जीरा, नागौर में जीरा, सवाईमाधोपुर में अमरूद ...

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): चूरू में क्या है?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): चूरू में नहीं है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें फूलों के साथ-साथ में सोनामुखी जो मेडिसिनल प्लांट है इस उत्पादन को कोई नहीं खरीदता, इसकी भी विशिष्ट मंडी सोजत में बनायी है और अश्वगंधा की खेती है वो भी झालरापाटन में विशिष्ट मंडी बनायी है और 24 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि देकर हम लोग इनके यार्ड्स का निर्माण कर रहे हैं और जनवरी, 2007 तक हमारा जो अब तक व्यय हुआ, मार्च तक निश्चित रूप से सारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करके राजस्थान के किसानों को, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपीटिशन बढ़ेगा और जब कंपीटिशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका भाव भी बढ़ेगा और किसान को अपना वैकल्पिक बाजार मिल जाएगा, यह भी हम लोगों ने काम किया है। जहां तक पैक हाउस का जिक्र है, अब आखिरी है ज्यादा नहीं है, पैक हाउस का जिक्र मैं करना चाहूंगा राजस्थान में आज तक आजादी के इतिहास के बाद किसी की कल्पना नहीं रही होगी कि राजस्थान में भी पैक हाउस होना चाहिए लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार के एपीडा को हम लोगों ने चार प्रस्ताव भेजे थे जिनमें दो प्रस्ताव हमारे स्वीकृत हो गये एक टर्मिनल मार्केट सवा चार करोड़ रुपये का, साढ़े तीन करोड़ का चौमूं में आंवले का और शाहपुरा में लगभग सवा चार करोड़ का पैक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

हाउस, शाहपुरा जयपुर वाला इसमें टिण्डे का टिण्डा और सब्जियों के लिए हम लोग उसके पैक हाउस शीघ्र, भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है, निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलेगा। और जगह जहां पैक हाउस बन सकते हैं, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार खुले मन से उन पर विचार करेगी। अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सब्जियों का उचित पैसा कभी टमाटर चार आने किलो, कभी दो रुपये किलो तो कभी चालीस रुपये किलो इस वेरियेशन को खतम करते हुए हम लोगों ने सब्जी प्रोत्साहन निर्यात योजना लागू की थी और इस योजना में हम लोगों ने तय किया था कि हवाई जहाज से जो खाड़ी देशों में सब्जियां जाएंगी उनको साढ़े तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि हम लोग देते थे और एक टन प्रतिदिन यहां से खाड़ी देशों में हमारी सब्जियां जाती थीं इसका काफी लाभ जयपुर के किसानों को मिला है। इसको और अधिक बढ़ाने के लिए इस योजना को 31 मार्च, 2008 तक और बढ़ाने की राजस्थान सरकार घोषणा करती है ताकि इसमें निर्यात करने वाले और बढ़ें और उसका लाभ मिले।

एक चीज आखिरी में मैं और कहना चाहूंगा सभी के हित की बात है क्योंकि हम लोगों ने कई नर्सरियां देखी होंगी और नर्सरियों में यह पता नहीं होता किसान को कि इसका मदर प्लांट कहां से आया। उस नर्सरी में चाहे गुजरात से या चाहे महाराष्ट्र से कोई भी लोग पौधे लेते थे वो पौधे रख देते थे और बिकता था लेकिन 2, 5, 8 साल बाद जब किसान के खेत में वो देखता था तो वो कहीं भी फल नहीं आते थे इसलिए हम लोगों ने राजस्थान में एक राजहंस योजना प्रारंभ की राजस्थान होर्टीकल्चर एंड नर्सरी सोसायटी इसमें हम पौधों की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे और इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा कर निश्चित रूप से इसमें अच्छे हेल्दी पौधे राजस्थान के किसान को मिले इसका काम करेंगे और एक आत्मा कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया एग्रीकल्चर टैक्नॉलॉजी मेनेजमेंट एजेंसी यह 11 जिलों में थी अब वो बढ़कर 22 जिलों में हो गई और अब हमारा प्रयास होगा इसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। इसकी भी समग्र योजना हम लोग बना रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब हो गया आपका।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय मंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि आपने अंग्रेजी में कोटेशन का उद्धरण पेश किया । हर माननीय मंत्री महोदय ने अपनी डिमाण्ड के ऊपर शायरी के साथ प्रारंभ या अंत किया तो आप भी प्रस्तुत कर देना साथ में।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कृषि विपणन बोर्ड के बारे में आपने अभी बताया नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): ...(व्यवधान) अभी आगे आ रहा हूं। अभी बोल दूंगा न सुनिये एक बार बात। वैसे तो मैं कृषि मंत्री हूं शेरो-शायरी तो मुझे नहीं आती लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से दो शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य: नेता प्रतिपक्ष को कह दो।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नेता प्रतिपक्षजी को ही कहना चाहूंगा सबका मान लीजिये।

'करके दुनिया को सुगंधित, क्या से क्या हो जाऊं मैं,
तुम अगर महक बन जाओ तो शायद हवा हो जाऊं मैं।
हम दोनों मिल कर यों ही भूले-बिसरों को राह देते रहें,
तुम अगर दीप बन जाओ तो शायद रास्ता बन जाऊं मैं।'

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के बारे में ...।

श्री उपाध्यक्ष: अब आ गया। सब आ गयी बात।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार जिस बात की सदन में चर्चा कर दें, सबूत है, प्रूफ है, सब कुछ है फिर ...

श्री उपाध्यक्ष: पंचायत राज मंत्री श्री कालू लाल जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पशुपालन से पहले आप भरतपुर मंडी और रामगंजमंडी के जो अधिग्रहण में रामगंजमंडी में सैक्शन 6 की कार्यवाही हो गयी फिर आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं और किसकी जमीन छोड़ना चाह रहे हो? और भरतपुर का भी बता दो आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आढ़त के मामले में भी जरा आप बतायें। आढ़त कम कर दी है उसको बढ़ाने के ऊपर भी कुछ बोलें। हजारों किसानों का मामला है, हजारों छोटे व्यापारियों का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: उस पर आवश्यक निर्णय ले लेंगे आवश्यक जो बात होगी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की चिंता जाहिर की है कि वहां पर कीटनाशकों में जिस प्रकार की धांधली हुई है, अधिकारियों के द्वारा मनमानी की गई है, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा यह प्रकरण आज का नहीं है, तीन वर्ष से यह विधान सभा चल रही है प्रत्येक विधान सभा में यह प्रश्न आता है । कई बार इसका जवाब हमने दिया है । इस प्रकरण की अब तक पाँच बार जांचें हम लोगों ने करवाई हैं और यहां कि एसीबी में भी यह मुकदमा 298/2004 दर्ज हुआ है । सारे प्रकरण की जांच हो गई है और जितनी जिसकी लायबिलिटी थी, वहां पांच व्यक्ति जिसमें अनियमितता तो नहीं मिली लेकिन विभाग के प्रति जो उदासीन था, ड्यूटी के प्रति जो नैग्लेजेंसी रही उसके बारे में पांच लोगों को चार्ज शीट जारी कर दी गई है निश्चित रूप से उस पर निर्णय होगा और उसको दंड दिलवाने की कार्यवाही की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पशु पालन का प्रश्न है मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में 491 लाख पशु धन है । 110 लाख गौ वंश है, 108 लाख भैंस वंश है और राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने जिस प्रकार घोषणा की थी कि हमारी जो चार नस्ल है राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज इन देशी गौ वंश का संरक्षण करने के लिये एक योजना बनायेंगे। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा यह योजना राजस्थान में हम लोग लागू करेंगे और इसमें लगभग 12 करोड रुपये खर्च होंगे। इसी वर्ष हम इस योजना को राजस्थान में चरणबद्ध तरीके से करके पूरा करेंगे और हमारी जो देशी नस्ल है उसके संवर्द्धन संरक्षण का काम हम राजस्थान में करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूंगा राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के कुछ भागों में एक योजना अभी नई आई है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के आधार पर देशी नस्लों के संवर्द्धन की भी मैं घोषणा करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी थारपारकर, राठी, गिर एवं कांकरेज को संरक्षित रखने वाली नई तकनीक है उसके फार्म खोले जायेंगे और उसमें ब्रिड कंफरमेशन स्पर्म सलेक्शन, मल्टीपल ओल्युवेशन एमरियो ट्रांसफर यानी एक गाय में जब कृत्रिम गर्भाधान होगा तो निश्चित रूप से 20 से 35 भ्रूण उससे हम प्राप्त करके अन्य गाय में उसको हम ट्रांसफर करेंगे ताकि एक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

साल में जो एक गाय एक बछड़ा देती है वह अन्य गायों में ट्रांसफर करने से लगभग 20 से 35 भ्रूण दूसरी गाय में हम ट्रांसफर करके एक नई तकनीक करेंगे उससे दूध में वृद्धि होगी, अच्छी गुणवत्ता की गाय हमको मिलेगी, बछड़े हमको मिलेंगे उसका लाभ राजस्थान को मिलेगा । मैं पशु पालन में यह घोषणा करना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि हमारे चिकित्सक नहीं है । मैं घोषणा करना चाहूंगा कि राजस्थान में 200 चिकित्सक शीघ्र भर्ती कर लिये जायेंगे और इसी वित्तीय वर्ष में इसके अलावा 140 और चिकित्सक भर्ती किये जायेंगे । इस प्रकार 340 चिकित्सकों की भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में की जायेगी यह मैं घोषणा करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 500 नये पशुधन सहायकों को अगले 15 दिन में हम नियुक्ति देंगे ताकि हमारे जहां पर भी सब सेंटर खाली चल रहे हैं उनकी पूर्ति हम लोग करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, एक और नई जानकारी मैं देना चाहूंगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढावा देने के लिये 300 पशुधन विकास केन्द्र बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में उन्नत नस्ल थारपारकर, राठी के विकसित करने के लिये इनकी स्थापना की जायेगी ताकि जिन क्षेत्रों में हमारी बहुत कम संस्थाएं हैं वहां पर उनको लाभ मिल सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा दो करोड़ भेड़ और बकरियों को क्रमी नाशक घोल पिलाने की भी मैं घोषणा करता हूं । यह इस वर्ष हम करेंगे । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में राठी फार्म में राठी नस्ल के सांढ विकसित करने हेतु उन्नत राठी गाय की संख्या 50 वृद्धि की जायेगी ताकि वहां पर उनके संवर्द्धन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। राज्य में एक मात्र पशु जैविक इकाई पर रोग निरोधक टीके जो अभी हमारे एक करोड़ के लगभग टीके बन रहे हैं इसको बढ़ाकर डेढ़ करोड़ टीके तैयार कर के राजस्थान में हमारे बीपीएल हैड में तैयार करके इसको हम लोग करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेयरी के बारे में भी कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। वर्ष 2007-08 में दो नये दुग्ध संघ खोले जायेंगे बाड़मेर और नागौर में। 2007-08 में 1020 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत की जायेगी जिसमें 400 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी । इसी वित्तीय वर्ष में 43500 नये सदस्यों का पंजीयन होगा जिसमें 18500 महिला सदस्य होंगी । 2007-08 में 1400 नये मिल्क बूथ आबंटन किये जायेंगे और राज्य में 80 नये सरस मिल्क पार्लर भी खोले जायेंगे ।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कुछ घोषणा करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन के क्षेत्र में कृषि उत्पादन के साथज़साथ मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इस वर्ष एक नवीन एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो बेस्ड पोलिसी डिक्लीयर करेंगे जिसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट प्रोसेसिंग मार्केटिंग व एक्सपोर्ट के लिये निजी क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी तीन पैक हाउस की स्वीकृति हुई है लेकिन मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पांच नये पैक हाउस की मैं घोषणा करना चाहूंगा । प्रत्येक में 15 लाख रुपये खर्च होंगे । एक कोटपूतली में, एक सीकर में, एक मथानिया में, एक निम्बाहेड़ा में और एक जालौर में स्थापित किये जायेंगे जिनकी प्रत्येक की लागत 15 लाख रुपये होगी । उपाध्यक्ष महोदय, जगह-जगह से यह भी मांग आई है कि कृषि मंडियों में सचिवों की बहुत कमी है । इसलिए मैं सदन में घोषणा करना चाहूंगा कि अभी 84 जूनियर मंडी आफिसर के पद शीघ्र भरे जाकर खाली पदों को भरा जायेगा यह भी मैं घोषणा करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और नई घोषणा करना चाहूंगा किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिये निकटतम स्थान पर विपणन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है । इस दृष्टि से वर्ष 2007-08 में 6 नई कृषि मंडियां बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं । चौमूं में फल और सब्जी मंडी, अलवर में फल और सब्जी मंडी, मंडावरी-दौसा, अन्ता-बारां, कुम्हेर-भरतपुर और बगरू-जयपुर । यह 6 नई मंडियां बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा जिस प्रकार सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमारी सड़क टूटी है, सडकों का काम नहीं हो रहा है, मैं सदन में घोषणा करना चाहूंगा कि हम 100 करोड रुपये सडकों पर खर्च करेंगे और 100 करोड में माननीय विधायकों से हम अभिशंषाएं लेंगे, उनके क्षेत्र में काम करेंगे । लेकिन मैं इतना सा आग्रह करना चाहूंगा जो सड़क नीति है इस सड़क नीति को हम नई नीति बनाकर इसमें सुधार करेंगे और सुधार करके निश्चित रूप से जिस प्रकार लोगों को शिकायतों का मौका मिलता है वह नहीं मिले ऐसी व्यवस्था भी हम करना चाहेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढाने के प्रयास किये जायेंगे और हम अभी इस वर्ष तीन चीजों का सोयाबीन टार्गेट 20 प्लस, मूंग, मोठ, ग्वार डेढ़ सौ प्रतिशत और गेहूं सरसों डेढ़ सौ प्रतिशत यह बढ़ाने

(श्री प्रभुलाल सैनी)

का लक्ष्य भी हम लोग हाथ में लेते हैं निश्चित रूप से यह होगा और जहां तक विधायन केन्द्रों का प्रश्न है जहां कहीं भी बीज की शिकायत आती है मैं आज सदन में घोषणा करूंगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 10 नये विधायन केन्द्र राजस्थान में खोले जायेंगे और इन 10 नये विधायन केन्द्रों में जो भारत सरकार से 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है उसके अलावा 25 प्रतिशत सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा दी जायेगी यह भी सदन के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर मंडी में जमीन आबंटन का जो प्रश्न किया था उसके बारे में मुझे जितनी जानकारी है वह मैं देना चाहूंगा। हम लोगों ने धारा 4 की कार्यवाही वहां प्रारंभ की थी । 130 बीघा जमीन वहां उपलब्ध है । कृषि उपज मंडी ने भी प्रस्ताव भेजकर कहा कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें जो लायबिलिटी आने वाली थी वह लगभग 26-27 करोड़ की आने वाली थी जमीन के एक्वायर करने की और कृषि मंडी ने असमर्थता दे दी कि हम यह पैसा जमा नहीं करा सकते । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और जानकारी मेरे पास लिखित में आई है कि वहां के जो लैंड एक्वीजिशन आफिसर हैं एसडीओ उसने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि इस लैंड का एक्वीजिशन करने का कोई औचित्य नहीं है, इसको नहीं करना चाहिये, इस स्थिति में नहीं हो पाई । दूसरा रामगंज मंडी का जो प्रश्न है, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि धारा 6 की उसकी कार्यवाही हो चुकी है। उसमें किसी प्रकार का कोई रूका हुआ नहीं है। अगली कार्यवाही हम शीघ्र ही एक दो दिन में करेंगे, यह मैं जानकारी देना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है (व्यवधान) यानि पांच बार मंत्री महोदय ने कहा जांच हुई है। अगर यह सब्सिडी में घोटाला नहीं हुआ है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह कौन सी एजेंसी है आपकी जो पांच बार जांच की और हर बार एफेडेबिट ले लेकर और लोगों को बयान दे देकर मुकरवाती है, अगर यह घटना सच्ची नहीं हो, मैंने जो आरोप लगाया वह सही नहीं हो तो सदन की कमेटी जांच कर ले, चाहे किसी भी तरह से, पर ऐसे हल्केपन से कह देना कि यह मामला, चार्जशीट क्या होती है, मैं अनपढ़ आदमी हूं समझता नहीं। चार्जशीट कोई सज़ा नहीं है।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): पारित होने दो पहले मांग । (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मांग संख्या 37, मांग संख्या 39 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,03,25,23,000 (रुपये 3 अरब, 3 करोड़, 25 लाख, 23 हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,72,50,58,000 (रुपये 1 अरब 72 करोड़ 50 लाख 58 हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28 का पारण

माननीय पंचायती राज मंत्री ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास की विशिष्ट योजनाएं और पंचायती राज पर कुल 59 माननीय सदस्यों ने 137 कटौती प्रस्ताव दिये। सर्वप्रथम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर रहा हूं कि उनके कटौती प्रस्ताव का जवाब हमने तैयार करवा लिया है और 48 घंटे के अंदर-अंदर उन तक उनके यह सारे जवाब पहुंचा दिए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस मांग पर अपने-अपने विचार रखे और कई समस्याओं पर, कई बातों पर मेरा ध्यान आकर्षित भी किया और कई अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन भी किया, मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि जो सुझाव अच्छे हैं उन पर विचार करके हम लागू करेंगे। जिस तरह से सुझाव आए उसके अनुरूप इस विभाग के कार्यों को ठीक करने का प्रयास करेंगे।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह ग्रामीण विकास से संबंधित मांग थी पर माननीय सदस्यों ने पंचायती राज विभाग पर भी अपने विचार रखे इसलिए मैं दोनों का साथ ही जवाब दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पंचायती राज विभाग की स्थापना इस देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान में हुई, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। 2 अक्टूबर, 1959 को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने के लिए प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरूजी ने पंचायती राज की स्थापना नागौर में की। नागौर में जिस जगह जिस चबूतरे पर बैठकर माननीय नेहरूजी ने पंचायती राज की पहली स्थापना की, अभी एक साल पहले मुझे वह चबूतरा देखने का अवसर मिला। जब मैंने उस चबूतरे को देखा कि वह चबूतरा उखड़ चुका था, कोई मेंटीनेंस नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष में बैठे सदस्यों ने महात्मा गांधी और नेहरूजी का नाम लेकर कई बार चुनाव में भी उपयोग किया होगा परन्तु इतना अच्छा काम जो राजस्थान के अंदर हुआ, उस स्थान पर किसी प्रकार का काई ध्यान माननीय सदस्यों का नहीं गया। जब मैंने देखा कि एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर पंचायती राज की स्थापना की गई इसका कहीं न कहीं कोई स्थायी चिन्ह बनना चाहिये और मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे राष्ट्रीय पुरूष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपानों को साकार करने के लिए यह स्थान जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई उसका एक स्मारक बनाने का, उसको एक मेमोरियल बनाने का हमने निर्णय किया। मुख्य मंत्रीजी ने 50 लाख रुपये का प्रावधान इस मेमोरियल के लिए बजट में किया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मेमोरियल में कुल मिलाकर 1 करोड़ 17 लाख 76 हजार रुपये का खर्चा होगा, 50 लाख रुपये का प्रावधान हमने इस बजट में किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे पंचायती राज के जो ग्राम सेवक हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनका वहां अधिवेशन था, उन्होंने भी यह मांग की कि यहां स्मारक बने, उन्होंने यह भी कहा कि स्मारक में एक दिन की तनख्वाह हम आगे होकर इसको बनाने में सहयोग देंगे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस तरह के त्याग की भावना की। बकाया जो भी इसमें फण्ड लगेगा उसकी व्यवस्था हम करेंगे।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सुन्दर स्मारक मेमोरियल के रूप में वहां बनेगा जो हमेशा के लिए राजस्थान के लिए गौरव का चिन्ह होगा।

ग्रामीण विकास विभाग की 25 योजनाएं, हम लगभग 25 योजनाएं संचालित करते हैं और मुझे खुशी है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का उद्देश्य गरीबों की गरीबी मिटाना और आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना यह मुख्य उद्देश्य है । गरीबों की गरीबी मिटाने का जो मुख्य उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने काम किया। हमारी माननीय मुख्य मंत्री का हृदय जो गांव और गरीब के प्रति चिंता करने का है उन्होंने पहली बार मैं सोचता हूं कि गांव में रहने वाले गरीब को गणेश मानकर, जिस तरह से गणेश की पहले पूजा की जाती है उसी तरह से उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार का जितना भी बजट है उसमें पहला हक उस गांव में रहने वाले गरीब का है, उसके लिए हम योजना बनाएंगे, उनको हम लाभान्वित करेंगे। यही कारण है कि इच्छाशक्ति हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की ऐसी है जिसके कारण से पिछले तीन साल से ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का बजट बहुत बड़ा बढ़ाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया विभाग का औसत प्रतिवर्ष व्यय 665 करोड़ रुपये था। यानि 5 साल में 665 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आपका खर्चा था और हमने इन सालों में बढ़ाकर इसको इस साल 6-7 में फरवरी तक 1436 करोड़ रुपये व्यय किया है जो प्राप्त राशि का इस साल का 93 प्रतिशत है और इनके पांच साल के मुकाबले में दुगुनी राशि का प्रतिशत है। यह मुझे प्रसन्नता है कि जब से इस विभाग की स्थापना हुई है तब से लेकर एक वित्तीय वर्ष में इतना बड़ा व्यय कभी नहीं किया गया, यह सर्वाधिक व्यय हमने इस साल किया और अगला जो बजट आ रहा है उसके अंदर इसको और बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसके बारे में अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार रखे, अन्य सदस्यों ने भी रखे। कुछ सदस्यों ने यह मांग भी की कि हमारे यहां पर भी यह योजना लागू हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार

(श्री कालूलाल गुर्जर)

ने जब यह योजना 2 फरवरी, 2006 में शुरू की, उस समय में हिन्दुस्तान में कुल 200 जिलों में यह योजना लागू हुई। राजस्थान के 6 जिले सरकार ने इसमें लिए थे जो कि हमारे लिए बहुत कम थे। उस वर्ष हमने आग्रह किया कि हमारे राजस्थान की विभिन्न परिस्थितियां अलग हैं, यहां गरीबी ज्यादा है, यहां बेरोजगारी है, बरसात समय पर नहीं होती है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती उसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में अपनी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है इसलिए हमारे ज्यादा जिले लिए जाएं, परन्तु मैं यह मानता हूं कि हमारे साथ डिसक्रिमेनेशन हुआ, भेदभाव हुआ और हमारे बहुत कम जिले लिए गए। इस बार भी हमने, जब और जिले बढ़े तो 133 जिले और बढ़ाकर कुल 333 जिले भारत सरकार ने कर दिए लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रतिशत बहुत कम किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रतिशत बहुत कम किया कि 6 जिले और बढ़ाये जबकि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय औसत जिलों का जो चयन किया उसमें 55 प्रतिशत है और राजस्थान में 37 प्रतिशत जिले ही इस योजना में लिये गये हैं। जबकि अन्य राज्यों का हम देखें तो आन्ध्र में 82 प्रतिशत और बिहार के अन्दर 100 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ के अन्दर 93 प्रतिशत और झाड़खण्ड में 100 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 64 प्रतिशत, उड़ीसा में 80 प्रतिशत, त्रिपुरा में 75 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत हैं। इस तरह से हमारे से भी कई गुना ज्यादा प्रतिशत उनके जिले लिये गये। यह हमारे लिये थोड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे कम जिले लिये गये। लेकिन इस योजना का जो संचालन है वह हमने इस तरह से किया कि हिन्दुस्तान की सरकार के, केन्द्र सरकार के दोनों मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्रियों ने इस योजना के क्रियान्वयन में हमारी बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा की। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब चीफ सेक्रेटरी की एक मीटिंग जो दिल्ली के अन्दर हुई उसमें भी प्रधान मंत्रीजी ने भी अपने उस सम्मेलन के अन्दर यह कहा कि राज्य में योजना के क्रियान्वयन को रोल माडल बताते हुए, अन्य राज्यों को भी राजस्थान में जाकर योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लेसन लेने को कहा। यह हमारे लिये बहुत ही खुशी की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह योजना शुरू हुई तो हमने, हमारे विभाग के सारे अधिकारियों, कर्मचारियों ने इसकी तैयारी इस तरीके से की कि जब यह योजना शुरू हुई तब हमने उसके पहले की सारी तैयारी ऐसी अच्छी की जिसके कारण से यह योजना सफल हुई और हमारी योजना में, हमने 94 प्रतिशत

परिवारों का पंजीकरण किया जाकर इन 6 जिलों में 76 प्रतिशत परिवारों को हमने रोजगार उपलब्ध करवाया। इसी तरह से आनुपातिक क्रम में जबकि राष्ट्र का हम देखें तो जहां हमने 94 प्रतिशत परिवारों का पंजीकरण किया, उसकी जगह राष्ट्रीय औसत केवल 67 प्रतिशत है और जहां हमने 76 प्रतिशत परिवारों को रोजगार दिया उसकी जगह राष्ट्रीय औसत केवल 44 प्रतिशत है। तो इस तरह से हमने अधिक लोगों को रोजगार दिया। 15 मार्च, 2007 तक 11.54 लाख परिवारों में से 16.43 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 954.21 लाख मानव दिवसों का सृजन किया और राष्ट्रीय स्तर पर कुल मानव दिवसों से 13 प्रतिशत अधिक मानव दिवस हमने सृजित किये।

उपाध्यक्ष महोदय, 47 प्रतिशत लोगों को हमने सौ दिन का रोजगार मुहैया कराया है जबकि राष्ट्रीय अनुपात केवल 25 प्रतिशत का है। तो इस तरह से हमने बहुत अधिक मेहनत के साथ काम करके लोगों को रोजगार मुहैया कराया। उपाध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 2007 तक कुल मिलाकर 636 करोड़ रुपये का खर्च इस योजना में हमने किया और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 200 जिलों के कुल व्यय का 10 प्रतिशत हमने खर्च किया। इसी तरह से 200 जिलों में 6758 करोड़ रुपया, अर्थात 33 करोड़ रुपये प्रति जिला खर्चा हुआ जबकि हमारे यहां 6 जिलों में प्रति जिले 106 करोड़ के हिसाब से 636 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ। जो हमारे लिये गौरव की बात है। इस तरह से हमने इस योजना का क्रियान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह रोजगार हमने मुहैया कराया तो भारत सरकार को यह शंका हुई, कई शिकायतें भी गयीं कि इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, इसलिये इसमें गड़बडियां हुई हैं। तो उसकी जांच भारत सरकार ने करवाई और मुझे खुशी है कि कई संस्थाओं को, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने सोशल आडिट करवाने का तय किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का ऐतिहासिक काल है जिसमें हमने आगे होकर यह कहा कि हमारी प्रत्येक योजना का जब चाहे तब सोशल आडिट कराया जा सकता है। हिन्दुस्तान का कोई भी राज्य सोशल आडिट कराने के लिये अभी तक तैयार नहीं है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने कहा कि सोशल आडिट करवाये और मुझे खुशी है कि सोशल आडिट की एक एन.जी.ओ. की ट्रेनिंग अभी उदयपुर में हुई और उसमें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी आये, मैं भी उस मीटिंग में था। उन्होंने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान मॉडल है जो पहला

(श्री कालूलाल गुर्जर)

आगे होकर कह रहा है कि हमारे यहां सोशल आडिट करवाओ, नहीं तो अन्य राज्य, कोई भी सोशल आडिट करवाने को तैयार नहीं है। उस सोशल आडिट में 900 लोग एक साथ डूंगरपुर जिले में, जो ग्रामीण रोजगार गारण्टी के सब काम, चूंकि एक साथ कराई गयी और उसके अन्दर 12 या 13 शिकायतें पाई गयीं। उसमें भी 5-6 शिकायतें तत्काल ही असत्य पाई गयीं, जांच हो गयी और 5-6 शिकायतों में थोड़ा बहुत उसमें दम है। इसलिये हम समय पर पूरी कार्यवाही कर रहे हैं, जो बहुत ही न्यून है, और कई एन.जी.ओ. ने इसकी जांच की। यही नहीं, भारत सरकार का दल भी यहां आया। और उसमें योजना आयोग के जो सदस्य हैं, युगांधर, वह स्वयं यहां आये और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मोनिटर्स, पत्रकार आदि सम्मिलित हुए। उन्होंने भी इस योजना का आडिट किया और उन्होंने भी इसकी सराहना की और सर्वश्रेष्ठ कार्य भी माना।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ अगले जो जिले और हमारे एक माह से चालू हो जाएगा यह कार्य। उसके लिये हमने पूरी तैयारी कर ली है और मैं आश्वस्त करता हूं कि इस योजना का क्रियान्वयन हम उस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले इस योजना की शुरूआत की है। राजस्थान इस मामले में मॉडल रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। एक योजना जन भागीदारी की, राजस्थान, जब तक किसी भी कार्यक्रम में सरकार की योजना में, जन भागीदारी नहीं होगी तब तक वह कार्य सफल नहीं हो सकता है। उसका उतना अच्छा लाभ, राजस्थान के अन्दर हम नहीं दे सकते जनता को, यह हमारा अनुभव रहा है और यह गांव के अन्दर कोई भी काम सरकार के स्तर से होता है उस कार्य की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं होती। गांव के आदमी की उसको आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां जन भागीदारी होती है, व्यक्ति देखता है कि मैंने भी सौ रुपये का नोट या 200 रुपये, 500 रुपये का चन्दा दिया और यह एक बिल्डिंग बन रही है तो स्वयं के द्वारा खर्चा करने के बाद वह जाकर के 50 साल उस काम को देखता है कि काम की गुणवत्ता कैसे ठीक है या नहीं है। इसलिये जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय और वर्तमान में उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने, अपने शासनकाल में एक जन भागीदारी योजना 'अपना गांव अपना काम' योजना के नाम से शुरू की। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य था कि जब उनकी सरकार चली गयी और माननीय प्रतिपक्ष के जो आज मेम्बर बैठे हैं, इनकी सरकार आई, इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। हमारी सोच पुन: बनी कि नहीं, यह योजना ज्यादा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

महत्वपूर्ण योजना है, जनता के सहयोग से चलने वाली जन भागीदारी योजनाओं को हम बढ़ावा देंगे। हमने इस योजना को हमारी सरकार आने के बाद पुन: शुरू किया और इसका नाम गुरु गोलवलकर योजना के नाम से हमने इसकी शुरूआत की। उपाध्यक्ष महोदय, इसका इतना अच्छा रेस्पांस मिला कि हमने प्रथम वर्ष में जो बजट रखा 28 करोड़ रुपये का वह खर्च हो गया। इससे ज्यादा कई लोगों के प्रस्ताव आये और गत वर्ष थोड़ा बजट कम था तो अधिक प्रस्ताव आये। उसको देखते हुए हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने, मैं कहता हूं, सहृदयता दिखाकर, और इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो सके, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, ग्रामीण लोगों को, और इसमें परि-सम्पत्तियों का सृजन हो सके। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बारह गुना इस बजट को बढ़ाकर इस बार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और यह भी आश्वासन दिया कि इसके अलावा भी यदि जरुरत पड़ेगी तो और अधिक हम इसमें और दे देंगे। यह हमारी मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता का उदाहरण है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक और, माननीय सदस्यों ने, कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर के सुझाव भी दिया, मांग भी की कि कई बार प्राथमिकता इस काम की स्वीकृति की है। उसमें जो सबसे पहले आता है, उसका नाम आ जाता है। अब एक समिति की या एक पंचायत के 5 काम एकदम आ गये जो प्रायोरिटी में आ गये। एक पंचायत समिति के 50 काम ऐसे आ गये, मतलब उनकी मांग आ गयी और उनका पैसा जमा हो गया तो उनकी स्वीकृतियां करनी पड़ती हैं। इसलिये इस नीति में परिवर्तन करने हेतु माननीय सदस्यों ने मांग की थी और मुझे यह सदन को बताते हुए खुशी है कि हमने इस नीति में परिवर्तन किया है हमने यह तय किया कि अब एक तो 5 लाख रुपये तक के काम ही स्वीकृत किये जाएंगे, बड़ा काम इसमें स्वीकृत नहीं करेंगे ताकि अधिक से अधिक कार्य इसमें सम्मिलित हो सकें। दूसरा यह भी किया कि इसमें पंचायतवाइज प्रायोरिटी रहेगी, रोटेशन प्रणाली से। एक-एक पंचायत में, यदि पूरी पंचायत समिति में काम हो जाएगा जो इस काम को चाहेंगे और उसके बाद सैकिण्ड नम्बर पर दुबारा रोटेशन आयेगा फिर तीसरी बार आयेगा। इस तरह से प्राथमिकता देंगे। ताकि अधिक से अधिक गांवों में अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो आयोजना समितियां बनाईं और आयोजना समितियों ने अपने एक्शन-प्लान तैयार कर दिये।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

पंचवर्षीय योजना का भी एक्शन प्लान तैयार हो गया और इस साल की भी कार्य योजना हमने बना ली तो कोई भी, माननीय सदस्यों को मुझे यह सूचित करना है कि यदि इस प्रकार के जो एक्शन प्लान में से किसी काम को इस तरह इस योजना में अगर कोई करवाएंगे, जन भागीदारी में तो उसको 80 प्रतिशत जन-भागीदारी में, 80 प्रतिशत अंश सरकार देगी जबकि 70 प्रतिशत अंशदान दिया जाता है लेकिन एक्शन प्लान में से जो काम कराये जाएंगे उसमें 80 प्रतिशत सरकार देगी। इसके अलावा भी उसमें प्रावधान है कि एस.सी., एस.टी. के मोहल्ले में यदि कोई जन भागीदारी से काम करवाएंगे तो उसमें भी 80 प्रतिशत सरकार पैसा देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी चर्चा की गयी थी, जल ग्रहण योजनाओं की। जल ग्रहण योजनाएं हमारे यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से चल रही हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष 2006-07 में मरू विकास कार्यक्रम में 1213, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में 120 एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में 22 परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करायी गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि 22 योजनाएं एक साथ एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान में एक साथ 22 योजनाएं एक साल में कभी स्वीकृत नहीं हुईं। यह हमारे लिए रिकार्ड है और हमारे लिए गौरव की बात है। यह केवल राजस्थान के लिए ही नहीं हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत में 22 योजनाएं एक साथ एक साल में कभी स्वीकृत भारत सरकार से नहीं हुई और हम लोगों ने प्रयास किया, भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति की, हालांकि इसमें 75 परसेंट भारत सरकार का और 25 परसेंट हमारा हिस्सा होता है लेकिन इन योजनाओं की स्वीकृति हमने करवायी जो हमारे लिए गौरव की बात है। 2004-05 में 168 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च हुआ और 2005-06 में 242 करोड़ हुआ और इस साल में जो मतलब फरवरी, 2007 तक 300 से अधिक करोड़ रुपये का व्यय हम कर चुके हैं। इस तरह से निरन्तर जल ग्रहण योजनाओं की प्रगति बढ़ रही है। आज वाटर कंजरवेशन की बहुत बड़ी मांग है। जलदाय विभाग, जल संसाधन मंत्रालय भी कर रहा है लेकिन पंचायती राज विभाग में जो वाटर शेड हैं। इनके माध्यम से भी हम जल प्रबंधन कर रहे हैं और जगह-जगह पर यह कार्यक्रम, हम इसको कर रहे हैं और यह योजनाएं हमारी हैं जिसमें कई कार्यक्रम होते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इनका संचालन और इनका क्रियान्वयन इतना अच्छा हो रहा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

है कि इनके कारण से बंजर भूमि विकास परियोजना उरासिया, उदयपुर एवं मरू विकास परियोजना, टोकरा, अजमेर हेतु राजस्थान को प्रथम इंडिया टेक एक्सीलेंसी पुरस्कार इस साल हमें मिला है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैन इर्रिगेशन सिस्टम, जिसके बारे में अभी कृषि मंत्रीजी ने भी जिक्र किया और मैं भी इस जैन इर्रिगेशन सिस्टम को देखने के लिए वहां जलगांव गया और मैंने देखा कि वहाँ वाटर का जिस तरह मैनेजमेंट उन्होंने किया है, उस मैनेजमेंट को अगर हम यहां करेंगे तो राजस्थान में उसका बहुत बड़ा लाभ होगा और मैं आशा करता हूं कि हमने भी जैन इर्रिगेशन से टाई-अप किया, हमारे वाटर-शेड योजनाओं में और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसी पहाड़ियां जिस तरह से उन्होंने हरी-भरी कीं और उन पर फलदार पौधे लगाकर वाटर हार्वेस्टिंग करके और उन्होंने जिस तरह डवलपमेंट किया उसी पैटर्न पर हम भी करेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया है उसकी बहुत जल्दी ही क्रियान्विति हम शुरू कर देंगे।

इसके अलावा चूंकि यह एक अच्छा कार्य वहां पर जैन इर्रिगेशन का है। उसको देखने और उनके यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है तो हमने 350 अभियंताओं एवं जल ग्रहण विकास दल के सदस्यों का प्रशिक्षण भी हमने वहां पर करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2007-08 में 25 हजार जल कुंडों का निर्माण करने का हमने लक्ष्य रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक वाटर शेड के बारे में यह था कि यह मिट्टी का काम करते हैं और बह जाता है और इसका पैसा यूं ही चला जाता है। ऐसी एक धारणा थी और वास्तव में कुछ हद तक यह सही भी थी क्योंकि केवल कच्चा काम करते थे। पर अब हमने, विभाग ने यह निर्णय किया कि हम पक्के काम करवाएंगे और इसके कारण से स्थाई रूप से पानी का रुकाव भी हो, पानी का ठहराव भी हो और इसके लिए हमने इस बार 25 हजार जल कुंड निर्माण का लक्ष्य रखा है। राज्य में पहली बार 370 जल ग्रहण विकास दलों का गठन किया गया है। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, हो गया, ठीक है। प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं-नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया, विराजिये। सब संतुष्ट हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनें। मेरी रिक्वेस्ट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब लोग संतुष्ट हैं, भाई। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं ... (व्यवधान) तीन विधान सभाओं में पहली बार तो बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। गयी बार और उसके पहले भी बोलने नहीं दिया। नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: सारे खुश हैं, सारे खुश हैं। सारे, सब सदन की सहमति है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं-नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल ग्रहण योजना में हमने पी.पी.पी. ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब कितने खुश हैं। देखो आपसे कितने प्रसन्न हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यानी पब्लिक पाइवेट पार्टनरशिप हमने शुरू की है और इसके लिए आई.टी.सी. ... (व्यवधान) ग्रामीण विकास ट्रस्ट से अनुबन्ध किया।

श्री उपाध्यक्ष: सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ... (व्यवधान) और क्या कह रहा हूं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पब्लिक पार्टनरशिप करने के लिए हमने प्रावधान किया और आई.टी.सी. से अनुबंध किया और यह पहली बार मतलब हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान पहला राज्य है जहां जल ग्रहण योजनाओं में पब्लिक पार्टनरशिप का कांट्रेक्ट किया, अभी हमने समझौता किया, अनुबंध किया और भीलवाड़ा जिले के कल्याणपुरा गांव में एक योजना स्वीकृत की जिसमें तीन करोड़ रुपया प्राइवेट, निजी निवेश होगा और तीन करोड़ रुपया जल ग्रहण योजना का सरकार देगी। इस तरह से

(श्री कालूलाल गुर्जर)

यह पहला अवसर है जब हिन्दुस्तान में हमारी केन्द्रीय सरकार ने कई बार राज्यों को आग्रह किया कि आप इसमें निजी भागीदारी को भी आगे लायें लेकिन कोई भी राज्य अभी पहल नहीं कर सका और यह पहल करने का अवसर हमको मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मिड डे मील का कार्य भी राजस्थान में बहुत अच्छा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। सब तरफ से तालियां बज रही हैं। सब संतुष्ट हैं, देखो आपकी तारीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राजस्थान के अन्दर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और हमारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 75 हजार विद्यालयों में 70 लाख छात्रों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, अब इस पर सब संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। आपकी तारीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। मेरी घोषणाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब इस पर सब संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं। प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28, माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं शॉर्ट कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, जो गांव मगरा क्षेत्र से वंचित रह गये उनको जोड़ने के बारे में आप यह मेरा जवाब दे दें। (व्यवधान) मंत्रीजी, आपका बहुत अच्छा भाषण था। आप मेरा जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पांचवीं क्लास के बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल से जो आदिवासी क्षेत्र हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उनमें आने वाले जो ब्लाक हैं उसमें 6 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील दिये जाने का भारत सरकार का आदेश है लेकिन राजस्थान में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि राजस्थान में हम भेदभाव नहीं करेंगे और राजस्थान के अन्दर सभी पंचायत समितियों में छठी क्लास से लेकर आठवीं तक के बच्चों को मिड डे मील देंगे जिसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बी.पी.एल. के बारे में बहुत चिंता की गयी और यह कहा गया साहब, सूची जारी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: पूरा सदन तारीफ कर रहा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मेरे को अभी आधा घंटा और चाहिए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सब मानते हैं सारे ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि बी.पी.एल. के बारे में पहली बार सरकार ने यह प्रावधान किया कि लिस्ट जारी होने के बाद जब व्यक्ति चाहे जब अपील करके अपना नाम लिखवा सकता है और जब चाहे जब किसी का नाम दर्ज हो उसको गलत होने पर कटवा सकता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपने नहीं किया, यह सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यह आपने नहीं किया, यह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुन लो आप। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चाहे जब उसका नाम कटाया जा सकता है और जहां 30 परसेंट से ज्यादा वेरिएशन आये वहां पर हमने दुबारा सरकार की ओर से इसका सर्वे करवाया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अब तक 866615 अपीलें इस मामले में लोगों ने नाम जुड़ाने और कटाने के लिए पेश की हैं। उसमें से 224349 का निस्तारण हो चुका है और 118530 परिवारों का नाम जोड़ने की अपील की स्वीकृतियां हो गयीं और 24195 नाम कटाने का भी उसके अन्दर स्वीकृतियां हो गयीं और बकाया अपीलें जिनका निस्तारण हो, वह निरस्त हो गयी। करीब 6 लाख अपीलें और

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बाकी हैं जिनका भी हम निस्तारण जल्दी ही कर देंगे और इस सूची, ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए हमने जारी कर दी है और ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें नई सूची से सारा काम हो रहा है लेकिन केवल जो खाद्यान्न मिलता है उसके बारे में और हमारा यह जो मेडिकल की फेसेलिटी मिलती है उसके लिए अभी तक पुरानी सूचियां जारी हैं। चूंकि यह अपीलें निस्तारण हो जाएं तो उसके बाद हम उनको भी राशन कार्ड बनाकर नई सूचियां जारी कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सारे संतुष्ट हैं। आप सब संतुष्ट हैं। सब संतुष्ट हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी नहीं। (व्यवधान)

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत अधीर हो रहे हैं। इनका कहना है कि ... (व्यवधान) अधीर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक तो आपने यह कहा कि इंदिरा आवास के अन्दर, एक तो कहा आपने कि इंदिरा आवास के अन्दर बहुत कम लक्ष्य हुआ। मैं मानता हूं। इसका कारण यह रहा ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ग्राम सेवकों की भर्ती की घोषणा कर रहे हो क्या? घोषणा करनी है तो कर दो कोई ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुन लो इसका ... (व्यवधान) वह भी कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास के बारे में आपने यह कहा था तो मैं बता दूं कि 2005-06 में 37,626 के लक्ष्य के विपरीत 38,471 आवासों का निर्माण हुआ और इस साल चूंकि हमने बी.पी.एल. सूची जारी नहीं की थी इसलिए केन्द्र सरकार ने हमारे इंदिरा आवासों की किश्त को रोक लिया और काफी देरी से दी है इसलिए मैं यह मानता हूं कि थोड़ी देरी हुई है। परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि 24,225 मकान निर्माणाधीन हैं जिसमें 90 प्रतिशत आवास पूरे कर लिये गये हैं और अभी उनकी भी पूर्ति हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई घोषणा करनी हो तो, माननीय मंत्री महोदय, घोषणा कर दीजिये। आप घोषणा कर दो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में 104.21 प्रतिशत का खर्चा हमने कर लिया है और अलग से और सहायता के लिये हमने भारत सरकार को लिखा है कि एक्स्ट्रा किश्त हमको दी जाये । गत वर्ष भी हमने एक्स्ट्रा किश्त ली थी और यह जो स्वयं सहायता समूह गठित किये, उसमें महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखते हुए हमने कुल 27,274 परिवारों में से 15,673 महिलाओं को उसके अंदर जोड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मिड डे मील में स्कूल के अंदर जो भोजन तैयार करते हैं उसके लिये 1 लाख 40 हजार महिलाओं को हमने रोजगार दे रखा है और उस मिड डे मील का खाना बनाती हैं जिससे उनको रोजगार मिला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: विशेष घोषणा कोई माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विधायक कोष की तो सुन लो।

श्री उपाध्यक्ष: बढ़ा तो नहीं रहे हो आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विधायक कोष में जो ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : एक करोड़ कर रहे हो क्या ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, एक करोड़ तो मैं नहीं कर रहा हूं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो खतम कर दो इस कोष को।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं तो कह रहा हूं कि विधायक कोष के पैसे का जो खर्चा होता है उसके लिये सदन में कई माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न रखे, कई मामले उठे और यह था कि समय पर पैसा नहीं मिला। दूसरा स्वीकृतियां जारी नहीं होती हैं और स्वीकृति जारी हो भी जाये तो उसका खर्चा समय पर नहीं करते हैं। विभिन्न विभागों में जिसमें माननीय सदस्य यह काम करवाते हैं, वह विभाग को समय पर नहीं करते हैं इसलिए इसकी मोनिटरिंग कमेटी बनाई जाये और इसी बात को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मानते हुए घोषणा की थी। उसी घोषणा की क्रियान्विति में माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई गयी है । उसकी 22 तारीख को मीटिंग

(श्री कालूलाल गुर्जर)

भी हो गयी और उस कमेटी में यह सुझाव आया कि इसकी मोनिटरिंग के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी वहां बना दी जाये ताकि वह ज्यादा मोनिटरिंग करके सभी विभागों को इसमें मोनिटरिंग करते हुए उस पर काम त्वरित गति से हो सके। इसका उपाध्यक्ष महोदय, हमने फाइनल कर लिया है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमने सी सी रोड का बंद कर दिया था जिसके लिये माननीय सदस्यों ने कहा कि इसकी स्वीकृति दी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायक कोष है, इससे जो सी सी रोड बनती है पंचायतों द्वारा, उसमें गुणवत्ता की बड़ी दिक्कत है क्योंकि पंचायतों के पास में न तो लेबोरेट्री है, न उसके लिये कोई टैस्टिंग का सामान है तो हमने काम बंद किये थे कि गांवों में जाकर देखते हैं कि सड़क बन गयी और थोड़े दिन बाद वापस उखड़ गयी। इस तरह की काफी शिकायतें आईं तब हमने यह तय किया कि यह सी सी रोड नहीं बनायेंगे, लेकिन माननीय सदस्यों का आग्रह था । हमने यह कहा कि सी सी रोड के बजाय ईंट का खरंजा या पत्थर का खरंजा का रोड बनाया जाये ताकि वह ज्यादा मजबूत भी होगा और परम्परागत रूप से बरसों तक चलता है । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर रहा हूं कि आपकी मांग को देखते हुए हमने यह तय किया कि जो सी सी रोड बनाना चाहे विधायक कोष से वह पी.डब्ल्यू.डी. से बनवा ले, पी.डब्ल्यू.डी. के नोर्म्स से बनवा ले। यह हमने आदेश जारी कर दिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, बी.एस.आर. पी.डब्ल्यू.डी की होगी या पंचायत राज की।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं बताऊं कि ग्रामीण विकास कार्यों की एक कार्य निर्देशिका बनी हुई है और उसके अंदर परमानेन्ट आर्डर कर रखा है कि प्रत्येक जिले में जिला परिषद के अंदर बी एस आर को बढ़ाने की एक कमेटी बना रखी है और हर छह महीने में उस कमेटी की मीटिंग होती है। माननीय सदस्यों को मैं सूचित करता हूं कि जब आपको लगे कि बी एस आर बढ़नी चाहिये, वह कमेटी जब छह महीने में बैठती है तब आप उसमें बी.एस.आर. बढ़ाओ। हर साल बढ़े बल्कि छह-छह महीने में बढ़े। हमने उनको पूरा अधिकृत कर रखा है । अब कमेटी कितना बढ़ाती है यह अलग बात है। कमेटी की मीटिंग होती है कि नहीं, इसको हम मोनिटरिंग करवा लेंगे और हर छह महीने में मोनिटरिंग करवा लेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): पी.डब्ल्यू.डी. से काम नहीं हो पाते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मगरा क्षेत्र योजना में राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच थी कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग क्षेत्रीय विकास योजना चलती है लेकिन यह बीच की अरावली की पहाड़ी, जो ट्राइबल में नहीं आती, जहां ट्राइबल के लोग नहीं रहते हैं, ओ.बी.सी. के लोग रहते हैं, उनके क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मगरा क्षेत्र विकास योजना शुरू की और इसके लिये पांच करोड़ का बजट रखा गया और जो अभी बजट दिया गया, उसका पूरा उपयोग हमने कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: घोषणा, कोई नई घोषणा क्या कर रहे हो ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रीजी, मात्र पांच करोड़ का ही बजट है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, जो हमारी चलती है, उसमें प्रथम सालों में जब कांग्रेस का शासन था तब आपने कोई खर्चा नहीं किया और तीन साल तक केवल 58 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था, इससे ज्यादा नहीं हुआ और हमारी सरकार आने के बाद 439.03 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है और इसकी बकाया योजना बनाकर इसको पूरे राज्य में हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या ...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी महत्वपूर्ण घोषणा तो करूं, यह घोषणा रह जायेगी। इतना उनको कहते आधा वह बोलते तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, वह एक घंटा बोले मुझे आघा घंटा तो दो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, सब लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी। सारे खुश हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज में पहली बार जिला योजना का हमने गठन किया और राजस्थान का केरल के बाद यह दूसरा नम्बर है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जिला आयोजना का गठन करके और पांच सालों का एक्शन

प्लान और एक साल का एक्शन प्लान बनाया है और इसके लिये जो हमने एक्शन प्लान बनाया है, उनमें जो विभिन्न योजनाएं चलती हैं, उनसे काम होंगे, लेकिन कोई काम जो उन योजनाओं में नहीं आयेगा, उनको करने के लिये, पूरा करने के लिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के बजट से एक करोड़ रुपये प्रति जिले को आबटित किया है। अनटाइड ग्रांट इस बार बजट में घोषणा करके दी है। जो पहली बार एक बहुत बड़ा लाभदायक कदम है और बी आर जी एफ का जिला योजना में स्वीकृत किये गये कार्यों को इसी कार्य में लिया गया । इसी तरह से हमने आयोजना का गठन किया। इसके लिये हमने 1 करोड़ रुपया प्रति जिला बजट प्रावधान रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: विशेष घोषणा कोई हो तो वह बता दो। सब संतुष्ट हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विशेष बोल रहा हूं। यह सब विशेष है और यह बहुत ही विशेष है कि राजस्थान के अंदर सरकार ने एक करिश्मा योजना बनाई । करिश्मा योजना का वास्तव में करिश्मा ही है क्योंकि यह योजना जब पूरी हो जायेगी तो एरिया में इतनी बड़ी योजना और कहीं नहीं है, जो राजस्थान में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज शहर के आदमी कम्प्यूटर से काम करते हैं, गांव में रहने वाले गरीब उनको भी कम्प्यूटर से अवगत कराया जाना चाहिये और इसी उद्देश्य को लेकर गांव के अंदर गांव के कामों की मोनिटरिंग अच्छी हो, पंचायत राज विभाग के अंदर नियन्त्रण अच्छा हो। वहां से सारी जानकारी हमको मिले। डायरेक्ट वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम काम करवा सकें, इस उद्देश्य को लेकर हमने इस योजना को शुरू किया और उपाध्यक्ष महोदय, योजना में 32 जिलों में से 26 जिले और 237 पंचायत समितियां और 1000 पंचायतें कम्प्यूटर से जोड़ चुके हैं और बहुत जल्द ही 1100 पंचायतें पूरी जोड़ देंगे और उसके बाद बकाया पंचायतों को हम जोड़ेंगे तो एक ऐसा सिस्टम बनेगा, जो हिन्दुस्तान के अंदर किसी भी प्रान्त में नहीं है। यह हमारे लिये एक खुशी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न यह है कि मांग संख्या ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी दीनदयाल उपाध्याय रह जायेगी। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में कहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय योजना जो हमने शुरू की है, वह आदर्श ...(व्यवधान) यह कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,31,38,13,000/- (एक अरब इकतीस करोड़ अड़तीस लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.20 बजे बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2007 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर जिले में मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व

20. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में वर्ष 2005-06 में देशी शराब की कितनी दुकानें संचालित हुई व इनसे कितने रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई ? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में देशी व अंग्रेजी शराब की कितनी दुकानें लाइसेंसशुदा हैं ? क्या सरकार अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को बंद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? स्वीकृत दुकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) **1. देशी मदिरा**

वर्ष 2005-06 के आबकारी बंदोबस्त में जयपुर एवं दौसा जिले का संयुक्त समूह था तथा एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण दुकानवार नहीं होकर इस समूह के लिए संयुक्त रुप से हुआ था। इस समूह में देशी मदिरा की 723 दुकानें थी, जिनमें से 462 जयपुर जिले की थीं। वर्ष 2005-06 में इस समूह से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार था :-

1	एकाकी विशेषाधिकार राशि	91,07,77,655/-
2	आबकारी शुल्क	1,77,94,348/-
3	परमिट फीस	1,46,850/-

2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर

राजस्व जिले जयपुर में वर्ष 2005-06 में अनुज्ञापित 418 दुकानों से वार्षिक लाइसेंस फीस, परमिट फीस व वेण्ड फीस के रूप में प्राप्त राजस्व का दुकानवार विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। इन दुकानों को मदिरा की आपूर्ति जयपुर जिले के प्राइवेट थोक अनुज्ञाधारियों द्वारा की गई थी तथा इन थोक अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2005-06 में कुल 136.34 करोड़ आबकारी शुल्क की भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर राजस्थान राज्य बेवरेज कारपोरेशन लि. से उठाई थी।

(आबकारी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में देशी मदिरा की 54 तथा अंग्रेजी शराब की 19 दुकानें संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 के रुप में संलग्न है। मदिरा की अवैध बिक्री करने वालों के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

माडा योजनान्तर्गत निर्मित जलोत्थान सिंचाई परियोजनाएं

22. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत जलोत्थान सिंचाई योजनाएं निर्मित करवाई गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? नाम सहित जिलेवार पृथक-पृथक सूची चालू तथा बन्द पड़ी योजनाओं के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में से कुछ योजनाएं घटिया स्तर के कार्य एवं घटिया स्तर की सामग्री काम में लेने के कारण तथा कुछेक धनराशि के अभाव में बन्द हैं ? यदि हां, तो उक्त को चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार माडा योजना के तहत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की मरम्मत/पुनरुद्धार/नवीनीकरण की योजना बनाई जाकर बन्द पड़ी योजनाओं को पुन: प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार बिशनपुरा (थाना) जिला बून्दी की बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजना को पुन: प्रारम्भ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माडा योजनान्तर्गत 101 जलोत्थान सिंचाई योजनाएं निर्मित करवायी गई हैं। नाम सहित जिलेवार चालू तथा बन्द पड़ी योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को चालू करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी हां। उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(4) बिशनपुरा (थाना) जिला बूंदी में बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजना को पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	नाम जलोत्थान सिंचाई योजना	चालू/बन्द/ अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राजसमन्द	खमनोर	कुणा	चालू	
2		खमनोर	मानली का गुडा	बन्द	
1	उदयपुर	भीण्डर	सीड प्रथम	चालू	
2		भीण्डर	सीड द्वितीय	चालू	
3		गोगुन्दा	जोरमा	बन्द	
4		भीण्डर	आमलिया	बन्द	
5		गोगुन्दा	कण्डाउ	बन्द	
6		भीण्डर	आकोला	चालू	
7		भीण्डर	नागलिया	बन्द	
8		बडगांव	पराया	चालू	
9		गोगुन्दा	उण्डीथल	चालू	
10		गोगुन्दा	गुदाली	बन्द	
11		भीण्डर	पीपलवास	चालू	
1	कोटा	सांगोद	घासखेड़ा I	बन्द	
2		सांगोद	बपावरखुर्द I	बन्द	
3		सांगोद	हनुमतखेड़ा	बन्द	

1	2	3	4	5	6
4		खैराबाद	जालरा	बन्द	
5		सांगोद	बपावरखुर्द II	बन्द	
6		सांगोद	घासखेड़ा II	बन्द	
7		सुल्तानपुर	बालापुरा	बन्द	
1	बारां	छीपाबड़ौद	पथरी	बन्द	
1	बून्दी	तालेड़ा	बाकी	चालू	
2		तालेड़ा	मण्डावरी	चालू	
3		हिण्डौली	बिशनपुरा	बन्द	
4		केशोरायपाटन	बुढेल	बन्द	
5		नैनवां	सबलपुरा	बन्द	
6		केशोरायपाटन	झाडोल	बन्द	
7		हिण्डौली	रघुनाथपुरा	बन्द	
8		केशोरायपाटन	गुवाडी I	बन्द	
9		केशोरायपाटन	गुवाडी II	बन्द	
10		नैनवां	मोतीपुरा	बन्द	
11		नैनवां	माणक चौक	बन्द	
12		हिण्डौली	गोकुलपुरा I	बन्द	
13		हिण्डौली	गोकुलपुरा II	बन्द	
14		हिण्डौली	एलायता	बन्द	
15		केशोरायपाटन	झाडला	बन्द	
16		केशोरायपाटन	उतराना	बन्द	
17		तालेड़ा	गणेशपुरा	बन्द	
18		केशोरायपाटन	काकरामेज	बन्द	

1	2	3	4	5	6
19		तालेड़ा	डाबी	बन्द	
20		केशोरायपाटन	बसवाडापाली	बन्द	
1	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	शेरसिंहपुरा प्रथम	बन्द	
2		सवाई माधोपुर	शेरसिंहपुरा द्वितीय	बन्द	
1	करौली	सपोटरा	अमरवाड	अपूर्ण	
2		सपोटरा	खुबपुरा प्रथम	अपूर्ण	
3		सपोटरा	खुबपुरा द्वितीय	अपूर्ण	
1	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	धनवाड़ा	चालू	
2		माण्डलगढ़	मोगरवास	बन्द	
3		माण्डलगढ़	घट्‌नाका सोपडा	बन्द	
4		माण्डलगढ़	झालम का सोपडा	चालू	
5		माण्डलगढ़	काटबडा	बन्द	
6		माण्डलगढ़	छातरी खेड़ा I	बन्द	
7		माण्डलगढ़	कास्या	बन्द	
8		माण्डलगढ़	मण्डोल	बन्द	
9		माण्डलगढ़	छतरीखेड़ा II	बन्द	
10		माण्डलगढ़	लक्ष्मीपुरा	बन्द	
11		माण्डलगढ़	दानपुरा	बन्द	
12		जहाजपुर	बगवासा	बन्द	
13		जहाजपुर	ओडियाखेडा	बन्द	
14		जहाजपुर	भरनी खुर्द	बन्द	
15		जहाजपुर	कालाभाटा	बन्द	
16		जहाजपुर	रावतखेड़ा	बन्द	

1	2	3	4	5	6
1	चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी	इटो का तालाब प्रथम	चालू	
2		छोटी सादड़ी	इटो का तालाब द्वितीय	चालू	
3		छोटी सादड़ी	राजपुरा	चालू	
4		छोटी सादड़ी	चरलिया आम्बा	चालू	
5		भैंसरोड़गढ़	गुढढाखेडा	चालू	
6		भैंसरोडगढ़	लोठीयाना प्रथम	चालू	
7		भैंसरोडगढ़	लाठीयाना द्वितीय	चालू	
8		भैंसरोडगढ़	बोराव	चालू	
9		भैंसरोडगढ़	श्रीपुरा प्रथम	चालू	
10		भैंसरोडगढ़	श्रीपुरा द्वितीय	चालू	
11		छोटी सादड़ी	महीडा रेल	चालू	
12		छोटी सादड़ी	नोवखेड़ी	चालू	
13		भैंसरोड़गढ़	सुठाला प्रथम	चालू	
14		भैंसरोडगढ़	सुठाला द्वितीय	चालू	
15		छोटी सादड़ी	धोलापानी द्वितीय	बन्द	
16		छोटी सादड़ी	धोलापानी तृतीय	बन्द	
17		छोटी सादड़ी	इटो का तालाब	बन्द	
18		बेगूं	सांगवा	बन्द	
19		छोटी सादड़ी	नावखेड़ी	बन्द	
20		छोटी सादड़ी	बडोल	बन्द	
21		भैंसरोडगढ़	बलो का खेड़ा	बन्द	

1	2	3	4	5	6
22		छोटी सादड़ी	चिरवा	बन्द	
23		छोटी सादड़ी	धोलापानी	बन्द	
1	टोंक	देवली	राजकोट	बन्द	
2		देवली	बोरड़ा	बन्द	
3		देवली	इन्द्रपुरा	बन्द	
4		देवली	जलसीना	बन्द	
5		टोडारायसिंह	कुरासिया	अपूर्ण	
1	झालावाड़	मनोहरथाना	मवासा I	बन्द	
2		मनोहरथाना	मवासा II	बन्द	
3		झालरापाटन	नाला	बन्द	
4		झालरापाटन	नौलाव	बन्द	
5		खानपुर	फूंजा	बन्द	
6		खानपुर	ललावटा	बन्द	
7		झालरापाटन	माधोपुर	बन्द	
8		झालरापाटन	माधोपुर I	बन्द	
9		झालरापाटन	चंगेरी	बन्द	
10		झालरापाटन	पनवासा	बन्द	
11		खानपुर	सिंगोला	बन्द	

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या-25

(स्थगित)

बारां जिले में पर्यटन विकास पर व्यय

26. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बारां जिले में पर्यटन विकास हेतु टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज (टी.सी.एस.) को सलाह कार्य सौंपा गया था ? यदि हां, तो उक्त कन्सलटेन्सी द्वारा सरकार को क्या रिपोर्ट दी गई ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों ? पर्यटन विकास हेतु जिले में कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के गत तीन वर्षों में कार्य प्रारम्भ करवाये गये व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज को पर्यटन विकास हेतु सलाह कार्य सौंपा गया था। सम्बन्धित फर्म द्वारा हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गई है।

इस रिपोर्ट में बारां जिले के पर्यटन विकास के बारे में भी सलाह दी गई है। बारां जिले की परियोजना की प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

वर्ष 2003 में काकूनी मन्दिर के विकास हेतु स्वीकृत राशि रुपये 4.00 लाख के विरुद्ध काकूनी मन्दिर, बारां के विकास कार्य पर कुल राशि रुपये 3.77 लाख का व्यय कर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बारां जिले में हाड़ौती पर्यटन सर्किट योजना के तहत राशि रुपये 166.91 लाख के 6 विकास कार्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हुए थे। बारां जिले के पर्यटन विकास हेतु चयनित कार्यों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

हाड़ौती पर्यटन विकास योजना वर्ष 2006 के लिए नॉडल एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम तय की जा चुकी है तथा राशि निगम के पी डी खाते में स्थानान्तरित की गई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जावेंगे।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सुमेरपुर-शिवगंज पुल का पुनर्निर्माण/मरम्मत

27. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य पुल गत मानसून की बाढ़ में टूट चुका है ? यदि हां, तो उक्त पुल का पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा व उसका स्वरुप क्या होगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि टूटे पुल की जगह मिट्टी व पत्थर डाल कर उसी पर डामरीकरण करके अस्थाई आवागमन चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुल के स्थान पर बिना फाउण्डेशन (नींव) भरे केवल पत्थर मिट्टी डालकर मार्ग बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर चलने वाली वाहन संख्या को देखते हुए उस पर बने इस पुल को चार लेन का बना कर ऊंचा उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। एन.एच. 14 पर सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य पुल गत मानसून की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है। इस पुल का पुन: निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तृतीय चरण में सड़क के निर्माण के साथ किया जावेगा। इसका स्वरुप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(2) जी हां। नदी में पानी के बहाव के कारण पुल के टूटे हुए भाग में तुरन्त यातायात बहाली हेतु बड़े-बड़े पत्थर डालकर उस पर डामरीकरण कर पूर्ण रुपेण आवागमन चालू कर दिया गया। इस पर राज्य सरकार का व्यय शून्य किया गया। पोत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा एफ.डी.आर. मद में स्वीकृत राशि में से 31.07 लाख रुपये (एजेन्सी प्रभार सहित) का व्यय इस कार्य पर किया गया।

(3) जी हां। पुल एवं एप्रोच के टूटे भाग पर शीघ्र यातायात चालू करना प्राथमिकता रहती है एवं नदी में पानी का प्रवाह तेज होने से टूटे पुल व एप्रोच भाग का फाउण्डेशन भरकर पक्का निर्माण करवाया जाना तुरन्त सम्भव नहीं था। अत: बड़े-बड़े पत्थर डालकर मार्ग बनाया गया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) एन.एच. 14 पर चलने वाली वाहन संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा भाग को एन.एच.डी.पी. (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) फेज तृतीय में चार लेन बनाया जाना प्रस्तावित है। अत: उक्त पुल को चार लेन में बनाने सम्बन्धी निर्णय उसी प्रोजेक्ट में एन.एच.ए.आई. द्वारा लिया जा सकेगा।

राज्य के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

28. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? उक्त केन्द्रों की पर वर्तमान में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनियां कार्यरत हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2006-07 में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये और कितनी नई सहयोगिनियों का चयन किया गया ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2006-07 में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया ? इन निर्माण कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हो गये और कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

(4) राज्य में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? क्या सरकार किराये के भवनों में संचालित शेष केन्द्रों में भवन निर्माण का कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) राज्य में 41 हजार 593 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनमें 41 हजार 364 महिलाऐं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, 40 हजार 266 आंगनबाड़ी सहायिका एवं 27 हजार 910 सहयोगिनियां कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 2006-07 में 5 हजार 545 आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं तथा 7 हजार 765 सहयोगिनियों का चयन किया गया है।

(3) वर्ष 2006-07 में अकाल राहत कार्यों में लगभग 6 हजार 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी। इनमें से लगभग 4 हजार 500 भवनों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अकाल

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

राहत कार्य समाप्त होने के कारण अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। राशि उपलब्ध होने पर इन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये विभागीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसका कार्य जिला परिषदों के माध्यम से शीघ्र सम्पन्न करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(4) राज्य में वर्तमान में 14 हजार 581 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। विभाग सभी किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विभागीय भवन निर्माण के लिए प्रयासरत है। इन कार्यों के लिए काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता के कारण भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

29. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन हेतु वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 हेतु कितनी राशि का बजट पारित किया गया ?

(2) वर्ष 2005 एवं 2006 के विज्ञापन पेटे पारित बजट अनुसार व अतिरिक्त कितनी राशि किस-किस विज्ञापन पेटे खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2006-07 में पारित बजट पेटे माह दिसम्बर, 2006 तक कितनी राशि के विज्ञापन जारी किये गये ?

(4) प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, विज्ञापन पट्ट एवं एम.एस. इत्यादि पर वर्ष 2006-07 में अब तक कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त माध्यमों पर खर्च की गई राशि के बिलों का भुगतान करने से पूर्व प्रकाशकों/प्रायोजकों द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मूल बिल की जांच की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में विज्ञापन पेटे भुगतान किये गये बिलों का प्रकाशकों के मूल बिलों से मिलान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो क्या समस्त भुगतान नियमानुसार सही हुआ है ?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(7) क्या पूर्व के वर्षों में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा दिये गये बिलों एवं प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करवाये गये बिलों में राशि का अन्तर रहा था ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन हेतु आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2005-06 के लिए रुपये 600.00 लाख रखा गया जो कि संशोधित कर 1300 लाख किया गया तथा वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान रुपये 1300.00 लाख रखा गया है, इसे संशोधित कर 1942.00 लाख किया जा रहा है।

(2) वर्ष 2005-06 के विज्ञापन पेटे बजट प्रावधान रुपये 600.00 लाख था, किन्तु संशोधित बजट के अनुसार वास्तविक व्यय रुपये 1731.64 लाख हुआ। अतिरिक्त राशि नीलामी, होर्डिंग्स, अधिसूचना, 90-बी, निविदा तथा राजस्थान संवाद विज्ञापन के पेटे व्यय हुई है।

(3) वर्ष 2006-07 में पारित बजट के पेटे माह दिसम्बर, 06 तक रुपये 15.17 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(4) प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, विज्ञापन पट्ट एवं एम.एस. पर वर्ष 2006-07 में अब तक निम्नानुसार राशि खर्च हुई :-

1. प्रिन्ट मीडिया	– रुपये 1478.55 लाख
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया	– रुपये 73.30 लाख
3. विज्ञापन पट्ट	– रुपये 34.96 लाख
4. एम.एस.	– रुपये 14.86 लाख

(5) जी हां। उपरोक्त माध्यमों पर खर्च की गयी राशि के बिलों व भुगतान करने से पूर्व प्रकाशकों/प्रायोजकों द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मूल बिल की जांच की जाती है।

(6) जी हां। समस्त भुगतान नियमानुसार सही हुआ है।

(7) पूर्व के वर्षों में विज्ञापन एजेन्सियों एवं प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत बिलों का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार ही भुगतान किया गया है। अंकेक्षण दल द्वारा 01.04.1999 से 30.06.2003 तक की अवधि में स्वीकृत दरों और अधिक साइज के कारण हुए अधिक भुगतान राशि रुपये 10,71,267/- की वसूली की जा चुकी है।

विकलांग/पोलियोग्रस्त मरीजों की शल्य चिकित्सा पर व्यय

30. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा विकलांग एवं पोलियों से पीड़ित रोगियों की दोष निवारक शल्य चिकित्सा के लिये वर्ष 2004 से अब तक कितने बजटीय प्रावधान के विरुद्ध कितना व्यय किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त शल्य चिकित्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक कितने मरीजों की शल्य चिकित्सा सम्पन्न की गई ? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त शल्य चिकित्सा हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक किन गैर सरकारी संस्थाओं को कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई ? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रोगियों की समुचित चिकित्सा हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पोलियों से पीड़ित विकलांग रोगियों की पोलियो दोष निवारक शल्य चिकित्सा (पोलियो करैक्शन आपरेशन) किये जाने की योजना संचालित है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004 से अब तक वर्षवार बजट प्रावधान एवं किया गया व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	प्रावधान	व्यय
1	2004-05	93.00	56.19
2	2005-06	89.70	89.70
3	2006-07	50.00	42.18 (जून, 07 तक)

(2) विभाग द्वारा वर्ष 2004 से अब तक सम्पन्न की गई पोलियो से पीडित विकलांग रोगियों की पोलियो दोष निवारक शल्य चिकित्सा (पोलियो करैक्शन आपरेशन) का वर्षवार जिलेवार लाभान्वितों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वर्ष 2004 से अब तक सम्पन्न की गई पोलियो से पीड़ित विकलांग रोगियों की पोलियो दोष निवारक शल्य चिकित्सा (पोलियो करैक्शन आपरेशन) को गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या, वर्षवार, जिलेवार उन्हें दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या एवं भुगतान की गई राशि का विवरण

नोट : गैर सरकारी संस्थाओं को वर्षवार एवं जिलेवार कब-कब भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट– I से स III तक संलग्न है।

क्र.सं.	वर्ष	प्रावधान	व्यय
1	2004-05	9	56.19 लाख
2	2005-06	14	89.70 लाख
3	2006-07	4	42.18 लाख

(4) अब पोलियो को लगभग उन्मूलन हो चुका है। अत: केवल पुराने मामलों में ही सर्जरी की आवश्यकता के मध्यनजर अतिरिक्त वित्तीय राशि स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती फिर भी विभाग द्वारा अपनी आयोजना सीमा में यथा सम्भव बजट प्रावधान रखे जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित काश्तकारों के पुनर्वास प्रकरणों का निस्तारण

31. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सैन्य आवश्यकताओं के मद्देनजर विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में महाजन फील्ड, फायरिंग रेंज की स्थापना करने के लिए अनेकों गांव को तथा वहां की कृषि भूमि को अवाप्त किया गया था ? यदि हां, तो कब, किन-किन गांवों की तथा कितनी-कितनी कृषि भूमि ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के विस्थापितों को अन्यत्र

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कृषि भूमि आबंटित करने तथा आवास हेतु नई आबादियां स्वीकृत करने/बसाने का कार्य किया गया था/आबादी भूमि आरक्षित की गई थी ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों/कृषि भूमि की अवाप्ति के अनेकों वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी विस्थापितों एवं उनके वारिसों को प्रतिफल में कृषि भूमि का आबंटन तथा आरक्षित आबादी भूमि में बसाने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर किन-किन को व क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विस्थापित काश्तकारों को कृषि भूमि आबंटन लाटरी द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ? क्या पूर्व में भी उक्त विस्थापित काश्तकारों को इसी प्रक्रिया से कृषि भूमि आबंटित की जाती थी ? यदि नहीं, तो विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि उक्त प्रक्रिया में परिवर्तन का क्या कारण है ? क्या सरकार कृषि भूमि आबंटन हेतु पूर्व में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पुन: लागू करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विस्थापित काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को भी आबंटन हो जाने/भूदान बोर्ड द्वारा भी आबंटित किए जाने/वन विभाग द्वारा आबंटित किए जाने के कारण अनेकों डबल एलाटमेंट के प्रकरण निस्तारण हेतु विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों के व किन-किन के मध्य ?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई अंतिम समय सीमा निश्चित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना हेतु 33 गांवों की कृषि भूमियां कब एवं कितनी अवाप्त की गई, की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त गांवों के विस्थापितों को अन्यत्र कृषि भूमि आबंटित करने तथा आवास हेतु नई आबादियां स्वीकृत कर उन्हें बसाने का कार्य किया गया था। कृषि तथा आवास हेतु आरक्षित भूमियों की सूची परिशिष्ट ''ख'' व ''ग'' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 4214 विस्थापितों को भूमि आबंटन कर दिया गया है। केवल 95 प्रकरणों में उनके द्वारा विकल्प नहीं देने, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण नहीं होने, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने व जांच विचाराधीन होने आदि कारणों से प्रक्रियाधीन है। शेष रहे 95 प्रकरणों की सूची परिशिष्ट ''घ'' संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.8.1998 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल 77 व्यक्तियों को लॉटरी द्वारा भूमि का आबंटन किया गया है। इससे पूर्व विस्थातिपों द्वारा चयनित भूमि का आबंटन किया जाता था। दिनांक 6.12.2006 से विस्थापितों के द्वारा चयनित भूमि का आबंटन किये जाने की प्रक्रिया लागू है।

(5) जी हां। उक्त विस्थापित काश्तकारों को आबंटित कृषि भूमियों के दोहरे आबंटन व अन्य कारणों से विनिमय के कुल 77 प्रकरण विचाराधीन हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट ''ड'' संलग्न है। जिनमें से भूदान बोर्ड की भूमि के 30 प्रकरण एवं वन विभाग को आबंटन होने से 3 प्रकरण लम्बित हैं। इस की सूची परिशिष्ट ''च'' संलग्न है तथा शेष 44 प्रकरण अन्य कारणों से विचाराधीन हैं।

(6) राज्य सरकार ने उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिनांक 31.3.2007 तक की समय सीमा तय ही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सिवाना (बाड़मेर) में विद्युत सुधार कार्यकम

32. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विद्युत सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सुधार कार्यक्रमों के तहत जी.एस.एस. इन्द्राणा, धारणा की क्या प्रगति है और जी.एस.एस. लाखेटा हेमावास (सेला) एवं दाखा सिणधरी आदि का निर्माण कब सम्भावित है ? ईटवाया जी.एस.एस. पर 3.15 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह सही है कि मैन पावर की विद्युत क्षेत्र में उपलब्धता कम है ? यदि हां, तो सिवाना क्षेत्र की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना कनिष्ठ अभियन्ता के अन्तर्गत 11 जी.एस.एस. हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पादरु में एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजन कर यह भार कम करने का विचार रखती है जिससे निरीक्षण एवं अवलम्बन सुचारू रूप से हो सके ? व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्यक्रम के तहत सिवाना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के 11 के.वी. के 83 फीडरों को सुधार कार्य में सम्मिलित किया गया है। फीडरवार चल रहे सुधार कार्यक्रम का विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अधीन ग्राम इन्द्राणा, धारणा, लाखेटा हेमावास (सेला) एवं धाखा (सिणधरी) में 33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कार्य सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

डिस्कॉम में 33 के.वी. सब-स्टेशन एवं 11 के.वी. फीडर पर चल रहे लोड का अवलोकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी रुप से साध्य लोड होने पर नये 33 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण या क्षमता वृद्धि स्वत: जारी कर दी जाती है। इसी क्रम में इन्द्राणा, धारणा, लाखेटा हेमावास (सेला) के सम्बन्ध में साध्यता जांच करवायी जा रही है। ग्राम इटवाया में स्थापित 33 के.वी. जी.एस.एस. से वर्तमान में 11 के.वी. के 3 फीडर निकल रहे हैं जिनकी कुल डी.टी.सी. 5522 के.वी.ए. है। सब-स्टेशन पर स्थापित 3.15 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में सुचारु रूप से ब्लॉकवार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अत: वर्ममान में उक्त सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि की तकनीकी आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां। जोधपुर विद्युत निगम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में मैनपावर की कमी है। सिवाना उपखण्ड के अधीन तकनीकी कार्य संवर्ग में 57 कर्मचारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग में 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। कार्यभार के अनुसार उपखण्ड के अधीन स्टाफ की कमी है परन्तु मस्टर रोल पर रख कर कार्य ठेके पर दिये जाकर कार्य पूर्ण करवाये जा रहे हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कनिष्ठ अभियन्ता के अधीन 11, 33/11 के.वी. सब-स्टेशन हैं। निगम गठन के पश्चात विभिन्न

(ऊर्जा मंत्री)

कार्यों का आकलन कर नये कार्यालय सृजित करना एवं अनुपयोगी कार्यालय को समाप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। जिसके तहत प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्यालय बनाये या शिफ्ट किये जाते हैं। पादरू में कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजन पूरे बाड़मेर जिले में समग्र रुप से कार्यभार की समीक्षा/आंकलन के पश्चात ही संसाधनों की उपलब्धता पर किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के सड़क रहित ग्राम

33. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं ? शेष गांवों को सरकार कब तक व किस योजना में सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में इटावा से कंवरपुरा, लूनियावास से पचार, रामपुरा से पचार, बधाल से खाटूश्यामजी, बधाल से दादिया, बासड़ी कलां से रायथल तक सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के जो गांव डामर सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं, उनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। सूची में वर्णित 26 गांवों में से 10 गांवों को 15.08.2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है शेष 16 गांव जिनकी जनसंख्या 500 (2001) से कम है, को वर्तमान में जोड़े जाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) इटावा से कंवरपुरा के मध्य डामर सड़क बनी हुई है। लुनियांवास से पचार तक सड़क कार्य स्वीकृत है एवं प्रगति पर है, जो दिनांक 30.4.2007 तक पूर्ण होना सम्भावित है। रामपुरा से पचार, बधाल से खाटूश्यामजी, बधाल से दादिया एवं बासड़ी कलां से रायथल के मिसिंग लिंक सड़क बनाने की वर्तमान में कोई स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। इनका निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट "अ"

फुलेरा के बिना डामर सड़क से जुडे हुए गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	आबादी	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	5	6
1.	दीपपुरा	720	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क	पैकेज नं. आर.जे.-16-37 पी.एम.जी.एस. वाई. में कार्य प्रगति पर।
2.	प्रेमपुरा	661	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क	उपरोक्त
3.	आईदान का बास	573	ग्रेवल सड़क	पैकेज नं. आर.जे.-16-69 पी.एम.जी.एस.वाई. में कार्य प्रगति पर।
4.	गुमानपुरा	553	ग्रेवल सड़क	उपरोक्त
5.	सलेदीपुरा	553	ग्रेवल सड़क	उपरोक्त
6.	श्योसिंहपुरा उर्फ गुर्जरों की बास	551	ग्रेवल सड़क	उपरोक्त
7.	बाजीयों का बास	548	ग्रेवल सड़क	उपरोक्त
8.	प्रतापपुरा	543	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क	पैकेज नं. आर.जे.-16-70 पी.एम.जी.एस.वाई. में कार्य प्रगति पर।
9.	जगमालपुरा	521	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क	उपरोक्त
10.	कुचिया का बास	516	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क	उपरोक्त
11.	तुर्कियावास	464	कच्चा रास्ता	कोई स्वीकृति नहीं है।
12.	सांखला का बास	451	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
13.	बिजराणिया का बास	420	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
14.	चारणवास	394	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
15.	बागड़ों का बास	281	कच्चा रास्ता	उपरोक्त

1	2	3	4	5
16.	रामसिंह का बास	222	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
17.	सायपुरा	216	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
18.	सांलगरामपुरा	211	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
19.	गिदा का बास	200	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
20.	चारणवास	166	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
21.	समदड़ी	153	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
22.	रूपसी का बास	136	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
23.	मनोहरपुरा	118	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
24.	चक जोबनेर	98	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
25.	शम्भूपुरा	96	कच्चा रास्ता	उपरोक्त
26.	सिंहपुरी	89	कच्चा रास्ता	उपरोक्त

नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

34. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य से बाहर की नजूल सम्पत्तियों का सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण के लिये कोई नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण फार्मूले में परिवर्तन हेतु कोई कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो कमेटी की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण के लिये बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? अब रिपोर्ट पर कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु जो नियम बने हुए हैं उन नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सर्वे रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

राज्य के चिकित्सालयों में विशेष श्रेणी के मरीजों की नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था

36. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में जनहित में विशेष श्रेणी के मरीजों की नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणीवार विवरण क्या है ?

(2) क्या यह सुविधा चुनिन्दा चिकित्सालयों तक सीमित है अथवा राज्य के सभी चिकित्सालयों पर उपलब्ध है ?

(3) क्या इस हेतु इन चिकित्सालयों को जांच व दवाइयों आदि हेतु राशिगत व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्डधारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों, पेंशनर्स, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों, लावारिश मरीजों, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों, कैदियों, आस्था योजना के अन्तर्गत एक ही परिवार के दो या दो से अधिक शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथालयों में जो अनाथ बच्चे रह रहे हैं उनको तथा राजकीय मूक-बधिर, मंदबुद्धि विद्यालयों या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मूक-बधिर व मंदबुद्धि बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क चिकित्सा एवं जांच की सुविधा दी जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) राज्य के सभी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क चिकित्सा एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है।

(3) जी हां। मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए विभाग को जो नियमित बजट उपलब्ध होता है, उससे क्रय की गई दवाइयों में से प्राथमिकता के आधार पर विशेष श्रेणी के मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं तथा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा आय का 25 प्रतिशत विशेष श्रेणी के मरीजों की चिकित्सा एवं जांच सुविधा पर व्यय किया जाता है।

बांदीकुई में नवीन राजस्व ग्राम

37. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने राजस्व गांव हैं व उनकी आबादी जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर कितनी-कितनी है ?

(2) ढाणियों को नये राजस्व ग्राम बनाने के मानदण्ड क्या हैं? विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ऐसी कितनी ढाणियां हैं जो नये राजस्व ग्राम बनने के मानदण्डों को पूरा करती हैं ? उन ढाणियों को सरकार कब तक नये राजस्व ग्राम बनाने का विचार रखती है ? नाम व जनसंख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 213 राजस्व गांव हैं जिनकी आबादी जनगणना 2001 के आधार पर संलग्न सूची परिशिष्ट ''क'' में अंकित है।

(2) निर्धारित मापदण्डानुसार किसी मजरे/ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के लिए उस मजरे/ढाणी की सामान्य क्षेत्र में आबादी 250 तथा रेगिस्तानी/पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी 200 से कम न हो तथा इनके राजस्व ग्राम बनने के बाद सम्बन्धित मूल राजस्व ग्राम की आबादी भी 250 से कम न रहे।

निर्धारित मापदण्ड पूरा करने वाली 16 ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव में वर्तमान में राजस्व मण्डल, अजमेर में परीक्षणाधीन है। सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

बांदीकुई में स्थित राजस्व ग्राम एवं उनकी जनसंख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	जनसंख्या (2001)	क्र.सं.	नाम ग्राम	जनसंख्या (2001)
1.	बसवा	16153	21.	बिशनपुरा	246
2.	झाझीरामपुरा	525	22.	बाढ़ बिशनपुरा	416
3.	सबडावली	1029	23.	आलका बास	11
4.	उपरेडा	402	24.	धपावन कलां	549
5.	कालेड	989	25.	नारायणपुरा	867
6.	जयसिंहपुरा	439	26.	पीपली का बास	228
7.	घाटी दीपपुरा	02	27.	सहजपुरा	गै.आ.
8.	मेहतानी	98	28.	पंडितपुरा	2990
9.	गुल्लाना	2777	29.	बासड़ा ब्रहाम्णन	310
10.	जयपुरा	1252	30.	हरनाथपुरा	291
11.	गिरधरपुरा	712	31.	आनन्दपुरा	607
12.	पाड़ला	593	32.	चक आनन्दपुरा	गै.आ.
13.	देवाड़ा	346	33.	बनापुरा	366
14.	कुकरवाड़ी	158	34.	केसरीसिंहपुरा	1130
15.	करनावर	2707	35.	झूपड़ी पैसारण	350
16.	फूलेला	1098	36.	गुढाकटला	3956
17.	चीमापुरा	283	37.	मुही	1939
18.	अगावली	559	38.	खूंट जाटोली	563
19.	रामपुरिया का बास	237	39.	दिलावरपुरा	622
20.	कौलाना	2362	40.	राजवास	170

1	2	3	1	2	3
41.	चान्देरा	751	63.	महलूनी	364
42.	रेडिया	1375	64.	काटरवाड़ा	920
43.	चौबीडीवाला	705	65.	थलाका बास	225
44.	दुडकी	490	66.	चक रैवासा	225
45.	जगसोली	204	67.	गढलिया	2650
46.	कोलेश्वर खुर्द	369	68.	बास गढलिया	1024
47.	उरवाड़ी	433	69.	गादरवाड़ा ब्राह्मणान	643
48.	ढोलका	482	70.	भांवता	1661
49.	टाटिया थैलावास	364	71.	भांवती	928
50.	श्यामपुरा	605	72.	बगडेडा	745
51.	गाडण्डी	499	73.	कोलवा	1205
52.	ऐचेडी	1314	74.	विजयपुरा	572
53.	रेवासा	149	75.	तिगड्डा	662
54.	चैनपुरा	53	76.	भोजवाडा	927
55.	तिहाड़ा	318	77.	नयागांव	636
56.	खोहरा	193	78.	खैरिया की ढ़ाणी	975
57.	जैतपुरा	268	79.	धनावड़	2794
58.	रामबास	406	80.	ढिगारिया टप्पाकोलेश्वर	878
59.	बडियाल खुर्द	928	81.	देलाड़ी	1087
60.	धपावन खुर्द	336	82.	द्वारापुरा	1237
61.	कंवरपुरा	278	83.	सुमेलकलां	981
62.	नागवास	790	84.	सुमेल खुर्द	286

1	2	3	1	2	3
85.	खूंटला	898	108.	कुल्टी	2565
86.	मित्रावाडी	797	109.	बाड बगीची	1996
87.	भानोता	501	110.	पीचूपाडा खुर्द	2374
88.	प्रतापपुरा	2075	111.	मोनावास	582
89.	श्यामसिंहपुरा	997	112.	सोमाड़ा	1497
90.	मोराडी	958	113.	चक सोमाड़ा	161
91.	मोरडी चक-1	72	114.	पीचूपाड़ा कलां	2031
92.	मोराडी चक-2	51	115.	गुजरवास	301
93.	मोराडी चक-3	124	116.	राणी का बास	1020
94.	अरणनिया	3220	117.	नारायणपुर	703
95.	कीरतपुरा	1376	118.	साहूपाड़ा	663
96.	बांदीकुई जांगीर	11550	119.	मोतीपुरा	470
97.	भाण्डेडा	1639	120.	बडियाल कलां	2976
98.	बडाबास	2144	121.	खेड़ा	678
99.	हरिपुरा	900	122.	खेड़ी	1210
100.	ऊनबडागांव	3704	123.	डण्ड	825
101.	पामाडी	2094	124.	धाधोलाई	1528
102.	सुनगाडी	713	125.	अनन्तवाड़ा	1633
103.	श्यालावास खुर्द	4486	126.	सोढाला	1138
104.	मुकरपुरा	1788	127.	झूपडीन	876
105.	आशापुरा	2052	128.	रामपुरा गुजरान	364
106.	बाडबिच्छी	147	129.	बासडा	721
107.	श्यालावास कलां	1122	130.	रलावता	1573

1	2	3	1	2	3
131.	रूपबास	824	154.	सूमेल	169
132.	कठनाडी	451	155.	जैतलवाड़ी	103
133.	मोटूका	1359	156.	हाण्डली	455
134.	मूड़घीस्या	939	157.	गारवाड़ा गुजरान	994
135.	उदेरवाड़ा	197	158.	चांदनवास	456
136.	चोरवाड़ा	767	159.	भांवरा	95
137.	मेडी	792	160.	नानगवाडा ब्राह्मणान	245
138.	गुढ दुब्बी	306	161.	रामपुरा	773
139.	नानगवाड़ा गुजरान	273	162.	पून्दरपाड़ा	1997
140.	बैसला का बास	633	163.	रानापाड़ा	2127
141.	तूगड का बास	532	164.	मीनापाड़ा	1223
142.	चमारों का बास	455	165.	खैरपुर	528
143.	गढमेडी की ढ़ाणी	572	166.	जलालपुर	484
144.	खारी की झोपड़ी	386	167.	खालारामसिंहपुरा	95
145.	महू खुर्द	1067	168.	आभानेरी	1424
146.	महु खेड़ा	825	169.	ढाणी हरिजन	695
147.	महु कला	443	170.	झाज्या का बास	1268
148.	पातरखेड़ा	814	171.	जस्सापाड़ा	1180
149.	कानेटी	247	172.	शेखपुरा	601
150.	ढिगरिया	354	173.	तूरवाडा	385
151.	चापावास	10	174.	बिवाई	2065
152.	ढिगारिया भीम	1377	175.	बास बिवाई	1783
153.	ढिगारिया कपूर	1504	176.	चक बिवाई	392

1	2	3	1	2	3
177.	गुढा आशिकपुरा	990	196.	किशनपुरा	1096
178.	कौटवालों का बास	608	197.	गोलाडा	3043
179.	सोनाडी	206	198.	मालीवास	649
180.	नूरपुर	753	199.	करिरिया	472
181.	भेदाडीगुजरान	937	200.	सीमला	257
182.	पापडाकी	579	201.	बूजूपाड़ा	1699
183.	राजाहेड़ा	504	202.	झूथाहेड़ा खुर्द	1019
184.	नागलझामरवाड़ा	1117	203.	झूथाहेड़ा कलां	1112
185.	दुब्बी	975	204.	कोठीन	722
186.	सुथारनपाड़ा	1390	205.	कंचनपुरा	816
187.	निहालपुरा	1946	206.	लोटवाड़ा	4091
188.	बेदाडीमीनान	717	207.	नांगल	1513
189.	आलियापाड़ा	631	208.	बालाहेड़ा	2133
190.	ठिकरिया	781	209.	बडाबास	1071
191.	नन्देरा	3864	210.	अलीपुर	2073
192.	किशोरपुरा	380	211.	कांकरवास	373
193.	लीलोज	608	212.	बावडीखेड़ा	1650
194.	भट्पुरा	401	213.	हिंगोटा	3348
195.	लीलोज का गोला	827			

जिला कलक्टर (मु.अ.)
दौसा

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

बांदीकुई में ऐसी ढाणियां जो राजस्व ग्राम बनने के मापदण्डों को पूरा करती हैं, की सूची

क्र.सं.	मूल गांव का नाम	प्रस्तावित नवीन ग्राम का नाम	जनसंख्या
1.	बसवा	सेवरा की ढाणी	350
2.	बसवा	ध्यावण की ढाणी	400
3.	बसवा	जावली का बाढ़	600
4.	बसवा	भोपान की ढाणी	800
5.	बसवा	झर वालों की ढाणी	600
6.	ऊन बडागांव	कांच की ढाणी	285
7.	ऊन बडागांव	कलाली का बास	275
8.	प्रतापुरा	अक्षय पुरी	1200
9.	धनावड़	ढाणी चौलालान	600
10.	अलीपुर	ढ़ेर की ढाणी	410
11.	खूंटला	खूंटला का बास	275
12.	नांगल	नाई मीणाओं का बास	265
13.	लोटवाड़ा	बडाबास	970
14.	गुल्लाना	झूंपड़ी मीणान्	419
15.	रहडिया	सिद्ध बाबा का गुवाड़ा (बड़ा गुवाड़ा)	400
16.	सोमाड़ा	बडवाली	707

नोट :- पूर्व में ग्राम मेढ़ी में से पून्या वाली ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन ग्राम बनाने के प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पूर्व विधायकों को सर्किट/राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा

29. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व विधायकों को दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस एवं प्रदेश के सर्किट हाउसों में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सुविधा कितने दिनों के लिए किस दर पर उपलब्ध होगh ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) फिलहाल उक्त सुविधा देय नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-30

(स्थगित)

नादौती तहसील में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय की स्थापना

31. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की तहसील नादौती में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने की मांग लम्बे समय से चल रही है एवं इस हेतु वहां की जनता ने समय-समय पर धरने भी दिये हैं ?

(2) क्या सरकार तहसील नादौती में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) फिलहाल राज्य में नये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सृजित करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जब विचार किया जायेगा तब इस प्रस्ताव पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

पाली नगर परिषद की साधारण सभा की बैठकें

32. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही का विवरण कितने समय में पार्षदों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ?

(2) नगर परिषद पाली मे दिसम्बर, 2004 से अब तक हुई साधारण सभा की कार्यवाही का विवरण किस-किस पार्षद को कब-कब उपलब्ध कराया गया ? बैठकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि कार्यवाही का विवरण निश्चित समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसके लिये कौन जिम्मेवार है एवं क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम, 1974 के नियम 14(2) में बैठक का कार्यवाही विवरण, बैठक के सात दिवस की अवधि के भीतर शहरी निकायों के सदस्यों को भिजवाये जाने का प्रावधान है।

(2) नगर परिषद, पाली में दिसम्बर, 2004 से अब तक हुई साधारण सभा की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रेषित किया गया :-

क्र.सं.	बैठक दिनांक	कार्यवाही विवरण जारी करने की दिनांक
1.	05.03.2005	11.03.2005
2.	07.05.2005	13.05.2005
3.	23.09.2005	30.09.2005
4.	24.12.2005	31.12.2005
5.	25.02.2006	03.03.2006
6.	15.07.2006	21.07.2006
7.	23.12.2006	30.12.2006

किस-किस पार्षद को कब-कब कार्यवाही विवरण प्राप्त हुआ, पार्षदवार/बैठकवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) कार्यवाही विवरण निश्चित समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने के मामले की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र समुचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	नाम पार्षद	बैठक कार्यवाही विवरण प्राप्ती प्रपत्र पर विवरण प्राप्ती तिथी का अंकन						
		05.03.2005	**07.05.2005**	**23.09.2005**	**24.12.2005**	**25.02.2006**	**15.07.2006**	**23.12.2006**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्रीमती मधु बोहरा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
2.	श्री पुरूषोत्तम गौड़	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
3.	श्रीमती दरिया देवी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
4.	श्री श्याम बंजारा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
5.	श्रीमती कमला सोलंकी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
6.	श्रीमती मीना प्रितमानी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	28.08.2006	अंकन नहीं
7.	श्री मंगलाराम चौधरी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
8.	श्री अंबालाल	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
9.	श्री रतनलाल उद्देश	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
10.	श्री देवीलाल	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
11.	श्री प्रदीप हींगड़, सभापति	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री विनय कुमार भंसाली	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
13.	श्री मो. सलीम खिलेरी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
14.	सुश्री परवीन	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
15.	श्री मोटूभाई	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	28.08.2006	अंकन नहीं
16.	श्रीमती अणसाई	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
17.	श्री जीवराज चौहान	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
18.	श्रीमती शान्ती मीणा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	14.12.2005	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
19.	श्री सोहनलाल कवाड	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
20.	श्रीमती ताहीरा बानो	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
21.	श्री दिलीप कोठारी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
22.	श्री महेन्द्र बोहरा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
23.	श्रीमती जरीना बानो	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
24.	श्री मेहबूब भाई	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	श्रीमती शमीम मोतीवाला	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
26.	सुश्री प्रतीभा भण्डारी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
27.	श्री कमल अग्रवाल	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
28.	श्री राकेश भाटी, उप सभापति	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
29.	श्रीमती पार्वती मौर्य	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
30.	श्रीमती अरुणा लोढ़ा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
31.	श्री सुरेश लश्करी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
32.	श्री घनश्याम दमामी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
33.	श्री सुरेश चौधरी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
34.	श्री जयचंद सांखला	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
35.	श्री गणेशराम	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
36.	श्री किशन तुनगारिया	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
37.	श्री मूलसिंह भाटी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	श्रीमती दरिया देवी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
39.	श्रीमती प्रेम कंवर	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
40.	श्रीमती कुमुद कंवर	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
41.	श्री मूलचन्द गुलेच्छा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
42.	श्री ओमप्रकाश औझा	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
43.	श्री भंवरलाल राव	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
44.	श्री शिवलाल सोलंकी	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
45.	श्री पद्मसिंह राणावत	अंकन नहीं	अंकन नहीं	02.10.2005	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
46.	श्री पुष्प जैन, पदेन सदस्य	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
47.	श्री ज्ञानचन्द पारख, पदेन सदस्य	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
48.	श्री मदन राठौड़, पदेन सदस्य	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
49.	श्रीमती कुसुम सोनी, सहवृत सदस्य	-	-	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
50.	श्री शिवप्रकाश प्रजापत, सहवृत सदस्य	-	-	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं
51.	श्री बाबूलाल आर्य, सहवृत सदस्य	-	-	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं	अंकन नहीं

अतारांकित प्रश्न संख्या-33
(स्थगित)

ज्योतिबा फूले सर्किल, जयपुर पर निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारतें

34. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के सहकार भवन स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल के पास वर्ष 2006-07 में कौन-कौनसी बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हुआ या हो रहा है? ये इमारतें किसकी अनुमति से, किस व्यक्ति अथवा एजेन्सी द्वारा बनवाई जा रही हैं ? निर्माण की अनुमति किन-किन शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गई है? शर्तों के विवरण सहित अनुमति-पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बहुमंजिला इमारतों का निर्माण निर्धारित शर्तों के अनुसार हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन इमारतों के कुछ हिस्सों का निर्माण निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इन इमारतों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ज्योतिबा फूले सर्किल के पास सन् 2006-07 में निम्नांकित दो बहुमंजिला इमारतों का निर्माण चल रहा है :-

1. भूखण्ड संख्या 2 राजमहल पैलेस सरदार पटेल मार्ग (क्रिस्टल पाम)

क्रिस्टल पाम की अनुमति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक जविप्रा/स.श./बी.पी.सी./2005/डी-684 दिनांक 23.08.2005 द्वारा किया गया। इस भवन का निर्माण श्री धीरेन्द्र मदान, निदेशक, जयपुर नींड निर्माण प्रा. लि., ए-9, गोविन्द मार्ग, राजापार्क द्वारा किया जा रहा है। निर्माण की अनुमति भवन विनियम 2000 के तहत दी गई है। अनुमति पत्र की प्रति परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है।

2. एम.जे.एफ. माल

भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 व 4 के पुर्नगठित भूखण्ड पर विष्णु अपार्टमेन्ट, (एम.जे.एफ. मॉल) की अनुमति जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/स.श./बी.पी.सी./2005/डी-680 दिनांक 23.08.2005 एवं डी-910 दिनांक 16.10.2006 द्वारा निदेशक, विष्णु अपार्टमेन्ट प्रा.लि. भूखण्ड

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

संख्या 1, नेहरू सहकार भवन के सामने, सरदार पटेल मार्ग, बाइस गोदाम को दी गई है। निर्माण की अनुमति भवन विनियम 1996 के तहत दी गई है। अनुमति पत्र की प्रति परिशिष्ट-''2'' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त बहुमंजिला इमारतों के अनुमोदित मानचित्र एवं निर्माण में अन्तर पाया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निम्नानुसार निर्माण पाया गया है :-

क्रिस्टल पाम

(अ) क्रिस्टल पॉम के प्रथम बेसमेन्ट एवं द्वितीय बेसमेन्ट में सैटबेक में अंश अस्वीकृत मार्ग पर छत डालकर निर्माण कर लिया गया है।

(ब) भूतल, चतुर्थ तल व पंचम तल पर जो कट आउट अनुमोदित थे, उन्हें छत डालकर कवर कर लिया गया है।

एम.जे.एफ. माल

(अ) बेसमेन्ट में कुछ भाग जहां स्कूटर पार्किंग अनुमोदित थी, उसे सर्विसेज के काम में लिया जा रहा है।

(ब) मेजीनाइन बेसमेन्ट में जो कट आउट अनुमोदित थे, उन्हें कवर कर लिया गया है। साथ ही कुछ भाग में व्यवसायिक अनुमोदन था, वह सर्विसेज में कवर कर लिया गया है।

उपरोक्त बहुमंजिला इमारतों में अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण में अन्तर पाये जाने पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 32, 33 के नोटिस जारी किये गये हैं। नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/स.स./बीपीसी/2005/डी-684 से डी-687 तक दिनांक 23.8.2005

श्री धमेन्द्र मदान
निदेशक
फार जयपुर नीड़ निर्माण प्रा. लि.
एफ-9, गोविन्द मार्ग
राजापार्क पेट्रोल पम्प के सामने, जयपुर

विषय : भूखण्ड संख्या : 2, राजमहल पैलेस योजना में मल्टीप्लैक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 26.3.2004 के संदर्भ में भवन निर्माण, पुन: निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या:2 योजना राजमहल पैलेस योजना, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति-द्वितीय में दिनांक 15.6.2004 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है।

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक .... माह जुलाई वर्ष 2008 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षूतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र से सूचना प्रस्तुत करेगा। इसी तरह सूचना प्लिन्थ लेविल तक निर्माण किये जाने पर भी प्रस्तुत की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतक सीमा एवं

विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

6. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।

7. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत व्यावसायिक इकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

8. उपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

11. स्वीकृत मानचित्र की प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।

12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रुप से दर्शाने होंगे।

13. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामे अनुसार भवन निर्मित होने पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।

भवदीय

ह./-

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट-2

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी-910 से डी-913 तक दिनांक 16.10.2006

निदेशक

विष्णु अपार्टमेन्ट प्रा.लि.

भूखण्ड संख्या-1, नेहरू सहकार भवन के सामने,

सरदार पटेल मार्ग, बाइस गोदाम

जयपुर।

विषय : पुनर्गठित भूखण्ड संख्या- 1, 2, 3 व 4 भवानी सिंह रोड़, सी स्कीम, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 12-5-2006 के संदर्भ में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या – 1, 2, 3 व 4 भवानीसिंह रोड़, सी स्कीम, जयपुर के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 05-07-06 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है :-

1. यह भवन अनुज्ञा माह सितम्बर वर्ष 2009 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षूतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र से सूचना प्रस्तुत करेगा। इसी तरह सूचना प्लिन्थ लेविल तक निर्माण किये जाने पर भी प्रस्तुत की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतक सीमा एवं

विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

6. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।

7. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत व्यावसायिक इकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

8. उपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

11. स्वीकृत मानचित्र की प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।

12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रुप से दर्शाने होंगे।

13. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामे अनुसार भवन निर्मित होने पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।

14. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु नि:शुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगाया जावें।

भवदीय

ह/-

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जाटव समाज के छात्रावास हेतु जयपुर शहर में भू-खण्ड आबंटन

35. श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार के द्वारा जयपुर में जनवरी, 2004 से अब तक रिजर्व प्राइज या नि:शुल्क भूमि किस-किस संस्था को किस-किस काम के लिए दी गई ? संस्था का नाम, वर्ष, कितनी भूमि तथा किस नियम के तहत आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऑल राजस्थान युवा जाटव महासभा द्वारा निर्धारित फार्म में, सामुदायिक भवन और छात्रावास हेतु जयपुर में भू-आबंटित करने के लिए फार्म जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त फार्म पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्य समाजों की तरह जाटव समाज को जयपुर शहर में सामुदायिक भवन और छात्रावास हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक संस्थाओं को जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल द्वारा की गई भू-आबंटन का विवरण परिशष्ट- ''अ'' ''ब'' व ''स'' पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को भूमि का आबंटन राजस्थान भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है एवं आवासन मण्डल द्वारा परिशिष्ट- ''द'' पर संलग्न कार्यालय आदेश के अनुरूप भूखण्ड का आबंटन किया गया है।

(2) जी हां। अखिल राजस्थान युवा जाटव महासभा द्वारा निर्धारित फार्म में, सामुदायिक भवन और छात्रावास हेतु जयपुर में भूमि आबंटन करने के लिए फार्म जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराया गया है। संस्था को 2000 वर्गमीटर भूमि आबंटन हेतु प्रकरण विचाराधीन है। आबंटित की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन, डिमार्केशन, प्लानिंग कार्य, चिन्हिकरण की कार्यवाही चल रही है।

(3) जाटव समाज को सामुदायिक भवन और छात्रावास हेतु भू-आबंटन हेतु खण्ड-2 के उत्तर अनुसार प्रक्रिया विचाराधीन चल रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना जयपुर का नियमन

36. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना की 90-बी की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो कब व इस योजना का प्रोपराइटर कौन था ?

(2) उक्त योजना कितने बीघा भूमि पर बनाई गई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के नक्शे कब जारी किये गये ?

(3) उक्त योजना में कुल कितने सदस्य हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया ? क्या विकासकर्ता ने सभी सदस्यों की सूची जयपुर विकास प्राधिकरण को सौंप दी है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना से प्रभावित समस्त सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना अथवा प्रोपराइटर का नाम हस्तान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं किस नाम से एवं किसके आदेशों से? क्या जयपुर विकास प्राधिकरण इसके लिये सक्षम है ?

(6) विकासकर्ता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में अब तक कुल कितनी राशि एवं किस मद में जमा करवाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण तालिका अनुसार परिशिष्ट-''1'' पर संलग्न है। योजना के प्रोपराइटर के सम्बन्ध में रिकार्ड अनुसार स्थिति यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एस.टी.पी./सीपी.पी/2000/डी-145 दिनांक 08.11.2000 को जारी एन.ओ.सी. प्रो. यूनाइटेड कार्पोरेशन के नाम भूमि क्रय करने के लिए कुछ शर्तों के साथ की गई है परन्तु इसके प्रो. का नाम अंकित नहीं है। तत्पश्चात श्री विनय चोरडिया पार्टनर तथा कमलेन्द्र सिंह कुडकी पार्टनर ने अपने पत्र दिनांक 26.12.2000 से श्री विनय चोरडिया एवं श्री कमलेन्द्र सिंह ने बतौर पार्टनर आवेदन किया था। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र संख्या 03 संयुक्त रूप से 26.12.2003 को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा यूनाइटेड टाउनशिप के लेटर हैड पर प्राधिकरण को प्रस्तुत पत्र दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

30.11.2000 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा कि संस्था दिनांक 29.11.2000 से पूर्व प्रो. फर्म थी एवं दिनांक 29.11.2000 से श्री विनय चोरडिया एवं श्री कमलेन्द्र सिंह कुडकी दो पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी। प्राधिकरण के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जविप्रा/2000/03/77 दिनांक 13.4.2000 द्वारा मै. यूनाइटेड टाउनशिप कार्पोरेशन के नाम पंजीकरण किया गया है एवं रजिस्ट्रेशन पत्र में प्रो. नहीं लिखा गया है। तत्पश्चात प्राधिकरण को दिनांक 18.01.2005 को श्री कमलेन्द्र सिंह कुडकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार 01.08.2002 से मै. यूनाइटेड टाउनशिप कार्पोरेशन चोरडिया बिल्ड कोन की एक यूनिट हो गई है। दिनांक 18.01.2005 को श्री कमलेन्द्र सिंह कुडकी द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय पार्टनरशिप डिजोलेशन डीड दिनांक 01.08.2002 व डीड दिनांक 26.11.2004 को प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत हुआ, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि पूर्व साझेदारी विलेख दिनांक 29.11.2000 व दिनांक 01.10.2001 द्वारा गठित साझेदारी फर्म विघटित कर दी गई है एवं अब यह फर्म मै. यूनाइटेड टाउनशिप कॉर्पोरेशन दिनांक 01.08.2002 से मै. चोरडिया बिल्कोम प्रा.लि. की एक यूनिट हो गई है तथा श्री कुडकी ने सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त कर अपने आप को इस फर्म से हटा लिया है एवं मै. यूनाइटेड टाउनशिप कॉर्पोरेशन के सभी अधिकार, नियंत्रण पूर्ण रुप से मै. चोरडिया बिल्डकोन के हो गये है। इस आशय की सूचना श्री कमलेन्द्र कुडकी द्वारा समाचार-पत्र में भी दिनांक 03.12.2004 को प्रकाशित करा दी गई। तत्पश्चात श्री कमलेन्द्र कुडकी द्वारा योजना का स्वामित्व स्वयं का बताते हुए अपाति प्रस्तुत की गयी, जबकि श्री विनय चोरडिया द्वारा यूनाइटेड टाउनशिप कार्पोरेशन स्वयं का स्वामित्व बताया गयी है। तत्पश्चात स्वामित्व सम्बन्धी विधिक राय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिवक्ता को पत्रावली भेजी गई। अधिवक्ता से राय प्राप्त होने पर प्राधिकरण के विधिक प्रकोष्ठ में पत्रावली इस बाबत परीक्षणाधीन है।

(2) उक्त योजना 103 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर बनायी गयी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बी.पी.सी. (एल.पी.) की 42वीं बैठक दिनांक 22.11.2002 में योजना संशोधित कर जारी की गयी।

(3) योजना के सदस्यों के कुल संख्या व उनके रजिस्ट्रेशन किये जाने का विषय विकासकर्ता से सम्बन्धित है। विकासकर्ता द्वारा सौंपी गयी सदस्यों की सूची सम्पूर्ण है अथवा आंशिक है यह प्रश्न भी निजी विकासकर्ता से सम्बधित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(4) निजी क्षेत्र की किसी भी आवासीय योजना के सदस्यों की शिकायतों के निवारण का क्षेत्र प्राथमिक रूप से निजी विकासकर्ता का ही है। निजी क्षेत्र का विषय होने के कारण सदस्यों को विकासकर्ता के साथ विवाद होने की स्थिति में अपने व्यक्तिगत व संविदागत अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विधिक अधिकार प्राप्त है। जविप्रा द्वारा सम्पूर्ण योजना के स्वामित्व के सम्बन्ध में निजी विकासकर्ता के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर विधिक राय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिवक्ता को राय हेतु भेजी गयी। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिवक्ता से राय प्राप्त होने पर पत्रावली जयपुर विकास प्राधिकरण के विधिक प्रकोष्ठ में इस बाबत परीक्षणाधीन है।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर योजना का नाम हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। यह निजी विकासकर्ता के स्वविवेक पर निर्भर है। प्रश्न के इस खण्ड के शेष भाग का उत्तर खण्ड 1 के अनुसार है।

(6) विकासकर्ता यूनाइटेड टाउनशिप कार्पोरेशन द्वारा जेडीए से अब तक कुल रुपये 47,07,441.00 की राशि रूपान्तरण के मद मे जरिये चैक व रुपये 7,12,000.00 विकास शुल्क के मद में जरिए चैक जमा कराये गये हैं।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्ताकलय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाओं का भू-उपयोग परिवर्तन

37. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 2005 से जुलाई, 2006 तक किन-किन योजनाओं की 90-बी की कार्यवाही की गई एवं उक्त योजनाएं कितने-कितने बीघा की थी तथा कुल कितने बीघा जमीन की 90-बी की कार्यवाही की गई ? मय तिथि विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 90-बी की कार्यवाही की जाने वाली योजनाओं का मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय था ? यदि नहीं, तो 90-बी की कार्यवाही किन नियमों के तहत एवं किसके आदेशों से की गई ?

(3) 90-बी की कार्यवाही होने के पश्चात किन-किन योजनाओं का नाम हस्तान्तरण किया गया अथवा मालिक बदले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त कार्यवाही किन नियमों के तहत की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 2005 से जुलाई, 2006 तक कुल 248 योजनाओं की 90-बी की कार्यवाही की गई है। जोनवार सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। 90-बी की गई योजनाओं में 125 योजनाओं का भू-उपयोग आवासीय था। 90-बी की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी में वर्णित प्रावधानों के तहत एवं सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात ही की जाती है।

(3) 90-बी की कार्यवाही होने के पश्चात किसी भी योजना में नाम हस्तान्तरण अथवा मालिक बदलने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

टोंक रोड, जयपुर के सौन्दर्यकरण पर व्यय

38. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक रोड के सौन्दर्यकरण के तहत वर्ष 2006 व 2007 में टोंक रोड पर कितने पौधे कहां से कहां तक लगाये गये कुल कितने पौधे लगाये गये व प्रत्येक पौधे की किस्म क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि टोंक रोड पर 500 रुपये प्रति पौधे से अधिक राशि के पौधे भी लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी किस्म के एवं पौधे कहां से मंगवाये गये ?

(3) उक्त कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है एवं कौनसी फर्म द्वारा उक्त कार्य करवाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में भी किसी सड़क पर 500 रुपये प्रति पौधे से अधिक राशि के पौधे लगाये गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उनमें से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ?

उत्तर

(1) टोंक रोड के सौन्दर्यकरण के तहत वर्ष 2006 एवं जनवरी, 2007 तक कुल 24768 पौधे रामबाग सर्किल से सांगानेर फ्लाई ओवर तक लगाये जा चुके हैं। रामबाग सर्किल से अजमेरी गेट तक में पौधारोपण कार्य प्रगति पर है। जनवरी, 2007 तक कुल 24768 पौधे लगाये जा चुके हैं। लगाये गये पौधों

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

की किस्म निम्नलिखितानुसार है-केसिरया, फ्लोरा, हिबिकस बेबी वाइज, हिबिकस एलीप्री ब्यूटी, हमेलिया पेन्टास, टिकोमा, कैप्नसिसि, लेनटेना डिप्रेसा, थिवेटिया, पोरोवियाना, नेरियम ड्राफ, रेड फाउन्टेन, फाइकस पाण्डा, गोल्डन दुरन्टा, टूबिबिया रोयसा, फाइकस ब्लैक प्रिन्स, फाइकस नूड़ा, फाइकस स्टार लाईट, फाइकस बेन्जामिना, रोस्टोनिया वेनेजुलेना, फोनिक्स रूबिनीली, वांशिगटोनिया फिलीफेरा, फोनिक्स डेटिल्फिटेरिया, रोयस्ट्रोनिया वेनेजुएला, क्यूरोटा पॉम, लसाटानिया थीसीफेरा, फरकेरिया जेगेनटिका, साइकस रिव्यूलोटा, एलटरनेन्थरा डेनटेट रूबी, एलटरनेन्थरा अमोनिया, एलटरनेन्थरा अरूयिया, एलटरनेन्थरा वेरीगेटा, वडेलिया ट्रोलोफेट, दुरन्टा रेपेन्स ड्यू ड्राप्स तथा इनरमी।

(2) जी हां। टोंक रोड पर 500 रु. प्रति पौधे से अधिक राशि के पौधे भी लगाये गये हैं। जिनकी किस्म निम्नानुसार है- टूबिबिया रोयेसा, फाइकस ब्लैक प्रिन्स, फाइकस नूड़ा, फाइकस स्टार लाइट, फाइकस पाण्डा, फाइकस बेन्जामिना, फोनिक्स रूबिनीली, फोनिक्स डेटिल्फिटेरिया, रोयस्ट्रोनिया, वेनेजुएला, क्यूरोटा पॉम, वांशिगटोनिया फिलीफेरा, फरकेरिया जेगेन्टिया, साइकस रिवोल्यूटा। उक्त पौधे खुली निविदा आमंत्रित कर, निविदा की शर्तों के अनुसार समस्त पौधों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की गई है।

(3) उक्त कार्य हेतु जनवरी, 2007 तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 29,57,25.00 रुपये का भुगतान सम्बन्धित संवेदक को किया जा चुका है। उक्त कार्य मैसर्स एम.एन. रोजेज द्वारा किया जा रहा है।

(4) जी हां। पूर्व में भी 500 रुपये से अधिक राशि के पौधे लगाये गये है सिविल लाइन्स क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में 277 पौधे लगाये गये जो कि सभी जीवित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 में जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर 500 रुपये से अधिक राशि के पौधे लगाने के कार्यादेश दिये गये थे किन्तु संवेदक द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं शर्तों के अनुसार पौधे नहीं लगाने एवं संधारण भली प्रकार से नहीं करने के कारण, प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया तथा कार्यादेश प्रत्यहारित कर लिया गया है।

भू-खण्ड संख्या C-66 लाल कोठी स्कीम, जयपुर का नीलामी प्रकरण

39. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या यह सही है कि भू-खण्ड संख्या सी-66, लालकोठी की नीलामी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही की गई थी ? यदि हां, तो कब? भू-खण्ड कितने क्षेत्रफल व वर्गगज का था ? उच्चतम बोली किसके नाम छूटी थी ? उक्त भू-खण्ड की आरक्षित दर क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड पर अतिक्रमण था।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड पर नीलामी से पूर्व मंदिर बना हुआ था ? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भू-खण्ड को नीलामी में रखे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त भू-खण्ड पर मंदिर निर्माण कब किया गया? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) भू-खण्ड क्रेता द्वारा उक्त भू-खण्ड हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध किस तरह की क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू-खण्ड क्रेता को उक्त भू-खण्ड की एवज में किस स्थान पर भू-खण्ड दिया गया? भू-खण्ड किस क्षेत्रफल व वर्गगज का है ? दिये गये भू-खण्ड की आरक्षित दर क्या थी? उक्त भू-खण्ड कौन से उपायुक्त के अधीन है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड की नीलामी हेतु उपायुक्त द्वारा नीलामी शाखा में भेजा गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जयपुर विकास प्राधिकरण उक्त उपायुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(7) भू-खण्ड संख्या सी-66 के बदले में दिये गये भू-खण्ड का वास्तविक माप क्या था ? क्या उक्त भू-खण्ड के टुकड़े किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस आधार के एवं क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि नीलामी द्वारा विक्रय भू-खण्ड संख्या सी-66 के क्रेता को ब्याज सहित रुपये लौटाने का न्यायालय का निर्णय था ? यदि हां, तो ब्याज सहित रुपये लौटाने पर कितनी राशि देय होगी ? क्या यह सही है कि उक्त राशि दिये जाने वाले भू-खण्ड की नीलामी से प्राप्त राशि से अधिक होती ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भूखण्ड संख्या सी-66, लालकोठी की नीलामी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.12.1986 को की गई थी। भूखण्ड का क्षेत्रफल 400 वर्गगज (334.44 वर्गमीटर) था। उच्चतम बोली डा. कुशाल अग्रवाल के नाम छूटी थी। इस योजना की तत्कालीन आरक्षित दर 190/- रुपये प्रति वर्गमीटर थी।

(2) जी हां। उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण था।

(3) यह तथ्य उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। अत: अतिक्रमण के लिए जिम्मेदारी तय किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) भूखण्ड क्रेता डा. कुशाल अग्रवाल द्वारा भूखण्ड को प्राप्त करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलय अधिकरण, जयपुर के समक्ष रेफरेन्स सं. 316/2001 प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 05.11.2001 को जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध हुआ। डा. कुशाल अग्रवाल द्वारा निर्णय की पालना हेतु उक्त न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रार्थना-पत्र संख्या 605/02 प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है (न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.11.2001 व अवमानना की प्रति संलग्न परिशिष्ट-''1'' व ''2'' पर संलग्न है)।

(5) प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 31.01.2007 में भूखण्ड क्रेता को उक्त भूखण्ड के एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण की शुभम एन्क्लेव योजना में भूखण्ड संख्या-18, क्षेत्रफल 433.33 वर्गगज आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी आरक्षित दर 9000/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त भूखण्ड उपायुक्त जोन-प्रथम के अधीन है।

(6) जी हां। उक्त भूखण्ड संख्या-18 शुभम एन्क्लेव नीलामी शाखा में नीलामी हेतु उपायुक्त जोन-प्रथम द्वारा भेजा गया था। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड को 7 बार नीलामी में रखा गया लेकिन उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी बोलीदाता द्वारा बोली नहीं लगाई गई तथा भूखण्ड का विक्रय नहीं किया जा सका। उक्त प्रकरण में उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या-18 शुभम एन्क्लेव को नीलामी हेतु 7 बार रखा गया। उपायुक्त की प्रथम दृष्टया गलती नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

(7) सी-66 के बदले में दिये जाने वाले भूखण्ड संख्या-18 शुभम एन्क्लेव मूल भूखण्ड का वास्तविक माप 866.66 वर्गगज है। उक्त भूखण्ड को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय प्राधिकरण की PWC की कार्योत्तर

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

स्वीकृति के अधीन 433.33 वर्गगज के समान रूप से किये गये, क्योंकि उनवानी वाद सूरजभान बनाम फतेह मोहम्मद व अन्य 34/70 व 121/81 में दिनांक 23.05.1992 में याचिकाकर्ता को बराबर के क्षेत्रफल का दूसरा भूखण्ड आदर्श नगर क्षेत्र मे जमीन न हो तो जयपुर के पूर्ण विकसित क्षेत्र में प्रार्थी के भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर जमीन आबंटित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा की गई अपील खारिज किये जाने के फलस्वरुप तथा दिनांक 27.08.1993 को डिक्रीदार श्री सूरजभान के द्वारा इजराय प्रस्तुत करने व प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित करने के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अवमानना याचिका की पालना किये जाने हेतु एवं श्री सूरजभान के वारिसान द्वारा उक्त भूखण्ड आबंटन हेतु दी गई सहमति के आधार पर मूल भूखण्ड को आधा-आधा किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय इस हेतु भी किया गया कि दो भूखण्ड बराबर-बराबर करने पर योजना की समरूपता बनी रहेगी तथा सैट-बैक्स भी योजना के समान ही होंगे।

(8) जी हां। नीलामी द्वारा विक्रय भूखण्ड संख्या सी-66 के क्रेता को ब्याज सहित रुपये लौटाने का निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ब्याज सहित रुपये लौटाने पर कुल राशि 3,39,10,463/- रुपये होगी। जी हां। यह सही है कि उक्त राशि दिये जाने वाले भूखण्ड की नीलामी से प्राप्त राशि से अधिक होगी। शुभम एन्क्लेव योजना में अन्य भूखण्डों की नीलामी अधिकतम 12,900/- प्रति वर्गमीटर की दर से बोली छूटी है। यदि उक्त भूखण्ड संख्या 18 की नीलामी में बोली छूटती तो 12,900/- रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से उक्त भूखण्ड की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि 46,73,928/- रुपये होती। इस प्रकार भूखण्ड संख्या सी-66 के बदले न्यायालय के निर्णयानुसार ब्याज सहित लौटाई जाने वाली राशि भूखण्ड संख्या 18, शुभम एन्क्लेव की नीलामी से प्राप्त राशि से अधिक होती।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जगतपुरा रेलवे ओवर ब्रिज क्षेत्र से प्रभावित विस्थापितों का पुनर्वास

40. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. सी. पी. जोशी)

(1) जगतपुरा, जयपुर रेलवे ब्रिज का शिलान्यास कब एवं किसके द्वारा किया गया ?

(2) जगतपुरा, रेलवे ब्रिज से महल रोड़ को बदलने हेतु टूटने वाली दुकानों व मकानों का सर्वे कब करवाया गया एवं कितने लोग इससे प्रभावित हुए ?

(3) कितने लोगों की जमीन रिक्त थी एवं कितनी दुकान/मकान शिलान्यास की दिनांक तक बने हुए थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सभी दुकान/मकान जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित थे ?

(5) उक्त सभी विस्थापितों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किन-किन योजनाओं में कितने-कितने फीट चौड़ी सड़क पर दुकान/मकान किस-किस दर पर आबंटित किये गये? आबंटन हेतु क्या लॉटरी निकाली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आबंटन किस-किस दिनांक को किये गये? आबंटन की दिनांक को योजना की आरक्षित दर क्या थी एवं बाजार दर (नीलामी हेतु प्रस्तावित दर) क्या थी? सरकार को आबंटन पर कितना घाटा हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि पूर्व में भी रेलवे ओवर ब्रिज या अन्य विस्थापितों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों के चाहेनुसार आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जगह पर एवं किस दर पर ?

उत्तर

(1) जगतपुरा, जयपुर रेलवे ब्रिज का शिलान्यास दिनांक 7 अक्टूबर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से प्रतिनिधि के रूप मे माननीय राज्यमंत्री, स्वायत्त मंत्री एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा किया गया।

(2) महल रोड़ पर रेलवे ब्रिज से महल रोड़ तक की 60 मीटर चौड़ाई से प्रभावित मकानों/दुकानों का सर्वे जनवरी से अप्रैल, 2006 तक करवाया गया। जिसके अनुसार 38 मकान, जिसमें 5 बेसमेन्ट सम्मिलित हैं एवं 13 दुकानें प्रभावित होनी पाई गई हैं।

(3) रिक्त भूमि के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है। मकानों व दुकानों की सूची परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। प्रभावित क्षेत्रो में से विस्थापितों द्वारा समर्पित दुकान/मकान में से केवल 5 मकान अनुमोदित हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(5) आबंटन हेतु लाटरी नहीं निकाली गई। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.09.2006 तथा अथोरिटी के निर्णय दिनांक 18.10.2006 की अनुपालना में पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर विस्थातिपों को दिनांक 22.12.2006 से पूर्व तो जोन की आरक्षित आवासीय एवं व्यावसायिक दर क्रमश: 3300/- रुपये व 6600/- रुपये प्रति वर्गमीटर तथा दिनांक 22.12.2006 के कार्यकारी समिति प्राधिकरण की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में के निर्णय के बाद क्रमश: 2100/- रुपये तथा 4200/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्डों का आबंटन किया जा रहा है। आबंटन के समय जोन की आवासीय एवं व्यावसायिक दर क्रमश: 3300/- रुपये व 6600/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। नीलामी हेतु प्रस्तावित (बाजार दर) नीलामी के समय नीलामी हेतु गठित कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है। जगतपुरा रेलवे ब्रिज तथा 60 मीटर चौड़ी महल रोड का निर्माण कार्य जयपुर के विस्तार के मद्देनजर एक अहम परियोजना है एवं न्यायिक विवादों से इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब नहीं हो, इस उद्देश्य से जनहित में उक्त निर्णय किये गये हैं। इस प्रकार अथोरिटी के निर्णय की अनुपालना में विस्थापितों को व्यावसायिक व आवासीय भूखण्डों के आबंटन से राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है। आबंटित भूखण्डों के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई एवं आबंटन दिनांक का विवरण परिशिष्ट–''स'' पर संलग्न है।

(6) पूर्व में सांगानेर फ्लाई ओवर एवं टोंक रोड पर गोपालपुरा फ्लाई ओवर के विस्थापितों को मोजी कालोनी में कुल 48 दुकानों के व्यावसायिक भूखण्ड प्रत्येक 4.5X3 = 13.5 वर्गमीटर उस क्षेत्र की तत्समय प्रवर्तित व्यावसायिक आरक्षित दर 6000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से व्यावसायिक भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण में चरागाह क्षेत्र की मिट्टी का अवैध उपयोग

41. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 76 के फारलेन निर्माण कम्पनी द्वारा बारां जिले में गजनपुरा, कलमंडा व बटावदा में चरागाह भूमि की अवैध तरीके से लाखों टन मिट्टी काम ली गई है ? यदि हां, तो क्या इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बाबत निर्माण कम्पनी द्वारा सरकार से पूर्व में स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्माण कम्पनी पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। प्रश्नगत ग्रामों में मिट्टी खोदने हेतु कम्पनी को कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। अवैध रूप से मिट्टी खोदने के सम्बन्ध में एलआर एक्ट की धारा 89(7) के तहत तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण तैयार कर न्यायालय जिला कलक्टर बारां में प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

नगर परिषद सीमा, पाली की भूमि पर अतिक्रमण

42. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद पाली के सीमा क्षेत्र में सरकार की कौन-कौन से किस्म की कौन-कौनसी भूमि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कौन-कौनसी भूमि वर्तमान में रिक्त है एवं किस-किस भूमि पर किन-किन लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कब्जाधारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली की सीमा क्षेत्र में बारानी दोयम, चाही सोयम, नहरी प्रथम व दोयम, सेवज दोयम, चाही प्रथम, बारानी अव्वल, गैर मुमकिन खारच, गैर मुमकिन ओरण, गैर मुमकिन नदी, गैर मुमकिन नाड़ा, गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन माठ, गैर मुमकिन बेरा, गैर मुमकिन मंदिर, गैर मुमकिन प्याऊ, गैर मुमकिन ओड, गैर मुमकिन धोरा, गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन गोचर, लाटा, तालाब, खड्डा आगौर, रास्ता खारच बारानी अव्वल किस्म की भूमियां हैं।

(2) नगर परिषद पाली में स्थित रिक्त भूमि की सूची परिशिष्ट-''अ'' पर तथा अतिक्रमित भूमि की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। कब्जाधारियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के लिये धारा-91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत तहसीलदार पाली द्वारा कार्यवाही कर बेदखली की कार्यवाही की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पटवार हल्कों के चैनमैन का वेतन निर्धारण

43. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों में पटवार हल्का में चैनमैन होता है।

(2) क्या यह सही है कि चैनमैन द्वारा पटवारी के साथ भूमिनाप में सहायक का कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो उसे सरकार द्वारा कितना वेतन दिया जाता है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार का उद्देश्य प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी देना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चैनमैनों (गांव भाम्मी) को न्यूनतम वेतन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु राजस्व पटवारियों की सहायतार्थ रबी एवं खरीफ की गिरदावरी एवं राजस्व वसूली के लिये एक वर्ष में अधिकतम चार माह एवं एक फसली क्षेत्रों में अधिकतम दो माह की अवधि के लिये रुपये 225/- प्रतिमाह की समेकित (Consolidated) दर पर केवल एक अंशकालीन सहायक रखने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। शेष बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) जी नहीं। शेष बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

उदयपुर सम्भाग के बांध क्षेत्रों की डूब में आये आदिवासियों को भू-आबंटन

44. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अधीनस्थ नगरपालिकाओं के पैराफेरी क्षेत्र में माहीडेम, कडाना, जाखम, सुखानिया डेमों के डूब में आए आदिवासी काश्तकार एवं अन्य जाति के काश्तकार सरकारी भूमि पर काबिज हैं ?

(2) क्या सरकार जो काश्तकार पैराफेरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर काबिज है उनको उक्त भूमि के पट्टे देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के आदिवासी काश्तकार एवं अन्य जाति के काश्तकार सरकारी भूमि पर काबिज नहीं हैं लेकिन बांसवाड़ा जिले में नगरपालिका बांसवाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र एवं इसके पैराफेरी क्षेत्र में 46 माही विस्थापितों का सरकारी भूमि पर कब्जा है।

(2) जिला कलक्टर, बांसवाड़ा से इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को पैराफेरी क्षेत्र की भूमि पर आबंटन की शिथिलता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों को अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

बायतु (बाड़मेर) में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

45. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के तहसील व पंचायत समिति बायतु मुख्यावास पर उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला दण्डनायक कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

फिलहाल राज्य में नये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सृजित करने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जब विचार होगा तब इस प्रस्ताव पर भी अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

बारां जिले के मन्दिरों के रख-रखाव पर व्यय

46. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के किस-किस गांव व शहर में कौन-कौन सा मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिरों में किस-किस भगवान की मूर्तियां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कौन-कौनसा मन्दिर किस-किस सन् या सम्वत् में किस-किस के द्वारा बनाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा किस-किस मन्दिर पर कितनी-कितनी राशि सालाना व्यय की जा रही है ? मन्दिरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(5) किन-किन मन्दिरों पर सरकारी पुजारी एवं अन्य कर्मचारी रखे हुए हैं एवं इन्हें मासिक वेतन के रूप में कितनी राशि भुगतान की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित 5 मन्दिर हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	नाम मन्दिर	गांव/शहर	तहसील
1	2	3	4	5
1.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री कृष्णाई माता जी	रामगढ़	किशनगंज
2.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री बाबा जी राज	मांगरोल	मांगरोल
3.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री गोरधन नाथ जी	अन्ता	अन्ता
4.	आत्म निर्भर	मं. श्री कल्याण राय जी	बारां	बारां
5.	आत्म निर्भर	मं. श्री अनन्तराम जी प्यारेराम जी	बारां	बारां

(2)

क्र. सं.	श्रेणी	नाम मन्दिर	मुख्य प्रतिमा	अन्य सहायक प्रतिमाएं
1	2	3	4	5
1.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री कृष्णाई माता जी, रामगढ़	मूर्ति श्री कृष्णाई माता जी व मूर्ति श्री अन्नपूर्णा माता जी	1. श्री बाला जी महाराज 2. श्री लंगूरा जी 3. शिव परिवार 4. श्री कोतवाल जी 5. श्री भैरू जी 6. श्री ठाकुर जी (श्री कृष्ण स्वरूप में) 7. काला जी गोरा जी 8. श्री गणेश जी

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री बाबा जी राज, मांगरोल	छत्री विराजमान प्रतिमान 1. श्री बाबा जी राज पृथ्वी सिंह जी 2. मांजी साहब की चरण पादूका 3. रणवास में गद्दी की पूजा	1. श्री रंगबाड़ी बाला जी 2. श्री बाग के बालाजी 3. श्री भट्टेश्वर जी काछडा में 4. श्री गौरा जी बीड में
3.	प्रत्यक्ष प्रभार	मं. श्री गोरधन नाथ जी, अन्ता	श्री गोरधन नाथ जी	
4.	आत्म निर्भर	मं. श्री कल्याण राय जी, बारां	श्री जी महाराज	1. श्री लक्ष्मी जी 2. श्री मांजी साहब 3. श्री लाल जी 4. श्री चतुर्भुज जी 5. श्री पिताम्बर जी 6. श्री उद्वव भगवान 7. श्री मुरली मनोहर जी 8. श्री महादेव जी के 3 मंदिर 9. श्री गणेजी जी के 4 मंदिर 10. श्री गायत्री जी 11. श्री हनुमान जी 12. श्री गरुड़ जी खम्बे पर विराजमान 13. श्री वारह भगवान 14. श्री सरस्वती जी

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4	5
5.	आत्म निर्भर	मं. श्री अनन्तराम जी प्यारेराम जी, बारां	श्री अनन्त भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी	1. श्री राम जी लक्ष्मण जी भूरा जी शत्रुघन जी व जानकी जी 2. श्री जगन्नाथ स्वामी 3. श्री राधा कृष्ण जी 4. श्री गोरधन नाथ जी 5. श्री विष्णु भगवान 6. श्री प्यारे राम जी तस्वीर एवं गुदड़ी 7. श्री माता जी 8. श्री बाला जी 9. श्री छतरी श्री प्यारे राम जी

(3)

क्र.सं.	**नाम मन्दिर**	**निर्माण का सम्वत्**	**निर्माणकर्ता का नाम**
1	2	3	4
1.	मं. श्री कृष्णाई माता जी, रामगढ़	विक्रम संवत 1600 (अनुमानित)	महाराव रामसिंह जी द्वारा
2.	मं. श्री बाबा जी राज, मांगरोल	ई. 1827-1865 (अनुमानित)	महाराव रामसिंह जी द्वितीय द्वारा
3.	मं. श्री गोरधन नाथ जी, अन्ता	विक्रम संवत 1880 (अनुमानित)	महाराज कुमार बिशनसिंह जी द्वारा
4.	मं. श्री कल्याण राय जी, बारां	संवत 1537 (अनुमानित)	बून्दी राव श्री भोज सिंह द्वारा
5.	मं. श्री अनन्तराम जी प्यारेराम जी, बारां	लगभग 400 वर्ष पूर्व (अनुमानित)	राधवगढ़ (म.प्र.) के द्वितीय महाराज कुमार महंत श्री प्यारे राम जी द्वारा

(देवस्थान मंत्री)

(4)

क्र.सं.	नाम मन्दिर	वार्षिक खर्चा वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुसार भोग उत्सव पोशाक व अन्य (नल बिजली)
1	2	3
1.	मं. श्री कृष्णाई माता जी, रामगढ़	51000/- वार्षिक
2.	मं. श्री बाबा जी राज, मांगरोल	23000/- वार्षिक
3.	मं. श्री गोरधन नाथ जी, अन्ता	21000/- वार्षिक
4.	मं. श्री कल्याण राय जी, बारां (आत्म निर्भर)	41100/- वार्षिक
5.	मं. श्री अनन्तराम जी प्यारेराम जी, बारां (आत्म निर्भर)	62000/- वार्षिक

(5)

क्र. सं.	नाम मन्दिर	कर्मचारी का पद	देय वेतन मान व भत्ते	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	मं. श्री कृष्णाई माताजी, रामगढ़	पुजारी-1 रा.कर्म चौकीदार-2 रा. कर्म	2550-3540 2550-4400	7346 7648 6996
2.	मं. श्री बाबा जी राज, मांगरोल	पुजारी वंशानुगत ओसरेदार चौकीदार-2 रा.कर्म	भेंट भोग प्रसाद (2550-4400)	7065 7065
3.	मं. श्री गोरधन नाथ जी, अन्ता	पुजारी-1 रा.कर्म चौकीदार-1 रा.कर्म	(2550-4400) (2550-4400)	7949 7346

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4	5
4.	मं. श्री कल्याण राय जी, बारां (आत्म निर्भर)	पुजारी वंशागुगत ओसरेदार निधि लिपिक-1 चौकीदार-1अ.का. जलघडिया-1 शहनाईची-1 नगारची-1 कीर्तनिया-1	भेंट भोग प्रसाद 2427 585 585 500 500 रिक्त	 2427 585 585 500 500 500
5.	मं. श्री अनन्तराम जी प्यारेराम जी, बारां (आत्म निर्भर)	पुजारी-1 अ.का. चौकीदार-1 अ.का. फर्राश-1 अ.का. रसाईया-1 अ.का. रिक्त	585 585 400 रिक्त	585 585 400 585

जिला मुख्यालयों के कुष्ठ निवारण केन्द्रों पर व्यय राशि

47. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के किस-किस जिले में कितने-कितने कुष्ठ रोगी चिन्हित किये गये और उन पर गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र किस-किस जिले में स्थापित हैं और वहां पर कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं तथा प्रतिमाह उन पर प्रत्येक जिले में कितना-कितना खर्च किया जाता है और कितना बजट प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राज्य में गत 3 वर्षों में चिन्हित किये गये कुष्ठ रोगियों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है तथा गत 3 वित्तीय वर्षों में विभिन्न मदों में व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' पर उपलब्ध है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) राज्य के चार जिले क्रमशः जयपुर, नागौर, जोधपुर एवं बारां में जिला कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र स्थापित हैं और वहां पर स्वीकृत पद एवं पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या एवं उनके लिये उपलब्ध करवाये जाने वाले बजट प्रावधान तथा अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक की व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट ''द'' पर उपलब्ध है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम का क्रमोन्नयन

48. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम के 85 शैय्याओं को 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम में वर्तमान में 50 शैय्याएं स्वीकृत हैं स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2005 में 57.24 प्रतिशत उपयोग रहा है। इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम को 50 शैय्याओं से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा (मण्डरायल क्षेत्र) को जोड़ने हेतु चम्बल नदी पर पुल

49. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र करौली में मंडरायल के पास चम्बल नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने हेतु पुल निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पुल का निर्माण राज्य सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विधायक अनुशंसा पर सम्पर्क सड़क निर्माण

50. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीसिंह रावत)

क्या सरकार छोटे-छोटे गांवों एवं ढाणियों को जोड़ने के लिये विधायकों को 25 किलोमीटर सड़क निर्माण की अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य के सीमित उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकताओं को देखते हुये छोटे-छोटे गांवों एवं ढाणियों को जोड़ने का कार्य वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

लूणी में सड़क उन्नयन कार्य

51. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, लूणी (जोधपुर) की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को बी.टी. में अपग्रेड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, कितनी व कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, लूणी (जोधपुर) की अतिमहत्वपूर्ण मिसिंग सड़कों को डामरीकृत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी, कौन-कौन सी व कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, लूणी (जोधपुर) की सड़कों का रिनेवल (मरम्मत) आगामी वित्तीय वर्ष में करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र, लूणी (जोधपुर) की ग्रेवल सड़कों को डामरीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व कौन-कौन सी व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) की कुल 8 डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों में से 2 सड़कों को बी.टी. में अपग्रेड कर दिया गया है। शेष 6 सड़कों को बी.टी. में अपग्रेड करने के प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कर दिये हैं तथा वित्तीय स्वीकृति जारी होना अपेक्षित है। इन कार्यों को माह मार्च 2008 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। विवरण प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार की मिसिंग सड़कों में डामरीकरण करने की योजना प्रस्तावित नहीं है। मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणी, जोधपुर की सड़कों का रिनेवल (मरम्मत) आगामी वित्तीय वर्ष (2007-08) में कराये जाने वाले कार्यों की सूची प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण सम्भव नहीं है।

प्रपत्र-अ

विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को बी.टी. अपग्रेड करने वाले कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाखों में)	कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि
1.	पीपाड़ सिटी से बाला वाया भावी	1.00	13.70	पूर्ण
2.	भाण्डूकलां-बडलिया से सिंनली	4.30	35.00	पूर्ण
3.	रामासनी से खारी	2.50	32.70	3/08
4.	रामासनी से डूणगांव	5.00	55.80	3/08
5.	बाला से पड़ासला कलां	5.50	60.48	3/08
6.	झंवर से रोहिल्लाकलां	5.50	98.88	3/08
7.	धवा से परिहारों की ढाणी	9.00	97.65	3/08
8.	रोहिचाकलां से भाचरणा	6.00	74.71	3/08
	योग:-	**38.80**	**468.92**	

प्रपत्र-ब

विधान सभा क्षेत्र लूणी (जोधपुर) की सड़कों का रिनेवल कार्य का विवरण जिनको आगामी वर्ष 2007-08 में किया जाना प्रस्तावित है

योजना :- आर.एम.यू.पी. (द्वितीय चरण)

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाखों में)	कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि
1.	लाम्बा चांदेलाव	18.00	54.00	3/08
2.	सम्पर्क	1.00	4.40	3/08
	योग:-	**19.00**	**58.40**	

योजना:- बारहवें वित्त आयोग में स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाखों में)	कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि
1.	बासनी-सर-धुन्धाड़ा	35.05	178.00	7/07
2.	धवा से धुन्धाड़ा	12.00	50.00	7/07
3.	उत्तेसर से भाचरण	12.00	50.00	7/07
4.	पाल से झंवर	6.00	27.00	7/07
5.	बोरानाड़ा से चिंचरली	16.00	66.00	7/07
6.	सरेचा से लूणी	3.00	33.00	7/07
7.	सालावास से शिकारपुरा	6.00	33.00	7/07
8.	सम्पर्क सड़क बासनी झूठा	2.50	11.25	7/07
9.	लोलावास से भटिण्डा	6.00	33.00	7/07
10.	फलौदी औसियां से जोधपुर खेजड़ली सरदारसमन्द (एस.एच. 61)	18.20	155.60	3/07
	योग:-	**117.20**	**616.15**	

कस्बा लूणकरणसर के रेलवे क्रासिंग पर पुल निर्माण

52. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के कस्बा लूणकरणसर से होकर रेलवे लाइन गुजरती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बा लूणकरणसर की राष्ट्रीय राजमार्ग से कालू को जाने वाली सड़क पर पड़ने वाला रेलवे क्रासिंग प्रतिदिन अनेकों बार बन्द होने के कारण आमजन/वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कब-कब व कितने-कितने समय के लिए ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) क्या सरकार आमजन को हो रही असुविधा के मद्देनजर लूणकरणसर में ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 16 रेलगोडियों के आवाजाही से उक्त रेलवे फाटक लगभग पन्द्रह से बीस मिनट की अवधि के लिये प्रत्येक आवागमन पर बन्द रहता है। उसके अतिरिक्त सैन्य सामग्री परिवहन के कारण भी कभी-कभी रेल फाटक अधिक बार बन्द हो जाता है।

(3) वर्तमान में जिन रेलवे क्रासिंग पर टी.वी.यू. (TVU) एक लाख से अधिक है उन्हीं क्रोसिंग्स पर ही राज्य सरकार द्वारा रेलवे के साथ कोस्ट शेयरिंग बेसिस पर ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज के निर्माण की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति की जा रही है। उक्त रेलवे क्रोसिंग का टी.वी.यू. (TVU) एक लाख से कम होने के कारण ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 के बस्सी क्षेत्र के प्रभावितों को मुआवजा

53. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 जयपुर-महुआ को 4 लेन करने हेतु रोड़ की सीमा में आने वाले भवनों, दुकानों एवं कृषि भूमि का सर्वे कार्य किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त की अवाप्ति में मुआवजे की नवीनतम क्या-क्या दरें निर्धारित की गई ?

(2) सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में बस्सी तहसील के अवाप्ति से प्रभावित किन-किन व्यक्तियों का, कितने-कितने क्षेत्रफल का कितना-कितना मुआवजा निर्धारित किया गया ? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक मुआवजे के लिये किन-किन व्यक्तियों ने दावा (क्लेम) हेतु जयपुर ए.डी.एम. (तृतीय) को, कब-कब दस्तावेज प्रस्तुत किये ? इनमें जरिये रजिस्ट्री एवं पट्टों के आधार पर क्लेम चाहने वाले कौन-कौन हैं तथा

(श्री हेमाराम चौधरी)

कब्जे के आधार पर ही क्लेम चाहने वाले कौन-कौन हैं ? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अवाप्ति के तहत मुआवजा नीति में भूमि के बदले भूमि तथा निर्मित क्षेत्रफल के बदले मूल्यांकन करके भुगातन करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन का निष्पादन किया जा चुका तथा अब इन्हें कब तक मुआवजा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्क संख्या-11 जयपुर-महुआ को चार लेन करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दौसा से प्राप्त सूचना के अनुसार :-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 जयपुर-महुआ को चार लेन करने के कार्य में रोड़ की सीमा में आने वाले भवनों, दुकानों एवं कृषि भूमि का सर्वे कार्य किया जा चुका है। तदनुसार नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा-3(A) एवं 3 (D) की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारियों (भू.अ.) द्वारा अवाप्ति में मुआवजे की दरें निर्धारित की जाकर अवार्ड जारी करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

(2) बस्सी तहसील में अवाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रफल का विवरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत 3घ अधिसूचना का.आ. 1510(अ) दिनांक 14-9-2006 में वर्णित है, जिसकी एक प्रति परिशिष्ट ''अ'' में दी गई है।

(3) मुआवजे हेतु की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सक्षम अधिकारी (भू.अ.) द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जाकर जारी किये जाने वाले अवार्ड में दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) द्वारा शीघ्र अवार्ड जारी किया जाना अपेक्षित है।

(4) भूमि अवाप्ति का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत किया जा रहा है, जिसमें भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-54

(स्थगित)

करौली तहसील क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्राम

55. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील करौली के अनेक गांव विद्युत विहीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(2) क्या सरकार अब उक्त ग्रामों को विद्युत से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील करौली के विद्युतविहीन गांवों की सूची परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार समस्त आबाद गांवों को विद्युत से जोड़ने का विचार रखती है। इस हेतु संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन्हें वर्ष 2009 तक विद्युतिकृत करने का लक्ष्य है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा में सामान्य श्रेणी अन्तर्गत लम्बित कनेक्शन

56. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से सामान्य श्रेणी अन्तर्गत किन-किन प्रार्थियों को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्थान परिवर्तन, मृत्यु के कारण एवं बाहर जाने से जिन्हें डिमाण्ड नोटिस नहीं मिले। क्या सरकार उन्हें पुन: डिमाण्ड नोटिस जारी कर कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से सामान्य श्रेणी अन्तर्गत 244 प्रार्थियों को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। स्थान परिवर्तन, मृत्यु के कारण एवं बाहर जाने से जिन आवेदकों को डिमाण्ड नोटिस नहीं मिले हैं ऐसे आवेदकों के मांग पत्र जमा करवाने की समयावधि 90 दिन गुजर जाने के पश्चात पत्रावली निरस्त हो जाती है। ऐसे प्रकरणों को पुनर्जीवित करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र

57. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्य महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए कितने ब्लाक, किस-किस जगह पर कार्यरत हैं और प्रत्येक ब्लॉक को वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 के लिए कितना-कितना बजट किस-किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया ?

(2) बूंदी जिले में विभिन्न ब्लॉकों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं और किन-किन ब्लॉकों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कर लिया गया और कितनों में भवन निर्माण करने की योजना चल रही है तथा कितने ब्लॉकों में वर्ष 2007-2007, 2007-2008 में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करवा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 5 ब्लॉकों में 5 परियोजना कार्यालय कार्यरत हैं यह परियोजना कार्यालय बून्दी शहर, हिण्डोली, केशोरायपाटन, नैनवां एवं तालेड़ा में कार्यरत हैं। प्रत्येक ब्लॉक को आबंटित बजट सन् 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 के लिए विस्तृत उद्देश्य सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बूंदी जिले में विभिन्न ब्लॉकों में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचना निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र	आ.बा. केन्द्र जिन पर भवन निर्माण किया जा चुका है
1.	बूंदी शहर	66	NIL
2.	तालेड़ा	240	45
3.	केशोरायपाटन	150	43
4.	हिण्डौली	165	NIL
5.	नैनवां	143	23

आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु वर्ष 2006-2007 में परियोजना केशोरायपाटन में डांग क्षेत्र के अन्तर्गत 17 भवन निर्माण के प्रस्ताव जिला

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परिषद को भिजवाये गये हैं, तथा वर्ष 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त सिलिंग के अनुसार 19 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बून्दी जिले के अन्तर्गत 31.35 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति के उपरान्त निर्माण करवाया जावेगा।

परिशिष्ट 'अ'

ब्लॉकवार आबंटित बजट वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 एवं उद्देश्य

क्र. सं.	मद (उद्देश्य)	ब्लॉक	बजट आबंटन (लाखों में)			विशेष विवरण
			वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	
1	2	3	4	5	6	7
1.	संवेतन	बूंदी शहर	-	-	4.92	
		तालेड़ा	18.24	19.60	27.00	
		हिण्डौली	15.63	18.75	19.00	
		केशोरायपाटन	12.50	12.69	14.00	
		नैनवां	4.44	7.75	10.00	
2.	मानदेय	बून्दी शहर	-	-	1.00	
		तालेड़ा	36.85	37.02	35.00	
		हिण्डौली	26.66	28.28	25.00	
		केशोरायपाटन	22.86	23.53	22.00	
		नैनवां	20.78	22.57	22.00	

1	2	3	4	5	6	7
3.	यात्रा व्यय (कार्यालय)	बूंदी शहर	-	-	0.05	
		तालेड़ा	0.75	1.00	0.35	
		हिण्डौली	0.80	1.08	0.50	
		केशोरायपाटन	0.80	0.70	0.50	
		नैनवां	0.30	0.40	0.20	
4.	यात्रा व्यय (क्षैत्रिय)	बूंदी शहर	-	-	0.10	
		तालेड़ा	0.50	0.55	0.35	
		हिण्डौली	0.75	0.25	0.35	
		केशोरायपाटन	0.40	0.56	0.35	
		नैनवां	0.275	0.30	0.35	
5.	चिकित्सा व्यय	बूंदी शहर	-	-	0.05	
		तालेड़ा	0.20	0.10	0.10	
		हिण्डौली	0.15	0.20	1.10	
		केशोरायपाटन	0.20	0.20	0.40	
		नैनवां	0.05	0.15	0.10	
6.	कार्यालय आवर्तक	बूंदी शहर	-	-	0.18	
		तालेड़ा	0.30	0.25	0.23	
		हिण्डौली	0.23	0.20	0.20	
		केशोरायपाटन	0.25	0.20	0.25	
		नैनवां	0.16	0.20	0.23	

1	2	3	4	5	6	7
7.	आंगनबाड़ी आवर्तक	बूंदी शहर	-	-	0.375	
		तालेड़ा	1.284	1.284	0.642	
		हिण्डौली	0.91	0.91	0.91	
		केशोरायपाटन	0.786	0.786	0.80	
		नैनवां	0.732	0.732	0.366	
8.	आंगनबाड़ी अनावर्तक	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	-	-	-	
		हिण्डौली	-	-	-	
		केशोरायपाटन	0.262	-	-	
		नैनवां	0.24	-	-	
9.	दवा आपूर्ति	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	0.03	0.03	-	
		हिण्डौली	0.03	0.03	-	
		केशोरायपाटन	0.03	0.03	-	
		नैनवां	-	-	-	
10.	भवन किराया कार्यालय	बूंदी शहर	-	-	0.30	
		तालेड़ा	0.40	0.36	0.40	
		हिण्डौली	0.25	0.23	0.23	
		केशोरायपाटन	0.05	-	-	
		नैनवां	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
11.	किराया आंबनबाड़ी भवन	बूंदी शहर	-	-	0.30	
		तालेड़ा	0.62	0.78	1.00	
		हिण्डौली	0.70	0.92	1.76	
		केशोरायपाटन	0.40	0.65	0.65	
		नैनवां	0.415	0.578	1.49	
12.	वाहन संधारण/ किराया	बूंदी शहर	-	-	0.30	
		तालेड़ा	0.50	0.50	0.40	
		हिण्डौली	0.50	0.63	0.35	
		केशोरायपाटन	0.33	0.10	0.35	
		नैनवां	0.05	0.30	0.30	
13.	किशोरी शक्ति योजना	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	-	0.27	0.55	
		हिण्डौली	-	-	0.55	
		केशोरायपाटन	-	0.275	0.55	
		नैनवां	-	-	0.55	
14.	विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	-	-	-	
		हिण्डौली	0.15	0.21	-	
		केशोरायपाटन	-	-	-	
		नैनवां	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
15.	उपकरण पुन: स्थापना	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	-	-	-	
		हिण्डौली	-	-	-	
		केशोरायपाटन	0.50	-	-	
		नैनवां	-	-	-	
16.	भण्डारण (खाद्यान्न)	बूंदी शहर	-	-	0.40	
		तालेड़ा	0.85	0.87	0.84	
		हिण्डौली	0.83	0.82	0.84	
		केशोरायपाटन	0.85	0.75	0.81	
		नैनवां	-	-	-	
17.	परिवहन	बूंदी शहर	-	-	0.30	
		तालेड़ा	3.14	3.90	3.25	
		हिण्डौली	2.18	2.16	2.34	
		केशोरायपाटन	2.20	2.25	3.00	
		नैनवां	1.81	2.04	2.60	
18.	गरम पूरक पोषाहार	बूंदी शहर	-	-	2.00	
		तालेड़ा	-	4.00	33.00	
		हिण्डौली	-	4.00	25.00	
		केशोरायपाटन	-	4.00	22.00	
		नैनवां	-	4.00	21.00	

1	2	3	4	5	6	7
19.	सहयोगिनी मानदेय	बूंदी शहर	-	-	1.00	
		तालेड़ा	2.18	9.58	9.00	
		हिण्डौली	1.47	7.29	6.00	
		केशोरायपाटन	1.26	5.27	4.90	
		नैनवां	1.11	4.91	4.57	
20.	सहयोगिनी यात्रा भत्ता	बूंदी शहर	-	-	0.05	
		तालेड़ा	-	0.34	0.26	
		हिण्डौली	0.04	0.24	0.19	
		केशोरायपाटन	0.03	0.21	0.16	
		नैनवां	0.07	0.19	0.15	
21.	सहयोगिनी स्टेशनरी	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	0.20	-	-	
		हिण्डौली	0.14	-	-	
		केशोरायपाटन	0.12	-	-	
		नैनवां	0.12	-	-	
22.	आई.ई.सी. गतिविधियां	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	0.072	0.428	-	
		हिण्डौली	0.024	-	-	
		केशोरायपाटन	0.25	-	-	
		नैनवां	0.25	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
23.	स्वयं सिद्धा योजना	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	2.79	3.00	10.00	
		हिण्डौली	-	-	-	
		केशोरायपाटन	-	-	-	
		नैनवां	-	-	-	
24.	आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र	बूंदी शहर	-	-	-	
		तालेड़ा	0.70	1.297	-	
		हिण्डौली	-	-	-	
		केशोरायपाटन	0.35	-	-	
		नैनवां	0.35	0.797	-	

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालयों में पदस्थापित सहरिया कर्मी

58. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन सहरिया जनजाति के कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर राजकीय सेवा में पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहरिया जनजाति के सेवारत कर्मचारी माह फरवरी, 2007 में किस-किस कार्यालय में किस-किस दिनांक से पदस्थापित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सहरिया जनजाति के सेवारत कर्मचारियों के पिता के नाम क्या हैं व किस-किस ग्राम व तहसील के मूल निवासी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सहरिया जनजाति के उक्त कर्मचारियों को सेवा में आने का नियुक्ति पत्र किस-किस दिनांक को दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(5) उक्त सहरिया जनजाति के सेवारत किस-किस कर्मचारी द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी होने के बाद किस-किस तारीख को अपनी प्रथम उपस्थिति कार्यालय में दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	फरवरी 07 से पदस्थापन	पद स्था. दिनांक
1	श्री कल्याण प्रसाद	चौकीदार	स.आ.छा. बमनगॉं	18.07.2001
2	श्री अमृत लाल	चौकीदार	स.आ.छा. घट्‌टी	14.07.1999
3	श्री शम्भूदयाल	चौकीदार	स.आ.छा. भंवरगढ़	20.05.1999
4	श्री जानकीलाल	चौकीदार	स.आ.छा. गरडा	27.02.2003
5	श्री नन्दलाल	चौकीदार	स.आ.छा. रेलावन	22.07.2002
6	श्री रामदयाल	चौकीदार	स.आ.छा. समरानिया	18.07.2000
7	श्री मुन्नालाल	चौकीदार	ए.डी.एम. शाहबाद	30.08.2002
8	श्री सीताराम	च.श्रे.क.	स.आ.छा. शाहबाद	01.04.1997
9	श्री जवाहरलाल	च.श्रे.क.	स.आ.छा. देवरी	27.02.2003
10	श्री बलराम सहरिया	च.श्रे.क.	स.आ.छा. केलवाड़ा	26.07.2000
11	श्री अमरसिंह	च.श्रे.क.	ए.डी.एम. शाहबाद	02.08.2006

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	ग्राम	तहसील
1	श्री कल्याण प्रसाद	श्री महासुख	खुशालपुरा	शाहबाद
2	श्री अमृत लाल	श्री धुलीलाल	भंवरगढ़	किशनगंज
3	श्री शम्भूदयाल	श्री गणेशराम	गोरधनपुरा	किशनगंज
4	श्री जानकीलाल	श्री कन्हैयालाल	रानी बड़ौद	किशनगंज
5	श्री नन्दलाल	श्री रूगनी	बिरमानी	शाहबाद
6	श्री रामदयाल	श्री नाथूलाल	कुन्दा	किशनगंज
7	श्री मुन्नालाल	श्री जगन्नाथ	गोरधनपुरा	किशनगंज
8	श्री सीताराम	श्री गोबरीलाल	कामठा	किशनगंज
9	श्री जवाहरलाल	श्री तुलसीराम	गोयरा	शाहबाद
10	श्री बलराम सहरिया	श्री अमृतलाल	फरेदुआ उप.	शाहबाद
11	श्री अमरसिंह	श्री कन्हैयालाल	अमरोली	शाहबाद

परिशिष्ट 'स'

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति पत्र दिनांक	प्रथम उपस्थिति दिनांक
1	श्री कल्याण प्रसाद	08.09.1988	12.09.1988
2	श्री अमृत लाल	08.09.1988	14.09.1988
3	श्री शम्भूदयाल	08.09.1988	19.09.1988
4	श्री जानकीलाल	08.09.1988	17.09.1988
5	श्री नन्दलाल	01.07.1989	01.07.1989
6	श्री रामदयाल	01.07.1989	0.1.07.1989
7	श्री मुन्नालाल	15.05.1991	15.05.1991
8	श्री सीताराम	10.11.1997	01.04.1997
9	श्री जवाहरलाल	09.07.1999	01.04.1998
10	श्री बलराम सहरिया	09.07.1999	01.04.1998
11	श्री अमरसिंह	12.07.2004	29.07.2004

नोट :- 1. क्रम संख्या 8, 9 एवं 10 पर अंकित कर्मचारियों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मानने पर प्रथम उपस्थिति दिनांक नियुक्ति दिनांक से पूर्व दर्शाई गई हैं।

जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु विशेष योजना

59. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2005 से अब तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा यह राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा कितनी राशि बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए कोई विशेष योजना लागू कर उनका शैक्षणिक, आर्थिक विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु सन 2005-06 से अब तक प्राप्त राशि, बकाया व्यय तथा बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु.)

मद	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
वर्ष 2005-06			
विशेष केन्द्रीय सहायता	3490.91	3177.28	313.63
संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2240.48	993.94	1246.54
केन्द्र प्रवर्तित योजना	62.44	4.75	57.69
योग 2005-06	**5793.83**	**4175.97**	**1617.86**
वर्ष 2006-07			
विशेष केन्द्रीय सहायता	4214.00	1761.15	2452.85

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

मद	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
संविधान के अनुच्छेद 275(1)	1790.00	1578.18	211.82
केन्द्र प्रवर्तित योजना	39.76	8.66	31.10
योग 2006-07	**6043.76**	**3347.99**	**2695.77**

(2) विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत शत प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती हैं। इसलिए इनमें राज्य सराकर द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के मेचिंग ग्रान्ट के रुप में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में क्रमश: रु. 4.75 लाख एवं रु. 8.66 लाख 50 प्रतिशत अंश के रुप में व्यय किये गये।

(3) जी हां। सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास की विभिन्न योजनायें लागू कर शैक्षणिक व आर्थिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजना

60. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की जनसंख्या नीति कब-कब बनाई गई तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(2) वर्ष 2003 से जनवरी, 2007 तक प्रदेश में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही तथा जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिवर्ष लक्ष्य क्या था और लक्ष्य का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

(3) क्या राजस्थान बीमार प्रदेशों की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो बीमारू प्रदेश किन मानदण्डों के आधार पर हैं ? सरकार प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकालने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है।

उत्तर

(1) प्रदेश की जनसंख्या नीति जनवरी, 2000 में बनाई गई। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जून, 2001 में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजीव गांधी जनसंख्या मिशन का गठन किया गया तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार सम्पन्न कमेटी बनाई गई, जिसके द्वारा सभी विभागों को सम्मिलित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्ष 2003 से जनवरी 2007 तक प्रदेश की प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि नहीं बताई जा सकती है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का आंकलन जनगणना के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5 करोड़ 64 लाख थी। जनगणना 2001 के अनसुार राज्य की जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.5 प्रतिशत है। आगामी जनगणना वर्ष 2011 में की जाएगी।

जनसंख्या नीति के अन्तर्गत वर्ष 2011 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं वर्तमान स्थिति की तालिका निम्नानुसार है :-

मद	**वर्ष 2011-12 तक निर्धारित सूचक**	**राजस्थान में अब तक की स्थिति**
जन्म दर (प्रति हजार जनसंख्या)	21	28.6 (एस.आर.एस.-2005)
शिशु-मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म पर)	32	65 (एनएफएचएस-3 वर्ष 2005-06)
मातृ-मृत्यु दर (प्रति लाख जीवित जन्म पर	148	445 (एस.आर.एस.-2003)
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या)	7	7 (एस.आर.एस.-2005)
दम्पत्ति-संरक्षण दर	65 प्रतिशत	45.8 प्रतिशत
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर	1.2 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत (जनगणना 2001)
कुल प्रजनन दा	2.1	3.2 (एनएफएचएस-3 वर्ष 2005-06)

(परिवार कल्याण मंत्री)

(3) बीमारू श्रेणी कोई औपचारिक श्रेणी नहीं है, लेकिन गत 10-15 सालों में इसका काफी प्रयोग उन राज्यों के लिए किया गया है, जहां जनसंख्या तथा इससे सम्बन्धित सूचकांक का स्तर काफी नीचा है। बीमारू प्रदेशों में बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। इस विभाजन का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है, लेकिन इनमें उन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मत्यु दर जैसे सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। वर्तमान में राज्य की शिशु मृत्यु दर वर्ष 2003 में 75 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2005-06 में एनएफएचएस-3 के अनुसार 65 प्रति हजार हो चुकी है। राज्य में मातृ मृत्यु दर, जो कि वर्ष 1997 में 677 प्रति लाख जीवित जन्म थी, जो गिर कर वर्ष 2003 में 445 प्रति लाख हो चुकी है। राज्य की कुल प्रजनन दर एनएफएचएस-3 के अनुसार वर्ष 2005-06 में 3.2 हो चुकी है जो कि पूर्व में एनएफएचएस-2 के अनुसार वर्ष 2003-04 में 3.78 थी। राज्य सरकार इन सूचकांकों में सुधार के लिए लगातार प्रयत्नशील है। राज्य में वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में एमसीएचएन दिवसों का आयोजन प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर कर, टीकाकरण व मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा रही है।

राज्य में संस्थागत प्रसव बढ़ाने हेतु जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व पहुंच बढ़ाने हेतु 365 संस्थाओं को 24X7 संस्था के रुप में विकसित किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा ढांचागत विकास करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यों के सम्बन्ध में तथा आबंटित राशि (एस.जी.आर.वाई.) से निजी आवास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

3. ग्रामीण विकास के कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

4. ग्रामीण विकास के निर्मित कार्यों का स्थाई लेखा-जोखा विभाग से करवाने एवं विकास कार्यों की मोनीटरिंग करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

5. गुरु गोलवलकर योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बार-बार हो रहे संशोधन में असमंजस की स्थिति पर व नई ग्राम पंचायतों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

6. ग्रामीण विकास में हो रही धांधली व अनियमितताओं स्टाफ की कमी एवं मूल विभाग के अधिकारियों की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

7. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं सम्बलता प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

8. गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना में स्वीकृत राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. पाली जिले को रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चाणोद को दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव योजना का लाभ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

11. ग्रामीण विकास के तहत करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता में सुधार व इनकी जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

12. ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों हेतु विधायक कोष के सम्बन्ध में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार स्वीकृतियां जारी नहीं होने एवं निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. विधायक कोष, सांसद कोष एवं एस.जी.आर.वाई. एवं अन्य कोषों से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता में आ रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

14. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 में चयनित आदर्श ग्रामों को वित्तीय वर्ष 2006-2007 में विकसित करने के लिये बजट के आबंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. राजस्थान में पंचायत चुनावों में लगातार तीन बार निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

16. ग्रामीण विकास की योजना की समय पर स्वीकृतियां जारी नहीं होने, समय पर कार्य पूर्ण न होने व बजट पूर्ण उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

17. सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम पंचायतें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

19. ग्राम पंचायतों को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्मत बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

21. पाली जिले की पंचायत समिति जैतारण, सोजत व देसूरी के मगरा क्षेत्र के गांवों को तथा रायपुर व मारवाड़ जंक्शन के छूटे हुये गांवों को मगरा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में मगरा विकास कार्यक्रम में पाली जिले में बरती गई अनियमितताओं तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आवासीय विद्यालय, स्कूलों की चारदीवारी, कच्ची सड़कों को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

23. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने व प्रभावी मोनीटरिंग पर चर्चा के लिये।

25. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

26. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जहां सामुदायिक सभा भवन पूर्व में स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अक्षय कलेवा योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

28. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण हाट बाजार हेतु दुकानों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बी.पी.एल. परिवारों के पेयजल हेतु आवास व खेतों में टांकों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बी.पी.एल. परिवारों के आवास हेतु गृह निर्माण योजना स्वीकृति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

31. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को कारगर रूप से लागू करने हेतु विधायक कोष में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

32. जिला अलवर के रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

33. विधान सभा क्षेत्र निवाई में मेड़बन्दी एवं खेतों में पानी रोकने के लिये छोटे एनिकट्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

34. वाटर शेड कामों में भेदभाव, पंचायतों को एसजीआरवाई राशि से सड़क (सीमेंट) पर लगी रोक हटाने, मगरा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के गांवों को जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

35. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

36. पंचायत समिति मकराना में 10 ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को भरने एवं कनिष्ठ अभियन्ता के दो रिक्त स्थानों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

37. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

38. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत भवनों को सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

39. राज्य में समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

40. डी.पी.आई.पी. द्वारा लगे पेयजल के ट्यूबवैलों, स्वयं सहायता समूह को डेयरी के लिये दी गई भैंसों/गायों की व्यवस्था तथा डी.पी.आई.पी. द्वारा निर्माण कार्यों पर लगाई गई पाबन्दी को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. सहरिया विशेष रोजगार से 100 दिन के लिये प्रत्येक सहरिया को रोजगार देने का प्रस्ताव कार्य सहरिया विकास समिति के अन्तर्गत ही रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. किशनगंज (बारां) में बी.पी.एल. सर्वे में हुई गड़बडियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

43. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की जवाजा पंचायत समिति में देवाता फीडर को मगरा विकास योजना में कराने पर चर्चा के लिये।

44. मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

45. ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा ग्राम सभा नहीं करके 2006 में असंवैधानिक तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

46. ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर शेड योजनाओं की क्रियान्विति तथा चित्तौड़गढ़ जिले में भू-जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

47. जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों को मानदेय देने व अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

48. पंचायत समिति छोटी सादड़ी द्वारा वर्ष 2003-2004 से 2006-2007 तक विभिन्न योजनाओं में कराये गये कार्यों व व्यय की गई राशि पर चर्चा के लिये।

49. चित्तौड़गढ़ जिले में गुरु गोलवलकर योजना व मगरा क्षेत्र विकास योजना के लिये वर्ष 2007-08 में बजट आबंटन पर चर्चा के लिये।

50. राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एवं राष्ट्रीय पिछड़ा जिला योजना की क्रियान्विति व योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

51. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की अपूर्ण चारदीवारियों का निर्माण कराने, ग्रामीण क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों, भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कराने तथा बड़े-बड़े गांवो में बरसाती व गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र लूणी के मुख्य कटाण कच्चे मार्गों को ग्रेवल सड़कों में अपग्रेड करने, गांवों व कस्बों के अन्दर सभी गलियों व मौहल्लों में सीमेंट सड़कों (सी.सी. रोड) का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

53. चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित ग्रामीण विकस की सभी योजनाओं को तेज गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

54. विधान सभा क्षेत्र कपासन में गुरु गोलवलकर योजना व स्वविवेक जिला विकास योजना अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र कपासन में रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत शीघ्र कार्य दिलाने, आवासीय योजना के लक्ष्यों का कपासन में अतिरिक्त आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

56. ग्रामीण विकास की योजनाओं के लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

57. मेवात विकास बोर्ड का कार्यालय मेवात क्षेत्र में ही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. मेवात विकास बोर्ड का बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास, रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने एवं महिलाओं को लघु उद्योगों का प्रशिक्षण दिलाने की प्रभावी योजना बनाने व क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. मेवात विकास बोर्ड की निर्धारित समय पर बैठक नहीं होने तथा बजट का सही उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. माण्डा योजना से भ्रष्टाचार समाप्त कर योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) :

62. ग्रामीण विकास के लिये जिला कलक्टर की स्वीकृति की राशि में बढोत्तरी किये जाने पर चर्चा के लिये।

63. ग्रामीण जिला सीकर बी.एस.आर. की दर निर्धारण करने की कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने पर चर्चा के लिये।

64. जिला ग्रामीण बी.एस.आर. सीकर की मिट्टी के कार्य की दर काफी कम करने पर चर्चा के लिये।

65. जिला ग्रामीण बी.एस.आर. सीकर हर छः महीनों में बदलाव होने पर चर्चा के लिये।

66. ग्रामीण विकास विभाग में अभियन्ताओं की पूर्ति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) :

67. मेवात विकास के कार्य तुरन्त शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु सांसद राज्यसभा द्वारा अनुशंषित कार्य वर्ष 2002-03 नगरपालिका तिजारा द्वारा न किये

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

जाने एवं कार्य एजेन्सी बदले जाने पर राशि की जानकारी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

69. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थानीय मण्डियों की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

70. प्रत्येक पंचायत में सचिव लगाने तथा ग्रामीण विकास के लिये बी.एस.आर. को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

71. विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत मुडासेल के गांव हिलेज में सार्वजनिक कुएं खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम पंचायत जामली के गांव जामली व बड़दा में आदिवासी किसानों के खेतों में निजी कुएं खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के 319 गांवों में विधवा महिलाओं की गणना की जाकर उनके उत्थान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

74. मेवात विकास बोर्ड को आबंटित धनराशि को समय सीमा में व्यय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

75. ग्रामीण विकास योजना दूर-दराज में घटिया सामग्री उपयोग करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

76. ग्राम पंचायतों को पाइप लाइन, ट्यूबवैल, हैण्डपम्प लगाने के अधिकार दिये जाने, पंचायत तथा पी.एच.ई.डी. विभाग की दरों में दो गुणा अन्तर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. पंचायतों में पट्टा बनाने के कार्य को सरल किये जाने, सरपंच द्वारा पट्टा नहीं बनाने पर नियमित समीक्षा की जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

78. पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले सी.सी. रोड निर्माण तथा भवन निर्माण में गुणवत्ता के अभाव व कार्य ठेके पर कराये जाने व पी.डब्लू.डी. की तर्ज पर प्रत्येक कार्य की गारन्टी तय किये जाने पर चर्चा के लिये।

79. जल ग्रहण योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार रोकने पर चर्चा के लिये।

80. टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कब्रिस्तानों की चारदीवारी निर्माण करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

81. ग्राम पंचायत बागौर तहसील नादौती जिला करौली में पूर्व में आबंटित आवासीय पट्टों को गायब करने, आवेदन करने पर डुप्लीकेट आवासीय पट्टे नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

82. पिछड़ा जिला बाड़मेर में विकास कार्यक्रम के अनुसार देय राशि को अन्य राज्यों की भांति जिला परिषद 25 प्रतिशत, पंचायत समिति 25 प्रतिशत, ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत आबंटित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

83. ग्राम जालिया रूपावास ग्राम पंचायत सूरजपुरा पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर में आबादी भूमि पर हुये अतिक्रमण हटाकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जालियावास को शीघ्र आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम धोद (धोद) :

84. भोपालगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किये महाविद्यालय भवन की जांच में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

85. जिला धौलपुर में बी.पी.एल. परिवारों में सर्वे के दौरान हुई अनियमितता से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

86. धौलपुर में विधायक निधि से स्वीकृत कार्य समय पर पूरे नहीं होने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

87. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किरारपुरा में खसरा नं. 231 रकबा दो बीघा एक बिस्वा पंचपीर पोखर पर राशि स्वीकृत हो जाने के बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा कार्य नहीं करने देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

88. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिदिन पंचायत कार्यालय पर बैठने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

89. विधान सभा क्षेत्र सीकर के गांवों में मुख्य सड़क गांव के चौक या बाजार में जहां पानी भरा रहता है इसके लिये पंचायत द्वारा सड़क निर्माण या सीवरेज करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

90. ग्रामीण क्षेत्र में गन्दे पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

91. ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के सभी गांवों में पानी निकासी के लिये नाली निर्माण पंचायतों के माध्यम से करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के सभी गांवों के रास्तों में पानी भरा रहने से सी.सी. रोड पंचायतों के माध्यम से बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

94. पंचायत समिति सांचौर में रिक्त पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

95. पंचायतों का पुनर्गठन न होने से उत्पन्न स्थिति व पूगल को पंचायत समिति घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

96. ग्रामीण विकास की योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा धन आबंटन में सिरोही जिले के साथ भेदभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

97. ग्रामीण विकास योजना की क्रियान्विति में अधिकारियों की ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विकास अधिकारियों के बार-बार तबादलों से ठप्प ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

99. प्रधान पंचायत समिति अनूपगढ़ श्रीगंगानगर को अवैधानिक तरीके से मुवतल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

100. मीणा आबादी वाले मौहल्ले ग्राम देई (बूंदी) में व्याप्त कीचड़ तथा गन्दगी से मुक्ति के लिये नाली एवं खरन्जा निर्माण में विभागीय लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम में बूंदी जिले को सम्मिलित करवाने में सरकारी असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के विभिन्न ग्रामों में खाली पड़ी हजारों हैक्टर बंजर भूमि के विकास हेतु योजना बनाकर कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत चयनित व्यक्तियों की सूची में प्राथमिकता बदलकर की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. डी.आर.डी.ए. में नियुक्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य डी.आर.डी.ए. में स्थानान्तरण करने के लिये प्रावधान नहीं करने से पैदा हुई विषम स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

105. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ब्लाक डूंगरगढ़ में कार्य पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

106. एस.जी.आर.वाई. के तहत ग्राम पंचायत को हैण्डपम्प लगाने हेतु 33 हजार रुपये की राशि कम होने से हैण्डपम्प नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बी.पी.एल. परिवारों में आर्थिक दृष्टि से

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

कमजोर व्यक्तियों के वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. पंचायत समिति बस्सी पूर्व में चयनित बी.पी.एल. परिवारों के आवास आग से नष्ट होने के फलस्वरुप उन्हें इंदिरा आवास दिये जाने पर चर्चा के लिये।

109. जिला परिषद द्वारा जिला जयपुर की पंचायत समितियों में समानीकरण के आधार पर एस.जी.आर.वाई. व योजनाओं का समान वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बस्सी ग्राम नगराजपुरा में पंचायत के पट्टाशुदा भूमि में पंचायत की बनी दुकानों को तोड़ दिये जाने से हुये नुकसान की भरपाई नहीं करने तथा पुन: दुकानें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

111. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ की पंचायत समिति बुहाना में स्टाफ की कमी होने पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ की ग्राम पंचायत मोईसदा में हुई अनियमितता की जांच कराने पर भी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की ग्राम पंचायत झाडोड़ा में हुई अनियमितता की जांच अन्वेषण ब्यूरो में होने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ की ग्राम पंचायत सांतोर में कार्य करने की एवज में पैसे उठा लिये जाने के बावजूद भी कार्य नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बुहाना में गलत पट्टे दिये जाने के बावजूद भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

116. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के सूखाग्रस्त क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री राकेश मेघवाल)

117. ग्रामीण विकास के लिये गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. परबतसर के ग्राम कुण्डरी, गांगण, पीह, बस्सी बड्डू, हरनावां में सड़क व नाली निर्माण हेतु विशेष अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की ग्राम पंचायत बखे, नेतियास व रिड में नाली व सी.सी. रोड निर्माण हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लघु उद्योग व अन्य व्यवसायों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

121. बी.ए.डी.पी. की प्रदेश स्तरीय कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

122. ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले तालाबों के रख-रखाव हेतु विशेष अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव को दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने पर चर्चा के लिये।

124. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभागीय पदों के लिये अलग केडर गठित करने पर चर्चा के लिये।

125. भीलवाड़ा जिले के जिन जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जांच पूर्ण हो गई है उनकी विभागीय जांच पूर्ण कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

126. जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को मानदेय देने, भत्ता राशि बढ़ाने एवं इनको विकास फण्ड देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

127. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पंचायत समितियों के माध्यम से कृषकों को इजराइल खेती अपनाने की तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में रोजगार गारंटी योजना के तहत जल

(श्री महीपाल यादव)

संग्रहण हेतु जोहड़ एवं तालाबों के पुररुद्धार हेतु सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. रतनजोत की खेती में भूमि आबंटन का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा एवं बेरोजगार युवकों को पड़त भूमि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. रोजगार गारंटी योजना में अलवर जिले को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

131. ग्रामीण विकास में आबंटित राशि के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

132. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन जिला करौली में ग्राम महुखास में हनुमानजी के मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण, ग्राम पीपलहेड़ा के शमशान घाट में चद्दरपोश विश्राम गृह का निर्माण एवं ग्राम लहचोड़ा ग्राम पंचायत लहचोड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) :

133. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में इंदिरा आवास योजना के मकान बनाने, छाबड़ी मीठी से खारी, पड़िहारा तथा मैनासर भीचरी में ग्राम विकास के लिये सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

134. पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में इंदिरा आवास योजना का महिला पंचायत बेवड़ का बकाया भुगतान करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. राजगढ़ (चूरू) की पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गालड के पूर्व सरपंच सम्पत सिंह द्वारा विकास कार्य में गबन करने पर कार्यवाही करने हेतु चर्चा के लिये।

136. विभाग द्वारा पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के ग्राम नीमा की प्राथमिक शाला की चारदीवारी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

137. पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में एम.एल.ए. लेड के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. कृषि बीमा को तर्कसंगत बनाने तथा कृषि से सम्बन्धित कामगारों के कल्याण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

2. किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने एवं विभाग द्वारा कृषि उत्पादों को बढ़ाने, नकली खाद व बीज की रोकथाम हेतु कारगर उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

3. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. कृषि उपज की वस्तुओं का बाजार में उचित मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विभाग द्वारा खेत को एक इकाई मानकर कृषि बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

6. विभाग द्वारा खाद एवं बीज का भण्डारण समय पूर्व करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. कृषि एवं राजस्व विभाग में तालमेल के अभाव में अकाल जैसी स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

8. कृषि की बिगड़ती फसलों के उपाय हेतु सरकार की अनदेखी व विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद, बीज व दवाइयों का सही वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

9. विभाग द्वारा किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले उस निमित आवश्यक कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

10. जोधपुर की कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) मण्डोर मण्डी द्वारा

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सड़क निर्माण के लिये राज्य सरकार को भिजवाये गये प्रस्तावों की स्वीकृति देने व शेरगढ़ तहसील में नये कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

11. विभाग द्वारा इजराइल से प्राप्त कृषि ज्ञान व जल संरक्षण कार्य को सरकारी कृषि फार्म पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
13. कृषि विभाग व सरकार द्वारा कृषि फार्म पर ठेके से खेती करवाने के स्थान पर विभाग द्वारा आदर्श खेती करके मिसाल पैदा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. प्रदेश के हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. राज्य में खाद बीज में मिलावट के कारण किसानों को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

16. किसानों को समय पर खाद एवं गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कृषि की महत्वता को मद्देनजर कृषि कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. बूंदी जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

19. कस्बा किशनगढ़बास में बीज व उर्वरक भण्डार गृहों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

20. सरसों तोल केन्द्र पर तुलाई चालू करने व सरसों तोल केन्द्र रायपुर में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
21. कृषि उपज मण्डियों में रिक्त पदों को भरने, गोल मण्डियों के नये भवनों में से रिक्त भवनों में कृषि मण्डियां चालू कराने व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

22. परम्परागत कृषि के साथ-साथ आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. कृषि बीमा के लिये खेत को इकाई मानकर तर्कसंगत बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा कृषि उपज के अच्छे परिणामों के लिये राज्य में फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

25. सी.आर.एफ. की गाइड लाइन में किसान को फसल बीमा लाभ हेतु व्यक्तिगत उसी के खेत को इकाई माने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

26. काश्तकार सोजत रोड की मण्डी में अपनी उपस्थिति दे सके इस हेतु खोड़िया से पाकेरिया नाड़ी होकर सालरमाला व लाडपुरा तक की सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. ग्राम निम्बेड़ाकला में करमावास मालियान होकर झूंठा तथा झूंठा से रायपुर कृषि उपज मण्डी के सब वार्ड तक डामर की सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र रायपुर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

29. विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा कृषि पैदावार को खरीदने व भुगतान हेतु उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. कृषि उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में व उचित समय पर किसानों तक पहुंच सुनिश्चित्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

32. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के किसानों को अपने खेत की तारबबन्दी करने हेतु ऋण व अनुदान स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री तगाराम चौधरी)

33. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की पर्याप्त पानी उपलब्धता वाली पंचायतों के किसानों को अपने ट्यूबवैल खोदने के लिये सस्ती दर पर ऋण व अनुदान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के काश्तकारों को विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु विभाग द्वारा पहल करने पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर खरीफ की फसल का बीमा करने हेतु कैम्प आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के अधिकतर हिस्से में अतिवृष्टि व बाढ़ से कृषकों की खेती की जमीन खराब होने से उन्हें सुधार हेतु ऋण व सहायता स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

37. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर व देचू में सहायक कृषि अधिकारी (विस्तार) का पद सर्जित करने तथा बेलवा, बालेसर, खुडियाला, चामू, लोड़ता, नाथडाऊ, कनोडिया, पुरोहितान, डेरिया, देचू, याउसमा, कलाउ, जेडानिया, डूंखालिया, शेरगढ़, खिंयासरिया ग्रामों में कृषि पर्यवेक्षक (विस्तार) के पद सर्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

38. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें रीशनदा, बडानवा गांव से चेता, धनावा से धाबाईयों का नया गांव आदि सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

39. विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई शहर में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

40. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में कृषि पर्यवेक्षक पर यथावत रखने तथा ब्यावर स्थित सहायक निदेशक, कार्यालय में कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

41. विधान सभा क्षेत्र मकराना में समय पर बीज, खाद काश्तकारों को

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

वितरण किये जाने एवं बील्ला, गोलासर, मनाना ग्राम में कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

42. कृषि उपज मण्डी समिति राजसमन्द में मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों- सुनरिया खेड़ा से अमरपुरा, पद्ममता से अमरपुरा की बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के रेलमगरा कस्बे को फल एवं बागवानी मिशन से जोड़ने, कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

44. विभाग द्वारा प्रदेश में नकली खाद-बीज पर रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

45. तिनकीरूडी फार्म हाऊस मुण्डावर में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

46. राजस्थान बीज निगम कोटा में रिजनल मैनेजर श्री आर.पी. गुप्ता द्वारा श्रमिक ठेके को समय से पहले ही हटा देने एवं 55 प्रतिशत अधिक पर ठेका करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. राजस्थान सीड कार्पोरेशन कोटा में रिजनल मैनेजर एवं बीज अधिकारी द्वारा ग्रेडेंड मूंग के बीज को अण्डर साइज बताकर राजस्थान सीड कार्पोरेशन को लाखों रुपयों का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक जयपुर द्वारा की गई जांच पर इन अधिकारियों के विरुद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

48. एस.ई.जेड. हेतु किसानों की उपजाऊ भूमि नहीं ली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. रतनजोत की खेती हेतु सिवायचक व चरागाह भूमि नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह)

50. सभी जिन्सों का कृषि बीमा करने व भुगतान समय पर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. कृषकों की फसलों को रोजड़ों (जंगली जानवरों) से हुए नुकसान का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. किसानों को अतिवृष्टि के कारण 10 हजार तक कर्जे माफ करने व ब्याज दर 4 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में रिक्त पड़े कृषि पर्यवेक्षकों एवं अन्य पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विभाग द्वारा किसानों को रबी एवं खरीफ की फसल बोई जाने पर इनका आवश्यक बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा कृषि उत्पादन हेतु बोई गई जीरा और ईसबगोल की फसल को वाणिज्यिक फसल नहीं मानकर इन फसलों को भी मुआवजा देने हेतु सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. कृषि भूमि हेतु बाजार में नकली खाद एवं बीज उपलब्ध होने के कारण कृषकों को भारी नुकसान होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

57. चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख कृषि जिन्सों की पैदावार बढ़ाने के लिये उन्नत कृषि तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी देने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में कृषि कार्य में लगे किसानों को प्रदत्त सुविधाओं, देय अनुदान व अन्य छूटों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. निम्बाहेड़ा में फल-सब्जी गौण मण्डी के विकास एवं उसे विशिष्ट दर्जा देने तथा मण्डी में कोल्ड स्टोरेज (पिक हाऊस) निर्माण पर चर्चा के लिये।

60. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा क्षेत्र में नई कृषि सम्पर्क सड़कों के निर्माण, पूर्व में निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा मण्डी प्रांगण में दुकानों व गोदामों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

61. तहसील छोटी सादड़ी में गौण मण्डी को स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति घोषित करने पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

62. विधान सभा क्षेत्र लूणी के सबसे बड़े कस्बे धुन्धाड़ा में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने, कृषि मण्डी द्वारा निर्मित भाण्डू-फींच, भाण्डू-बडलिया, धवा-चाली व बाड़मेर रोड-कटारड़ा सड़कों की तुरन्त मरम्मत करने व धुन्धाड़ा-रोहिचा खुर्द, उत्तेसर-धुन्धाड़ा, सतलाना-रोंटड़ी व ओ.डी.आर. 69 से लोलासनी मार्गों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

63. किसानों को तकनीकी खेती करने का प्रशिक्षण, कृषकों को उन्नत बीज व जैविक खाद के प्रयोग तथा बून्द-बून्द सिंचाई फव्वारा पद्धति हेतु प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये कृषि मण्डियों का विकास करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

66. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में खाद, बीज की पूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि में खराब बीज व मिलावटी खाद को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

70. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना अमूल्य नीर योजना के लक्ष्य बढ़ाने पौध/बीज संरक्षण के कार्यक्रम चलाने व राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) :

71. रबी की फसल के समय जालोर में यूरिया की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

72. किसानों को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. बुवाई के समय किसानों को डी.ए.पी. यूरिया व खाद नहीं मिलने उसकी कालाबाजारी से होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड तथा किसानों को खाद-बीज व कीटनाशक आदि में हो रही ठगी को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं किसानों को इसका पूरा लाभ सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. कृषि उपज मण्डी समितियों के घाटे में चलने की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

77. कृषि उपज मण्डी समितियों के चेयरमेन को निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों से 30 प्रतिशत टैक्स के रुप में अंशदान वसूलने पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) :

79. खाद पर मिल रही छूट व गोबर की खाद पर छूट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विभाग द्वारा किसान को समय पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राज्य में शुष्क खेती पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

82. जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मावली में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

83. जिला बांसवाड़ा सहकारी समिति (लेम्पस) में रबी व खरीफ फसलों के बिजाई के समय बीज व खाद लेम्पस द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

84. कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को राजस्थान कृषि महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

85. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के महादेव मन्दिर गोणदी तक कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

86. निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत तलवाड़ा झील एवं कस्बा टिब्बी में शैड का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

87. रामसिंहपुर सब मण्डी यार्ड का बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

88. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत के लिये चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में किसानों को विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु जमा फाइलों को अतिशीघ्र कनेक्शन देने हेतु विभाग को पहल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

90. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

91. जयपुर जिले की ग्राम चौप (आमेर) में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई जीर्ण-शीर्ण सड़क को पुन: बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

92. विधान सभा क्षेत्र आहोर के जवाई कमाण्ड क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न ग्रामों को सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) :

93. राजस्थान की विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'कृषि विज्ञान' विषय खोलने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने एवं उसके लिये उपयुक्त बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

94. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में ओलावृष्टि से हुये नुकसान का कृषकों को व्याप्त मुआवजा नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

95. धौलपुर जिले में भूमि का जल स्तर निरन्तर गिरते जाने से किसानों को आने वाले समय के मद्देनजर विभाग द्वारा आवश्यक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. धौलपुर कृषि मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों पर पुन: मरम्मत एवं डामरीकरण नहीं कराने से अंतोष पर चर्चा के लिये।

97. धौलपुर में खाद-बीज की दुकानों पर नकली खाद-बीज मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

98. जिला धौलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

99. कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में ही मण्डी समिति की आय में नई सड़कें बनाने व प्रत्येक कमजोर मण्डी समिति क्षेत्र में पुलियों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. कृषि क्षेत्र में डिग्गी, फव्वारा सेट पर, नये बागों (किन्नू, अनार, बेर, आंवला) में, जोजोबा के पौधे पर बून्द-बून्द सिंचाई पद्धति हेतु सौलर उपकरणों पर 90 प्रतिशत अनुदान बढ़ाने या बैंकों की ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. श्री गंगानगर जिले की मण्डी समितियों की राशि गंगनहर पुन: निर्माण (सिंचाई विभाग) से वापिस मण्डी समितियों में स्थानान्तरित के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

102. कृषि विपणन बोर्ड नोखा द्वारा सैगाल धोरा से हंसासर तक डामर सड़क बनाने कृषि मण्डियों को अधिकार देने, किसानों को मुआवजा न मिलने पर अनुसूचित जाति के किसानों की दयनीय स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

103. सहायक निदेशक कृषि विस्तार व कृषि अधिकारी के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

104. सिरोही जिले में घटिया बीजों की आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

105. श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

106. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सांप काटने, करंट लगने, पेड़ से गिरने, थ्रेसर मशीन से कट जाने, गोयरा खाने आदि कारणों से मृतक कृषकों को सहायता राशि स्वीकृत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के देव गांव से तूंगा वाया दबाऊ कला, पीलिया से करणगढ़ वाया खतेपुरा, पाटन से भूडला आगरा रोड़ से हंसमहल रोड़ों के टूट जाने से कृषि मण्डी तक आवागमन में हो रही बाधा पर चर्चा के लिये।

108. कृषि उपज मण्डी चाकसू, कृषि उपज मण्डी, जयपुर (अनाज) सूरजपोल, फल सब्जी मण्डी में गत तीन वर्ष में नई सड़कें नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

109. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में किसानों को नकली कीटनाशक दवाइयां वितरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में किसानों को फसल बुवाई के समय खाद, बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दर लाल)

111. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में खाद-बीज घटिया किस्म के वितरित करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

112. परबतसर में कृषि उपज मण्डी यार्ड व कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. कृषि कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋण को ब्याज से मुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. गांवों के गरीब किसानों को कृषि विभाग की नवीन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

115. कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर में किसानों के ठहरने की सुविधा सुदृढ़ करने पर चर्चा के लिये।

116. कृषि उपज मण्डी समिति पाली में किसानों के ठहरने की व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

117. फसल बीमा में खसरा नम्बर वार यूनिट मानकर बीमा राशि के निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. ईश्वरी फुट गार्डन (बून्दी) की भूमि को यथावत कृषि विभाग के पास रखी जाकर उसमें अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. वर्ष 2005 से अब तक की अवधि में सरकार द्वारा प्रशिक्षण तथा भ्रमण के लिये विदेश भेजे गये कृषकों सहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्बन्ध में सरकारी उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

120. बाजरे की फसल बीमा का वर्ष 2005-06 का क्लेम नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

121. काश्तकारों को कृषि सतत शिक्षा प्रदान करने व आधुनिक खेती के तरीके अपनाने के बारे में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

122. किसानों को यूरिया खाद समय पर उपलब्ध कराने एवं उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. बाड़मेर एवं जैसलमेर कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों को ठहरने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

124. खैरथल कृषि उपज मण्डी समिति में तुलाई व छनाई का खर्चा खरीददारों से नहीं लेकर किसानों से लेने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. बहरोड़ कृषि मण्डी यार्ड का अवार्ड जारी होने के बाद भी मण्डी निर्माण में देरी होने से क्षेत्र के किसानों में व्याप्त निराशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. बानसूर व बहरोड़ दोनों विधान सभा क्षेत्रों में किसानों के फव्वारा (ड्रिप सिंचाई) ऋण लम्बित रहने के कारण किसानों को सहायता व ऋण तुरन्त जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. बहरोड़, बानसूर, निमराणा, मुण्डावर में कृषि क्षेत्र होने तथा कृषि क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. अलवर कृषि मण्डी यार्ड में खुली बोली से कृषि जिन्सों की बिक्री पर्चों से नहीं होने पर किसानों का दलालों द्वारा शोषण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

129. फसल बीमा योजना में तहसील को इकाई न मानकर प्रत्येक क्षेत्र को इकाई मानने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

130. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन (करौली) में नवीन कृषि मण्डी यार्ड हिण्डौन में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पुलिस चौकी भवन निर्माण करने, कृषि विपणन बोर्ड नवीन मण्डी यार्ड हिण्डौन (करौली) में शौचालयों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

131. पंचायत समिति मुख्यालयों पर कृषि प्रसार अधिकारी पद सर्जन करने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

132. कृषि कुओं का जल स्तर घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. राजगढ़ (चूरू) में कृषि केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. कृषि बीमा योजना में बकाया भुगतान करने बाबत चर्चा के लिये।

135. कृषि बीमा योजना में खसरा नम्बर को इकाई मानने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

1. पशुधन का बीमा करवाये जाने व ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

2. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने तथा जहां चिकित्सालय नहीं हैं वहां माह में एक बार शिविर लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

3. विधान सभा क्षेत्र गुढा में पशु चिकित्सालय में नकली दवाएं वितरित होने एवं पशु चिकित्सा हेतु झुंझुनूं के केड, पौख, गुढा आदि स्थानों पर पशु चिकित्सकों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. जयपुर स्थित कानोता बांध, जलमहल से सीवरेज व गन्दे पानी से मछलियों के नष्ट होने से मछली पालकों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

5. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के पशु चिकित्सा केन्द्र चिलपली टोडी, भिडोर, भामोद एवं लचवास में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

6. पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का गांवों के चिकित्सालयों पर उपस्थित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

7. विधान सभा क्षेत्र भीम में पशुपालन एवं चिकित्सा में सुधार एवं पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सालयों, पशु उपकेन्द्रों में रिक्त

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पद भरने, नवीन पशु चिकित्सालय व पशु केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

9. ग्राम नौवी, जिला पाली में पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने एवं वर्तमान पशुपालन चिकित्सालयों को सुदृढ़ करने पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

10. प्रदेश में भवन रहित पशु चिकित्सालयों में नवीन भवन बनाने तथा पुराने भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. प्रदेश में कुक्कुट, मत्स्य व्यवसाय की सम्भावना के अनुपात में विकास का अभाव तथा इसके प्रति विभाग की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. पश्चिम राजस्थान से हाड़ौती सम्भाग में लाखों की संख्या में भेड़ों के निष्क्रमण से स्थानीय पशुपालकों के सामने चराई के संकट को ध्यान में रखकर भेड़ों के निष्क्रमण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र दीगोद के सांगोद, कनवास, कुन्दनपुर, दीगोद में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालय व नियुक्त चिकित्सकों में हाड़ौती सम्भाग के साथ पक्षपात से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

15. प्रत्येक जिले में पशु चल चिकित्सा इकाई स्थापित करने तथा पेचरी कावड़ी एवं रानीपुरा में पशु चिकित्सक का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

16. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम पंचायत दलपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

17. बाड़मेर जिले के उपखण्ड गुढ़ामालानी पर संचालित पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

18. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम फातियाबाद व गुणसाद में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

19. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में उप पशुपालन स्वास्थ्य केन्द्र चित्रावास को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

20. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नये पशु औषधालय खोलने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

21. विभाग द्वारा पशुधन का बीमा सुनिश्चित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. विभाग द्वारा पशुओं के परम्परागत उपचार को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) :

24. विधान सभा क्षेत्र रायपुर के ग्राम सिधपुरा (सोजत), छाघरिया बाडिया चिताड़, छितरीया, बायेल, गुडाबच्छराज व सीरमा में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा बासनी दधवाडियान के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

25. विभाग द्वारा पशुधन उत्पादों दूध, ऊन आदि के उचित मूल्य दिये जाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पशु चिकित्सा सुविधा तुरन्त व नजदीक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. विभाग द्वारा पशुओं हेतु चरागाह विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

28. निम्बाहेड़ा तहसील के ग्रा.पं. मुख्यालय, केली व छोटी सादड़ी के ग्रा.पं. मुख्यालय सुबी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

29. पशु चिकित्सालय बिनोता व लसड़ावन (तह. निम्बाहेड़ा) व धोलापानी (छोटी सादड़ी) में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसीलों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

32. जिला अलवर की पं. स. रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

33. विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई, झिलाय, राहोली एवं डांगरथल के पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम हाडीगांव में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

35. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम मुहामी, पीचौलिया में पशु चिकित्सालय खोलने, पशु चिकित्सकों की कमी पूर्ति करने तथा रामसर स्थित बकरी पालन फार्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

36. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रामपुरिया धावाई में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

37. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम पं. मुख्यालय बूडसू, गोलासर गांव नीमड़ी में पशु चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

38. राज्य में गौशालाओं को वर्तमान में दिए जा रहे अनुदान में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल खटीक)

39. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की ग्राम पंचायतों बिनोल, आत्मा, पड़ासली में पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

40. राज्य में पशुओं के अवैध व्यापार पर रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

41. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जाट बहरोड़ में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बधीन में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के भानोत में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम बासनी में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

45. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पशु चिकित्साधिकारियों को विशेष कार्यक्रम-पशु शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक बीमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में गायों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायतों को अच्छी नस्ल के बकरे व गेटे उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अकाल के समय खुल रहे पशु शिविरों में नियमित जांच व नि:शुल्क दवाइयों का वितरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज/शाहबाद में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

51. नसीराबाद के पास रामसर गांव में पशु फार्म में गीर नस्ल की गायों का प्रजनन व संवर्धन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के गांव जेठाना में स्थित पशु औषधालय को क्रमोन्नत करने एवं वर्तमान जर्जर भवन की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के गांव लीडी, वीर, भटियानी व ढ़ाल में पशुओं के औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. पशुओं के चरने हेतु सिवाय-चक भूमि को चरागाह में घोषित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

55. पशुपालन को बढ़ावा देने, गायों की दुर्दशा रोकने हेतु किसानों को अनुदान एवं सस्ते मूल्य पर चारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान राशि अनवरत जारी रहने एवं चिकित्सा अनुदान अलग से स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. जिला नागौर के विश्व स्तरीय पशु मेलों को बचाने हेतु तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों की राजस्थान से बाहर निकासी पर प्रतिबंध शीघ्र हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम दादरिया कलां (डेगाना) में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के पशु चिकित्सालयों और पशु उपकेन्द्रों पर लम्बे समय से रिक्त पड़े चिकित्सकों, पशुधन सहायकों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

60. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम पंचायत मुख्यालयों-मोगड़ाकलां,

(श्री जोगाराम पटेल)

नारनाडी, लुगावास कलां, लूणावास खारा, भाण्डू कलां, खाराबेरा पुरोहितान, नंदवान, शिकारपुरा पर पशु चिकित्सालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

61. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु औषधालय खोलने व रिक्त पशु चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के पद भरने पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये कम ब्याज पर ऋण देकर उन्नत नस्ल के पशु खरीदने हेतु कारगर कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) :

63. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशु चिकित्सकों व पशुधन सहायकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जारोड़ा में पशु चिकित्सालय व ग्राम पं. इन्द्राव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

65. विधान सभा क्षेत्र कपासन में, पशु चिकित्सालयों व कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खुलवाने तथा पशुधन विकास की अधिकाधिक योजनाएं लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

66. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के गांव गोविन्दपुरा व धरोनिया में पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्म्द माहिर आजाद (नगर) :

67. पशुपालकों को जगह-जगह पंजीयन कर छोटी-मोटी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. पशु चिकित्सा को प्रभावी बनाने तथा पशुपालकों को इसका अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

70. बकरियों एवं भेडों में खुरपका, मुंह पका व सैड़े की बीमारी के लिये मोबाइल चिकित्सा इकाई द्वारा टीकाकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. पशुओं में होने वाले मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रयास नहीं करने से होने वाली पशुधन हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

72. मावली में पशु चिकित्सालय भवन बनाने बाबत वृत में 5 पंचायतों के मध्य यथा डबोक, धासा, फतहसागर सनवाड़, खेरली, चेठसर में पशु चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

73. खैरवा में पशु चिकित्सालय, दादई माण्डल में पशु चिकित्सक की पोस्ट क्रियेट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) :

74. राज्य में पशु बीमा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में नस्ल सुधार हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

76. बंजड़ भूमि पर पशुपालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

77. विधान सभा क्षेत्र सीकर में पशु चिकित्सालय खोलने एवं डाक्टरों व कम्पाउण्डर की नियुक्ति के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :

78. विधान सभा क्षेत्र नोहर के नोहर ग्रामीण पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

79. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव रूजिया, डांगल, मियासा, कन्ठाव में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव गोलियाबाग, बामनवाड़ा एवं वजना में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत नीनामा)

81. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव बासड़ी खेड़ा, मोरड़ी निचली, घाटे की नाल व केला-मेला में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव केसरपुरा, पृथ्वीपुरा, सेमलिया, सोडलपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

83. निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत राजकीय पशु चिकित्सालय टिब्बी को प्रथम श्रेणी पशुधन चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने, ग्राम न्योलखी, भाखरावाला, धनासर कमरानी, 25 आर.डब्ल्यू.डी., खाराखेड़ा चक 15-16 के.डब्ल्यू.डी., बोहर वाला कलां, मुण्डा, भेमसरी, 7 डीबीएल चक 9 डी.डब्ल्यू.डी., टोपरिया इत्यादि में उप-स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

84. देइंदामपुरा, तहसील सूरतगढ़ व गांव 11 पी-अतरोडा तहसील अनूपगढ़ में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

85. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ाने देने के लिये विभिन्न योजनाओं, पशुपालकों को देय सुविधाओं, तथा नई गौशालाएं खोलने की प्रक्रिया एवं राजकीय सहयोग पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

86. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के विभिन्न पशुपालन एवं चिकित्सालय में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में पशुपालन महाविद्यालय स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

88. विधान सभा क्षेत्र जालौर के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. सायला (जालौर) में वर्तमान में चल रहे पशु चिकित्सालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) :

90. नांवा शहर के पशुपालन चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. कुचामन सिटी के जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत चल पशुपालन चिकित्सालय की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र नावां ग्राम-कुकनवाली के पशु चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

93. पशुओं में डायक्लोफेनिक तथा ओक्सीट्रोसिन इन्जेक्शन के उपयोग से होने वाली बीमारी तथा पशुओं के मरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

94. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के पशु चिकित्सालयों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

95. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम रामा में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) :

96. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अजीत, खण्डप एवं मजल (जिला बाड़मेर) में पशु चिकित्सालयों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जुनामीठा खेड़ा (सिवधरी) बाड़मेर में पशु चिकित्सालय को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

98. जिला पाली के बीमित पशुपालकों के बच्चे जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत हैं, उन्हें देय छात्रवृत्ति की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्तों के बकाया रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. जिला पाली में वर्ष 2006 की बाढ़ अतिवृष्टि के दौरान पशु चिकित्सा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हेतु जिला पाली को आबंटित राशि रुपये 25 लाख की औषधियों का क्रय करने के पश्चात भी चार माह से वितरण ठप्प पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. भेड़ बीमा योजनान्तर्गत जिला पाली के सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही से सरकार व पशुपालकों का प्रीमियम अंश सम्बन्धित बीमा कम्पनी को यथासमय जमा नहीं कराये जाने से पेण्डिंग चल रहे लगभग 1000 भेड़ बीमा प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र बाली के पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) :

103. विधान सभा क्षेत्र फागी के ग्राम बड़ोदिया में ढूंढ नदी के किनारे, कादेड़ा (चाकसू) व ग्राम डाकिच (फागी) में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

104. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में पशु चिकित्सालयों में दवाई व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

105. धौलपुर जिले में वर्षा के अभाव में चारे की भारी कमी को देखते हुए पशु शिविरों में चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने पर विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. धौलपुर जिला मुख्यालय को पशु चिकित्सालय एवं तहसील सैपऊ में उपकेन्द्र को क्रमोन्नत नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम मोरोली, मैसेना, विश्नौदा, करीमपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) :

108. बारां पशु चिकित्सालय के आधुनिकीकरण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

109. अन्ता पशु चिकित्सालय का आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. बारां जिले की अन्ता तहसील के ग्राम रायथल, सोरसन, विजोरा, पलामया, अमलसरा एवं बारां तहसील के ग्राम सुन्दलक में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. बारां जिले के ग्राम बालदड़ा में नवीन पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

112. पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था तथा पशुओं की दवाई पर सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

113. सिरोही जिले में पशुओं की घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

114. रसीदपुरा सीकर पशु उप केन्द्र पर चिकित्साकर्मी नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) :

115. ग्राम गुसांईसर, उदरासर (श्रीडूंगरगढ़) में नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

116. जयपुर जिले में गौशाला हिंगोनिया की व्यवस्था सुचारू करने हेतु अधिक राशि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत तीन वर्ष में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. बस्सी क्षेत्र में मेट्रो डेयरी प्रारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. गौशाला हिंगोनिया, पिंजरापोल गौशाला, सांगानेर आदि में पिछले आठ वर्ष में वर्षवार मरी गायों के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

120. पशुपालन विभाग के बस्सी स्थित कार्यालय को आगरा रोड़, जयपुर के आस-पास स्थानान्तरित होने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

121. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की पंचायत समिति बुहाना, काहड़वास, सिंघाना, खांदवा में पशु चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

123. पशुपालन कार्यालय परबतसर में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. पशु मेला परबतसर से हुई आय को पशुधन विकास बोर्ड से मेला कार्यकारिणी समिति को दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम, बडू, कुण्डरी व बस्सी में पशु चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. परबतसर शहर में दुग्ध पालकों की सुविधा हेतु डिपो खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

127. सुमेरपुर नगर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित पशुपालन चिकित्सालय को शहर से बाहर भवन मय डाक्टर्स व स्टाफ क्वार्टस दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

128. विधान सभा क्षेत्र शिव में नये पशु चिकित्सालय एवं पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

129. जहाजपुर पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

130. पशुपालन व उससे जुडे अन्य कार्यों की बदोलत पशुपालकों/किसानों की अर्थव्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

131. विधान सभा क्षेत्र शिव में पशु चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्रों के भवनों की जर्जर स्थिति को सुधारने पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :

132. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के पशु उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम भूपसेड़ा, रिवाला, भिटेड़ा, डांगीवास, लाडपुर, बहराम का वास, निमूचाना में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. पंचायत समिति बानसूर पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में दहमी गौशाला व निमूचाणा गौशाला तथा गूंता गौशाला हेतु आर्थिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कामधेनू योजना के अन्तर्गत पशु प्रजनन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

137. प्रदेश में पशुओं पर लगाये जाने वाले आक्सीटोक्सीन इन्जेक्शनों पर अविलम्ब, प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जयपुर स्थित विद्याधर नगर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

139. पशु चिकित्सालयों में किशनगंज एवं शाहबाद में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) :

140. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन (करौली) के निम्न स्थानों गांव पीपल हेड़ा, ग्राम पंचायत ढहरा, गांव फाजिलाबाद, ग्राम पंचायत मंडावरा, गांव श्यामपुर मूडरी, ग्राम पंचायत क्यांरदा में प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) :

141. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में भरलिया की ढाणी, बीरमसर, बीनादेशर व मैणोसर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ढ़ढावेता, दाउसर, पाबूसर व कादिया ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के रतनादेश, कनवारी, टिडीयासर, जान्देवा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

144. पशुपालकों को नस्ल सुधार के लिये शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम नेसल एवं गालड एवं हमीरवास में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

146. बीमार पशुओं को समय पर दवाई उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

147. बी.पी.एल. के परिवारों के पशुओं को नि:शुल्क दवाई उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

148. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) पशु चिकित्सालय को आबंटित भूमि का कब्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।